खण्ड-404, अंक-10
बुधवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1914
(1 अप्रैल, 1992 ई0)

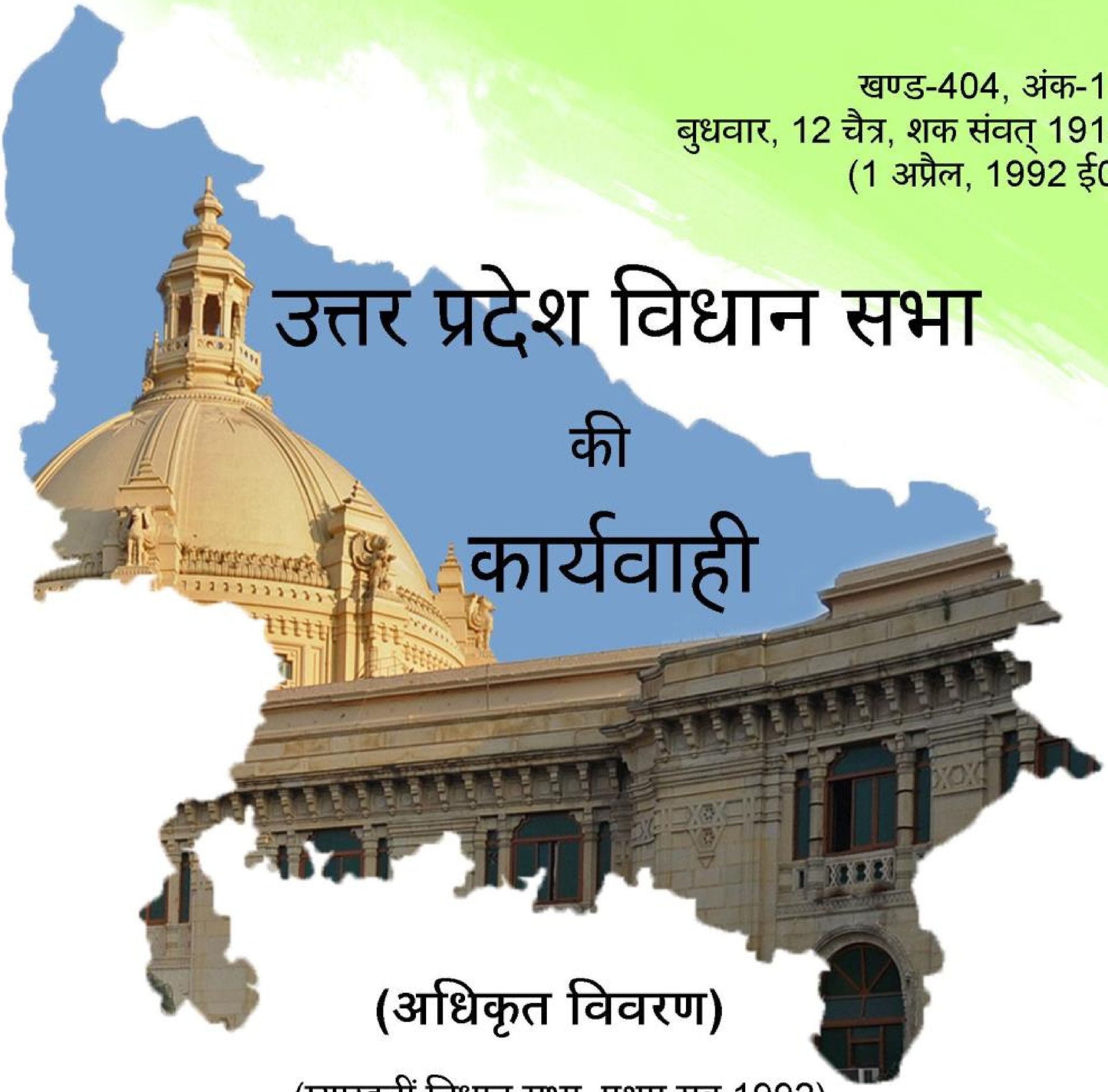

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-100
नियम 110 (2) के अन्तर्गत आज के उपवेशन को स्थगित करने की मांग तथा अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री द्वारा भ्रामक सूचना दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना ..	100-101
सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा श्री बरखूराम वर्मा, स० वि० सभा को धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना	101-102
नियम 110 (2) के अन्तर्गत आज के उपवेशन को स्थगित करने की मांग तथा अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री द्वारा भ्रामक सूचना दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना ...	102-104
कतिपय सदस्यों द्वारा अप्रैल दिवस पर हास-परिहास ...	104-105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	106
पूरा (उन्नाव) तहसील के विभाजन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
बाराबंकी के भूमि संरक्षण अधिकारी, इकाई बांध द्वारा की जा रही कथित धांधली की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106-107
गंगादीन रामकुमार इण्टर कालेज, रामगढ़, जौनपुर के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थियों से अवैध ढंग से धन अर्जित करने की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
देवरिया में गोरियाघाट छोटी गण्डक नदी पर सेतु का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
मुजफ्फरनगर के क्षेत्र बघरा में स्वीकृत कृष्णा नदी के पुल (बनती खेड़ा) तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
किंग जार्ज मेडिकल कालेज गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के हास्टल में हुई चोरी की जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सरसावां, सहारनपुर में ट्रेड यूनियन के मंत्री द्वारा आमरण अनशन से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108-109

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (पटल पर रखा गया)	109
श्री मोहम्मद आजम खां, स० वि० सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	109-110
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	110
नेता विरोधी दल के भाषण के दौरान नेता सदन एवं वित्त मंत्री के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	111
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	111-186
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	186
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	186-188
कल प्रस्तुत होने वाले ऊर्जा विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने पर ऊर्जा बजट को अन्य दिन के लिये स्थगित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	189-191
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ...	192-198
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	198
नस्थियां	199-200

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बाबूराम एम० काम०, श्री	जालौन
अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद	बालचन्द मिश्र, श्री	कानपुर नगर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	मदन भैया, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
गयाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
चुन्नू, श्री	बलिया	शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुरेन्द्र शुक्ला, श्री	देवरिया
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

अनुपूरक प्रश्न

बिधान सभा
संसद पुस्तकालय

बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल--

| x x x |

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री नरेश अग्रवाल--

| x x x |

श्री अध्यक्ष--

इस बात का यह समय नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल--

| x x x |

श्री प्रमोद तिवारी--

| x x x |

श्री अध्यक्ष--

लिखा नहीं जा रहा है माननीय प्रमोद तिवारी जी, मैंने पहले ही निर्देश दे दिया कि लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

| x x x |

श्री अध्यक्ष--

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या--1. माननीय हृदय नारायण दीक्षित आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं।

नोट--| x x x | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

विद्युत दरों में वृद्धि तथा विद्युत परिषद् में घाटे का कारण तथा उसे रोकने की योजना

*1.—श्री उदय नारायण दीक्षित तथा श्री सुरेश सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत दरों में की गयी भारी वृद्धि का औचित्य क्या है ? क्या सरकार अवगत है कि विश्व बैंक व सरकारी ट्यूबवेलों की विद्युत दरों में की गयी वृद्धि का सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ेगा ? क्या सरकार ने विद्युत दर बढ़ाते समय राज्य विद्युत परिषद् को करोड़ों के घाटे से बचाने के लिये लाईन हानि कम करने और बिजली चोरी रोकने की भी किसी कार्य योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)—

विद्युत दरों में की गयी वृद्धि विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण में उपयोग होने वाली वस्तुओं—कोयला, तेल, रेलभाड़ा, भंडार सामग्री व आयातित ऊर्जा के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण तथा विद्युत आपूर्ति में हुई वृद्धि के कारण ही विद्युत दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।

जी नहीं।

विद्युत परिषद् में घाटे का मुख्य कारण विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की लागत तथा औसत विक्रय मूल्य में अन्तर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1992-93 से प्रति वर्ष एक प्रतिशत लाइन हानि कम करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत पारेषण व वितरण में सुधार हेतु यथेष्ट प्रावधान उपलब्ध है। विद्युत चोरी रोकने हेतु एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन 13 पुलिस अधीक्षक इस कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा विद्युत की चोरी रोकने हेतु निरन्तर छापे डाले जा रहे हैं। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों द्वारा भी चोरी रोकने हेतु चेकिंग के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त चोरी रोकने के लिये दो विशेष एक्शन प्लान भी वर्ष 1991-92 में चलाये गये हैं। प्रथम एक्शन प्लान 7/91 में उद्योग बहुल क्षेत्रों कानपुर तथा गाजियाबाद में चेकिंग अभियान चलाये गये। द्वितीय एक्शन प्लान में 9/91 से 12/91 तक 100 अश्वशक्ति से अधिक भार के उपभोक्ताओं की चेकिंग के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। तृतीय एक्शन प्लान में चोरी बहुल क्षेत्रों में छः माह का चेकिंग कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

[मन्त्री (क) अल्पसूचना तारांकित प्रश्न संख्या—1 का उत्तर पढ़े जाने के मध्य शोर व्यवधान]

श्री सुरेश अग्रवाल—

[XXX]

श्री अध्यक्ष—

कृपया लोग बैठ जायें।

नोट— [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश अग्रवाल--

मान्यवर, वह तो इसके लिये समय निश्चित कर दें कि कल पूरेंगे ।

श्री तेजी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नकाल में यह प्रश्न उठाने का समय नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल--

आप आश्वासन दे दें कि प्रश्नकाल के बाद इसे ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

श्रीमन् विद्युत दरों में भारी वृद्धि की गयी है । इस सम्बन्ध में यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ वस्तुएं-कोयला, तेल, रेलभाड़ा, अण्डार सामग्री व आयातित ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि के कारण इसमें बढ़ोत्तरी करनी पड़ी । श्रीमन्, हमारा दूसरा प्रश्न यह था कि विश्व बैंक व सरकारी ट्यूबवेलों की विद्युत दरों में की गई वृद्धि का सीधा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसमें कितनी वृद्धि की गयी है और इसका कितना सीधा असर पड़ेगा । दूसरा यह कि जो लाइन लास के नाम पर करोड़ों रुपयों की विद्युत चोरी हो जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विद्युत जितनी बनती है तो उसमें लाइन हानि के नाम पर कितनी विद्युत चोरी चली जाती है और अगर शून्य कर दी जाये तो क्या विद्युत परिषद् घाटे में रहेगा ?

श्री रविकान्त गर्ग--

मान्यवर, स्टेट ट्यूबवेल के 1989 में रेट थे 78.00 रुपये प्रति एच० पी० प्रति माह । यह 17-10-89 तक की स्थिति है । और अब जो वृद्धि की गयी है उसके अनुसार 120 रु० पर एच० पी० पर मंथ निर्धारित की गयी है । मान्यवर, इसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है न कि किसानों द्वारा । जहां तक लाइन हानि का प्रश्न है लाइन हानियों को कम करने के लिए परिषद् द्वारा और सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । सन् 87-88 में लाइन हानियों का प्रतिशत 26.82 था, 88-89 में 26.45 प्रतिशत था, 88-89 में 26.10 प्रतिशत हुआ, 89-90 में 26.10 प्रतिशत हुआ, 90-91 में 26.08 प्रतिशत था और इस वर्ष हमने जो लक्ष्य रखा है उस प्रतिशत को घटाकर इन लाइन हानियों का जो पूरे वर्ष निकलती हैं वह पूरे वर्ष में लिखा जाना है और 31 मार्च तक जो इसके पूरे डेटा आयेंगे उसके अनुसार पता लगेगा । परन्तु हमने निर्धारित किया है और इसलिये हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इन लाइन हानियों को 25 प्रतिशत तक ले आयेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, यह सरकार राम राज्य के नाम पर वहां आयी है परन्तु हर काम रावण की तरह कर रही है । गरीबों और किसानों पर कहर बरपा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत लाइन लौस क्या है। अपनी अपनी अक्षमता छुपाने के लिये यह कह दिया कि कोयला व तेल के दाम बढ़ गये। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। क्या आप बतायेंगे कि इस सरकार की मिलीभगत से पूंजीपतियों पर कितना करोड़ रुपये बकाया है, जिसे आप वसूल नहीं कर रहे हैं ? तीसरा, सरकार इस बात की भी घोषणा करेगी कि ट्यूबवेल्स की दरों में जो वृद्धि होगी, उससे सिंचाई के शुल्क को नहीं बढ़ाया जायेगा।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, लाइन लौस का राष्ट्रीय औसत लगभग 22 प्रतिशत है। दूसरा, उन्होंने पूछा है कि कितना बकाया है। इसका मूल प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कैटेगरी करके पूछा है कि किस पर कितना बकाया है। इसलिये इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न पढ़ लें। उसमें पूछा गया है कि क्यों बढ़ाना पड़ा। सरकार ने जो कारण दिये हैं वे अपने हैं। हमारा सीधा प्रश्न था कि पूंजीपतियों पर कितने सौ करोड़ रुपये बकाया है ? मैं बता दूं कि दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। अगर इसे वसूल कर लिया जाय तो निश्चित रूप से इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपका सुझाव है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मौखिक रूप से और लिखित रूप से आपको सूचना दे रहा हूं कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। जब सरकार पूरी तरह से इस पर तैयार होकर आ जाय, तब इसका उत्तर दे दें। दूसरा, यह कि सरकार ट्यूबवेल के रेट बढ़ायेगी कि नहीं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं। जिस काम को मंत्री जी नहीं कर पाये, अधूरा छोड़ दिये थे, उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाये तो, वह तो इन्होंने बढ़ाये हैं। इसलिये हमारे ऐसे अधूरे कार्यों को मेहरबानी करके वह पूरा न करें।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, नवम्बर, 1991 तक राजस्व का कुल बकाया 923.86 करोड़ रुपये है। मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि वर्ल्ड बैंक के जो ट्यूबवेल्स हैं, उस पर कुछ रेट्स बढ़ाये गये हैं, परन्तु उसका किसानों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का यह भी प्रश्न है कि सिंचाई की दरों में भी वृद्धि का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीधा असर नहीं होगा । इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह ज्वाइन्ट रिस्पान्सबेलिटी है और वह यह घोषणा करे कि किसानों के ट्यूबवेलों की दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी । चाहे वे वर्ल्ड बैंक से पोषित नलकूप हों या सरकारी नलकूप हों, इनके किराये नहीं बढ़ाये जायेंगे । इसका उत्तर वह दे दें, हम संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, किसानों के हितों को दृष्टि में रखते हुए हमने निजी नलकूपों में कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया है । हमने राजकीय नलकूपों पर और वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेलों पर पैसा बढ़ाया परन्तु उसका भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है । इसलिये उसका सीधा असर नहीं पड़ता है । सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई की दरों में वृद्धि नहीं की गयी है और न प्रस्तावित की है इसलिये असर पड़ने और वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, विद्युत परिषद् घाटे में है यह सबको पता है । तो क्या विद्युत परिषद् के घाटे को पूरा करने के लिये कोई अभियान चलाया था और उसके अन्तर्गत निजी कनेक्शन लेने वालों को, अपने मकान में कनेक्शन लेने वालों के कनेक्शन काटे गये थे और छोटे-छोटे उद्योगों के कनेक्शन काटे गये थे और उनको जेल भेजा गया था । तो क्या उसी प्रकार की कार्यवाही उद्योगपतियों के लिये जिन पर काफी पैसा बकाया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उनको जेल भेजेंगे और कब तक करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, यह निरन्तर प्रक्रिया है और इस निरन्तर प्रक्रिया के अनुसार जोरों से कार्यवाही की जा रही है । मैंने पूर्व में ही प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार द्वारा तीन ऐक्शन प्लान बनाये गये और प्रथम ऐक्शन प्लान में उद्योगपतियों को ही लिया गया जिसमें कानपुर तथा गाजियाबाद में चेकिंग अभियान चलया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की । दूसरे ऐक्शन प्लान में 100 अश्व शक्ति के उपभोक्ताओं की चैकिंग की गयी । तो यह उद्योगतियों के विषय में ही है । (व्यवधान) पूरा उत्तर आने दीजिये ।

डा० दिनेश जौहरी–

मैं दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो यह कि बिजली के दाम बढ़े हैं उसमें बड़े उद्योगों को नहीं छोटे उद्योगों को असर न पड़े उनको कोई आश्वासन दिया है और चोरों को पकड़ने के लिये जो ऐक्शन प्लान बनाया है उसमें 91-92 में कितने चोरों को पकड़ा गया और उनसे कितना रुपया वसूल किया गया ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा मैंने पूर्व में कहा विद्युत दरों में वृद्धि असामान्य परिस्थितियों में की गयी क्योंकि कोयले के दाम बढ़ गये, तेल के दाम बढ़ गये, रेल भाड़ा तथा भंडार सामग्री के दाम बढ़ गये तथा आयातित ऊर्जा के मूल्य बढ़ गये तो मजबूरी थी । (व्यवधान)

डा० दिनेश जौहरी–

क्या कोई आश्वासन दिया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

आश्वासन नहीं दिया है और न दिया जा सकता है क्योंकि यह कैबिनेट का निर्णय है इसलिये आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता ।

दूसरा अभियान के विषय में माननीय जौहरी साहब ने जानना चाहा तो अप्रैल, 91 से लेकर जनवरी, 92 तक कुल 45,183 उपभोक्ताओं की चैकिंग की गयी जिसमें से 17,799 के संबंध में अनियमिततायें पायी गयीं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सवाल कुछ जवाब कुछ है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्नकर्ता माननीय सुरेन्द्र सिंह ने एक प्रश्न नहीं किया मैं उनको बुला रहा हूं । वह मूल प्रश्नकर्ताओं में से हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रतिशत कम करेंगे । अभी उन्होंने बताया कि लाइन हानि का 26 प्वाइन्ट कुछ प्रतिशत है और राष्ट्रीय औसत 22 प्रतिशत है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एक्शन प्लान चलाया गया था विद्युत चोरी रोकने के लिये तो उस ऐक्शन प्लान के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? माननीय मंत्री जी इस सूचना को सदन के पटल पर रखें ।

श्री अध्यक्ष–

एक-एक प्रश्न करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न और है किसानों के बारे में, वहां पर ट्यूबवेल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है । क्या वह भी किसानों से वसूल किया जायेगा ? बस दो बातें पूछना चाहता हूं ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैं तो स्वयं ही जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है, उसका उत्तर दे रहा था । मैंने बताया कि कुल 45,183 उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जांच की गयी जिसमें से 17,799 के खिलाफ अनियमितता पाई गई और अनियमितता बरतने वालों में से 15,165 के कनेक्शन काट दिये गये । मान्यवर, विद्युत चोरी के मामले में 5,461 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और उनसे 278 करोड़ 16 लाख रुपये आंकलित किया गया । इस अभियान के तहत 4,103 लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कर दी गयी और 1,161 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों के अन्दर भेजा गया ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित करा दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी पैसा वसूला गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, यह प्रश्न श्रमिकों से भी जुड़ गया है । बीस बड़े कारखाने ऐसे हैं, जहां तालाबन्दी चल रही है । ताला बन्दी की एक वजह है श्रमिकों को पैसा न देना । इससे बड़ी एक वजह यह है कि यह बिजली के बकाये का भुगतान न सरकार को दे पा रहे हैं और न कारखाने ही चल रहे हैं । इसी वजह से बीस बड़े कारखाने आज बन्द हैं । एक तरफ श्रमिकों को नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार को बिजली का पैसा नहीं मिल पा रहा है । इतने कारखानों में से किसी एक के भी खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की हो तो उसकी सूचना दे दें ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त हो गया है । मेरे पास एक सूचना आयी है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी सत्य से परे बात कह रहे हैं । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपके निवेदन पर विचार कर लेते हैं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय तिवारी जी ने भी जानना चाहा है कि पूंजीपतियों का कितना बकाया है । विद्युत कर सरकार विभाग पर कितना बकाया है और सरकारी विभागों में नलकूप विभाग, जल संस्थान, नगर महापालिकायें इन सबके ऊपर कितना विद्युत कर बकाया है यह उसकी वसूली क्यों नहीं कर पाते हैं यह किसानों पर बिना टैक्स बढ़ाये कैसे वसूली कर लेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसी के साथ मेरी भी एक बात सुन लें ।

(व्यवधान)

राणा जी का जवाब आये तो मंत्री जी उसी में एक बात और बता दें कि इस प्रदेश में एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली की दर को देने वाले कितने पूंजीपति हैं, जो इन्होंने अभियान चलाया है उसमें क्या पूंजीपतियों को भी पकड़ा गया है ? जबकि हजारों किसानों की बिजली काट दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें मैं इसमें चर्चा स्वीकार कर लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकारी विभाग और नलकूप विभाग पर कितना बकाया है ?

(व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दें मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष–

पहले इनका उत्तर तो आ जाये । माननीय मंत्री जी आप राणा जी के प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा के लिये कहना चाहता हूं कि राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में जो अभियान हमने चलाया है उसके अन्तर्गत पिछले वर्षों की तुलना में 20 प्रतिशत.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत इसमें चर्चा स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

राणा जी आप अपने प्रश्न को दोहरा दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह कहते हैं कि किसानों के ऊपर कोई कर नहीं बढ़ायेंगे और फिर भी यह बढ़ा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का कितना टैक्स अब तक बकाया है । सरकारी विभाग पर कितना बकाया है खासतौर से नलकूप विभाग का कितना बकाया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैं वही बता रहा था माननीय राणा जी शान्ति से सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर गला सूख रहा हो तो पानी मंगवा लें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

जिस प्रकार से वसूलयाबी की कार्यवाही अन्य विभागों के साथ की जा रही है उसी.....

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर घुमाफिरा कर दे रहे हैं । मैंने पूछा है कि विभागों के ऊपर कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे माननीय नेताओं ने सूचना दी है, श्री प्रमोद तिवारी, श्री लालजी वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित ने सूचना दी है । मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम महोली खेड़ा में कतिपय अधिकारियों द्वारा किसानों के आलू सड़ने से हुई क्षति की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के ग्राम महोलीखेड़ा में आयुक्त, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कृषि सचिव एवं सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज दिनांक 19-2-92 को हेलीकाप्टर से गये थे ? क्या उन्होंने आलू के सड़ने तथा किसानों को हुई करोड़ों रुपयों की क्षति की रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

कृषि उत्पादन आयुक्त ने जनपद इटावा में दिनांक 18-2-92 को सचिव, कृषि एवं सचिव, क्षेत्रीय विकास के साथ ई० ई० सी० प्रोजेक्ट के अधीन प्रगति की समीक्षा की जिसके उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त, जनपद मैनपुरी के ग्राम महोलीखेड़ा भी गये । जनपद मैनपुरी में सूरजमुखी गोष्ठी में भाग लिया एवं सूरजमुखी कार्यक्रम की समीक्षा की तथा कृषि फसल प्रदर्शन के भूखण्डों का एवं समादेश क्षेत्र के भौतिक कार्यों का भी निरीक्षण किया ।

मैनपुरी जनपद में आलू में पछेती झुलसा लगने की जानकारी कृषि उत्पादन आयुक्त को स्थानीय कृषकों द्वारा दी गयी थी । पछेती झुलसा केवल उन आलू के खेतों में लगा था जहां कृषकों द्वारा डाईथेन–एम 45 का छिड़काव समय पर नहीं किया गया था । आलू की फसल में जहां समय पर डाईथेन-एम 45 का छिड़काव हुआ था वहां फसल अच्छी दशा में पायी गयी थी । स्थल निरीक्षण से लौटने के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने पछेती झुलसा के परिमाण की जानकारी के लिये त्वरित सर्वेक्षण के लिये निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को निर्देश दिये थे । फसल सुरक्षा के लिये समुचित कार्यवाही के साथ-साथ झुलसाग्रस्त जनपदों में डाईथेन-एम 45 की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(माननीय मंत्री श्री धनराज यादव द्वारा उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया प्रश्न के पहले भाग को जरा पढ़ लें । इसमें है "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के ग्राम महोलीखेड़ा में आयुक्त, कृषि उत्पादन मंडी समिति, कृषि सचिव एवं सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज दिनांक 19-2-92 को हेलीकाप्टर से गये थे ।" इसका क्या उत्तर है ?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, विस्तार से उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो परम्परा है, सचिव लोग उत्तर देते हैं और माननीय मंत्री ऐसे ही दस्तखत कर देते हैं, यह ठीक नहीं है । मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों को कोयला आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोयले पर आधारित प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों को, कोयले की आपूर्ति आवश्यक मात्रा में समय से न हो पाने के कारण उत्पादन गिरा है ? सरकार ने कोयले की आपूर्ति निर्धारित मात्रा में समय से कराये जाने तथा अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

जी हां ।

कोयले की निर्धारित मात्रा में आपूर्ति के लिये नकद भुगतान किया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार से निर्धारित मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध किया गया है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, कोल इंडिया का कितना रुपया राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया है । इस किराये के कारण थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की सामान्य आपूर्ति होनी बन्द हो गयी है और इसके कारण प्रदेश में असामान्य स्थिति पैदा हो गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया का राज्य विद्युत परिषद् पर कितना बकाया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, 31-3-1990 तक कोयले की बकाया राशि 492 करोड़ रुपये थी । लेकिन निरन्तर भुगतान किये जाने के कारण 31-12-91 को यह बकाया धनराशि घटकर 440 करोड़ रुपये रह गयी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के घाटे का सबसे बड़ा कारण है जितनी बिजली उत्पादन क्षमता है, उतना उत्पादन न करना । मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की उत्पादन क्षमता कितनी है और इस समय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् कितना उत्पादन कर रहा है । दूसरे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् जो विद्युत पैदा करता है, उसकी उत्पादन दर कितनी है और एन० टी० पी० सी० की उत्पादन दर कितनी है और कम आपूर्ति करने से एन० टी० पी० सी० से जितनी बिजली लेनी पड़ती है, उससे प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को कितना घाटा होता है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, यह सही है कि जितनी उत्पादन क्षमता है उतनी उत्पादन क्षमता के अनुसार (घोर व्यवधान के मध्य "कितनी है" की आवाजे) मान्यवर, बताये देता हूं । मान्यवर, कुल क्षमता जलीय 1432 मेगावाट है और तापीय को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की कुल उत्पादन क्षमता 4986.75 मेगावाट है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हमने पूछा था कि कितना उत्पादन होता है और क्षमता से कितना कम होता है । यू० पी० एस० ई० बी० की उत्पादन की दर कितनी है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, क्षमता की 46.8 परसेंट है ; हाइडिल का प्लान्ट लोड फैक्टर 13.7 परसेंट है । मान्यवर, हाइडिल आकस्मिक कारणों से ही चलायी जाती है, यह माननीय सदस्य जानते हैं । कुल परसेंटेज 46.8 परसेंट हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, हमारे प्रश्न को आपने सुन लिया होगा । आप संरक्षण दें । प्रश्न स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, उसका कितना परसेंट पैदा कर रहे हैं और उत्पादन की दर क्या है ? एन० टी० पी० सी० की उत्पादन दर कितनी है और उससे कितने रुपये प्रति वर्ष घाटा उठाना पड़ता है या देना पड़ता है ?

श्री रवि कान्त गर्ग–

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी अवगत कराया और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये दोहराना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् की कुल उत्पादन क्षमता 4681.75 मेगावाट है । कुल उत्पादन 1357.33 मेगावाटे है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जवाब नहीं आया । मान्यवर, पूछा था कि एन० टी० पी० सी० से कितनी बिजली उत्पादित करते हैं साल भर में और साल भर में उस बिजली के लिये कितना पैसा देना पड़ता है ?

(व्यवधान)

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, एन० टी० पी० सी० से फरवरी, 92 तक.....

श्री अध्यक्ष–

यदि आपके पास सूचना नहीं है, तो आप यह कह दें कि सूचना नहीं है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जो सूचना नहीं होगी, मैं स्वयं कह दूंगा । जो सूचना है, उसको तो माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं । मान्यवर, मैंने बताया कि हमने एक वर्ष का 1026 मेगावाट आयात का लक्ष्य रखा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं इस तथ्य को चुनौती देता हूं । एक वर्ष की नहीं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक दिन की उत्पादित क्षमता बता गये । इस तरह से मान्यवर, कैसे काम चलेगा, 1026 सम्भवतः एक दिन की बता गये । 9 महीने से मंत्री हैं, मेगावाट आप जानते हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैंने जो बताया वह 1026 मिलियन यूनिट है । शोर-शराबा करेंगे, तो आप कैसे सुन पायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर आप संतुष्ट हैं, तो मैं भी संतुष्ट हूं ।

(घोर व्यवधान)

उ० प्र० में किसानों के उत्पादनों के सुरक्षित भण्डारण हेतु निजी सहकारिता एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत शीतगृहों का विवरण

*2–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के उत्पादनों के सुरक्षित भण्डारण हेतु उ० प्र० में कितने शीतगृह निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं ? क्या उनकी दरों में भिन्नता है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? क्या सरकार द्वारा समान दरें करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में किसानों की सुविधा हेतु शीतगृहों के निर्माण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उनका निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

किसानों के उत्पादों के सुरक्षित भण्डारण हेतु प्रदेश में 3 सरकारी, 717 निजी तथा 89 सहकारिता क्षेत्र में, कुल 809 शीतगृह कार्यरत हैं ।

जी हां ।

विश्व बैंक की सहायता से निर्मित होने वाले शीतगृहों को वर्ष 1983 से, तथा 1989 से सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में निर्मित होने वाले शीतगृहों को प्रथम भण्डारण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिये धारा 26 व 29 (भण्डारण प्रभार) के उपबन्धों से शासन द्वारा मुक्त किया गया है । जी नहीं ।

किसानों की सुविधा के लिये नवीन शीतगृहों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा नवनिर्मित शीतगृहों को धारा 26 व 29 के उपबन्धों से छूट प्रदान किये जाने के कारण शासन द्वारा प्रभार निर्धारित नहीं किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शीतगृहों का निर्माण निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीतगृहों की दरों में भिन्नता का क्या कारण है ? और आलू भण्डारण के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? आप 3-4 प्रश्न करने की अनुमति मुझे दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

एक-एक पूरक प्रश्न पूछ लें, एक साथ नहीं ।

श्री धनराज यादव–

दरों में भिन्नता है । सरकारी और निजी दोनों प्रकार के शीतगृहों में आलू रखने की दरों में भिन्नता है । दरों में भिन्नता इसलिये है कि कोल्ड स्टोरेज बनने के 10 साल तक उनको छूट रहती है । जितना आलू है, उसके अनुसार कोल्ड स्टोरेज बन नहीं पाये हैं ? जो रेट है वह 31 रुपया प्रति कुन्तल का है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्न था कि सहकारी और निजी शीतगृहों में क्यों अन्तर है और कितना है ?

श्री धनराज यादव–

3 सरकारी शीतगृह हैं । निजी क्षेत्र के जो शीतगृह हैं, यह जिस दिन से भण्डारण शुरू करेंगे, उस दिन से 10 साल तक हमारे नियंत्रण से मुक्त रहेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पूछा क्या जा रहा है और उत्तर क्या दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कृपया यह बता दें कि सरकारी और सहकारी शीतगृहों की क्या दरें हैं और निजी क्षेत्र के शीतगृहों की दरें क्या हैं और उनमें जो अन्तर है वह क्यों है, यह बात बता दें ?

श्री धनराज यादव–

सहकारी और निजी क्षेत्र के जो शीतगृह हैं उन पर जो 1989 से पहले के शीतगृह हैं उन पर शासन का नियंत्रण लागू नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप दर बता दें ।

श्री धनराज यादव–

31 रुपया प्रति कुन्तल है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, सहकारी और सरकारी शीतगृह एक हैं और दूसरे निजी क्षेत्र के शीतगृह हैं । सरकारी और निजी क्षेत्र के शीतगृहों की भण्डारण की दरों में अन्तर क्यों है, यह मंत्री जी बता दें ।

श्री धनराज यादव–

निर्धारित दर 31 रु० प्रति क्वि० है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप–

अगर हमारा उन कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण नहीं है और 31 रु० पर आलू नहीं रखवा पा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल ही ऐसा प्रान्त है जहां की दरें निर्धारित की जाती हैं, बाकी जगह मूल्यों की बाध्यता नहीं है । क्या उत्तर प्रदेश में भी 31 रु० प्रति क्वि० पर आलू रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज वालों को बाध्य करने के लिये कुछ किया जा रहा है ? बिजली की दरें बढ़ गयी हैं, उनका फायदा नहीं हो रहा है तो या तो मूल्यों का निर्धारण किया जाय और यदि आलू किसानों की समस्या दूर करने के लिये योजना बनायी हो तो उसका स्पष्ट स्वरूप सदन के सामने रखें ।

श्री धनराज यादव–

प्रश्नकर्त्ता की जिज्ञासा यह है कि बिजली की दर बढ़ने के कारण कोल्ड स्टोरेज वालों को कठिनाई आ सकती है, तो बताना चाहूंगा कि इस पर विचार हो चुका है, पिछले वर्ष 29 रु० था इस वर्ष 31 रु० किया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष– (राज्य मंत्री श्री धनराज यादव को सम्बोधित करते हुए)

उनका प्रश्न यह है कि किसानों के आलू भण्डारण के सम्बन्ध में कोई आपकी योजना है ?

श्री धनराज यादव–

जो योजना इस समय चल रही है, यही है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आलू की उत्पादन क्षमता कुल कितनी है और आलू की कितनी भण्डारण क्षमता के गोडाउन मौजूद हैं । अवशेष आलू के भण्डारण की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका पहला प्रश्न तो मूल प्रश्न से बहुत दूर है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

आप प्रश्न देख लें, मान्यवर, प्रश्न में है कि, "क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किसानों के उत्पादनों के सुरक्षित भण्डारण हेतु उत्तर प्रदेश में कितने शीतगृह निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं ?"

(श्री कृष्ण किंकर सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न का उत्तर आ जाने दें, आप बैठें ।

(मा० राज्य मंत्री श्री धनराज यादव को सम्बोधित करते हुए)

माननीय सुरेन्द्र नाथ जी का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन कितना है और जो भी शीतगृह कार्य कर रहे हैं, उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है ?

श्री धनराज यादव–

जितने शीतगृह हैं उनकी भण्डारण क्षमता 32.96 लाख टन है ।

(व्यवधान)

और जितना आलू पैदा होता है उसकी पूरी भण्डारण क्षमता कोल्ड स्टोरेज के पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

प्रदेश में आलू के उत्पादन का औसत कितना है ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे याद आ रहा है आलू के उत्पादन के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था उस पर मैंने वक्तव्य मांगा है । अब इसमें ज्यादा प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप इनको ज्यादा संरक्षण दें हमको कम दें । लेकिन यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा बहुत सही है कि इस समय आलू का उत्पादन कितना है और कोल्ड स्टोरेज में क्षमता कितनी है इन आंकड़ों के लिये तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी इसको छिपाने का कोई मतलब नहीं है । लेकिन यह बात सही है, यह मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है, माननीय तिवारी जी भी जानते हैं कि आलू के उत्पादन के मुकाबले में भण्डारण क्षमता कम है, यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है । क्योंकि किसानों का हित हो, अगर आलू का सही भण्डारण नहीं होगा तो आलू का कम मूल्य होगा, उत्पाद भी नष्ट होगा । एक तो हमने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं भी भण्डारण करने में किसानों का शोषण उत्पीड़न न होने पाये पूरी क्षमता पर उनका भण्डारण हो जो दीर्घकालिक योजना होगी उसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज लगें, कोल्ड स्टोरेज को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं । प्रोत्साहित करने की दो विधियां हैं, कुछ इनके रेट बढ़ा दें कुछ और सुविधायें बढ़ायें इसके बारे में सरकार विचार कर रही है कि कौन-कौन सी विधियां अपनायी जायं जिससे कि हमारे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज ज्यादा संख्या में लगें । जिससे किसान की जो आवश्यकता है, आलू का जो उत्पादन है, उसका भण्डारण सुनिश्चित हो सके ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

किस तारीख को जिलाधिकारियों को आपने निर्देशित किया ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यहां मान्यवर, दो वर्जन आ गये, यह गम्भीर प्रश्न है । प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने भी माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जो वर्तमान में भंडारण का रेट है आलू का उससे कोल्ड स्टोरेज मालिकों के संतुष्ट न होने के कारण वे आलू रखने के लिये तैयार नहीं हैं तो क्या उसकी कोई मूल्य वृद्धि प्रस्तावित है, मंत्री जी ने कहा कि 31 रु० रेट है । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस हाउस में कहा कि कोल्ड स्टोरेज नये बने इस प्रदेश में इसके लिये वे कुछ विधियां अपनाने पर विचार कर रहे हैं उसमें एक तो मूल्य वृद्धि भी है रेट में । मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछले साल 29 रु० रेट था, अब 31 रु० बताया गया तो यह स्वयं माननीय मंत्री जी का निर्णय है या निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद् का है ? दूसरे, क्या सरकार इस सदन को आश्वासन देगी कि प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिये आलू के भंडारण के रेट किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि 31 रु० रेट किये गये हैं यह सरकार का निर्णय है, मंत्रिपरिषद् का निर्णय है । जब 31 रुपये की घोषणा हुई है तो यह सरकार का ही निर्णय होगा । दूसरी बात जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये तो वह किस तारीख को दिये गये ? तो इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं है । लेकिन यह सही है कि जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जो वर्तमान दर घोषित की गयी है उसी के आधार पर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी कोल्ड स्टोरेज में आलू का भण्डारण हो जाये इस प्रकार से उन्हें निर्देशित किया गया है । दूसरा यह कि रेट के बारे में पूछा गया तो हमारे सामने किसानों का हित सर्वोपरि है, हमें कोल्ड स्टोरेज भी लगाने हैं और इसलिये इसको प्राथमिकता दी गयी है और इस बात की पूरी सुरक्षा की जायेगी कि किसानों के हित की उपेक्षा न की जाये ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में यह आश्वासन देंगे कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इनके रेट 31 रुपये से आगे नहीं बढ़ेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी ने कहा है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में रेट न बढ़ाया जाये इसका आश्वासन सदन में दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आश्वासन कैसे दिया जा सकता है ? लेकिन मैंने कहा है कि शासन एक नीति पर चलता है और हम किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्पादन क्षमता से हमारी भण्डारण क्षमता कम है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शीतगृह हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका भवन बनकर खड़ा हो चुका है लेकिन विद्युत कनेक्शन के अभाव में,

जबकि उन्होंने इस हेतु पैसा जमा कर दिया है, वह चल नहीं पा रहे हैं तो कितने ऐसे शीतगृह हैं जो बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन न दिये जाने के कारण चल नहीं पा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस समय इस बात की सूचना नहीं है कि कितने इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज इस समय रुके हुए हैं, उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है । इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी हम इसे दिखवा लेंगे । अगर माननीय सदस्य बाद में हमें बता देंगे कि कितने और कौन-कौन से कोल्ड स्टोरेज हैं तो उनके सामने ही बिजली विभाग वालों से बात हो जायेगी ?

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये । मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नयी व्यवस्था में काफी देर हो गयी है और शीतगृह बन नहीं पा रहे हैं और जो बनते हैं उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है । पिछले वर्षों में होता यह रहा है कि देश के दूसरे प्रान्तों में आलू की फसल का पता लगाया जाता था और सरकार भारत सरकार से बात करके आलू को दूसरे प्रदेशों में भेजने की व्यवस्था करती रही है, यह परम्परा आज वर्षों से चली आ रही है ? तो क्या सरकार मेरे इस प्रश्न के ऊपर विचार कर के और भारत सरकार से बात कर के जिन प्रदेशों में आलू की आवश्यकता है उसको तुरन्त वहां भेजने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से बहुत अच्छा सुझाव दिया है । यह मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार पूरा-पूरा प्रयास पहले से कर रही है, हम पता लगा कर जैसा प्रति वर्ष होता रहा है, वैसा करेंगे ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहते रहने से घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष--

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह सब कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की सूचना प्रदेश के आलू भण्डारण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हमने चर्चा स्वीकार कर लिया है । मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लिया है ।

(व्यवधान)

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पहले किसानों को संरक्षण देने के लिये सरकार की तरफ से क्रय केन्द्र खोले गये थे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस साल भी प्रदेश सरकार आलू उत्पादकों की समस्या को ध्यान में रखकर क्रय केन्द्र खोलेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा उत्तर दिलवा दें, मैंने क्रय केन्द्र खोलने की बात पूछी है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आलू के भंडारण की बड़ी समस्या है ।

श्री अध्यक्ष–

मलिक साहब मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लिया है ।

यूरिया खाद का मूल्य सभी भण्डारों पर एक समान करने की मांग

*3–श्री ठाकुर पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है यूरिया खाद के रेट एग्रो व कृषि भण्डारों पर लगभग 163 रु० प्रति कट्टा है तथा सहकारी समितियों पर लगभग 153 रु० प्रति कट्टा है । क्या मंत्री जी इन सभी भण्डारों पर खाद के मूल्य एक समान होने सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के द्वारा अपने स्रोतों से सहकारी समितियों से बिकने वाली यूरिया खाद के प्रति कट्टे पर रु० 9.37 पैसे की छूट दी जा रही है, जो सभी श्रेणी के कृषकों को उपलब्ध है । ऐसी छूट सहकारी समितियों को ही सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने हेतु दी गयी है । वैसे एग्रो के माध्यम से भी लघु एवं सीमान्त कृषकों को पुरानी दर पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(श्री ठाकुर पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठाकुर पाल सिंह जी उपस्थित नहीं हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार पूंजीपतियों से मिलकर किसानों के विरुद्ध साजिश कर रही है जिससे आलू उत्पादकों को हानि हो रही है। यह किसान विरोधी सरकार है इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का वहिष्कार करता है।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी कितने मिनट का वहिष्कार है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बस एक मिनट के लिये बाहर गया और आया।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन से उठकर चले गये)

[बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विद्युत के नये कनेक्शन हेतु फार्म मण्डलीय स्तर पर छपवाकर उपभोक्ताओं को 10 रुपये प्रति दर से दिया जाना

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वेसू नये विद्युत कनेक्शन हेतु जो आवेदन फार्म नागरिकों को दिये जाते हैं, वे स्थानीय स्तर पर छपवाये जाते हैं और उसका शुल्क प्रति फार्म 10 रु० लिया जाता है जिस पर कोई नम्बरिंग नहीं होती है और प्राप्तकर्त्ता को शुल्क की कोई रसीद नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का नियम प्रदेश स्तर पर समान रूप से लागू है ? यदि नहीं, तो क्या "वेसू" के अधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रविकान्त गर्ग–

जी हां, आवेदन फार्म मण्डलीय स्तर पर छपवाये जाते हैं और उन पर नम्बरिंग करके उपभोक्ताओं को 10 रु० प्रति फार्म की दर से दिया जाता है जिसकी रसीद देने का प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने क्रय केन्द्र खोलने की बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर चर्चा स्वीकार लिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, आप अब बैठें ।

(व्यवधान)

मैंने इस पर चर्चा स्वीकार कर लिया है और चर्चा की तिथि बहुत जल्दी ही लगा रहा हूं । मैंने आपसे निवेदन किया कि मैंने इस विषय पर कल ही चर्चा स्वीकार कर लिया है और चर्चा की तिथि कल परसों में लगाये देता हूं, कल या मंगलवार को लगा देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही निवेदन किया कि आलू के भण्डारण की जो समस्या है, इस समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना पर मैंने आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है, उसको कल या मंगलवार को लगाये देता हूं उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो जायेगी ।

श्याम देव राय चौधरी जी अपना प्रश्न करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह प्रश्न जब मैंने दिया था तो उस समय मेरी निश्चित जानकारी थी कि वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में आवेदकों को फार्म बेचे जाते थे और उस पर नम्बरिंग नहीं होती थी जिससे भ्रष्टाचार की पूर्ण गुंजाइश थी और इसीलिये मैंने यह प्रश्न दिया था । मान्यवर, इसके उत्तर में मुझे बताया गया है कि जो आवेदन पत्र हैं वह मंडलीय स्तर पर छपवाये जाते हैं और यह समान स्तर पर लागू है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो नम्बरिंग की प्रथा है यह पिछले कितने वर्षों से लागू है, पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा दे दें और यह भी बताने की कृपा करें कि पिछले तीन वर्षों में वाराणसी मंडल में कितने फार्म छपवाये गये और कितने बेचे गये और यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि जो फार्म बेचे जाते हैं, यह एक प्रक्रिया है कि जो पैसा देता है उसको रसीद मिलनी चाहिए तो क्या जैसा मंत्री जी ने कहा है कि रसीद देने का कोई प्राविधान नहीं है, निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा क्या इसका आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में जो आवेदन-पत्र खरीदने वाले हैं, उनको मूल्य की रसीद देने का नियम लागू करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया कि इन फार्मों पर नम्बरिंग की जाती है, यह फार्म सर्किल आफिस स्तर पर छपवाये जाते हैं और वही इसकी नम्बरिंग करके डिवीजन कार्यालय को भेज देते हैं, वहां उनका पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है । मान्यवर, यह प्रथा काफी समय से चली आ रही है परिषदीय आदेशों के तहत । इसके अलावा अनियमितताओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यदि माननीय सदस्य किसी अनियमितता की जानकारी देंगे तो उस पर कठोर से कठोर से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, निश्चित अवधि बता दें कि यह प्रथा पिछले कितने वर्षों से चली आ रही है और जो रसीदें नहीं दी जाती हैं, उसका औचित्य क्या है, यदि औचित्य नहीं है तो क्या रसीद देने की प्रथा लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, नम्बरिंग करने की प्रथा दृढ़ता से लागू करने के लिये 28-3-89 को परिषद् द्वारा पुनः निर्देश जारी किये गये हैं और तभी से उसके माध्यम से इस पर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जहां तक रसीद की प्रथा चालू करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इससे अतिरिक्त कार्य का बर्डेन बढ़ जायेगा और चूंकि कोई अनियमितता की शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जो लोग फार्म लेंगे, रसीद तो उन्हीं को देंगे, उसमें भार बढ़ने की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं हुआ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, लगता है, माननीय मंत्री जी को सचिव ने मना कर दिया है कि रसीद मत छपवाओ वरना रसीद छपवाने में क्या दिक्कत है। जब अनियमितता पकड़ी जायेगी, तब छपवायेंगे। अगर पहले ही छपवा कर दे दें तो इससे हिसाब-किताब सही रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपने सुझाव दे दिया। यह कोई अनुपूरक प्रश्न तो है नहीं।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि रसीदें छपवाने की प्रथा चालू करने पर विचार करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, 10 रुपये का फार्म होता है, जिसका पूरा एकाउन्ट सर्किल आफिस में रहता है और डिवीजन आफिस में भी रहता है। सर्किल आफिस के द्वारा निश्चित मात्रा में फार्म डिवीजन आफिस को दिये जाते हैं और डिवीजन आफिस में उसका पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, इस फार्म की छपवाने में लागत कितनी आती है और यदि लागत कम आती है तो फार्म 10 रुपये का क्यों बेचा जाता है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । माननीय सदस्य की जिज्ञासा का मैं व्यक्तिगत रूप से समाधान कर दूंगा ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल समाप्त हुआ, कहने पर)

श्री गंगा बक्श सिंह–

मान्यवर, जैसा चौधरी साहब ने कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि फार्म खरीदे जाने की रसीद भी दी जानी चाहिए, दूसरी बात यदि फार्म की कीमत कम आती है, तो फार्म कम पर ही बेचा जाना चाहिए, इस पर विचार करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की उत्कंठा है, तो इसके लिये परीक्षण करा लेंगे, जो आवश्यक होगा, वही किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद लखीमपुर की सुहेली परियोजना को पूर्ण कराने की मांग

*2–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर की सुहेली परियोजना कितने समय से अधूरी पड़ी है ? क्या यह सही है कि अधिकारियों की गलत रिपोर्ट के कारण योजना लम्बित है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा सुहेली परियोजना कब तक पूरी करा दी जायेगी ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जनपद लखीमपुर की सुहेली परियोजना जिसकी कुल लागत वर्ष 1977 में 640 लाख रुपये अनुमोदित की गयी थी, पर वर्ष 1987-88 तक मुख्यतः कार्य पूर्ण हो गये हैं ?

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुहेली परियोजना के कुछ अवशेष कार्य भूमि विवाद संबंधी बाधाओं को देखते हुए सम्पन्न नहीं कराये गये हैं और परियोजना को पूर्ण मान लिया गया है ।

राजकीय नलकूपों के निर्माण का उद्देश्य एवं रक्षात्मक सिंचाई की नीति की जानकारी

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की सिंचाई नीति रक्षात्मक सिंचाई देने की है अथवा सघन सिंचाई की ? यदि सघन सिंचाई देने की है, तो प्रति सरकारी ट्यूबवेल पर कितनी भूमि सींचने हेतु आवंटित की जा रही है और यदि रक्षात्मक सिंचाई की नीति है तो प्रति ट्यूबवेल पर कितनी भूमि सिंचन के लिये आवंटित की जा रही है ?

नोट–नत्थी 'ग' के ता० प्र० सं० 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय नलकूपों का निर्माण सघन सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

एक राजकीय नलकूप का कमाण्ड लगभग 100 हेक्टेयर रखा जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की योजना

*4–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दालों की खपत के अनुपात में दलहनों का उत्पादन कम होने के कारण उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आयातित दालों की आपूर्ति भी करनी पड़ती है जिससे दालों के भाव बहुत बढ़ जाने के कारण दालों की प्रति व्यक्ति खपत कम हो जाने से नागरिकों के भोजन में प्रोटीन जैसे पोषक पदार्थ की कमी होती जा रही है ? दलहन प्रोत्साहन की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप प्रदेश में दलहनों का उत्पादन बढ़ाने की लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है तथा कौन-कौन से उपाय किये हैं ? दलहन उत्पादन में आशातीत वृद्धि न होने के कारण क्या हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार की सहायता से दो योजनायें चलायी जा रही हैं :––

1–राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तथा

2–विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम।

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय प्रदेश शासन द्वारा किये गये हैं :––

1–खाली खेत एवं गन्ना के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग, उर्द की खेती।

2–कृषि यंत्रों, उपकरणों, प्रमाणित बीजों एवं कृषि रक्षा रसायनों पर कृषकों को अनुदान।

3–चना तथा अरहर के फलीछेदक कीट के नियंत्रण हेतु पूरे प्रदेश में रसायनों पर अनुदान।

4–कृषकों को प्रशिक्षण तथा दलहन की अल्पकालीन जातियों का प्रसार।

दलहन उत्पादन में आशातीत वृद्धि हो रही है जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :––

वर्ष	उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)
1989-90	24.13
1990-91	27.72
1991-92	30.00 (से भी अधिक होने की सम्भावना है।)

जनपद उन्नाव में कलेण्डर वर्ष 89-90 तथा 91 में जून से अक्टूबर तक हुई वर्षा का विवरण

*5–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कलेण्डर वर्ष 1991 के माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में वर्षा बहुत कम हुई है और अवर्षण की स्थिति बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 89-90 के उक्त महीनों में उन्नाव में वर्ष 1991 के उक्त महीनों में हुई वर्षा का एक वर्ष का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि औसत से कम वर्षा होने के बावजूद, उन्नाव जिले के अधिकांश स्टेट ट्यूबवेल व विश्व बैंक से ट्यूबवेल खरीफ की सिंचाई के समय सितम्बर, अक्टूबर, 91 व रबी की बुवाई के समय बन्द रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र के स्टेट ट्यूबवेल/विश्व बैंक के ट्यूबवेलों के बन्द रहने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों को क्या सजा दी गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उन्नाव जनपद में कलेण्डर वर्ष 89-90 तथा 91 के माह जून,जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में हुई वर्षा का विवरण निम्नवत् है :––

माह	वर्षवार वर्षा का विवरण (मिमी०)		
	1989	1990	1991
जून	73.8	67	23.3
जुलाई	155.5	282.6	56.45
अगस्त	162.2	234.8	203.9
सितम्बर	273.9	85.3	120.3
अक्टूबर	5.0	2.1	–

उन्नाव जनपद में चलित 150 कूपों में से सितम्बर, 91 से लेकर रबी की बुवाई में नवम्बर, 91 के अन्त तक यांत्रिक एवं विद्युत दोषों से बन्द कूपों की न्यूनतम संख्या–क्रमशः 8 एवं 11 रही तथा अधिकतम संख्या–क्रमशः 22 एवं 27 रही ।

विधान सभा क्षेत्र पुरवा में 34 कूपों में से सितम्बर से लेकर रबी की बुवाई में नवम्बर, 91 के अन्त तक यांत्रिक एवं विद्युत दोष से कूपों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 1 एवं 2 तथा अधिकतम संख्या–क्रमशः 6 तथा 8 रही ।

उक्त बन्दी के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को चेतावनी दी गयी है ।

प्रदेश भर में कार्यरत अंशकालीन नलकूप चालकों को पूर्ण कालिक चालकों के समान वेतन भत्ता देने की मांग

*6–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में कार्यरत अंशकालीन नलकूप चालकों को पूर्ण कालिक चालकों की भांति ही कार्य की दशाओं को देखते हुए वेतन भत्ता सुनिश्चित करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

इनके कार्य, दायित्व एवं सेवा शर्तें पूर्ण कालिक नलकूप चालकों से भिन्न है ।

विद्युत उत्पादन केन्द्रों/ताप विद्युत गृह परियोजनाओं को निजी क्षेत्रों को देने की मांग

*7–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार कुछ विद्युत उत्पादन केन्द्रों/ताप विद्युत गृह परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में रौतार गांव के निवासियों को भूमि के मुआवजे का भुगतान करने की मांग

*8–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में गण्डक नहर प्रणाली की रौतार माइनर में पड़ने वाले रौतार गांव के निवासियों की भूमि का मुआवजा अभी तक न देने का क्या कारण है ? क्या इस विलम्ब के लिये कोई दोषी है ? क्या यह सही है कि नहर का नक्शा किसी दूसरी भूमि पर है और रौतार गांव की सीमा में मौके पर नहर किसी दूसरे की भूमि पर है ? यदि हां, तो क्या मनमाने तरीके से रास्ता बदल कर नहर खोदने से जिन किसानों की भूमि नहर में पड़ गयी है उन्हीं को वास्तविक मुआवजा दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

धारा 4 व 6 की संशोधित विज्ञप्ति जारी होने की आवश्यकता के कारण प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब हुआ है ।

जी हां । नहा के मूल में मामूली परिवर्तन है जो संशोधित सम रेखन के अनुरूप है । जिन कृषकों की भूमि संशोधित सम रेखन के अंतर्गत पड़ गयी है उन कृषकों की भूमि का प्रतिकर दिलाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास निरीक्षक के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता प्रदान करने की मांग

*9–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास निरीक्षक के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1976 के चयनित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 13-2-91 टी० सी०-का-1-1991 दिनांक 20-3-91 में ज्येष्ठता प्रदान किये जाने के स्पष्ट प्राविधान के बावजूद उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए उक्त अभ्यर्थियों को विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ कर्मचारियों से ज्येष्ठता प्रदान करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस समय इसका प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में सरदार नगर चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान कराने की मांग

*10–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान सरदार नगर शुगर मिल, गोरखपुर पर बकाया है तथा कितने वर्षों का बकाया है? क्या सरदार नगर चीनी मिल द्वारा बकाया मूल्य किसानों को भुगतान कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दिनांक 15-3-1992 की स्थिति के अनुसार देवरिया जनपद के गन्ना किसानों का केवल वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 का 582.73 लाख रुपया गन्ना मूल्य सरदार नगर चीनी मिल पर बकाया है । पूर्व वर्षों का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है ।

जी हां ।

बकाया गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना में विस्थापित हुए परिवार के सदस्यों को सेवायोजन में लिया जाना

*11–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं उनमें से कितने परिवार के एक-एक सदस्यों को परियोजना में 11-11-91 तक नौकरी दी जा चुकी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि से कुल 1103 परिवार विस्थापित हुए हैं ।

कुल 254 परिवारों के एक-एक सदस्य को विभिन्न पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर अथवा टाण्डा तहसील में भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त होने पर चीनी मिल की स्थापना

*12–श्री लालजी वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर अथवा टाण्डा तहसील के अन्तर्गत चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त चीनी मिल की स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

इस समय शासन के समक्ष कोई प्रकरण लम्बित नहीं है लेकिन पूर्व में निजी क्षेत्र के दो उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को भेजे गये हैं ।

भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त होने पर उद्यमियों द्वारा मिल की स्थापना की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद्/बाल विद्यालय, कासिमपुर, अलीगढ़ की सहायक अध्यापिकाओं का विचाराधीन पुनरीक्षित वेतनमान

*13–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला तथा श्री लल्लू सिंह––

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद्/बाल विद्यालय (मान्टेसरी स्कूल), कासिमपुर (अलीगढ़) में राजकीय सी० टी० वेतनमान रु० 250-7-285-9-375-10-425 में दिनांक 1-7-1976 तथा इसके पश्चात् नियुक्ति की गयी सहायक अध्यापिकाओं के नाम क्या हैं ? क्या विद्युत परिषद् द्वारा राजकीय सी० टी० वेतनमान रु० 250-425 को दिनांक 1-4-79 से रु० 530-810 में तथा दिनांक 1-4-84 से रु० 1200-1800 में पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में सी० टी० ग्रेड में नियुक्त की गयी सहायक अध्यापिकाओं को दिनांक 1-4-84 से रु० 1200-1800 का वेतनमान दिये जाने के संबंध में महा प्रबंधक, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) ने पत्रांक-8858-जी० एम० (ई) 17 बी०-3/स्कूल दिनांक 11-12-89 द्वारा विद्युत परिषद् से अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो विद्युत परिषद् द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो किस तिथि तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन––

नियुक्त किये गये सहायक अध्यापिकाओं के नाम इस प्रकार हैं:––

1– कु० शमीम फातिमा जाफरी

2– श्रीमती जरीना ग्लैडविन

3– श्रीमती ऊषा गुप्ता

4– कु० आशा मित्तल

5– श्रीमती प्रतिभा सक्सेना

6– श्रीमती कल्पना दुबे

7– श्रीमती प्रेमवती चौहान

8– श्रीमती शीला भदौरिया

9– श्रीमती एस० आर० नैथन

10– श्रीमती बृज रानी चौहान ।

जी हां ।

जी हां ।

यह मामला परिषद् के विचाराधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर के ए० जी० व एम० जी० ग्रुपों के सरकारी नलकूपों का सत्यापन ग्राम प्रधान तथा पांच किसानों द्वारा कराये जाने की मांग

*14–श्री तेजभान सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-7-91 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के ए० जी० व एम० जी० ग्रुप के सरकारी नलकूपों के खराब होने की सूचना दी गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन ग्रुपों के कितने ऐसे नलकूप पिछले तीन महीनों से खराब हैं? क्या मंत्री जी इसका सत्यापन ग्राम के ग्राम प्रधान व पांच अन्य किसानों से कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

जी हां ।

दिनांक 1-4-91 को चलित नलकूपों में से असफल नलकूपों को छोड़कर इन ग्रुपों का कोई भी नलकूप पिछले तीन महीनों से लगातार खराब नहीं है ।

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 4-7-91 में अंकित 13 नलकूपों में से संलग्न विवरणानुसार 12 नलकूप चल रहे हैं तथा एक नलकूप विद्युत दोष से बन्द है, जिनका विवरण संलग्न है । कथित 13 नलकूपों के संबंध में उपलब्ध ग्राम प्रधान व अन्य किसानों से सत्यापन करा लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ– 199 पर)

जनपद अलीगढ़ के तापीय विद्युत योजना, हरदुआगंज के कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग हरदुआगंज विद्युत गृह में आंशिक रूप से किया जाना

*15–श्री दलबीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद अलीगढ़ के तापीय विद्युत योजना, हरदुआगंज में गत वर्षों से बन्द पड़े "अ" विद्युत गृह को पुनः चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो वहां पर स्थापित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर इकाइयों की मरम्मत कर इन्हें पुनः चालू करने का प्रस्ताव है।

यहां पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग हरदुआगंज "ब" एवं "स" विद्युत गृह में आंशिक रूप से किया जा रहा है ।

जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में सर्वेक्षणोपरान्त कतिपय विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या एवं विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

*16–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के चायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अब तक कितने गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ? सर्वेक्षण के अनुसार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? क्या उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को व्यवस्थित बनाये रखने हेतु उपकेन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

इलाहाबाद जनपद के चायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चायल, नेवादा तथा मूरतगंज विकास खण्ड आते हैं जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार आबाद ग्रामों की संख्या क्रमशः 83, 102 एवं 124 हैं । उक्त ग्रामों में से उपरिलिखित विकास खण्डों में क्रमशः 42, 60 तथा 56 ग्रामों का एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किया जा चुका है । वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के निम्न ग्रामों का चयन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया गया है । इन ग्रामों का सर्वेक्षण करवा लिया गया है :—

1–घन्नोई, विकास खण्ड मूरतगंज

2–चन्दूपुर अमरायन, वि० ख० नेवादा

3–मोहिउद्दीनपुर, वि० ख० मूरतगंज गंगानगर

उक्त तीनों ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां चरवा ग्राम में 33/11 के० वी० के एक 3 एम० बी० ए० क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है ।

*17–श्री अकबर–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 5 द्वारा उत्तरित]

*18–श्री श्रीराम चौहान–

[6ठें बुधवार के लिये स्थगित]

हरदोई स्थित चीनी निगम की इकाई पर गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य के बकाये का कथित आरोप

*19–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई स्थित चीनी निगम की इकाई पर गन्ना कृषकों का पिछले पिराई सीजन का कुल कितना गन्ना मूल्य बाकी है ? यह मूल्य कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

हरदोई स्थित चीनी निगम की इकाई पर पिछले पेराई सीजन 1990-91 का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद बलिया, मऊ तथा आजमगढ़ में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण की मांग

*20–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़ में पूर्ण विद्युतीकृत अर्द्ध विद्युतीकृत और विद्युतीकरण से वंचित गांवों की जनपदवार व सब डिवीजनवार संख्या व प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए विद्युतीकरण में इन तीनों जनपदों को मुख्य प्राथमिकता देकर सभी गांवों का विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

श्री रामदत्त यादव, उप प्रधान, ग्राम सभा नेवादा, सुल्तानपुर द्वारा पछेला ड्रेम पर पुल बनाने विषयक प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

2–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, खण्ड–49, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रामदत्त यादव, उप प्रधान, ग्राम सभा नेवादा किशुनगढ़, ब्लाक शाहगढ़, सुल्तानपुर का दिनांक 10-4-91 का प्रार्थना-पत्र पछेला ड्रेम पर नेवादा किशुनगढ़ के पास पुल बनाने की मांग सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर कोई पुल बना दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इस स्थान का निरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के बाद किसी अधिकारी ने किया है ? यदि हां, तो किसने और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री आर० बी० सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 5-7-91 को निरीक्षण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई द्वारा 1990-91 में आरक्षण कोटा पूरा किया जाना

3–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई (केन कैनाल) द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये विशेष भर्ती अभियान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये चालू किया गया है ? क्या रोजगार कार्यालय, बांदा एवं कर्वी से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1989 में रोजगार कार्यालय, बांदा एवं कर्वी से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गयी थी, जिस पर रोजगार कार्यालय, बांदा ने जिला चयन समिति द्वारा 1985 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजी, जिससे वर्ष 1990-91 में आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

4–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

5-6–7–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद उन्नाव के कतिपय क्षेत्रों में सिंचाई न होने पर भी सींच महसूल दर्ज किये जाने का कथित आरोप

8–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड, उन्नाव के आधीन मौरावां ब्रांच के नरीचक रजबहा में ग्राम बिसरा के बाद नीचे पानी बिल्कुल नहीं जाता है ? क्या इसी प्रकार हिलौली रजबहा में ग्राम बद्रीखेड़ा के नीचे हीमी खेड़ा/परसाद खेड़ा आदि ग्रामों में भी पानी कभी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार बतायेगी कि तब इस क्षेत्र के काश्तकारों पर बिना सींचे ही सींच महसूली क्यों दर्ज कर दी जाती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ग्राम बिसारा के नीचे 139 फसली में खरीफ में 63 तथा रबी में 143 एकड़ सींच हुई । 1399 फसली में खरीफ में 78 तथा रबी में 160 एकड़ सींच हुई ।

जी नहीं । बद्री खेड़ा गजरा (इन्दोरा) में 1398 फसली में रबी में 53 एकड़ तथा 1399 फसली में रबी में 11 एकड़ सींच हुई । हीमी खेड़ा मजरा (मवई) में 1398 फसली में रबी में 35 तथा 1399 फसली में रबी में 11 एकड़ सींच हुई ।

सींच महसूल वास्तविक सींच के आधार पर दर्ज होता है ।

शारदा सहायक खण्ड 40, लखनऊ द्वारा किये गये कार्यों में व्यय धनराशि का विवरण

9–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 40, लखनऊ को मार्च, 90 से 91 तक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा उस धन से कौन-कौन कहां किस रूप में कार्य कराकर भुगतान किया गया ? क्या इन कार्यों के भुगतान के बाद भी कोई भुगतान शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक खण्ड-40, लखनऊ को वर्ष 1990-91 में शारदा सहायक परियोजना (लेखा शीर्षक–4701), बाढ़ नियंत्रण योजना (लेखा-शीर्षक-4711) तथा अनुरश्रण एवं मरम्मत कार्य (लेखा-शीर्षक–2711) के अन्तर्गत क्रमशः रु० 41.00 लाख, रु० 38.00 लाख एवं रु० 9.00 लाख का धनावंटन हुआ था ।

लेखा शीर्षक 4701 एवं 4711 में क्रमशः रु० 39.41 लाख एवं रु० 38.95 लाख व्यय से ड्रेन्स एवं औद्योगिक जल निकासी योजना के निर्माण कार्यों पर व्यय हुआ है तथा लेखा शीर्षक 2711 के अन्तर्गत रु० 8.99 लाख ड्रेन्स के अनुरश्रण कार्यों पर व्यय हुआ ।

वर्ष 90-91 के अन्त में भुगतान के बाद लेखा शीर्षक–4701 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पर लगभग रु० 35.76 लाख, लेखा शीर्षक–4711 बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत रु० 9.87 लाख, लेखा शीर्षक 2711 अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रु० 2.02 लाख का भुगतान शेष है । जिसके कारणों की जांच करायी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ की नियमावली के अन्तर्गत लखनऊ के मुख्यालय पर कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति की कार्यवाही किया जाना

10–श्री बनवारी सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ के मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा वेतन हेतु शासन की नीति के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान समय में उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ के मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा वेतन हेतु शासन की नीति के अनुसार ''स्टाफिंग पैटर्न'' लागू किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है । उ० प्र० सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के

मुख्यालय में नियुक्ति, प्रोन्नति के विषय में कार्यवाही संघ की कर्मचारी सेवा नियमावली, 1988 के अनुसार की जाती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक खण्ड-40, लखनऊ में सहायक अभियन्ताओं से चेक पावर न छीना जाना

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-40, लखनऊ में दिसम्बर, 89 में सहायक अभियन्ताओं से चेक पावर छीनने के बाद कितने चेक अगस्त, 91 तक काटे गये ? क्या यह सत्य है कि इस फर्जी भुगतान के कारण ही अगस्त, 91 में कर्मचारियों का वेतन भुगतान विलम्ब से हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करके फर्जी भुगतान करने की कोई जांच आज तक कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सहायक अभियन्ताओं का चेक निर्गत करने का अधिकार दिसम्बर, 89 में छीना नहीं गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बिसन्डा-ओरन मार्ग, जनपद बांदा में कुर्रही के पास नहर के पुल का निर्माण कराने की मांग

12–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिसन्डा-ओरन मार्ग (बांदा जनपद) में मुख्य सड़क पर कुर्रही के पास नहर का पुल वर्षों से टूटा पड़ा है ? क्या इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इसके निर्माण न करवाने के क्या कारण हैं ? क्या इसे निकट भविष्य में निर्मित करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

विभाग को किसी दुर्घटना की जानकारी नहीं है।

प्रश्नगत पुल का निर्माण सिंचाई विभाग की किसी योजना में नहीं आता है।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम में परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को भवन अग्रिम धन का आवंटन न किया जाना

13–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में कार्यरत कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए मिलने वाले विभागीय ऋण हेतु उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा धन का आवंटन कब तक किया जायेगा ? क्या कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु परिषद् द्वारा धन का आवंटन पिछले 3 वर्ष से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जिन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति प्राप्त करने में 5 वर्ष या कम समय रह गया है, उनको ऋण देने की कोई व्यवस्था परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक धन की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

परिषद् की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए भवन निर्माण अग्रिम पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अतः धन का आवंटन सम्भव नहीं है।

जी नहीं। पिछले दो वर्षों में परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति के कारण धन का आवंटन नहीं किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में कार्यरत भूतपूर्व लाइसेन्सी कम्पनियों के कर्मचारियों पर उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की सेवा शर्तें लागू करना

14–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में कार्यरत भूतपूर्व लाइसेंसी कं० के कर्मचारियों का फिटमेन्ट/कैटेगराइजेशन करके उन पर उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की सेवा शर्तें कब तक लागू की जायेंगी ? क्या उक्त कम्पनी का अधिग्रहण 17-9-64 को किया गया था ? यदि हां, तो क्या लेसू के अतिरिक्त अन्य नगरों की कम्पनियों के कर्मचारियों को उक्त सुविधा अधिग्रहण की तिथि से ही प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो लेसू के भूतपूर्व लाइसेन्सी कम्पनी के कर्मचारीगण को उक्त सुविधा से वंचित रखने का औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

भूतपूर्व लाइसेन्सी कम्पनी, लखनऊ के अधिग्रहीत कर्मचारियों का परिषदीय पदों/वेतनमान में सज्जीकरण/वर्गीकरण के सम्बन्ध में पहले जोनल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रत्येक मामले का परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात् सेण्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार करके प्रस्ताव परिषद् सचिवालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। भूतपूर्व जोनल स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति सेन्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी को उपलब्ध करा दी गयी है जिनके स्तर पर वह विचाराधीन है तथा औपचारिकतायें पूर्ण होते ही आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

जी हां।

जो कम्पनियां उ० प्र० शासन के 1975 के अध्यादेश के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी थीं उन्हीं अधिग्रहीत कम्पनियों के कर्मचारियों को अध्यादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण की तिथि से ही सुविधा प्राप्त हो गयी है ?

लखनऊ की भूतपूर्व लाइसेन्सी कम्पनी 1975 के अध्यादेश के निर्गमन के पूर्व दिनांक 17-9-1964 को अधिग्रहीत की गयी थी। जो कम्पनियां अध्यादेश के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी थीं, उन्हें अध्यादेश के प्राविधानों के अनुसार अधिग्रहण की तिथि से परिषदीय पदों पर सज्जीकरण/वर्गीकरण की सुविधा अनुमन्य की गयी थी परन्तु लेसू की कम्पनी अध्यादेश के अन्तर्गत अधिग्रहीत न होने के कारण उन्हें सुविधायें अधिग्रहण के दिनांक से अनुमन्य करने में प्रशासनिक एवं विधिक कठिनाइयों के कारण दिनांक 1-12-78 से परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी निर्णय परिषद् द्वारा लिया गया है।

15–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दिनांक 11-3-92 को अता० प्र० सं० 125 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पनकी विद्युत परियोजना कानपुर आदि परियोजनाओं में कार्यरत इंजीनियर फोरमैनों द्वारा समयवद्ध वेतनमान की मांग

16–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पनकी विद्युत परियोजना, कानपुर व हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत इंजीनियर फोरमैन को विद्युत परिषद् के आदेश सं०-469 पी/रा० वि० प०-तीस-4पी/1986, दिनांक 25-2-89 एवं परिषदाज्ञा सं०-123-पी/रा० वि० प०-तीस-13पी/89 दिनांक 7-2-90 के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय समयवद्ध वेतनमान, मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) द्वारा स्वीकृत किया जाना है ? यदि हां तो उक्त वेतनमान स्वीकृत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? शासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी तथा कब तक ? क्या हरदुआगंज परियाजना के कुछ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रकरण महाप्रबन्धक के पत्रांक 2676/ जी० एम० (ई), दिनांक 27-5-91 द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ को भेजा गया है जो अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो इस प्रकरण को कब तक निस्तारित करा दिया जायगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, किन्तु परिषदाज्ञा की सही सं०- 489-पी/राविप/4पी/86, दिनांक 25-2-89 है न कि 469-पी/राविप ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इंजीनियर फोरमैनों को द्वितीय एवं तृतीय समयवद्ध वेतनमान दिये जाने का मामला विचाराधीन हे । विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है । अतएव उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

महाप्रबन्धक, हरदुआगंज परियोजना के पत्र सं०-2676-जीएम(ई)/दिनांक : 27-5-91 द्वारा सर्वश्री डी० पी० शर्मा एवं ए० एन० सूरी, वरिष्ठ पाण्डुलिपिक का वेतन उनसे कनिष्ठ श्री सूबेदार सिंह वरिष्ठ पाण्डुलिपिक के वेतन के समस्तर निर्धारण हेतु उनके प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को प्राप्त हुए थे, जो नियमानुकूल न होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, लखनऊ के कर्मचारियों का परिषदीय पद/वेतनमान में फिटमेन्ट/कैटेगराइजेशन किये जाने की मांग

17–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, लखनऊ का उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 17-9-64 को अधिग्रहण कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने पत्रांक–4583-एन जी/एस ई-बी-चतुर्थ-78/284 ऐ/65, दिनांक 15-11-78 द्वारा अधिग्रहीत कम्पनी के कर्मचारियों का परिषदीय पद/वेतनमान में फिटमेंट/कैटेगराइजेशन करने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को संस्तुतियां/प्रस्ताव करने हेतु आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) ने आदेश दिनांक 15-11-78 के अन्तर्गत प्रस्ताव/संस्तुतियां विद्युत

परिषद् को प्रेषित की हैं ? यदि नहीं, तो आदेशों के अनुपालन न करने के क्या कारण हैं तथा शासन/परिषद् द्वारा अधिग्रहीत कर्मचारियों का परिषदीय पद/वेतनमान में फिटमेंट/कैटेगराइजेशन अधिग्रहण की तिथि 17-9-64 से कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

अभी नहीं ।

मैसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई लि०, लखनऊ के अधिग्रहीत कर्मचारियों का फिटमेंट/कैटेगराइजेशन परिषद् द्वारा गठित जोनल स्क्रीनिंग कमेटी एवं सेन्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से किया जाना है । विगत काल में उपयुक्त कमेटियों द्वारा कर्मचारियों के फिटमेंट के सम्बन्ध में प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) के माध्यम से परिषद् में प्राप्त हुआ था पर परिषद् प्रशासन द्वारा प्रस्ताव में कतिपय त्रुटियां/कमियां पायी गयीं और मूल प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) को पुनः सेन्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर पुनर्विचार कर अपनी आख्या/संस्तुतियों सहित यथाशीघ्र परिषद् को प्रस्तुत करने के आदेश दिये जा चुके हैं । स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति प्राप्त हो जाने पर ही अधिग्रहीत कर्मचारियों के परिषदीय पद/वेतनमान में फिटमेंट/कैटेगराइजेशन तथा फिटमेंट किस तिथि से किया जाय, आदि के सम्बन्ध में विधिक परामर्श लेकर निर्णय लिया जायेगा ।

जिला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में चीनी मिल की स्थापना हेतु कार्यवाही

18–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में चीनी मिल लगाये जाने की कोई योजना पिछली सरकार ने स्वीकृत की थी जिसका लाइसेन्स भी दिया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? मिल के निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

इस चीनी मिल की स्थापना की प्रगति अभी शून्य है । लाइसेन्सी को निर्देशित किया जा रहा है कि वह मिल की स्थापना हेतु ठोस कदम उठायें ।

श्री आफाक अहमद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वारा लखनऊ में बाढ़ की रोकथाम हेतु 1985 में मशीनों की खरीद में व्यय धनराशि का विवरण

19–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985-86 में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड श्री आफाक अहमद द्वारा लखनऊ में बाढ़ की रोकथाम के लिये मशीनों की खरीद आदि में कितना रुपया व्यय किया गया था ? क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन मशीनों को 1985 में खरीदा गया था उन्हीं मशीनों की मरम्मत में लगभग एक लाख रुपये का भुगतान बिल उसी वर्ष अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी भुगतान बिल को प्रस्तुत करने वाले अभियन्ता की जांच कराकर उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शीतला शरण सिंह, प्रधान ग्राम सभा हरिगांव, जनपद सुल्तानपुर का नहर की फर्जी सिंचाई लिखने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र अभियन्ता सिंचाई खण्ड को लिखा जाना

20–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित दिनांक 9-10-91 का श्री शीतला शरण सिंह, प्रधान, ग्राम सभा हरिगांव, ब्लाक जामो, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र, जिसमें नहर की फर्जी सिंचाई लिखने की कोई शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 9-10-91 प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिनांक 19-2-92 को शिकायत कर्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क कराकर जानकारी प्राप्त की गयी थी तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर जांच कराई गई जिसके अनुसार विशेष शिकायत विगत खरीफ में सिंचाई पर्चा न मिलने एवं अधिक वर्षा से फसल की कुछ हानि होने से सम्बन्धित रही । सम्बन्धित सींचपाल एवं सींच पर्यवेक्षक को व्यक्तिगत रूप से पर्चा वितरित करने का निर्देश दिया गया है । अधिक वर्षा से हुई क्षति का आंकलन अधिक समय व्यतीत हो जाने एवं खेतों में रबी की फसल बो देने के कारण अब सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर क्षेत्र में कठौरा ड्रेन पर रिमाडलिंग हेतु स्वीकृत धन एवं व्यय का विवरण

21–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 40, लखनऊ द्वारा कठौरा ड्रेन पर कितने धनराशि का प्रोजेक्ट बनाया गया और कितने बजट का कार्य कब, किसके द्वारा किस रूप में कराया गया है ? क्या बनाये गये प्रोजेक्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्राजेक्ट के विवरण को सदन के पटल पर रखने का आदेश करेंगे ? क्या उक्त ड्रेन पर कार्य व भुगतान के बाद किन्ही अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण करके उक्त भुगतान को सत्यापित किया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य सत्यापित हैं ? क्या प्रश्नकर्ता या अन्य किसी जनप्रतिनिधि, ग्रामीण मजदूरों के समक्ष कार्यों का सत्यापन कार्य-स्थल पर कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी के लिए एक परियोजना रु० 684.0 लाख की बनाई गई थी । कठौरा ड्रेन की रिमाडलिंग कर क्षमतावृद्धि इस परियोजना का एक अंग है । 1987-88 से 1990-91 के मध्य कठौरा ड्रेन के कि०मी० 5.40 से 0.0 के बीच नाले के पुनरोद्धार का कार्य, कि० मी० 5.40 से 3.0 तक बांयें पक्के क्यूटिक का निर्माण, कि० मी० 0.2 एवं कि० मी० 1.2 पर पुलों का निर्माण लगभग 73.5 लाख रु० की लागत से कराया गया है ।

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी जिसका कठौरा ड्रेन एक अंग है, राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मार्च 1988 में हुई बैठक में अनुमोदित है ।

परियोजना का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में मा० सदस्य द्वारा देखा जा सकता है ।

निर्धारित मानक के अनुसार समय-समय पर निर्माण कार्यों का सत्यापन सम्बंधित अधिकारियों द्वारा किया गया है । कार्य के भुगतान के उपरान्त प्राविधिक परीक्षक द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया है । उक्त कार्य के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट शिकायत के अभाव में पुनः सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जगदीशपुर, सुल्तानपुर ब्लाक में शारदा सहायक खण्ड-40 लखनऊ में पुलों के रैम्पों पर ईटों की सोलिंग के कार्यों का विवरण

22–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-40, लखनऊ में वर्ष 89-90-91 तक जगदीशपुर, सुल्तानपुर ब्लाक में कितने पुलों के रैम्पों पर ईटों की सोलिंग लगवाई गई ? क्या उक्त पुलों की सूची के पटल पर रखने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक खण्ड-40, लखनऊ द्वारा वर्ष 89-90-91 तक जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत 27 पुलों के रैम्पों में ईटों की सोलिंग लगवाई गई है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं०	ड्रेन का नाम	संख्या
1	अलमापुर ड्रेन	1
2	रंकापुर ड्रेन	1
3	वकाही ड्रेन	1
4	अतरौना ड्रेन	2
5	अशरफपुर ड्रेन-2	1
6	पालपुर	1
7	सिथियावां ड्रेन	1
8	समशेरपुर	1
9	अशरफपुर	1
10	देवकली	1
11	मोहिउद्दीनपुर	2
12	निहालगढ़	1
13	उमरावल	1
14	मीरानपुर	1
15	हरिमऊ–1	2
16	अतवारा	2

क्रम सं०	ड्रेन का नाम	संख्या
17	लोशनपुर	1
18	इन्हौना ड्रेन	3
19	मिसरौली	1
20	कठौरा ड्रेन	2
	योग	27

जनपद उन्नाव के मौरावां विद्युत सब-स्टेशन के अन्तर्गत कटे हुए कनेक्शनों के ट्रांसफार्मरों को नियमानुसार अन्यत्र लगाया जाना

23–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौरावां (जिला–उन्नाव) विद्युत सब-स्टेशन से सम्बन्धित कितने नलकूप उपभोक्ताओं ने कैलेण्डर वर्ष 88, 89 व 90 में अपने कनेक्शन कटवाये हैं ? कितने नलकूप/औद्योगिक आस्थानों के कनेक्शन अन्य कारणों से उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में विभाग ने काट दिये हैं ? क्या सरकार अवगत है कि कटे हुए कनेक्शनों पर लगे ट्रांसफार्मरों का अद्यतन हिसाब पावर हाउस पर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर कहां पर और किस नियम/आदेश के अधीन प्रयुक्त हुए हैं ? उक्त प्रकरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

मौरावां जिला उन्नाव विद्युत सब-स्टेशन से सम्बन्धित नलकूप उपभोक्ताओं ने कैलेण्डर वर्ष 1988, 89 व 90 में क्रमशः 7 नं०, 1 नं० व शून्य ने अपने कनेक्शन कटवाये ।

नलकूप/औद्योगिक आस्थानों के अन्य कारणों से वर्ष 1988, 89 व 90 में क्रमशः 7 नं०, 6 नं० व 5 नं० कनेक्शन काटे गये, जिसका अद्यतन हिसाब पावर हाउस पर उपलब्ध है । जी नहीं, श्रीमन् लेखा-जोखा उपलब्ध है ।

संसाधन की कमी के कारण परिषद् एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कटे हुए कनेक्शनों के ट्रांसफार्मर को अन्य आवश्यकता वाले विद्युत कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति हेतु लगा दिया जाता है । जिसके लिये सक्षम अधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त किया जाता है ।

जनपद उन्नाव के मौरावां विद्युत उपगृह पर कर्मचारी का आवास खाली कराने के सम्बन्ध में शिकायत

24–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौरावां (जिला-उन्नाव) विद्युत उपगृह पर अवैधानिक रूप से निवास करने वाले के सम्बन्ध में आवास खाली कराने के लिये प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव को माह सितम्बर/अक्टूबर, 91 में मिला है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) ने एस० डी० ओ० (द्वितीय) को निर्देशित किया था कि मौरावां सब-स्टेशन आवास खाली करवाये जायें ? यदि हां, तो आवास पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले के विरुद्ध तथा आवास खाली कराने के निर्देशो का परिपालन न कराने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की मौरावां विद्युत उपगृह पर पुनः तैनाती हो जाने के कारण आवास खाली कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद उन्नाव में सिंचाई विभाग के कतिपय कर्मचारियों के प्रति नियमानुसार पानी न देने की शिकायत पर कार्यवाही

25–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कई किसानों के हस्ताक्षरों से युक्त शिकायती पत्र कवरिंग पत्र के साथ दिनांक 12-12-91 जिलाधिकारी, उन्नाव को विश्व बैंक ट्यूबवेल 43 पी० जी० के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो जांच किसने की ? क्या जांच अधिकारी ने प्रश्नकर्ता के अनुरोध के अनुसार शिकायतकर्ताओं को ग्राम में जाकर सुना ? यदि हां, तो कब ? जांच निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री दुल्लर प्रसाद जिलेदार द्वारा जांच की गयी ।

जांचकर्ता ने गांव में जाकर दिनांक 16-2-92 की शिकायत की सुनवाई की । जांचकर्ता द्वारा कूप चालक को नियमानुसार पानी देने तथा निष्ठा एवं लगन से कार्य करने के लिये सचेत कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव के कतिपय कटे हुए कनेक्शनों के ट्रांसफार्मरों का अभिलेखों में दर्ज ब्योरा

26–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के मौरावां विद्युत उपगृह से सम्बन्धित ग्राम कुटीखेड़ा के श्री कमलेश के निजी ट्यूबवेल पर लगा 25 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर, करदहा ग्राम के राम सहाय के निजी ट्यूबवेल पर लगा ट्रांसफार्मर 25 के० वी० ए०,ग्राम कंचनपुर के राम बहादुर सिंह के कारखाने का 25 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर, संग्रामखेड़ा गुलरिहा के कमलेन्द्र के ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर 25 के० वी० ए० व ग्राम रवेला की श्रीमती गीता सिंह के निजी ट्यूबवेल पर लगा 25 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर सहित कितने अन्य ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन कटवा देने/अन्य परिस्थितिवश कनेक्शन काट दिये जाने के बाद वापस विद्युत विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं है? क्या सरकार अवगत है कि उक्त उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली कटवाने के बाद से उक्त सभी ट्रांसफार्मर संबंधित अवर अभियन्ता/अन्य अधिकारियों द्वारा नियमानुसार अभिलेखों में वापिस नहीं दर्ज हैं? क्या सरकार इस गम्भीर अनियमितता की जांच और ट्रांसफार्मरों का पता लगायेगी । दोषी को क्या दण्ड दिये गये है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत 25 के० वी० ए० क्षमता के सभी ट्रान्सफार्मर माह सितम्बर, 1990 के लेखा जोखा में तथा मेजरमेंट बुक संख्या 137 में अंकित हैं। शेष उतारे गये ट्रान्सफार्मर उपगृह पर उपलब्ध हैं।

कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों में बन्द नलकूपों का दोष निवारण

27–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड वाराचवर कासिमाबाद, मरदह एवं विरनों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1991 में रबी अभियान के दौरान कुल कितने यांत्रिक एवं अन्य खराबियों के कारण नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं ? क्या सरकार इन खराब/बन्द नलकूपों को चालू कराने के लिये व्यवस्था करा रही है तथा ये कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? क्या मरम्मत करने या चालू करने में विभाग के अभियन्ता आदि उत्तरदायी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड वाराचवर, कासिमाबाद, मरदह एवं विरनो में दिनांक 1-10-91 को चलित नलकूपों में से माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1991 में जो नलकूप खराब हुए उनमें से विद्युत दोष के कारण एक नलकूप अभी भी बन्द है, जो पानी नहीं दे रहा है। 5 नलकूप 19-1-92 तक ठीक किये गये तथा शेष प्रश्नगत अवधि में ही चालू कर दिये गये थे।

जी हां।

विद्युत दोष से बन्द नलकूप को शीघ्र ही चालू कराया जा रहा है।

नलकूप की मरम्मत कर चालू कराना विभाग के अभियन्ताओं का कर्तव्य है।

बन्द नलकूपों का दोष निवारण सामान्यतः तत्परता से कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बस्ती जनपद के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विद्युत आपूर्ति किया जाना

28–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित/निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जनपद बस्ती में किसानों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो नवम्बर व दिसम्बर, 91 में बस्ती जिले के किसानों को कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की गयी है ? यदि कम आपूर्ति हुई है, तो उसका कारण क्या है ? इसके लिये दोषी कौन है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

बस्ती जनपद के किसानों को "तीन फेज" विद्युत आपूर्ति के कार्यक्रम जो कि 14 घंटे प्रतिदिन का है, के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है माह नवम्बर व दिसम्बर, 91 में प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार बस्ती जिले के किसानों को 14 घण्टे प्रतिदिन के सापेक्ष निम्न तालिका के अनुसार "तीन फेज" दिनांक वार औसत विद्युत आपूर्ति की गयी :—

दिनांक	जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों की औसत विद्युत आपूर्ति (घण्टे प्रतिदिन)	
	नवम्बर, 91	दिसम्बर, 91
1	2	3
1	14.00	14.00
2	14.00	14.00
3.	14.00	14.00
4	14.00	13.43
5	14.00	13.45
6	14.00	13.46
7	14.00	13.55
8	13.45	14.00
9	13.52	13.58
10	13.54	13.58
11	14.00	13.58
12	14.00	13.50
13	13.46	13.58
14	13.32	13.48
15	12.48	13.55
16	13.51	13.40
17	13.45	13.12
18	13.35	13.19
19	13.54	12.43
20	13.58	13.52
21	14.00	13.19
22	13.08	14.00
23	12.52	13.53
24	13.17	13.10
25	13.44	13.56
26	13.35	12.57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
27	14.00	11.26
28	13.45	12.16
29	14.00	12.10
30	13.29	11.46
31	---	12.15

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह नवम्बर 91 व दिसम्बर 91 में बस्ती जिले के किसानों को औसत 13.45 घंटे व 13.20 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गयी । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 14.00 घंटे प्रतिदिन ''तीन फेज'' विद्युत आपूर्ति करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है परन्तु कभी-कभी जब विद्युत की मांग उपलब्धता के सापेक्ष बहुत अधिक होती है, अथवा वोल्टेज कम होती है तब विद्युत प्रणाली को पूर्णतया ठप होने से बचाने के लिये कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों की आपातकालीन कटौती भी करनी पड़ जाती है । इसके लिये कोई भी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है । अतएव किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

उपरोक्त तालिका में दिये गये आंकड़े 33 के० वी० ''बस'' के है और इसमें स्थानीय कारणों से होने वाले व्यवधान सम्मिलित नहीं हैं ।

29–32–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष हो जाने कारण हटाये गये]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में होने वाले घाटे तथा प्रत्येक वर्ग हेतु नियुक्त अभियन्ता अधिकारियों का विवरण

33–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् प्रतिमाह कितने रुपये के घाटे में है ? क्या यह सच है कि परिषद् मुख्यालय में ही अधिकारियों की अंधाधुंध तैनाती इसके लिये उत्तरदायी है ? यदि हां, तो परिषद् मुख्यालय पर नियुक्त अभियन्ता-अधिकारियों में से, कितने-कितने अभियन्ता-अधिकारी स्टेशनरी, राजस्व, बिल्डिंग मेन्टीनेन्स जैसी अतकनीकी सेवाओं में नियुक्त हैं ? क्या इन सेवाओं से अभियन्ता-अधिकारियों को हटाकर सम्बन्धित कार्य हेतु भण्डार अधिकारी नियुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा अधिनियम, 1985 के अनुसार लाभ हानि लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर तैयार करने का प्राविधान है, यथानुसार लाभ हानि लेखा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के उपरान्त ही बनाया जाता है और यह लेखा प्रत्येक माहवार नहीं बनाया जाता है ।

दिनांक 31-3-90 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1989-90 के अन्त मे असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार परिषद का कुल संचयी घाटा 592.58 करोड़ रुपये है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

परिषद् मुख्यालय पर केवल स्टेशनरी अथवा राजस्व कार्य हेतु अभियन्ता अधिकारी नियुक्त नहीं हैं, परन्तु बिडिंग मेन्टीनेन्स कार्य हेतु सिविल अभियन्ता नियुक्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में नहर कमाण्ड में आने वाले सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्र को सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

34–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव को कितना क्षेत्र सिंचाई खण्ड-उन्नाव, नहर प्रणाली व कितना क्षेत्र शारदा नहर प्रणाली के कमाण्ड एरिया में आता है ? क्या यह सत्य है कि इन दोनों खण्डों के कमाण्ड में आने वाला कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जहां 5 या 10 साल से पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो कितना ऐसा क्षेत्र है जहां रजबहों, माइनरों की टेल तक पानी कम पहुंचने से सिंचाई नहीं हो पाती ? उक्त नहर कमाण्ड में आने वाले सिंचाई सुविधा से वंचित इस क्षेत्र को, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की, सरकार की कार्य योजना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दानपाल सिंह, ग्राम सभा गुड्डुर, सुल्तानपुर का भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

35–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित, दिनांक 20 अक्टूबर, 91 का रजि० पत्र व श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दानपाल सिंह व प्रधान ग्राम सभा–गुड्डुर व बेलसोट तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम उपरोक्त, ब्लाक गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें असियांवताल ड्रेन का मुआवजा न मिलने व खाते से लगानों को भी दूर न करने की शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन्हें आज तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन्हें कब तक मुआवजा दे देये जाने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दानपाल सिंह, प्रधान, ग्राम सभा गुड्डुर व अन्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-10-89 प्राप्त हुआ है । ड्रेन का समरेखन संशोधित होने के कारण भू-प्रकरण पुनः बनाये जाने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है ।

भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मुआवजा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की एत्मादपुर तहसील में रजबहों की टूटी पड़ी पुलियों का निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर कराया जाना

36–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की ऐत्मादपुर तहसील के बहरन रजबहे पर गढ़ी भण्डार, नगला अड्डू, बुर्जअतवल तथा एटा ग्रामों की पुलिया तथा बहरन खेड़ी मार्ग पर माइनर की पुलिया पिछले दो वर्षों से टूटी पड़ी होने के बावजूद अब तक इनके निर्माण न कराने का क्या कारण है ? क्या इन्हें जनोपयोगी रजबहों की टूटी पड़ी उक्त पुलियों का शीघ्र निर्माण करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुलिया गढ़ी भण्डार की मरम्मत करा दी गयी है । पुलिया नगला अड्डू केवल पैदल मार्ग पुल है तथा यह क्षतिग्रस्त नहीं है । बुर्ज अतवल तथा एटा गांव के क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण/पुनरोद्धार धन अभाव के कारण नहीं कराया गया है ।

बहरन खेड़ी मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी थी । अस्थाई रूप से मरम्मत कर यातायात चलाया जा रहा है ।

इन जनपयोगी रजवहों की टूटी पड़ी पुलियों का निर्माण कार्य धन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।

श्री रामगोपाल, ग्राम सभा वरसोला कलां, जनपद खीरी की भूमि का नदी द्वारा कटान होने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

37–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०-344/90, दिनांक 26-9-90 को, ग्राम सभा-बरसोला कलां, जनपद खीरी के श्री रामगोपाल आदि की भूमि कौड़ियाला नदी द्वारा कटान होने विषयक जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा अन्तर्गत ग्राम रामपुर में लगे खराब नलकूप के स्थान पर दूसरा नलकूप पुनः छिद्रित करके निर्माण हेतु प्रदान किया जाना

38–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा अन्तर्गत ग्राम रामपुर का नलकूप नं०- 38 विगत कई वर्षों से खराब है और पानी देने में असमर्थ है ? क्या इसे विभागीय अधिकारियों ने टेस्ट करने के बाद असफल घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसी कमाण्ड क्षेत्र में दूसरा नलकूप पुनः छिद्रित करके निर्मित कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां, जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम रामपुर का नलकूप संख्या-38 वर्ष 1988-89 से खराब है तथा पानी नहीं दे रहा है ।

जी हां ।

नलकूप का पुनः निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो चुका है । जनपद योजना के प्राविधान के अनुसार इसी कमाण्ड क्षेत्र में नलकूप पुनः छिद्रित करके बनाया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों का विद्युतीकरण तथा उन क्षेत्रों में विद्युत उप-खण्ड कार्यालय की व्यवस्था

39—श्री राम प्रसाद सिह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दस्यु समस्या से प्रभावित जनपद बांदा एवं विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र कर्वी/मऊ के विद्युतीकरण के विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि खण्ड कार्यालय, बांदा इन क्षेत्रों से डेढ़/दो सौ किलोमीटर दूर है तथा 30 हजार उपभोक्ताओं के कार्यों को एक ही कार्यालय से निपटारा करने में उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या कर्वी सम्भाग में अधिशासी अभियन्ता का खण्ड कार्यालय खोला जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बांदा में दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के निम्नलिखित 16 ग्रामों का लक्ष्य रखा गया था उनमें से 10 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं दो पर कार्य हो रहा है । शेष गांवों का भी विद्युतीकरण शीघ्र ही किया जा सकता है :—

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विकास खण्ड का नाम	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1	महटारूपौली	168	चित्रकूट	—
2	मैनेहरिमापी	218	,,	विद्युतीकृत
3	द-बी	214	मऊ	—
4	देवकली	301	मानिकपुर	—
5	मारकंडी	353	,,	—
6	गढ़ीकला	393	,,	विद्युतीकृत
7	इटवा	201	बडोखरखुर्द	विद्युतीकृत
8	चटकन	132	,,	विद्युतीकृत
9	पचुल्ला	133	,,	विद्युतीकृत
10	हटेटीपुरवा	204	,,	विद्युतीकृत

1	2	3	4	5
11	मन	36	बबेरू	,,
12	सुनहली	126	गमासिन	,,
13	बेल्दान	199	विसन्डा	,,
14	गोखिया	114	महुवा	कार्य चल रहा है।
15	बड़ागांव	20	जसपुरा	विद्युतीकृत कार्य चल रहा है।
16	हड़हामाफी	176	नरैनी	

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत क्षेत्र खण्डीय कार्यालय बांदा से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है।

जी नहीं। बांदा जनपद मे लगभग 33.700 विद्युत उपभोक्ता हैं तथा उन्हें विद्युत सम्बन्धी सेवायें नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती हैं।

जी नहीं। कर्बी मे अधिशासी अभियन्ता का खण्ड कार्यालय खोलने का औचित्य मापदण्डों के अनुसार नहीं हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये विद्युत संबंधी कार्यों के समाधान हेतु कर्बी में एक विद्युत वितरण उपखण्ड पहले से ही कार्यरत है।

जनपद गोण्डा के तृतीय उपखण्ड सिचाई से सम्बद्ध वाहन जीप का विवरण तथा उसके रख-रखाव पर व्यय

40–श्री शिवपाल सिंह, श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री कृष्ण किंकर सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड गोण्डा के तृतीय उपखण्ड से सम्बद्ध वाहन जीप संख्या-बी० आर०- 29 एल/ 0127 सरकारी वाहन है अथवा निजी वाहन है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त वाहन, जिस पर बिहार राज्य का नम्बर अंकित है, इसी सिंचाई खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री बी० के० राय) की है जो कि उन्होंने अपने किसी संबंधी के नाम रजिस्टर्ड करवा रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन को जानकारी देगी कि उक्त वाहन, उक्त उपखण्ड में कब से सम्बद्ध है तथा अब तक इस पर कितना रुपया भाड़े/किराये एवं रख-रखाव हेतु व्यय हुआ है ? क्या सरकार दोहरा लाभ कमाने वाले उक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा वाहन खरीद में इनकी आय के स्रोतों की भी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

निजी वाहन है।

वाहन जीप संख्या बी० आर०-29 एल/127 श्री राज किशोर राय व श्रीमती इन्दु राय, ग्राम क्योरालिया, जनपद सीवान (बिहार) के नाम पंजीकृत है।

उक्त वाहन तृतीय उपखण्ड, बहराइच में दिनांक 28-8-91 से 4-9-91 तक एवं दिनांक 12-9-91 से 15-10-91 तक की अवधि मे सम्बद्ध रही। इसके किराये पर मात्र रु० 8,400.00 तथा डीजल पर रु० 2010.10 व्यय हुये। रख-रखाव पर कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई खण्ड गोण्डा के अवर अभियन्ता श्री बी० के० राय के विरुद्ध अनियमित रूप से भुगतान कराने के सम्बन्ध में जांच के आदेश निर्गत किया जाना

41–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री शिव पाल सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड-गोण्डा के अवर अभियन्ता श्री बी० के० राय द्वारा यहां पर तैनाती से अब तक कितने पेटी बाऊचरों द्वारा कितने रुपये का भुगतान कराया गया है तथा एक पेटी बाऊचर में अधिक से अधिक कितने रुपये का भुगतान नियमानुकूल है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अवर अभियन्ता द्वारा सरकारी नियमों को ताख पर रखकर पेटी बाऊचरों की सीमा से ऊपर भुगतान कराकर निजी हित में कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवर अभियन्ता को तत्कालिक प्रभाव से वहां से हटाकर सम्पूर्ण मामले की तकनीकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

श्री बी० के० राय, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा तैनाती से अब तक कुल 823 पेटी बाऊचरों द्वारा रुपया 90.188.16 का भुगतान कराया गया है । एक पेटी बाऊचर से अधिकतम 500 रु० की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है ।

पेटी बाऊचर्स द्वारा अनियमित रुप से भुगतान के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं की जांच कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

42–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश तथा श्री शिव पाल सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, गोण्डा में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री बी० के० राय के विरुद्ध वर्ष 1986 से अब तक कितनी शिकायतें शासन में विभिन्न स्तरों से तथा सिंचाई विभाग मुख्यालय, मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री एवं सिंचाई सचिव को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उन शिकायतों पर विचार करके यथारोपित अवर अभियन्ता को निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

श्री बी० के० राय, अवर अभियन्ता के विरुद्ध वर्ष 1986 से अब तक 22 शिकायती पत्र प्राप्त हुए है, जिनमे राजकीय कार्यों में अनियमितता एवं धन का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है । शिकायतों की जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

''राधा ग्राम योजना'' के निकट नगरिया/बर्फखाना, ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा विद्युत लाइन बिछाये जाने की मांग

43–श्री सुन्दर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ''राधा ग्राम योजना'' के निकट नगरिया/बर्फखाना, ठाकुरगंज, लखनऊ में विद्युत लाइन, बिछाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र दि० 7-12-91 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस विद्युत लाइन हेतु ''लेसू'' द्वारा 3 पोल का कोई इस्टीमेट बनाया गया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 12-08-91 को कुल रु० 10.598.00 इस मद में जमा करने के बावजूद आज तक उक्त विद्युत लाइन न बिछाये जाने का क्या कारण है ? शासन द्वारा सम्बन्धित लाइन न बिछाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लाइन कब तक वहां बिछा दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक हिलौली के ग्राम असरेन्दा में निर्मित राजकीय नलकूप का ऊर्जीकरण

44–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव के ब्लाक हिलौली के ग्राम असरेन्दा में सरकारी नलकूप कब चालू हो जायेगा ? इसका निर्माण कब शुरू हुआ ? कब तक इसे बन जाना चाहिए था ? उक्त नलकूप द्वारा सिंचाई कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई क्या है ? सरकार बतायेगी कि हिलौली ब्लाक कार्यालय परिसर के सामने रिबोर (पुनर्छिद्रण) हुए नलकूप को कब तक सिंचाई के लिये प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र पुरवा में उन्नाव जनपद के ब्लाक हिलौली के ग्राम असरेंदा स्थित राजकीय नलकूप वर्तमान में सिंचाईरत है ।

इसका निर्माण जनवरी, 1990 में शुरू हुआ था ।

सामान्यतः किसी नलकूप का ऊर्जीकरण छिद्रण के उपरान्त चार से छः माह में हो जाना चाहिए तथा जल वितरण प्रणाली का निर्माण धन की उपलब्धता के अनुरूप कराया जाता है ?

यद्यपि यह नलकूप ऊर्जीकृत हो गया है, पर जल वितरण प्रणाली के अभाव में आंशिक रूप से ही सिंचाई कर रहा है और रबी 91-92 की फसल में यह दिनांक 20-2-92 तक 80 घण्टे चल कर 6 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई कर चुका है ।

हिलौली ब्लाक कार्यालय के परिसर के सामने पुनः छिद्रित नलकूप संख्या–5 पी० जी०, वर्तमान में सिंचाईरत है ।

विद्युत वितरण खण्ड, मऊ नाथ भंजन, जनपद मऊ के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

45–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, मऊ नाथ-भंजन, जनपद मऊ में कितने अवर अभियन्ता किन परिस्थितियों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या इन अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में रोका गया है ? यदि हां, तो इसे रोकने का क्या कारण रहा है ? क्या मा० मंत्री जी अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण अब करने की आज्ञा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ में राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में की गयी गिरफ्तारी तथा तत्सम्बन्धी अन्य शिकायतों की जांच

46–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ में दिनांक 26-9-91 को सायं होटल शाहजहां में सतर्कता विभाग, गोरखपुर की टीम के एक सदस्य श्री शंकर प्रसाद गुप्ता को रंगे हाथ घूस लेते तत्कालीन परगनाधिकारी, मऊनाथ भंजन एवं क्षेत्राधिकारी, पुलिस मऊनाथ भंजन ने संयुक्त रूप से पकड़कर तुरन्त जेल भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस टीम के इंचार्ज, पुलिस इंस्पेक्टर श्री अवधेश सिंह को छोड़ दिया गया जबकि वह भी उसी कमरे में मौजूद थे ? क्या

गिरफ्तार किये गये सदस्य ने मौके पर यह बयान दिया था कि इसमें इस्पेक्टर का भी हाथ है ? यदि हां, तो श्री अवधेश सिंह के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 4-10-91 को ऊर्जा मंत्री एवं आई०जी०, विद्युत विभाग से स्वयं मिलकर पत्र दिया था ? यदि हां, तो इसमें दोनों ही स्तरों पर अलग-अलग क्या आदेश पारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री. लालजी टण्डन–

यह सही है कि दिनांक 26-9-91 को रात्रि लगभग 20.45 बजे तत्कालीन परगनाधिकारी, मऊ एवं क्षेत्राधिकारी, मऊ ने साक्षीगण के समक्ष श्री शंकर प्रसाद गुप्ता, रुटीन ग्रेड क्लर्क, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर को एक हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए शाहजहां होटल, जनपद मऊ में गिरफ्तार किया गया था तथा उसके अधिकार से उत्कोच स्वरूप स्वीकार किये गये 1000 रुपये परगनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बरामद हुए । प्रश्नगत अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 22.15 बजे थाना कोतवाली, जनपद मऊ वादी श्री अमर देव सिंह, क्षेत्राधिकारी, सदर, जनपद मऊ की सूचना के आधार पर अपराध संख्या 635/91 अन्तर्गत धारा 161 भा० दं० वि० एवं 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ था और अभियुक्त शंकर प्रसाद गुप्ता को थाना कोतवाली, जनपद मऊ में दाखिल किया गया जिसे नियमानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा जिला कारागार में रिमाण्ड किया गया था ।

घटना के समय जब अभियुक्त शंकर प्रसाद गुप्ता को ट्रैप पार्टी ने उत्कोच के धन के साथ रंगे हाथ होटल शाहजहां जनपद मऊ से गिरफ्तार किया उस समय उस कमरे में श्री शंकर प्रसाद गुप्ता के अतिरिक्त सम्बन्धित टीम के इन्चार्ज पुलिस इन्सपेक्टर श्री अवधेश सिंह उपस्थित नहीं थे । ऐसी स्थिति में ट्रैप पार्टी द्वारा अवधेश सिंह को मौके पर छोड़ने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । गिरफ्तारी के समय श्री शंकर प्रसाद गुप्ता, अभियुक्त ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि प्रश्नगत उत्कोच से श्री अवधेश सिंह पुलिस इन्सपेक्टर का कोई सम्बन्ध था । प्रश्नगत अभियोग संख्या 635/91, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के अब तक की विवेचना से भी इसमें श्री अवधेश सिंह का शरीक जुर्म होना अथवा किसी प्रकार से सम्बद्ध होना प्रकाश में नहीं आया है इसीलिये पुलिस इन्सपेक्टर श्री अवधेश सिंह के विरुद्ध इस अभियोग से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है ।

दिनांक 4-10-91 को माननीय विधायक श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय ने पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ से मिलकर शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था जिसके आधार पर पुलिस इन्सपेक्टर श्री अवधेश सिंह के विरुद्ध जांच करायी जा रही है जिसके पूर्ण होने पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा ।

माननीय विधायक द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांकित 4-10-91 पर जांच करायी जा रही है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह, निरीक्षक के विरुद्ध जांच प्रचलित है । उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की जांच तथा मऊ पुलिस की विवेचना के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही यथोचित कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा ।

सब विद्युत स्टेशन लेढ़ूपुर–क्राइस्ट नगर, चोलापुर व नेवादा, जिला वाराणसी में बिजली आपूर्ति ठीक से न होने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की मांग

47–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन लेढ़ूपुर-क्राइस्ट नगर, चोलापुर व नेवादा जिला वाराणसी में 15 नवम्बर, 91 से 7 दिसम्बर, 1991तक बिजली ठीक से नहीं दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि लेढ़ूपुर सारनाथ, वाराणसी में जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, उसमें खराबी है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा करायी गयी ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन लोग दोषी हैं ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

48–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, मई व जून, 91 में काशी विद्यापीठ, ब्लाक वाराणसी में कई गांवों का विद्युतीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र विद्युत मंत्री को जुलाई, अगस्त, 91 तथा जोनल चीफ विद्युत वाराणसी व एस० ई०, वाराणसी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण रुड़की, हरिद्वार के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर जांच

49–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–7, दिनांक 17-12-91 जो कि उसी तिथि को सिंचाई मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ है, में वर्णित श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण विश्व बैंक खण्ड-3 रुड़की, जिला हरिद्वार के सम्बन्ध में क्या शासन स्तर से उनके द्वारा अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर सूचना देने के पश्चात् भी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन उक्त अधिकारी को निलम्बित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम), मेरठ से जांच करायी जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग में लम्बे अर्से से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

50–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग में लाइन मैन, लिपिक, जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या उस नीति के अनुसार लम्बे अर्से से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजा बलवन्त सिंह डिग्री कालेज, आगरा को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की मांग

51–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में स्थित राजा बलवन्त सिंह डिग्री कालेज, आगरा को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा 4 अप्रैल, 1990 को विद्यालय के दीक्षान्त समारोह का उद्घाटन करते समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने की थी ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय को अब तक कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । राजा बलवन्त सिंह डिग्री कालेज, आगरा का फार्म एरिया एवं अन्य सुविधायें जो उपलब्ध हैं वे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पर्याप्त नहीं हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने 8वीं योजना में पर्याप्त साधन इस नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उपलब्ध कराना सम्भव नहीं बताया है और वे इस राज्य में अन्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के पक्ष में भी नहीं हैं ।

जनपद आगरा में क्षेत्र एत्मादपुर के नन्दलाल पुर गांव में 400 के० वी० परियोजना का निर्माण वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर चालू किया जाना

52–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा–खन्दौली मार्ग पर स्थित नन्दलालपुर गांव में एक 400 के० वी० की परियोजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना चालू की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

ग्राम पीसी पोखर (खन्दौली), तहसील एत्मादपुर, आगरा में एक 400 के० वी० विद्युत उप संस्थान स्वीकृत है ।

जी नहीं ।

उक्त 400 के० वी० उपसंस्थान का निर्माण ओ० ई० सी० एफ० जापान की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है और वांछित वित्तीय सहायता प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टाण्डा तापीय परियोजना द्वारा जांच जारी

53–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवध कुमार बागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पत्रांक–711/91, दिनांक 4 जुलाई, 91 जो टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टाण्डा तापीय परियोजना से जांच करवायी जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री लालजी वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पुरवा, जनपद उन्नाव के असोहा केन्द्र पर पावर हाउस बनाने की मांग

55–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव के असोहा केन्द्र पर पावर हाउस बनाये जाने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो पावर हाउस कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

लक्ष्य एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जा सकता है ।

जनपद बांदा के रसूलपुर गांव के बगल नहर का कुलावे की कटिंग से बर्बाद होने की शिकायत एवं दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

56–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बहौधा ग्राम सभा के अन्तर्गत रसूलपुर गांव के बगल नहर का कुलावा नं०–7 वर्षों से कई जगह में कटा हुआ है और नहर का सारा पानी बरबाद हो रहा है ? यदि हां, तो उसे न बनवाये जाने का कारण क्या है ? क्या इसमें लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान में नहर कुलावा पर कोई कटिंग नहीं है तथा नहर का कोई पानी बरबाद नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनियमिततायें किया जाना

57–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जिलाधिकारी, बांदा ने अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में दि० 17-11-91 को वायरलेस द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई व प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को सूचित किया है ? यदि हां, तो वायरलेस में उल्लिखित अनियमिततायें क्या हैं और अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वायरलेस में उल्लिखित अनियमिततायें निम्नांकित हैं :––

(1) अधिशासी अभियन्ता का लघु सिंचाई खण्ड बांदा के मुख्यालय से गायब होना तथा सूखा से सम्बन्धित बैठकों में भाग न लेना ।

(2) दोषपूर्ण पम्पों की मरम्मत हेतु कोई व्यवस्था न करना ।

(3) लिफ्ट नहरों का रख-रखाव न किया जाना ।

(4) किसानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होना जिसके कारण कानून व शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न होना ।

प्रश्नगत मामले में निर्णय हेतु अधिशासी अभियन्ता के स्पष्टीकरण सहित आवश्यक आख्या प्राप्त हुई है, जो परीक्षणाधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, खीरी तथा सरजू सहकारी चीनी मिल, बिलरायां में हरिजन व स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

58–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं०–520/90 लेटर पैड सं० 412025 किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, खीरी एवं सरजू सहकारी चीनी मिल, बिलरायां में हरिजन व स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण कोटा पूरा करने विषयक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने में कुछ कमी है जिसे भविष्य में निर्धारित सीमा तक पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

59–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

60–श्री चन्द्र भान मौर्य–

[दिनांक 25-3-92 को अता० प्र० सं० 61 द्वारा उत्तरित]

हाथरस ब्रांच क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों के रजबहों पर हुई खन्दी कटिंग की घटनाओं पर ताइवान के रूप में वसूल की गयी धनराशि का विवरण

61–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस ब्रांच क्षेत्र में वर्ष 1989-90 व वर्ष 1990-91 व 1991-92 जुलाई, 1991 तक सहपऊ, बरहन, फिरोजाबाद रजबहों पर खन्दी, कटिंग की घटनायें हुई हैं और इनसे ताइवान के रूप में किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गयी है तथा कितनी धनराशि की वसूली अभी बकाया है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बड़े-बड़े किसानों की सिंचाई हेतु यह कटिंग करायी है तथा फर्जी आबपासी तथा लाखों रुपयों का फर्जी ताइवान छोटे-छोटे गरीब किसानों से वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से इन सभी मामलों की मौके पर जांच कराने तथा इस फर्जी आबपासी तथा ताइवान की वसूली रोकने की कृपा करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सम्बन्धित विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 200 पर)

श्री बी० डी० चौधरी, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड गोण्डा का एक ही स्थान पर नियुक्ति का औचित्य

62–श्री शिव पाल सिंह, श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है सिंचाई खण्ड, गोण्डा में कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री बी० डी० चौधरी) के विरुद्ध कोई सतर्कता जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जांच किस विषय पर चल रही है ? क्या यह अवर अभियन्ता पिछले 11 साल से यहां पर कार्यरत है ? क्या वर्ष 1989, 1990, 1991 में बराबर स्थानान्तरण होने के बाद भी यहां पर बने हुए हैं ? क्या सरकार उक्त अवर अभियन्ता को निलम्बित कर पुनः जांच कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री बी० डी० चौधरी, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध सम्प्रति कोई सतर्कता जांच प्रचलित नहीं है ।

श्री बी० डी० चौधरी अवर अभियन्ता जनपद–गोण्डा में दिनांक 19-4-77 से कार्यरत हैं । मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ने दिनांक 30-4-92 तक गोण्डा में रखने के आदेश दिये थे ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, देवरिया के अधिकारियों/बिल लिपिकों पर भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली का आरोप

63–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक के पत्र दिनांक 22-11-91 जो कि ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित तथा संलग्नक श्री मुक्ति नाथ जायसवाल का पत्र जो मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) शक्ति भवन विस्तार को लिखा गया था, जिसमें विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, देवरिया में अधिकारियों/बिल लिपिकों के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के सम्बन्ध में शिकायत थी, शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बिन्दु पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर से जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

ओबरा परियोजना चिकित्सालय के मुख्य औषधि भण्डार का कार्य फार्मेसिस्ट से कराया जाना

64–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री सी० एन० सिंह, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ पत्र संख्या 560, दिनांक 21-8-91 जोकि सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित तथा ओबरा परियोजना चिकित्सालय के मुख्य औषधि भण्डार का कार्य फार्मेसिस्ट से कराने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद बलिया के कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण किये जाने के विवरण की मांग

65–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर और नगरा में कितने गांव पूर्ण विद्युतीकृत हैं ? कितने गांव अधूरे रूप से विद्युतीकृत हैं तथा कितने गांव नवम्बर, 1991 तक विद्युतीकृत होने से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन दोनों विकास खण्डों में विद्युतीकरण के कार्य में प्राक्कलन के विपरीत कम सामान लगाया गया है तथा योजना से बहुत कम काम कराकर के सामानों की चोरी की गयी है ? क्या सरकार 1979 से 1990 तक किये गये विद्युतीकृत ग्रामों के अन्तर्गत किये गये दोनों विकास खण्डों के कार्यों का सत्यापन प्राक्कलन के अनुसार कराने का निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली में तहसील फरीदपुर के ग्राम पटना माइनर को पक्का कराने की मांग

66–श्री नन्द राम–

क्या सिंचाई मंत्री जनपद बरेली में तहसील फरीदपुर के ग्राम पटना माइनर, शाखा शारदा कैनाल, शाखा शाहजहांपुर बार-बार नाले में कटती माइनर को पक्का कराने का कष्ट करेंगे जिससे शासन को होने वाली 35 लाख की क्षति बचायी जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । नहर के नाले में बार-बार कटने का प्रमुख कारण कृषकों द्वारा नहर को काटकर नाले में पानी ले जाकर खरीफ में अवैध सिंचाई करना है जिसका निराकरण नाले के स्थान पर नहर को पक्का कर देने से सम्भव नहीं है ।

जनपद बरेली की फरीदपुर से बीसलपुर मार्ग पर फोल्डर पुल बनाने की मांग

67–श्री नन्द राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर से बीसलपुर मार्ग पर ग्राम अठकोच के निकट शारदा कैनाल पुल टूटा पड़ा है ? क्या एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने वाले इस पुल पर फोल्डर पुल बनाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व० श्री जगनारायन, फ्यूजमैन, जनपद आजमगढ़ की पत्नी को पेंशन देने की मांग

68–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1966 में स्व० जगनारायन, फ्यूजमैन, जनपद आजमगढ़ (फूलपुर) की साइड पर कार्य करते समय मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी वेवा श्रीमती सोहरता देवी को विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक पेंशन स्वीकृत की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

स्व० श्री जगनारायन की नियुक्ति दिनांक 1-9-1965 को हुई थी । उनकी मृत्यु दिनांक 5-7-1966 को हुई थी । नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन इनको पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

69–श्री लालजी वर्मा–

[दिनांक 25-3-92 को अता० प्र० सं० 11 द्वारा उत्तरित]

70–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद इटावा के साहार ब्लाक में राजकीय नलकूपों की स्थिति

71–श्री धनी राम वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा के ब्लाक साहार के ट्यूबवेल नम्बर 56, 54, 127, 47, 140, 141, 124, 8, 133, 120, 15, 16, 49 एवं 46 (बीजी) काफी समय से खराब पड़े हुए हैं, जोकि ब्लाक के लगभग आधे ट्यूबवेल हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ब्लाक के कृषक न तो पलेवा कर सके और न ही कोई भी फसल सिंचित कर पाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ट्यूबवेल अतिशीघ्र संचालित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद इटावा के सहारा ब्लाक में कुल 55 नलकूप लगे हैं, जिनमें से दिनांक 6-2-92 को एकत्र की गयी सूचना के अनुसार केवल 5 नलकूप संख्या–56, 54, 124, 8 एवं 16 बी० जी० खराब हैं तथा शेष चल रहे हैं ।

वर्तमान रबी फसल में ब्लाक के राजकीय नलकूपों से दि० 25-1-92 तक कुल 42,389 घण्टे चलाकर 1,912 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा चुकी है ।

उपरोक्त 5 नलकूपों में से नलकूप संख्या 56, 124 व 16 बी० जी० को चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है । नलकूप संख्या–8 बी० जी० ट्रांसफार्मर दोष से बन्द है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र चलाने हेतु विद्युत परिषद् के अधिकारियों से सम्पर्क जारी है ।

नलकूप संख्या–54 बी० जी० बालू देने से असफल होने की स्थिति में हैं, जिस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद इटावा की तहसील बिधूना में बहने वाले हरचन्द्रपुर रजबहा की सफाई कराया जाना

72–श्री धनी राम वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की बिधूना तहसील में बहने वाले हरचन्दपुर रजबहा की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है, जिससे ग्राम बेलापुर से नीचे की ओर सिंचाई नहीं होती है किन्तु असिंचित खेतों की आबपासी लिखकर किसानों का उत्पीड़न किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबहा की सफाई हेड से टेल तक करवा कर पूरा पानी जितना कि पहले छोड़ा जाता था, छोड़वायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, जनपद इटावा की तहसील बिधूना में बहने वाले हरचन्द्रपुर रजबहा की सफाई विगत कुछ वर्षों से धन की उपलब्धता के अनुसार केवल नीचे के भाग में की जाती रही है । ग्राम बेलापुर (बैलापुर), हरचन्द्रपुर रजबहा के मील 10-3-0 पर पड़ता है तथा इसके नीचे पानी विगत वर्षों में भी पहुंचता रहा है ।

केवल सिंचित क्षेत्रों की ही आबपासी लिखी जाती रही है तथा किसी प्रकार के उत्पीड़न की सूचना नहीं है ।

इस वर्ष 1991-92 में इस रजबहा के हेड से टेल तक सफाई का कार्य करा दिया गया है तथा पानी रजबहा के समस्त भागों में प्रचुर मात्रा में पहुंचाया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के ऊंचाहार ताप बिजली परियोजना को एन० टी० पी० सी० को हस्तान्तरित किया जाना

73–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के ऊंचाहार ताप बिजली परियोजना की बिक्री के सम्बन्ध में पूर्व सरकार द्वारा किये गये निर्णय को रद्द करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और कब तक ? क्या वर्तमान सरकार उक्त प्रस्ताव को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मंत्रि परिषद् के निर्णय दिनांक 28-2-90 द्वारा ऊंचाहार ताप बिजली परियोजना के निजीकरण का प्रयास करने का निर्णय लिया गया था ? इसमें प्रगति न होने पर वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा मांग एवं अन्य चालू विद्युत परियोजनाओं की संसाधन एवं तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखतें हुए इस परियोजना को एन० टी० पी० सी० को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया ? इस निर्णय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (उपक्रम का अर्जन एवं अन्तरण) अध्यादेश, 1992 द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1992 को यह परियोजना एन० टी० पी० सी० को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी के जूनियर इंजीनियर/कर्मचारियों की व्यक्तिगत धनराशि जीवन बीमा निगम में जमा किया जाना

74–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी में जूनियर इंजीनियर से लेकर सभी कर्मचारियों का बीमे का कटा हुआ रुपया गत कई वर्षों से नवम्बर, 91 तक का नहीं जमा किया गया है ? क्या सरकार जांच कराकर उक्त रुपया बीमा खाते में जमा करायेगी ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि वहां कर्मचारियों को गरम वर्दी दो वर्ष से और बरसाती दस वर्षों से नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो जांच कराकर जल्दी से जल्दी गरम वर्दी तथा बरसाती देने की व्यवस्था सरकार करेगी ? क्या दोषी लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, वाराणसी में जूनियर इंजीनियर से लेकर सभी कर्मचारियों की माह जनवरी, 1992 तक के वेतन से व्यक्तिगत पालिसी (पी० एल० आई०) के मद में की गयी माहवार कटौती की शतप्रतिशत धनराशि जीवन बीमा निगम को जमा की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं । परिषदीय नियमानुसार अनुमन्य गर्म वर्दी समस्त कर्मचारियों को दी जा चुकी है । स्थानान्तरण के फलस्वरूप इस खण्ड में आये कर्मचारियों को बरसाती दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा अन्य मदों का भुगतान किये जाने की मांग

75–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी में कर्मचारियों के भुगतान सम्बन्धी मद में आने वाले रुपये को उन्हें तीन वर्ष से नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उनका टी० ए० भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सन् 85 से लेकर नवम्बर, 91 तक की जांच करायेगी ? क्या सरकार कर्मचारियों के टी० ए० तथा उनके अन्य मद में परिषद् द्वारा दिये गये रुपये को उन्हें दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जो भी धनराशि कर्मचारियों के यात्रा भत्ता एवं अन्य मद में परिषद् द्वारा दी जाती है उसे कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाता है । उस मद में जुलाई, 1991 तक की धनराशि परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गयी है, जिसका भुगतान किया जा रहा है । आगे भी भुगतान की व्यवस्था इसी प्रकार की जायगी । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

सब विद्युत स्टेशन नेवादा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की खराब लाइन की जांच की मांग

76–श्री ऊदल

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सब-विद्युत स्टेशन, नेवादा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की लाइन नवम्बर, 91 से 7 दिसम्बर, 91 तक खराब थी ? यदि हां, तो क्या इसको ठीक करने हेतु 10 दिन के बाद सामान दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त पावर हाउस से अब भी बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश से करायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के विद्युत उप खण्ड पिंडरा फीडर की खराबी की शिकायत

77–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उप खण्ड, पिंडरा, जिला वाराणसी के बसनी फीडर की ओ० सी० बी० (ट्राली) एक वर्ष से जल गयी है ? क्या बसनी फीडर की लाइन धौकलगंज फीडर से जोड़ कर चलवायी जा रही है ? ओ० . सी० बी० (ट्राली) अब तक न बदले जाने का क्या कारण है ? क्या अधिशासी अभियन्ता खंड प्रथम को इसकी जानकारी है ? यदि नहीं, तो अब तक फीडर न बनवाने के सम्बन्ध में उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत उप खण्ड पिंडरा, वाराणसी में निर्मित दरवाजे बनाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

78–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत उप खण्ड पिंडरा, वाराणसी में कर्मचारियों का दरवाजा पीछे की तरफ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी ने दरवाजा रोड की तरफ बनाने हेतु स्टीमेट तीस हजार का बनाया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दरवाजे रोड की तरफ नहीं बनाये गये और तीस हजार रु० का पेमेन्ट भी कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

79–श्री विजय सिंह राणा–

[दिनांक 25-3-92 को ता० प्र० सं० 10 द्वारा उत्तरित]

आगरा दयालबाग माइनर की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जाना

80–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि आगरा में दयालबाग माइनर अब कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं ? यदि हां तो अवैध कब्जों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां।

अवैध कब्जों को हटाने हेतु न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नहरों की सफाई के लिए पुरानी ठेकेदारी की प्रथा समाप्त किया जाना

81–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष नहरों की सफाई के लिए पुरानी ठेकेदारी की प्रथा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो नई व्यवस्था कब से लागू की गयी है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां,

नई व्यवस्था रबी 1399 फसली से लागू की गयी है।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण हेतु शासन द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी

82--श्री विजय सिंह राणा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 अगस्त, 1991 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन का अन्तिम निर्णय और योजना क्या है ? क्या बैराज निर्माण हेतु विभागीय संस्तुति /आख्या समरेखन और प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं ? यीद हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जी हां ।

यमुना नदी पर बैराज बनाने हेतु स्थल के चयन पर शासन द्वारा निर्णय लिया गया है जो ताजमहल से 8 कि०मी० ऊपर है ।

परियोजना का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया था व केन्द्रीय जल आयोग को जल विज्ञान की जांच हेतु मई 1991 में भेजा गया था । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस पर निर्णय के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जायगा । नगर विकास विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने पर अन्वेषण कार्य किये जायेंगे तथा समरेखन को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

कुवार टाउन, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की टूटी विद्युत लाइन को न जोड़ने पर कार्यवाही की मांग

83--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुवार टाउन, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की लाइन तथा गांव हमीरापुर व कुवार कोट जो उसी से सम्बन्धित थी वह 5-12-91 से दो लेमा टूट जाने से बन्द हो गयी है ? क्या यह सही है कि अब तक न तो लाइन ठीक की गयी है और न ही सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता उसको देखने गये ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? इस लाइन की बिजली कब से सामान्य हो जायेगी ?

श्री लाल जी टंडन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या एवं उनके प्रोन्नति का प्राविधान

84--श्री अनिल कुमार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता सेवा संवर्ग में वर्ष 1986 में विभाग के कितने कर्मचारियों ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षा उतीर्ण की है ? उनमें से कितने लोगों की अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति की गयी है और कितने लोग अभी शेष रह गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि शेष उत्तीर्ण कर्मचारियों की सम्बन्धित पद पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभागीय अनुमति प्राप्त कर चार कर्मचारियों ने वर्ष, 1986 में यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने की सूचना दी है। अभी किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रिक्तियां उपलब्ध होने पर प्रोन्नतियां की जायेंगी।

जनपद बांदा में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु पम्प कैनाल निकालने की मांग

85–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मरौली व ग्राम अछरोड़ तथा ग्राम भूरागढ़ से पम्प कैनाल कब तक निकाली जायेगी जिससे सिंचाई की व्यवस्था की जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मरौली, अछरोड़ तथा भूरागढ़ से कोई पम्प नहर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

86–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दिनांक 25-3-92 को अता० प्र० सं० 4 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी के सारनाथ में 400 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य की गोपनीय जांच से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

87–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–1371/भ्रष्टाचार/दिनांक 20-9-91, जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जिसमें 400 के० वी० उपकेन्द्र सारनाथ, वाराणसी के निर्माण कार्य के गोपनीय जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कोई जांच आख्या प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के आनपारा प्रोजेक्ट में वर्ष 1989-90 में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का विवरण

88–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा प्रोजेक्ट "ए" एवं "बी" में तदर्थ रूप से कितने तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1989 एवं 1990 में की गयी ? उनके नाम, पदनाम तथा निवास स्थान क्या हैं ? इनमें से कितने कर्मचारियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

आनपारा प्रोजेक्ट "ए" में वर्ष 1989 में तृतीय श्रेणी में 15 चतुर्थ श्रेणी में 2 तथा वर्ष 1990 में मात्र तृतीय श्रेणी में 37 कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं। उनके नाम, पदनाम तथा निवास स्थान की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। इनमें से किसी को भी अभी तक प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी है।

आनपारा प्रोजेक्ट "बी" में वर्ष 1989 एवं 1990 में कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं की गयी।

विद्युत परिषदीय चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण की नीति

89–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषदीय चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण की क्या नीति है ? क्या उनकी कोई सेवा नियमावली परिषद् ने प्रकाशित की है ? यदि हां, तो वह नियमावली क्या है ? क्या चिकित्सकों की तदर्थ नियुक्तियों की बिना व्यवधान के निरन्तर सेवा में रहने पर, उस सेवाकाल की गणना वरिष्ठता निर्धारण के लिये की जायेगी, जैसा कि अन्य परिषदीय कर्मचारियों के साथ की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

परिषद् ने चिकित्सा अधिकारियों की कोई सेवा नियमावली प्रकाशित नहीं की है। चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता चयन की तिथि एवं चयन में समिति द्वारा निर्धारित "श्रेष्ठता" के आधार पर निर्धारित की जा रही है।

तदर्थ नियुक्ति की अवधि की सेवा का लाभ वरिष्ठता निर्धारण में देने का प्राविधान परिषद् के किसी विनियम में नहीं है।

90–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 101 द्वारा उत्तरित]

श्री आनन्द मोहन रावल, अधीक्षण अभियन्ता, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ की विभागीय जांच

91–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में कितने अधीक्षण अभियन्ता जुलाई, 1991 तक कार्यरत थे ? उनमें से कितने के ऊपर विभागीय जांच/अन्य जांच चल रही है ? उनके नाम और जांच के प्रकार क्या हैं ? क्या जांच पूर्ण होने पर ही इन्हें अधीक्षण अभियन्ता बनाया गया था ? यदि नहीं, तो अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का औचित्य क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जुलाई, 1991 तक मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में 2 अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत थे।

इनमें से एक अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

अधीक्षण अभियन्ता का नाम श्री आनन्द मोहन रावल है तथा उनके विरुद्ध सम्प्रेक्षा के आधार पर विभागीय जांच चल रही है ।

जी नहीं ।

श्री आनन्द मोहन रावल मई, 1985 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये गये हैं जब कि उनके विरुद्ध जुलाई, 1985 की सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप विभागीय जांच चल रही है ।

92–श्री श्रीराम (जालौन)–

[5वें सोमवार के अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक शंकरगढ़ एवं जसरा कृषि प्रदर्शन जलागम योजना में खाद/बीज का लाभ सीमान्त कृषकों/अनुसूचित जाति के परिवारों को न मिल पाने की शिकायत

93–श्री राम सेवक सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ब्लाक शंकरगढ़ एवं जसरा में कृषि प्रदर्शन, जलागम योजना में वर्ष 1989-90 व 90-91 में लघु सीमान्त कृषकों को खाद, बीज का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के तहत उक्त वितरण नियमानुसार लघु सीमान्त कृषकों/अनुसूचित जाति के लोगों को छानबीन के उपरान्त ही किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि नियमों के विपरीत लघु सीमान्त कृषकों/अनुसूचित जाति के परिवार को वितरण न कर के बड़े-बड़े व प्रभावशाली कास्तकारों को तथा उनके परिवारों को लाभ पहुंचाये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली महानगर स्थित नेकपुर सहकारी चीनी मिल का स्थानान्तरण का कार्य धनाभाव के कारण न किया जाना

94–डा० दिनेश जौहरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर स्थित नेकपुर सहकारी चीनी मिल को सैदपुर हाकिन्स में स्थानान्तरित किये जाने में अभी कितना समय और लगेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि नेकपुर से फैक्ट्री हटाने के बाद उस स्थान को सरकार किस प्रयोग में लायेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई बरेली को सैदपुर में स्थानान्तरित करने का कार्य धनाभाव के कारण स्थगित है । वित्तीय स्थिति अनुकूल होने पर प्रस्तावित परियोजना कार्य सम्भव हो सकेगा तब इकाई की वर्तमान जमीन एवं भवन का निस्तारण शासन के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

जनपद मऊ की तहसील घोसी में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

95–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील घोसी में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फेरूमल वर्मा, गन्ना ग्राम सेवक मोहिउद्दीन, जनपद मेरठ के त्यागपत्र को सदन के पटल पर रखने की मांग

96–श्री रांज पाल त्यागी–

क्या गन्ना विकास मंत्री दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के क्रम में श्री फेरूमल वर्मा का त्याग पत्र सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या फेरूमल वर्मा का 28-8-91 का पंजीकृत पत्र गन्ना मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेरठ शहर द्वारा प्रतिवर्ष एक ही ठेकेदार को नये विद्युत कनेक्शन दिया जाना

97–श्री चरन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर में नये विद्युत कनेक्शन देने का ठेका जनवरी, 76 से दिसम्बर, 91 तक प्रतिवर्ष लगातार एक ही ठेकेदार को क्यों दिया जाता रहा है, जबकि मेरठ छावनी तथा कंकर खेड़ा में कनेक्शन देने का कार्य विभागीय कर्मचारी कर रहे हैं ? क्या राज्य विद्युत परिषद् ने गत वर्षों में लगातार एक ही ठेकेदार को कनेक्शन देने के लिये विशेष आदेश पारित किये हैं इससे राज्य विद्युत परिषद् को कितनी हानि पहुंच रही है ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवधि में प्रति वर्ष इस ठेकेदार को कितना भुगतान किया गया था विद्युत उपभोक्ताओं से सर्विस कनेक्शन चार्जेज के रूप में कितनी राशि वसूली गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड में दलहनी फसलों पर लगने वाले कीट/व्याधिनाशक रसायनों के मूल्य पर शासन द्वारा अनुदान की व्यवस्था तथा कृषि अनुसंधान की स्थापना की नीति

98–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि दलहनी फसलों की पैदावार के लिये बुन्देलखण्ड क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना एक विशेष स्थान रखता है ? यदि हां, तो क्या मसूर की दाल में लगने वाली दूल्ली

नाम के कीटाणु से फसल की सुरक्षा के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम या कीटनाशक दवा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रयोग बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किस जिले में हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बुन्देलखण्ड के जिलों में कृषि सुधार एवं दलहनी फसलों की सुरक्षा के लिये कानपुर मण्डल के कृषि अनुसंधान केन्द्र की तकनीक प्रयोग की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कानपुर मण्डल से भिन्न पर्यावरण जलवायु एवं भिन्न मृदा होने के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कृषि सुधार हेतु जनपद जालौन या झांसी में कोई कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किये जाने की शासन की नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

मसूर में लगने वाली इल्ली ही नहीं बल्कि सभी कीट/व्याधिनाशक रसायनों के मूल्य पर 50% अनुदान उपलब्ध कराने की योजना विगत वर्षों से चलायी जा रही है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा में मसूर में लगने वाले कीट/रोग नियंत्रण हेतु विशेष खद्यान्न उत्पादन योजनान्तर्गत (राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम) कृषि रक्षा रसायन के मूल्य पर 50% अधिकतम रु० 75.00प्रति है० की दर से अनुदान कृषि, एग्रो एवं सहकारिता के माध्यम से कृषकों को दिया जा रहा है जिसके लिये मसूर की फसल में 2490 हैक्टेयर में रु० 1.86.750 का अनुदान प्राविधानित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुति तकनीक ही प्रयोग में लायी जा रही है ।

झांसी मण्डल चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में है ।

कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की नीति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जाती है । वर्ष 1992-93 में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के जनपद मेरठ व झांसी के एकीकृत कीट प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड षष्ठम के विरुद्ध तत्कालीन विधायक श्री राम छबीला का शिकायती पत्र प्राप्त न होना

99–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड षष्ठम् के विरुद्ध तत्कालीन विधायक रामछबीला मिश्र का शिकायती पत्र दिनांक 8-3-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्यवाही में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अभिलेखों के अनुसार श्री रामछबीला मिश्र तत्कालीन विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 8-3-91 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतएव प्रश्न के शेष भागों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ अनु० जाति के ग्रामों का भी विद्युतीकरण किया जाना

100–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जनपद में बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिन ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है उनमें किसी भी गांव में अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों को क्यों उपेक्षित रखा गया है ? क्या निकट भविष्य में भी विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

बांदा जनपद के बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 158 ग्रामों का एल० टी० मेन्स बिछा कर विद्युतीकरण किया जा चुका है और उनके साथ ही 154 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामों के एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण के साथ ही साथ हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जाता है और उनका लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड के अधीन शहपुर रजबहा पर क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत की गयी पुलिया/पुल के विवरण की मांग

101–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेगे कि उन्नाव सिंचाई खण्ड के अधीन मौरावां ब्रांच के शहपुर रजबहा पर टेल तक कुल कितनी पुलिया/पुल हैं ? उसमें कितनी क्षतिग्रस्त हैं ? क्षतिग्रस्त/मरम्मत योग्य पुलियों की मरम्मत किस वर्ष से प्रस्तावित हैं ? क्या यह सच है कि इस मद पर धन खर्च किया गया है ? यदि हां, तो कहां खर्च किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा नगर के कुछ क्षेत्रों में अधिक लम्बी एल० टी० लाइन एवं अधिक भार होने के कारण विद्युत वोल्टेज की समस्या

102–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि बांदा नगर में विद्युत का पावर इतना कम आता है कि उस प्रकाश में कितनी भी पावर का बल्ब लगाया जावे वह प्रकाश के लिये बहुत ही कम है और राड तो जलते ही नहीं हैं ? क्या सरकार इसके सुधार हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यह समस्या कब तक हल हो जावेगी ?

क्र०सं०	उप केन्द्रों का स्थान	क्षमता
1	किरन कालेज	400 के० वी० ए०
2	खाई पार	250 के० वी० ए०
3	अलीगंज	250 के० वी० ए०
4	नवाबटैंक	100 के० वी० ए०

वर्ष 92-93 में निम्नलिखित विद्युत उपगृह बनाये जाने का प्रस्ताव है जिससे वर्तमान समय में वोल्टेज समस्या हल हो जायेगी:–

1–परसराम तालाब	250 के० वी० ए०
2–न्यू मार्केट	400 के० वी० ए०

श्री गेन्दासिंह गन्ना अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थान सेवरही, देवरिया में डा० डी० एन० सिंह की संयुक्त निदेशक के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग

103–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं प्रज़नन संस्थान, सेवरही, देवरिया में डा० डी० एन० सिंह की नियुक्ति संयुक्त निदेशक के पद पर हुई थी ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति के समय उक्त पद रिक्त था ? यदि नहीं, तो उक्त पद पर नियुक्ति कैसे की गयी ? क्या सरकार उक्त नियुक्ति निरस्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नीवी तहसील–सदर, जिला आजमगढ़ मण्डी परिषद् के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

104–श्री बच्चा पाठक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नीवी, तहसील–सदर, जिला आजमगढ़ मण्डी परिषद् के निर्माण में किसानों की भूमि का अधिग्रहण 1987-88 में होने के बावजूद इतने समय बाद भी मुआवजा धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? यदि किया जा रहा है, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1986-87 में किया गया है । अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर 35 कृषकों में वितरित होना था जिनमें से 14 कास्तकारों ने प्रतिकर ले लिया है, शेष 21 कास्तकारों ने सूचना देने के बावजूद मुआवजा नहीं प्राप्त किया है । अवितरित मुआवजा जिला न्यायालय में सम्बन्धित कास्तकारों के नाम जमा कर दिया गया है ।

105–श्री बच्चा पाठक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-नीवी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ की मण्डी परिषद् के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा धनराशि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला जज (पंचम) आजमगढ़ द्वारा निर्णीत आदेश दिनांक 25-4-91 वाद एल० ए०-11/89 "ज्वाला राय बनाम सरकार" के निर्णयानुसार का भुगतान किसानों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा धनराशि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला जज (पंचम) द्वारा निर्णीत आदेश दिनांक 25-4-91 व वाद एल० ए० 11/89 "ज्वाला राय बनाम सरकार" में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 2-1-92 अनुपालन में मुआवजा की धनराशि रुपया 31,95,089.05 पैसा दिनांक 13-2-92 को अपर जिला जज (पंचम) के न्यायालय में जमा कर दिया गया है ।

जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड 30 के नहर की पट्टी पर खड़ंजा बिछाये जाने की मांग

106–डा० बृज भान यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में शारदा सहायक खण्ड 30 के नहर कि० मी० 66 से 68 (3 कि० मी०) की पटरी पर आवागमन हेतु खड़ंजा निर्माण शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त ग्राम बख्तियारा से बरौत तक पूर्व निर्मित मार्ग पर नहर बन जाने से आवागमन की व्यवस्था अवरुद्ध हो जाने के कारण अभी तक नहर की पटरी पर आवागमन हेतु खड़ंजा निर्माण न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहरों की सर्विस रोड को पक्का करने अथवा खड़ंजा बिछाने की कोई योजना शारदा सहायक परियोजना में नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर में अदवा बांध की डूब की जमीन का पट्टा न किये जाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

107–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में अदवां बांध की डूब की जमीन का पट्टा आदिवासी, कोल, खरवार आदि को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

चूंकि पट्टे [illegible] किये गये, इसलिये आदिवासी, कोल, खरवार आदि को भूमि के पट्टे पर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । पट्टा न किये जाने में बरती गयी शिथिलता के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण उप खण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद के अवर अभियन्ता श्री एस० एन० द्विवेदी के विरुद्ध कथित अनियमितता की शिकायत

108–श्री लाल जी वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री मित्रसेन यादव के अता० प्रश्न सं० 82 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 175 मीटर की लाइन हेतु त्रुटिपूर्ण स्टीमेट ही बनाया गया था, जिसके लिये अवर अभियन्ता को चेतावनी दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन्डेन्ट पास कराकर स्टोर से सामान लेकर, लाइन बनाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दी गयी थी, जिसे समायोजित कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या शिकायत में दोषी पाये जाने के बाद अवर अभियन्ता द्वारा सामान वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण में तथ्यों को छिपाकर अवर अभियन्ता को बचाने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

अवर अभियन्ता द्वारा जो अधिक सामग्री भण्डार केन्द्र से इस कार्य हेतु ली गयी थी उसे अवर अभियन्ता ने उसी समय एम० बी० नं० 132 दिनांक 23-9-87 के द्वारा अपने बुक पर वापस ले लिया ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

109–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में जिन अनुसूचित जाति की बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु विगत सन् 1986 से लिया गया है, उन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि होगा, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाप्रबन्धक, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युतनगर, फैजाबाद द्वारा अध्यक्ष, जिला कौंसिल आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फैजाबाद के पत्र पर कार्यवाही किया जाना

110–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जिला कौंसिल आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फैजाबाद का पत्र सं० 10/एटक/कैम्प-89, दिनांक 23-9-89 महाप्रबन्धक, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से बिन्दु थे ? अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पत्र में निम्न बिन्दु थे :––

1–श्री एन० के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा विद्यालय लैब के लिये आपूर्ति आदेश केवल एक ही फर्म को दिये गये हैं ।

2–जो अध्यापक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् शिक्षक एसोसियेशन, उ० प्र० के सदस्य बनने को तैयार नहीं हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है ।

3–बिना किसी पूर्व आदेश प्राप्त किये शिक्षकों को रात्रि कक्षायें चलाने के आदेश पारित किये हैं जो नियम विरुद्ध हैं ।

4–विद्यालय में प्रवेश हेतु दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के कारण छात्रों को दूसरे विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ा जिसका लाभ परिषदीय कर्मचारी नहीं उठा पाये ।

5–श्री गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ने साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़वाने में परोक्ष रूप से मदद किया ।

जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच करवायी जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

112–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा तथा तिन्दवारी ब्लाक के नलकूपों को चलाने का कार्य प्रगति पर होना

113–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बांदा को पूर्व पत्र 25-11-91 के अवलोकनार्थ एवं 105 राजकीय नलकूपों के रख रखाव सम्बन्धी पत्रांक ग 503498/32 दिनांक 14-12-91 प्रश्नकर्ता का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? कितने राजकीय नलकूप बन्द रहे और इसका क्या कारण है ? क्या जसपुरा ब्लाक, तिन्दवारी ब्लाक के राजकीय नलकूपों को चलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पत्रों में मुख्य रूप से ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी के राजकीय नलकूप की स्थिति के बारे में जानकारी हेतु अपेक्षा की गयी थी तथा राजकीय नलकूपों की बंदी पर नियंत्रण हेतु अनुरोध किया गया था व अनुरक्षण तथा पुनः निर्माण के प्राविधान के बारे में जानकारी चाही गयी थी ।

माह 11/91 में जसपुरा व तिन्दवारी ब्लाक में 214 चलित नलकूपों में से 15 नलकूप यांत्रिक व 12 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे । सप्ताहांत 6-2-92 की बन्दी सूचना के अनुसार 7 नलकूप यांत्रिक दोष व 8 नलकूप विद्युत दोष के कारण बन्द हैं ।

जी हां, यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को चलाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है ।

जनपद बांदा की केन कैनाल की नहरों में सफाई न होने के कारण सिंचाई हेतु असुविधा

114-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जनपद की केन कैनाल की लगभग 40 प्रतिशत नहरों के बीच बहाव के स्थान पर बेशर्म के पेड़ इत्यादि इतनी अधिक मात्रा में हैं कि उनमें पानी नहीं आ पाता है और 40 प्रतिशत नहरों की सफाई लगभग दस वर्षों से नहीं की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त नहरों में से किसी भी नहर से सिंचाई करने में भारी असुविधा होती है जिससे सारी फसलें सूख जाती हैं ? यदि हां, तो इसका सुधार न करवाने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र ही इन नहरों की सफाई इत्यादि की व्यवस्था करवाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

सामान्यतः नहरों से जल उपलब्धता के अनुसार सिंचाई होने में कठिनाई नहीं होती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर के सहायक भण्डार पालों की वरिष्ठता निर्धारित करने तथा कर्मचारियों की देय धनराशि का भुगतान करने की मांग

115–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर के सहायक भण्डार पालों की वरिष्ठता निर्धारण संबंधी मामले मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ का पत्रांक 3292/दिनांक 26-9-90 व पत्रांक 172/दिनांक 11-1-91 तथा उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 1611/दिनांक 16-1-89 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा प्रश्नगत भण्डार पालों की वरिष्ठता कब तक निर्धारित की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ का पत्र सं०–3292 दिनांक 26-9-90 उनके कार्यालय से निर्गत ही नहीं हुआ है जिसके प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है । पत्रांक–172 दिनांक 11-1-91 प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है । उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक–116-1-89 प्राप्त नहीं हुआ है ।

116–श्री लल्लू सिंह–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत पारेषण खण्ड जौनपुर में कर्मचारियों को दिनांक 20-11-91 तक स्वीकृत अवकाश नगदीकरण, जी० पी० एफ० अग्रिम वेतन एरियर, टी० ए० आदि मदों में देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, यदि हां, तो कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है तथा किस तिथि तक कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, भुगतान अभी नहीं किया जा सका है ।

धनराशि रुपया 4.14 लाख (रुपये चार लाख चौदह हजार) का भुगतान करना है जो शीघ्र कर दिया जायेगा ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत अवर अभियन्ताओं से देवरिया की सम्पत्तियों के ब्योरे की मांग

117–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड/मण्डल/गेसू/लेसू/प्रदेय उपक्रम, देवरिया में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जो पिछले 10 वर्ष से या उससे अधिक समय से उसी स्थान पर तैनात हैं ? क्या इनके लिये विद्युत परिषद् ने कोई स्थानान्तरण की नीति अपनाई ? यदि हां, तो वह कौन सी नीति है ? क्या इनकी सम्पत्ति के आंकलन के लिये समय-समय पर विद्युत परिषद् ने समस्त अवर अभियन्ताओं से सम्पत्ति का ब्योरा मांगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

118–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 82 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियन्ता स्तर-1, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 तथा अधीक्षण अभियन्ता के सृजित पद के अनुमोदन की मांग

119–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वर्ष 1984 के बाद कितने नये पद मुख्य अभियन्ता स्तर-1व स्तर-2 तथा अधीक्षण अभियन्ता के सृजित किये गये ? क्या इनका अनुमोदन परिषद् द्वारा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्ष 1984 के बाद अब तक कुल मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के 22, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के 40 तथा अधीक्षण अभियन्ता के 125 पद सृजित किये गये ।

सृजित किये गये पूर्वोक्त पदों में से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के 11, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के 23 तथा अधीक्षण अभियन्ता के 104 पदों का सृजन परिषद्/परिषद् द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित है ।

शेष मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के 11, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के 17 तथा अधीक्षण अभियन्ता के 21 पदों का सृजन परिषदाध्यक्ष द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के तहत दिये गये अनुमोदन के आधार पर किया गया ।

प्रदेश की कतिपय चीनी मिलों को सम्पूर्ण गन्ने की पेराई से पूर्व बन्द किये जाने पर अध्यासियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही

120–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपरहिया गन्ना क्रय केन्द्र, उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई, देवरिया के अधीन है ? यदि हां, तो उक्त गन्ना क्रय केन्द्र का सम्पूर्ण गन्नों की पेराई करने के पहले सत्र 1990-91 में मिल को किन परिस्थितियों के कारण बन्द कर दिया गया ? उक्त गन्ना क्रय केन्द्र के गन्ना की पेराई किन-किन मिलों में कराई गयी और उन मिलों तक गन्ना पहुंचाने में कितना धन व्यय हुआ ? इस सम्बन्ध में कौन जिम्मेदार है तथा इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की देवरिया चीनी मिल दिनांक 13/14-5-91 को एवं निजी क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल दिनांक 12-5-91 को बिना गन्ना आयुक्त की अनुमति प्राप्त किये ही पेराई सत्र 1990-91 हेतु अन्तिम रूप से बन्द हो गयी ।

पिपरहिया क्रय केन्द्र के गन्ने की पेराई प्रतापपुर, देवरिया, सेवरही, पडरौना, कप्तानगंज, बैतालपुर, खड्डा एवं तुलसीपुर चीनी मिलों द्वारा कराई गयी । देवरिया चीनी मिल बन्द होने के उपरान्त पिपरहिया क्रय केन्द्र से क्रय किये गन्ने के यातायात का व गन्ना लदाई आदि पर कुल रु० 2.40 लाख व्यय हुआ ।

बिना गन्ना आयुक्त की नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये पेराई सत्र 1990-91 में अन्तिम रूप से बन्द करने के लिये गन्ना आयुक्त के पत्रांक 1139-42/पांच-1/1/क्रय-सुर०, दिनांक 3-6-1991 द्वारा देवरिया एवं प्रतापपुर चीनी मिलों के अध्यासियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने हेतु गन्ना निरीक्षक देवरिया को निर्देश दिये गये हैं ।

121–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दिनांक 11-3-92 को अता० प्र० सं० 43 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी में झाल जलालपुर से निकलने वाले रजबहा से सिंचाई हेतु पानी टेल तक पहुंचाने के लिये झाड़ झंकाड़ एवं सिल्ट की सफाई कराने की मांग

122–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में नहर बेवर ब्रांच से झाल जलालपुर से निकलने वाले रजबहा की कपरिया से लेकर ग्राम चन्दीपुर तक विगत 6 वर्षों से सफाई नहीं हुई है, जिससे पानी टेल तक नहीं पहुंचता है और हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार झाड़ झंकाड़ एवं सिल्ट की सफाई कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत बनकिया रजबहा पर विगत वर्षों में आवश्यकतानुसार सफाई करायी गयी है तथा इस वर्ष भी इस रजबहे के हेड से मील 9 तक पर्याप्त सफाई कराई गयी है । पूरे कमाण्ड क्षेत्र में पानी की अत्यधिक मांग होने के कारण नहर की टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ब्लाक बेवर में अरमसराय से इसिन नदी में गिरने वाले नाले की सफाई हेतु चयन किया जाना

123–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र–भोगांव, जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में अरमसराय से इसिन नदी में गिरने वाले नाले की सफाई नहीं हुई है, जिससे इस वर्ष किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न होकर नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त नाले की सफाई करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में अरमसराय से इसन नदी में गिरने वाले नाले का नाम तिगवां नाला है । वर्ष 1990-91 में उक्त नाले की सफाई इस विभाग द्वारा नहीं करायी गयी है ।

ऐसा कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है कि किसानों की कोई भूमि जलमग्न होकर नष्ट हो गयी है ।

वर्ष 1992-93 में नालों की सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इस नाले का चयन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाप्रबन्धक, टांडा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युतनगर, फैजाबाद को अध्यक्ष, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फैजाबाद का शिकायती पत्र

124–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जिला कौंसिल आफ इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फैजाबाद के पत्र संख्या 7/कैम्प/एटक दिनांक 27-2-90 महाप्रबन्धक, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से प्रमुख बिन्दु थे ? अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में तालों में जल निवासी की व्यवस्था की मांग

125–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सगड़ी तहसील में ताल सलोना एवं ताल रचन्द पट्टी ताहिरपुर से कितने गांव की कितने हेक्टेयर जमीन जल प्लावित होती है ? क्या सरकार इन तालों के जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में ताल सलोना से 9 गावों की लगभग 560 हेक्टेयर रचनपट्टी ताल से 24 गावों की लगभग 794 हेक्टेयर तथा ताहिरपुर ताल से 9 गावों की लगभग 161 हेक्टेयर भूमि जल प्लावित होती है ।

ताल सलोना से जल निकासी की व्यवस्था है । ताहिरपुर ताल एवं रचनपट्टी ताल से जल निकासी की योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुजहा, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामवासियों को दुधवा नेशनल पार्क के जंगली जानवरों से भय व्याप्त होना एवं सम्बन्धित ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग

126–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुजहा, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होने के कारण ग्रामवासियों को रात्रि में जंगली जानवारों से सदैव खतरा बना रहता है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि में 90 प्रतिशत हरिजन निवास करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में विद्युतीकरण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत बिन्दु विद्युत विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरंण हेतु चयन जिला ऊर्जा एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1991-92 के लिये नहीं किया गया है । भविष्य में ग्राम के चयन किये जाने एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसका विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, कछवा, जनपद मिर्जापुर का विद्युतीकरण करने की मांग

127–श्री भागवत पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कछवा, जनपद मिर्जापुर की निर्माणाधीन भवन में विद्युतीकरण हेतु काफी अर्से से नियमानुसार धन जमा किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त भवन को ऊर्जीकृत क्यों नहीं किया गया है ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बादशाहपुर लक्ष्मीपुर मार्ग के कलान नाले पर टूटे पुल का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जाना

128–श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बादशाहपुर लक्ष्मीपुर मार्ग के कलान नाले पर पुल निर्माण होने के कुछ ही दिन बाद प्रथम वर्ष (1989) में ही गिर गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रशासनिक जांच हुई ? यदि हां, तो क्या अपराधी दण्डित हुए ? यदि नहीं, तो इसका पुनः निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां । इसकी जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा करायी गयी तथा जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

रख रखाव हेतु अप्रैल, 88 में इस पुल को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया था । अग्रेतर कार्यवाही उन्हीं के द्वारा किया जाना है ।

अंशकालिक नलकूप चालकों के नियमितीकरण की मांग

129–श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अंशकालिक नलकूप चालकों का नियमितीकरण अभी तक न होने के क्या कारण हैं ? उक्त नियमितीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अंशकालिक नलकूप चालकों का नियमितीकरण प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

कृषकों के लिये निःशुल्क तथा मूल्य भुगतान पर की गयी कीटनाशक दवाओं के वितरण में जिला कृषि रक्षा इकाई पर अनियमितता का आरोप

131–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1990-91 में रबी की फसल की सुरक्षा के लिये जिला कृषि रक्षा इकाई द्वारा कीटनाशक दवायें जनपद के कृषकों को उपलब्ध कराई गयी थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कीटनाशक दवायें निःशुल्क तथा कौन-कौन सी दवायें मूल्य भुगतान करने पर कृषकों को उपलब्ध करायी गयी थी ? क्या यह भी बतायेंगे कि कीटनाशक दवाओं के वितरण व विक्रय में अनियमितता के सम्बन्ध में जनपद जालौन के जनप्रतिनिधियों व जनता द्वारा शासन को शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि उक्त वर्ष में कीटनाशक दवाओं के वितरण व विक्रय में कृषकों के फर्जी नाम भर कर दवायें बाहर बाजार में बेची गयीं ? यदि हां, तो क्या कृषक सूचीवार सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं, क्योंकि कृषि रक्षा इकाई जनपद स्तर पर कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम दिवलपुर चौधरी हन्नू खेड़ा, बलारपुर, ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में विद्युतीकरण की मांग

132–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम दिवलपुर चौधरी हन्नू खेड़ा, बलारपुर, सुल्तानगंज, जिला मैनपुरी को मात्र अभिलेखों में विद्युतीकरण कर दिया गया है, परन्तु मौके पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्राम हन्नू खेड़ा में बिजली के लट्ठे गाड़ कर पुनः उखाड़ लिये गये हैं और ग्राम दिवलपुर चौधरी में केवल आधे ग्राम में ही लट्ठे गड़े हैं ? यदि हां, तो इन ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव, ब्लाक सुल्तानगंज में महदेवा माइनर को दिवन्नपुर चौधरी तक बढ़ाये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

133–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1991 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में महदेवा माइनर (रजबहा) को आगे दिवन्नपुर चौधरी तक वाया सुरजनपुर बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये शासन के अधीन कोई प्रस्ताव उक्त कार्य पर विचारार्थ लम्बित है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त महदेवा माइनर की टेल पर जल की वर्तमान कमी तथा अतिरिक्त जल उपलब्धता की सम्भावना न होने के कारण यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जनपद मऊ की ''दि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी'' में विगत वर्षों में हुए घाटे का विवरण एवं पूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

134–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में ''दि किसान सहकारी चीनी मिल'' घोसी को स्थापित औद्योगिक मानकों के आधार पर चलाया गया था ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री में कुल कितना घाटा चल रहा है तथा घाटा होने का कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि पूर्व प्रधान प्रबन्धक, श्री हलवन्त सिंह द्वारा चीनी मिल में कई लाख रुपयों का घोटाला किया गया है, जिसको वर्तमान प्रधान प्रबन्धक द्वारा प्रकाश में लाया गया है ? यदि हां, तो पूर्व प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध कौन सी जांच हुई एवं जांचोपरान्त कितने रुपये का घोटाला प्रकाश में आया ? उनके विरुद्ध सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

चीनी मिल के प्रथम पेराई सत्र 1984-85से पेराई सत्र 1990-91 तक मिल समिति को कुल रु० 1318.20 लाख का घाटा हुआ है । प्रारम्भिक वर्षों में पेराई हेतु पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण पूरी पेराई क्षमता का उपयोग न होना, चीनी का परता कम रहना तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना हेतु प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण का समय से भुगतान न होने के कारण ब्याज का अतिरिक्त व्यय भार भी घाटे का मुख्य कारण रहा ।

जी हां ।

जांच कार्यवाही प्रगति पर है । जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शारदा सहायक के खण्ड-30 जनपद इलाहाबाद के किसोरा माइनर में जल बहाव ठीक तरीके से होना

135–डा० बृज भान यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक के खण्ड-3 जनपद इलाहाबाद के किसोरा माइनर की खुदाई इस ढंग से हुई है कि उसमें पानी का बहाव ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है ? क्या यह सत्य है कि माइनर के हेड की ओर से पानी टेल तक नहीं आता है, क्योंकि टेल ऊंचा है और रहीम पट्टी, मिनरिहरो व देवनीपुर आदि ग्रामों की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या गलत ढंग से माइनर की खुदाई करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा दंण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या किसानों की जलमग्न भूमि को उचित मुआवजा अब तक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । माइनर में पानी का बहाव ठीक ढंग से हो रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों की कोई भूमि जलमग्न नहीं हुई है । अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मटियामऊ, विकास खण्ड माधौगंज, जनपद हरदोई में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने की मांग

136–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मटियामऊ, क्षेत्र मल्लावां, जिला हरदोई, जो कि जनपद हरदोई के गांवों में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा है, में आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत व बिजली आपूर्ति अभी तक किस कारण से नहीं की गयी ? वर्ष 1984-85 में उक्त क्षेत्र में पोलों व पोलों पर तारों को बिछाया गया था, किन्तु विद्युत आपूर्ति अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम मटियामऊ, विकास खण्ड माधौगंज, जनपद हरदोई का विद्युतीकरण दिनांक 31-1-77 को किया गया था । किन्तु इस ग्राम में किसी निवासी ने कनेक्शन नहीं लिया और अन्तराल में इस ग्राम को पोषित करने वाली 11 के० वी० लाइन के तार एवं अन्य सामान की चोरी हो गयी क्योंकि ग्राम में कोई कनेक्शन नहीं है । अतएव चोरी गये तारों को लगाकर लाइन का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है ।

चूंकि उक्त लाइन के जीर्णोद्धार में काफी अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा । अतएव इस कार्य को तभी सम्पादित किया जा सकता है जबकि ग्रामवासी प्रचुर मात्रा में विद्युत कनेक्शन हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कर दें और इसके लिये संसाधन उपलब्ध हों ।

श्री पी० सी० पुखार, भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

137–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक क नं० 293960/72, दिनांक 25-11-91 विधायक बांदा व प्रश्नकर्ता का संयुक्त पत्र भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा पी० सी० पुखार द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूचना न देने एवं शासनादेश मंगाने विषयक उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक पी० सी० पुखार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक से किये गये अनौचित्यपूर्ण पत्राचार के लिये प्रश्नगत अधिकारी को कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

जनपद इलाहाबाद में रामगंगा कमांड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत आने वाली किशनपुर पम्प कैनाल में विद्युत भार के संबंध में जानकारी

138–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की चायल एवं मंझनपुर तहसीलों के अन्तर्गत रामगंगा कमांड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत आने वाली किशनपुर पम्प कैनाल में पानी लाने हेतु कुल कितने पम्प लगाये गये हैं ? क्या सारे पम्पों को चलाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समस्त पम्पों को चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किशनपुर पम्प कैनाल पर 60 क्यूसेक क्षमता के कुल 7 पम्प सेट लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त 60 क्यूसेक क्षमता का एक पम्प स्टेन्डबाई के रूप में स्थापित किया गया है ।

जी नहीं ।

7 एम० बी० ए० के वांछित विद्युत भार के विरुद्ध केवल 5 एम० बी० ए० का ही विद्युत भार स्वीकृत है तथा 5 पम्पों को चलाया जा रहा है ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अतिरिक्त भार की स्वीकृति देने तथा कुल 7 एम० बी० ए० का वांछित विद्युत भार उपलब्ध हो जाने पर ही सभी पम्पों को एक साथ चलाया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के दरियाबाद में विद्युत सब स्टेशन टिकैतनगर में स्वीचगियर की खराबी के कारण विद्युत व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होना

139–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में विद्युत सब स्टेशन टिकैतनगर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसके कारण आये दिन क्षेत्र में बिजली न रहने की शिकायत रहती है ? क्या सरकार उक्त सब स्टेशन को ठीक कराने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद बाराबंकी में 33 के० वी० उपकेन्द्र, टिकैतनगर (दरियाबाद विधान सभा क्षेत्र) चालू हालत में स्थापित है । उप केन्द्र के स्विचगियरों में खराबी आने पर कभी-कभी विद्युत व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होता है ।

हां उक्त स्विचगियरों को बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर स्विचगियरों को बदला जा सकता है ।

जनपद बराबंकी, दरियाबाद टाउन में लगे लकड़ी के जर्जर विद्युत खम्भों को संसाधनों की स्वीकृति उपरान्त ही लगाया जाना

140–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में लकड़ी के बिजली के खम्भे जो गांवों में लगे हैं वह सड़ गल गये हैं तथा गांवों में बिजली के तार बहुत नीचे की तरफ झुके हुए हैं ? क्या सरकार लकड़ी के खम्भों की जगह लोहे या सीमेन्ट के खम्भे लगवाने तथा तार ऊंचा करवाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में सामान्यतया सीमेंट एवं लोहे के खम्भे ही लगे हैं । दरियाबाद टाउन में लगभग 25 अदद लकड़ी के खम्भे लगे हैं जिनमें से 10 अदद जर्जर अवस्था में होने के कारण बदलने योग्य हैं ।

दरियाबाद टाउन में उक्त खम्भों को बदलने हेतु पैकेज योजना के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है जो विचाराधीन है । आवश्यक संसाधनों की स्वीकृत एवं प्राप्ति के बाद उक्त कार्य को सम्पादित किया जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी के क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत खजुरी घाघरा नदी के किनारे बन रहे बांध से प्रभावित किसानों को भूमि का मुआवजा देने की कार्यवाही

141-श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत ग्राम खजुरी, विकास खण्ड पूरेडलई में घाघरा नदी के किनारे बन रहे बांध में उक्त गांव के किसानों को कितना मुआवजा दिया गया ? किसानों के नाम व पते क्या हैं ? यदि नहीं, दिया गया, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम खजुरी के किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था अब प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में लेपन स्तर तक सड़क बनवाने की मांग

142–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा लेपन स्तर तक सड़क बनवाने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या वर्ष 91-92 में मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । जिलाधिकारी, मैनपुरी के पत्र दि० 27-2-92 के माध्यम से मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्तीय तथा तकनीकी सूचना सचिव, मण्डी समिति एवं उप निदेशक (निर्माण), अलीगढ़ से मांगी गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हसनपुर ब्लाक, जनपद मैनपुरी में जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग

143–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 20-12-91 तक मैनपुरी जनपद में बिजली से चालित नलकूपों के कितने ट्रांसफार्मर फुंक चुके थे जिससे ट्यूबवेल [illegible] पड़े हैं ? क्या यह सच है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मैनपुरी शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित निपटारा नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हसनपुर ब्लाक, मैनपुरी का ट्रांसफार्मर 4 माह पूर्व से फुंक चुका है और उसको बदला नहीं गया है ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है । कब तक ट्रांसफार्मर बदला जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का उपभोग एवं विद्युत मूल्य के भुगतान का विवरण

144–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में पावर कनेक्शन में उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली का उपभोग करके वर्ष 1990-91 में कितनी बिजली की खपत की गयी ? उसकी एवज में कितने रुपयों का भुगतान हुआ और कितना रुपया बकाया है ? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम दुबारी के बन्धे के निकट नाले पर पुल बनाने की मांग

145–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम दुबारी से धर्मपुर की सड़क पर दुबारी बन्धे के निकट नाले पर पुल बनाने हेतु प्रश्नकर्ता ने गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को दि० 20-12-90 को कोई पत्र दिया था ? क्या उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अपर मुख्य अभियन्ता, गन्ना आयुक्त, श्री आनन्द कुमार रस्तोगी ने जिला गन्नाधिकारी, मऊ को अपने पत्रांक 4857-58, दिनांक 22-12-90 द्वारा यह निर्देश दिया था कि प्रस्तावित जगह पर पुल बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर पुल का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

146–148–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम तिलियानी एवं नगला शम्भू के मध्य फुट ब्रिज बनाने की मांग

149–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर बेवर ब्रांच एवं बेवर फीडर, ब्लाक सुल्तानगंज, विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम तिलियानी एवं नगला शम्भू के मध्य फुट ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जनहित में इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के कतिपय क्षेत्रों में गलत सींच दर्ज किये जाने का कथित आरोप

150–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिना सींच ही सींच दर्ज करने की जानबूझकर की गयी गलती से उन्नाव जिले के किसान त्रस्त हैं ? यदि नहीं, तो 27 किसानों के अलग-अलग उक्त विषयक प्रार्थना पत्रों सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-91 डी० एम०, उन्नाव को मिला है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी ने काश्तकारों से मौके पर जाकर कोई बयान लिये ? क्या मंत्री जी को भी कई किसानों के हस्ताक्षरों/अंगूठा वाले 3 प्रार्थना पत्रों सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-12-91 पत्रांक 318/91 मिला है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री आमे प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

स्थानीय जांच एवं सम्बन्धित कृषकों/कर्मचारियों के बयान व उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख के आधार पर जांचोपरान्त किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में राजकीय नलकूप ग्राम चंगवार, ब्लाक बड़ागांव व रा० ट्यूबवेल, बाबतपुर, ब्लाक पिंडरा की री-बोरिंग करने की मांग

151–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप गांव चंगवार, ब्लाक बड़ांगांव व रा० ट्यूबवेल, बाबतपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी दो वर्ष से खराब हालत में है ? क्या यह सही है कि

दोनों में पानी कम है और बाबतपुर का पम्प गिरकर अन्दर चला गया है ? यदि हां, तो क्या दोनों की री-बोरिंग कराने हेतु नलकूप सिंचाई वाराणसी ने लिखा है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसकी सरकार जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय नलकूप चंगवार, ब्लाक बड़ागांव दिनांक 5-1-91 से निकास कम हो जाने के कारण असफल हो गया है । इस नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई शारदा नहर प्रणाली से प्रस्तावित है तथा नलकूप का परित्याग विचाराधीन है । राजकीय नलकूप बाबतपुर, ब्लाक पिंडरा चालू है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

152–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दि० 30-3-92 को अता० प्र० सं० 181 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के अन्तर्गत केन कैनाल प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत रजबाहा नहर में कटिंग रोकने तथा टेलों तक पानी पहुंचाने की मांग

153–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत केन कैनाल प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत रजबाहा नहर में किस स्थान तक पानी निर्धारित सीमा के अनुसार नियमित पहुंचाया गया है ? क्या दीनबन्धु विकास योजनान्तर्गत सिंचाई योजना में नहरों की कटिंग रोकने तथा टेलों तक पानी पहुंचाने के आदेश थे ? यदि हां, तो श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, तृतीय सहायक अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा द्वारा क्या प्रयास किये गये ? वर्ष 1991-92 में उक्त ए० ई० द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या टेलों तक पानी पहुंच पा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बतायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ के अन्तर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने की दृष्टि से अधिकारियों को रोका जाना

154–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी एवं निगम की चीनी इकाइयों में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी प्रतिनियुक्ति की निर्धारित सीमा बीत जाने पर भी अपने मूल विभागों को वापस नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें अपने मूल विभागों को वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में प्रतिनियुक्ति की निर्धारित सीमा के उपरान्त कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है । उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के अन्तर्गत कतिपय तकनीकी पदों पर परियोजनाओं को पूर्ण करने की दृष्टि से निर्धारित समय सीमा के बाद कुछ अधिकारियों को रोका गया है ।

परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने पर मूल विभाग की सहमति होने पर प्रत्यावर्तन विषयक कार्यवाही की जायेगी ।

तृतीय उप खण्ड शारदा नहर खण्ड, जनपद हरदोई में बेशर्म प्रजाति के वृक्षों की कटाई तथा मिट्टी के कार्य के भुगतान की जानकारी

155–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय उप खण्ड शारदा नहर खण्ड, हरदोई में एन० आर० ई० पी० अन्तर्गत बेशर्म प्रजाति के वृक्षों की कटाई व मिट्टी के कार्य, जो कि मार्च, 1989 में कराये गये थे, का भुगतान नवम्बर, 1989 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या मार्च में उप खण्ड के सहायक अभियन्ता के पास वांछित धन उपलब्ध था ? यदि हां, तो भुगतान में देरी का कारण क्या था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

156–159–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

श्री भजनलाल निवासी जयभरी, ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी के ट्यूबवेल के लिये बिजली के लट्ठे गाड़ कर तार न लगाया जाना

160–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में नवीन ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन लगवाने के कितने प्रकरण लम्बित हैं और कितने मामलों का अधिशासी अभियन्ता स्तर पर आंकलन आ चुका है ? क्या यह सच है कि भजनलाल निवासी जंयभरी, ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी के ट्यूबवेल के लिये बिजली के लट्ठे गाड़ दिये गये हैं और बिजली के तार नहीं लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कनेक्शन देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? क्या यह सच है कि उनके प्रकरण के बाद लोगों को कनेक्शन स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती सेवनिया विधवा रामसनेही निवासी भोगांव, जनपद मैनपुरी द्वारा आर्थिक सहायता की मांग

161–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में बिजली विभाग के अधिकारियों की दोषपूर्ण प्रक्रिया से जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कितने लोगों की असामयिक मृत्यु हुई ? उन मृतकों के वारिसों को शासन द्वारा क्या सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि माह अगस्त, 91 में मुख्य मंत्री को श्रीमती सेवनिया विधवा रामसनेही, निवासी भोगांव का उनके पति की बिजली से दिनांक 23-7-91 को मृत्यु के कारण आर्थिक सहायता प्राप्त होने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसे अभी तक कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में विद्युतीकरण की मांग

162–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया ? क्या उनमें बिजली प्रवाहित हो रही है ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युत प्रवाह आरम्भ हो जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में सिंचन हेतु नवीन नलकूप लगाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

163–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में सितम्बर, 91 में नवीन बिजली से चालित नलकूपों को लगाये जाने का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या ग्राम पूरनपुर, बुद्ध नगर (वीलपुर), जल्लापुर, खदईया, नसीरपुर व नवादा के मध्य, जमैयतगंज सभी स्थित विकास खण्ड बेवर एवं बलारपुर सुरजनपुर, महोड़ी खेड़ा, सांडा एवं मांटा सभी विकास खण्ड बेवर में ट्यूबवेल लगाये जाने की क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वित्तीय वर्ष 1991-92 में भोगांव विधान सभा क्षेत्र में शासन की नवीन नलकूप लगाये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पूरनपुर, नसीरपुर एवं नवादा के मध्य जमैयतगंज, अम्हेरा महरीकमाण्ड में होने के कारण नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है । शेष ग्रामों में जो विकास खण्ड सुल्तानगंज में हैं नलकूप लगाये जा सकते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में भोगांव विधान सभा क्षेत्र में नवीन नलकूप लगाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

वर्ष 1991-92 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में दो नवीन नलकूप लगाये जाने का प्राविधान है जिनका निर्माण जिला सिंचाई सलाहकार समिति के अनुमोदन के अनुसार विकास खण्ड किसमी में ग्राम कमलनेर तथा विकास खण्ड घिरोर में ग्राम उसनीदा में कराया गया है ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम अमरपुरा हखारा एवं गड़ेरा मौजा मल्लाई की खराब विद्युत लाइनों को बदलने की मांग

164–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्लाक बेवर, विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में ग्राम अमरपुरा हखारा एवं गड़ेरा मौजा मल्लाई की बिजली की पुरानी लाइनें खराब हैं ? यदि हां, तो उक्त लाइनें बदलने के लिये कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मात्र अभिलेख में पुरानी लाइनों को बदल दिया गया है और उक्त कार्य हेतु आवंटित सारे धन को अपहृत कर लिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सहायक लेखाकार के अनु० जाति के पदों पर चयन के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी न किया जाना

165–श्री सुखदेव प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों का चयन मई, सन् 1990 में सहायक लेखाकार के पद पर किया ,गया था ? यदि हां, तो क्या उनका नियुक्ति पत्र, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि जारी होगा, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां । राज्य विद्युत परिषद् से यह पूछा गया है कि आरक्षण कोटा अभी तक न भरे जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा तथ्य एवं आंकाड़ों सहित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये हैं । जिनके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद उन्नाव में धन अनुपलब्धता के कारण प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण न कराया जाना

166–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 89-90 व 90-91 में अलग-अलग कुल कितने सरकारी ट्यूबवेल उन्नाव जिले में बनाये जाने के लिये स्वीकृत हुए ? प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां-कहां ट्यूबवेल बनना प्रस्तावित था ? उक्त ट्यूबवेल कब तक बन जाने चाहिए थे ? निर्धारित अवधि में

ट्यूबवेल न बनाये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद उन्नाव में वर्ष 1989-90 में 2 तथा वर्ष 1990-91 में 25 नवीन नलकूपों का निर्माण स्वीकृत हुआ ।

उक्त अवधि में प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के ग्राम असरेंदा, अकोहरी, बरेंदा, गुलरिहा बरुआंकला, रहियनखेड़ा, विकास खण्ड असोहा के ग्राम रहिमानपुर तथा विकास खण्ड पुरवा के ग्राम नवाब, कटांव में कुल 8 नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित था।

धन उपलब्धता के अभाव के कारण कोई समय अवधि नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के नहरी पानी से सिंचाई करने वाले काश्तकारों को समय से सींच के परचे न मिलने की शिकायत तथा उस पर की गयी कार्यवाही

167–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में नहरी पानी से सिंचाई करने वाले काश्तकारों को गत 2 साल से सिंचाई पर्चे नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दि० 28-12-91 की सिंचाई बंधु की बैठक में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड ने यह तथ्य स्वीकार किया था कि सींच के पर्चे स्टाफ की कमी व अन्य कठिनाइयों के कारण काश्तकारों को नहीं दिये गये ? यदि हां, तो सींच के पर्चे समय पर काश्तकारों को न देने के संदर्भ में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

दिनांक 28-2-91 को सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति (न कि सिंचाई बन्धु) की बैठक जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी जिसमें सींच के पर्चे कृषकों को समय से न मिलने से सम्बन्धित एक सामान्य शिकायत उपस्थित जन-प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई थी, जिस पर सिंचाई विभाग की ओर से यह अवगत कराया गया कि अधिकतर सींच के पर्चे सींचपालों द्वारा क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों के माध्यम से कृषकों को वितरित करने हेतु दिये जाते हैं । अतः अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, उन्नाव द्वारा कृषकों को सींच के पर्चे न दिये जाने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति का प्रश्न नहीं उठता । किसी विशेष स्थल/कर्मचारी के विरुद्ध कोई दोषारोपण इंगित न होने से किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी भविष्य में कृषकों को सींच के पर्चे समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कड़ी कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168–170–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नलकूप पश्चिम, सिंचाई विभाग, मेरठ द्वारा श्री चोखे सिंह, आशुलिपिक तथा श्री ख्याली राम शर्मा, आशुलिपिक का स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया जाना

171–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 5421/27-1-3-7-91, दिनांक 10-7-91 के अनुसार संयोजक, क्षेत्रीय स्थानान्तरण समिति, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नलकूप पश्चिम, सिंचाई

विभाग, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 7772/मु० अनूप/सामान्य स्था० दिनांक 30-7-91द्वारा नलकूप खण्ड प्रथम, अलीगढ़ से अलीगढ़ खण्ड, गंगा नहर, अलीगढ़ में स्थानान्तरित श्री चोखे सिंह, आशुलिपिक एवं अलीगढ़ में स्थानान्तरित श्री ख्याली राम शर्मा, आशुलिपिक को अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश एवं उक्त शासनादेश में निहित प्रस्तर-11के प्राविधानानुसार अभी तक कार्य मुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शासनादेश के प्रस्तर-12 के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

(शासनादेश सं०–5421/27-सिं०-7-357-91. दिनांक 10-7-91 का न होकर 18-7-91 का है).

श्री ख्याली राम शर्मा व चोखे सिंह, आशुलिपिक के स्थानान्तरण आदेश कार्यहित में स्थगित कर दिये गये थे जिस कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया ।

उक्त आशुलिपिकों के स्थानान्तरण आदेश कार्यहित में दिनांक 31-3-92 तक स्थगित कर दिये गये थे। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

तृतीय उप खण्ड, शारदा नहर, हरदोई में किये गये कार्य का भुगतान फर्जी मस्टर रोल भरकर किये जाने का आरोप

172–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तृतीय उप खण्ड, शारदा नहर, हरदोई में एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत वर्ष 1985 व 1986 में किये गये कार्य का भुगतान वर्ष 1990 में फर्जी मस्टर रोल भर कर किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस भुगतान की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा नहर खण्ड, हरदोई में 1396 तथा 1397 रबी फसली से पूर्व व्यय धनराशि का विवरण

173–श्री खालीद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर खंड, हरदोई में सन् 1397 फसली रबी का सिंचित क्षेत्र सन् 1396 फसली रबी के सिंचित क्षेत्र से कम था ? यदि हां, तो 1396 व 1397 फसली रबी से पूर्व कितना रुपया डी-सिल्टिंग पर इस खण्ड में खर्च किया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । 1396 फसली से पूर्व सं० 21, 24, 759 तथा 1397 रबी फसली से पूर्व 18, 37, 213 रुपये डी-सिल्टिंग में हरदोई खण्ड, शारदा नहर, हरदोई द्वारा व्यय किया गया ।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत जिला गन्ना विकास संघ, हरदोई नाम की किसी संस्था का कार्यरत न होना

174–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना विकास संघ, हरदोई में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले बारह से ज्यादा महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो वेतन न मिलने का क्या कारण था तथा यह बकाया वेतन कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत जिला गन्ना विकास संघ, हरदोई नाम की कोई संस्था कार्यरत नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० सहकारी गन्ना सेवा नियमावली के नियम 62 तथा 63 का कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रसंग में उल्लंघन करने का आरोप

175–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी गन्ना सेवा नियमावली के नियम 62 तथा 63 का उल्लंघन करते हुए कितने कर्मचारी एक ही जनपद में दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? ऐसे कर्मचारियों को कब तक नियमानुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जनपद सीतापुर, बस्ती, रामपुर, खीरी, गाजियाबाद में एक-एक लेखाकार तथा जनपद देवरिया में दो लेखाकार एवं दो कैशियर दस वर्ष से अधिक समय से विशेष परिस्थितियों में कार्यहित में कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु वर्तमान पेराई सत्र समाप्त होने पर विचार किया जायेगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण प्रखण्ड, कर्वी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच

176–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मो० शफीक अहमद खान ने दि० 25-6-90 को श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण प्रखण्ड, कर्वी (बांदा) द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच करवाने के सम्बन्ध में 6 सूत्रीय शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को लिखा था ? यदि हां, तो श्री मोहम्मद शफीक अहमद खान चित्रकूट धाम, कर्वी (बांदा) के उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? क्या शीघ्र इस पर जांच करवाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से जांच प्रगति में है।

जांच आरम्भ की जा चुकी है।

177–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 26-2-92 को अता० प्र० सं० 43 द्वारा उत्तरित]

178–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 77 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत मीटर रीडरों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को अनुमानित रीडिंग भेजा जाना

179–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्डों/उपखण्डों/प्रदेश उपक्रमों में मीटर रीडिंग में अनेकों घपले किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या यह

सही है कि मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आते हैं और उनके द्वारा मनमानी रीडिंग भरकर बाद में उपभोक्ताओं से रीडिंग कम करने के एवज में अवैध वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध परिषद् ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

साधारणतया मीटर रीडरों की कमी होने के कारण कभी-कभी मीटर रीडिंग नहीं ली जाती तथा अनुमानित रीडिंग का बिल भेज दिया जाता है जिसे बाद में वास्तविक आधार पर सही कर दिया जाता है, तथापि किन्हीं-किन्हीं मामलों में मीटर रीडिंग में घपले किये जाने एवं मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग न लेने और उनके द्वारा मनमानी रीडिंग भर कर उपभोक्ताओं से रीडिंग कम करने के एवज में अवैध वसूली की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता । यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति तथा किये गये स्थानान्तरण का विवरण

180–श्री रवीन्द्र प्रताप–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–83 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण की नीति से मंत्री जी अवगत हैं कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को, जो उसी कार्यालय में 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, उसी परिसर में स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

एक ही स्थान पर सबसे लम्बी किन्तु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने की नीति है ।

जी नहीं । केवल कुछ मामलों में ही 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों को उसी परिसर में स्थानान्तरित किया गया है ।

एक ही परिसर में एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जी हां । ऐसे कर्मचारियों को आगामी सत्र में लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कतिपय स्वीकृत पुलों के निर्माण प्राक्कलन में संशोधन से निर्माण कार्य में बाधा

181–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में मौराही नदी व लोनी ड्रेन पर अढ़ेरूवा के पास के पुल वर्ष 1990-91 में डी० आर० डी० ए० से स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो स्वीकृति के समय इन पुलों का अलग-अलग प्राक्कलन क्या था ? क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग ने इन दोनों पुलों का कार्य प्रारम्भ करने के बाद, नया प्राक्कलन भारी धनराशि का दुबारा बनाया है ? यदि हां, तो

संशोधित प्राक्कलन में धनराशि के ज्यादा बढ़ जाने के क्या कारण हैं ? क्या पुल के उपयोग में होने वाली सामग्री की कीमतें बढ़ाने से प्राक्कलन राशि बढ़ी है ? क्या सरकार दोनों पुलों के संशोधित प्राक्कलन में मूल प्राक्कलन से बढ़ी धनराशि के अन्तर के कारण को सदन में स्पष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

स्वीकृति के समय मौराही नदी के पुल का प्राक्कलन रुपये 6.00 लाख का तथा लोनी ड्रेन पर अढ़ेरूवा के पास पुल का प्राक्कलन रुपये 6.026 लाख का था ।

केवल मौराही नदी के पुल का प्राक्कलन रुपये 6.00 लाख के स्थान पर रु० 9.74 लाख का संशोधित किया था । स्वीकृति के उपरान्त भी लोनी ड्रेन पर ग्राम अढ़ेरूवा के पुल के लिये वांछित धनराशि डी० आर० डी० ए०, उन्नाव द्वारा अवमुक्त न किये जाने के कारण उसका निर्माण आरम्भ नहीं कराया जा सका । अतः इस पुल के प्राक्कलन को संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पुल निर्माण के समय कराये गये व्यापक सर्वेक्षण में स्थानीय मांग, आवश्यकताओं एवं उपयोगिता के अनुसार बड़े व ऊंचे पुल की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित डिजाइन के फलस्वरूप मात्राओं में हुई वृद्धि तथा स्वीकृति दर सारिणी के संशोधन में हुई वृद्धि के फलस्वरूप संशोधित प्राक्कलन की धनराशि बढ़ी है ।

जी हां, निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि भी प्राक्कलन की धनराशि बढ़ने का एक कारण है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी तथा माधवगढ़ के ओला प्रभावित गांवों के लिये भूमि संरक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत योजना

182–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में गत रबी की फसल के दौरान ओलावृष्टि के कारण कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खण्ड विकास कुठौन्द के ग्राम जुगराजपुर, रन्धीरपुर, विजवाहा लोहई मुस्तकिल तथा लोहई दिवारा, टिकरी मुस्तकिल; मऊ कनार तथा लहर कनार ग्रामों की फसल नष्ट हो गयी थी तथा उपरोक्त ग्रामों एवं विकास खण्ड कुठौन्द के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आने वाले ओला पीड़ित अन्य ग्रामों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा राहत कार्य कराने हेतु वर्ष 1991-92 की जिला योजना में 14 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्राम विजवाहा, लोहई तथा टिकरी मुस्तकिल ग्रामों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सर्वे होकर तथा परियोजनायें तैयार होने के बावजूद इन हरिजन बाहुल्य ग्रामों में राहत कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा है ? क्या इस वर्ष इन बीहड़ क्षेत्र के लोगों को भुखमरी से बचाने हेतु उक्त राहत कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां, वर्ष 91-92 में दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग के लिये 20.406 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कालपी तथा माधवगढ़ के विकास खण्ड कुठौन्द के 6 ग्राम मऊ कनार, रन्धीरपुर, जुगराजपुर, लोहई दिवारा, परियापुर एवं नाहिली की भूमि संरक्षण योजनायें स्वीकृत की गयी थीं । जिसमें ग्राम विजवाहा, टिकरी मुस्तकिल की योजना नहीं स्वीकृत की गयी थी । अतः इन दो ग्रामों में कार्य नहीं कराया गया ।

जिला प्रशासन द्वारा भूमि संरक्षण कार्य के लिये 20.406 लाख की स्वीकृति धनराशि से भूमि संरक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

द्वितीय उप खण्ड, छिबरामऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री नरेन्द्र पाल सिंह पर लगे आरोप की जानकारी

183–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी प्रखण्ड की निचली गंगा नहर, मैनपुरी के अन्तर्गत द्वितीय उप खण्ड, छिबरामऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री नरेन्द्र पाल सिंह ने राजकीय कोष का 30 हजार रुपया व्यक्तिगत प्रयोग में खर्च कर लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) से प्राप्त सूचनानुसार जांचोपरान्त श्री नरेन्द्र पाल सिंह, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उक्त आरोप सिद्ध नहीं पाया गया । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के केन्द्रीय बीज भण्डार पर चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत कृषि निवेशों के विवरण की जांच

184–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में जनपद बाराबंकी के केन्द्रीय बीज भण्डार पर चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत अनुदान पर कृषि निवेशों के विवरण की शिकायत शासन को हुई थी, जिसकी जांच डा० धर्म सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रसार), कृषि भवन द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस जांच आख्या पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जांच आख्या पर विचारोपरान्त सम्पूर्ण सम्प्रेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है । सम्प्रेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग, जनपद बाराबंकी में कर्मचारियों पर कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही

185–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-1-91 को भू० पू० विधायक, श्री रघुवर दयाल वर्मा ने कृषि सचिव को बाराबंकी जनपद में कार्यरत कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में कथित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच करायी गयी । जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, जनपद हरदोई के अध्यक्ष पर नियमावली के उल्लंघन का आरोप

186–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, हरदोई के अध्यक्ष के विरुद्ध वर्ष 1989 में उ० प्र० सह० नियमावली की धारा–394 के उल्लंघन की जांच हुई थी ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । कोई जांच नहीं हुई ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रुदौली विधान सभा क्षेत्र, जनपद बाराबंकी के विद्युत विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

187–श्री राम देव आचार्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि रुदौली विधान सभा क्षेत्र के विद्युत विभाग के कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी लगभग 10 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ? कब तक उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नीति सामान्यतः यह है कि मास स्केल ट्रासफर न किये जायं । जनहित/प्रशासकीय हित में केवल अनिवार्य तथा आवश्यकतानुसार ही ट्रांसफर किये जायं । अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण निर्देशिका के अनुसार सामान्यतः एक पद/स्थान पर 5 वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर लगातार सात वर्ष एवं मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर दस वर्ष तथा एक क्षेत्र/परियोजना में एक/विभिन्न पदों पर लगातार 15 वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है ।

रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत विभाग के किसी अधिकारी का कार्यालय नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के अन्तर्गत 33 के० वी० उप केन्द्र, रुदौली पर नियुक्त कुछ कर्मचारी 10 वर्ष की अवधि से कार्यरत हैं ।

जनहित एवं परिषदीय हित को दृष्टिगत रखते हुए इनके स्थानान्तरण नहीं किये गये ।

रुदौली विधान सभा क्षेत्र, जनपद बाराबंकी की विद्युत की आपातकालीन कटौती की जानकारी

188–श्री राम देव आचार्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कटौती कब से और कितनी अवधि के लिए लागू है ? उक्त कटौती कब तक और लागू रहेगी ? क्या यह सही है कि विद्युत कटौती संबंधी आदेशों के बिना ही अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

रुदौली विधान सभा क्षेत्र, बाराबंकी जनपद का एक ग्रामीण क्षेत्र है और इसे प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की भांति 14.00 घंटे प्रतिदिन तीन फेज विद्युत आपूर्ति दिन अथवा रात्रि के समय साप्ताहिक चक्रीय कार्यक्रम के आधार पर की जाती है । जिस सप्ताह विद्युत आपूर्ति का क्रम दिन के समय होता है उस सप्ताह रात्रि में भी सायंकाल 18.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6.00 बजे तक दो फेज विद्युत आपूर्ति बत्ती एवं पंखे के लिए की जाती है । कभी-कभी प्रणाली की अत्यन्त विषम परिस्थिति में जब विद्युत की मांग उपलब्धता के साक्षेप बहुत अधिक होती है या विद्युत की वोल्टेज बहुत कम हो जाती है तब विद्युत प्रणाली को ठप्प होने से बचाने के लिए इन क्षेत्रों की आपातकालीन कटौती भी करानी पड़ जाती है । यह आपातकालीन कटौती नियमानुसार अधिकारियों के समुचित आदेश पर ही करायी जाती है ।

189–190–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

थाना मलपुरा, जिला आगरा में दर्ज अभियोग संख्या–61/85 तथा 62/85 को वापस लिये जाने के संबंध में जानकारी

191–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 29-8-91 व दिनांक 16-10-91 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो थाना मलपुरा, जिला आगरा में दर्ज अभियोग संख्या 61 व 62 को वापिस किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त अभियोग वापिस लिए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अभियोग संख्या 61/85 राज्य बनाम लहोरे आदि तथा 62/85 राज्य बनाम विजय सिंह राणा आदि को वापिस लेने के आदेश जिला अधिकारी, आगरा को शासनादेश दिनांक 5-2-92 द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

सचिव, ग्राम्य विकास को जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त होना

192—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय के पत्रांक—सी० एम० वि० को० एम-3/63-280/91, जो दिनांक 11-11-91 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त हुआ है और जिसे सचिव, ग्राम्य विकास को भेजा गया है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

श्री फेरूमल वर्मा के खिलाफ कृत यथोचित कार्यवाही की सूचना गन्ना आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दिया जाना

193—श्री राज पाल त्यागी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के पत्रांक 181-182/14-87/34 वनि० ई० ह० स० क० 88 दिनांक 22-8-88 व 1092-94/1-87/34 विकास शिकायत 88 दिनांक 21-9-88 के क्रम में श्री फेरूमल वर्मा की जिला अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की जा रही जांच अब तक पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी/जांच अधिकारी, गाजियाबाद के पंजीकृत पत्रांक 3922/एल० टी०-विकास/90 दिनांक 9-3-90 की मांग पर श्री फेरूमल वर्मा की पत्रावली, जो गन्ना आयुक्त, लखनऊ के पास है अभी तक जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और जिलाधिकारी (टी० एफ० सी० गाजियाबाद) द्वारा पत्रावली मंगाने हेतु क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी है ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने समस्त प्रकरण को अपने पत्रांक दिनांक 21-4-90 द्वारा निस्तारण हेतु गन्ना आयुक्त को प्रेषित किया था जिस पर गन्ना आयुक्त के पत्रांक दिनांक 18-5-90 द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि इस प्रकरण पर पहले से ही यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है इसलिए जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद को जांच पत्रावली भेजना आवश्यक नहीं समझा गया।

कृषि निदेशालय में प्रश्नकर्ता के प्राप्त शिकायती पत्रों पर की जा रही आवश्यक कार्यवाही

194—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-7-1991 का पत्र मय संलग्नकों के प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से आरोप, किसके विरुद्ध लगाये गये हैं और उन आरोपों की जांच किसने की है ? क्या शिकायतकर्ता व्यक्तियों को उनके द्वारा की गयी शिकायत की पुष्टि करने का अवसर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को, कहां-कहां पर पूछताछ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं, यद्यपि उक्त पत्र अन्य 15 पत्रों के साथ कृषि मंत्री कार्यालय से कृषि निदेशालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री देवेन्द्र पाल द्वारा दिनांक 26-7-91 को प्राप्त किया गेया, लेकिन प्रश्नगत पत्र उनके द्वारा कृषि निदेशालय में उपलब्ध नहीं कराया गया । उन्हें इस अनियमितता के लिये दिनांक 20-3-92 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । उसके अतिरिक्त कृषि निदेशक कार्यालय के सम्बन्धित सहायक जिन्होंने अपने स्तर से उक्त 16 पत्रों का मिलान नहीं किया, के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ।

रिटायर्ड श्री बंका सिंह, शोध संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया पर बैलेन्सशीट में लाखों की हेरा-फेरी का आरोप

195–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोध संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया की बैलेन्सशीट में काफी हेरा-फेरी की गयी है ? क्या यह सही है कि श्री बंका सिंह रिटायर्ड व्यक्ति द्वारा वैलेन्सशीट बनायी गयी है ? क्या यह सही है कि लाखों की हेरा-फेरी कर-वास्तविक व्यय को छिपाने के साथ-साथ शासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर वास्तविक तथ्य से सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

डा० एच० एन० सिंह, सलाहकार, गेन्दा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया पर विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी का आरोप

196–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एच० एन० सिंह, सलाहकार, गेदा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया द्वारा वर्ष 89-90 में विदेश यात्रा की गयी थी ? कुल कितनी विदेशी मुद्रा डा० सिंह को दी गयी थी ? क्या यह सही है कि दिल्ली के किताब विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन डा० सिंह के साथ विदेश यात्रा पर गये थे ? क्या यह सही है कि श्री नरेश कुमार जैन ने करोड़ों रुपये की पुरानी किताबों की आपूर्ति संस्थान सेवरही को की हैं ? क्या यह सही है कि इस प्रकरण में विदेशी मुद्रा की काफी हेरा-फेरी की गयी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर वास्तविक तथ्य को सदन के समक्ष रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

डा० सिंह को विदेश यात्रा हेतु 520 डालर विदेशी मुद्रा दी गयी थी । संस्थान के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालयों एवं शिविरों में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मण्डलीय/खण्डीय लिपिकों को सम्बद्ध किया जाना

197–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालयों एवं शिविरों में कुल कितने खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के लिपिक कार्यरत हैं ? क्या इन्हें उनके मूल कार्यालयों को वापस किये जाने के लिये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो जारी आदेशों/निर्देशों के उपरान्त भी अब तक इन्हें क्यों नहीं वापस किया गया तथा अब कब तक वापस कर दिया जायेगा ? प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेशो/निर्देशों का उल्लंघन करके ऐसे लिपिकों को कार्यरत बनाये रखने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में 49 मण्डलीय/खण्डीय लिपिक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

कार्य की आवश्यकतानुसार मण्डलीय/खण्डीय लिपिकों को सम्बद्ध किया गया है । जब इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी तब इनको वापस कर दिया जायेगा ।

पदस्थापना कार्यहित में की गयी है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम भुभूवार, पोस्ट कोरारी कला, जनपद उन्नाव के नागरिकों द्वारा नये कनेक्शन हेतु धनराशि जमा किया जाना

198–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुभूवार, पोस्ट कोरारी कला, जनपद उन्नाव के 20 नागरिकों द्वारा बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिये विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव के कार्यालय में धनराशि जमा की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक विद्युत कनेक्शन उन लोगों को न देने के क्या कारण हैं तथा कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ? कनेक्शन में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम के आवेदकों को बिजली का कनेक्शन देने के लिये 10 पोल की एल० टी० लाइन का निर्माण करना पड़ेगा जिसके लिये वर्तमान नियमों के अनुसार 30 अदद ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संयोजन

हेतु सभी सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करनी चाहिए । तत्पश्चात् संसाधन उपलब्ध होने पर कनेक्शन देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

199–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नियम 110(2) के अन्तर्गत आज के उपवेशन को स्थगित करने की मांग तथा अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री द्वारा भ्रामक सूचना दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी-अभी सूचना मिली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी स्थिति में मंत्रिमण्डल का कोई औचित्य नहीं है । आप कन्फर्म करा लें और सदन को सूचित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे भी आज पहली अप्रैल को सूचना मिली है, 'प्रमोद तिवारी जी के बारे में ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 110(2) के अन्तर्गत आज के उपवेशन को स्थगित करने की मांग करता हूं । इस पर आप हमारा विचार सुन लीजिये और जो आप व्यवस्था देंगे, वह हमें शिरोधार्य होगी । मान्यवर, नियम 110(2) के अन्तर्गत मैं आपसे मांग करता हूं कि आज का उपवेशन स्थगित किया जाय, क्यों किया जाय, इस पर ग्राह्यता पर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । श्रीमन्, यह मानकर चला जाता है कि सदन में कोई भी सदस्य या कोई मंत्री जो कुछ कहेगा, वह सही कहेगा और इसी को ध्यान में रखकर यहां कार्यवाही चलती है । जब किसी माननीय सदस्य के सारे हथियार बंद हो जाते हैं और वह यह कहते हैं कि मेरी जानकारी को सत्य मान कर ऐसा किया जाय, तो मंत्री जी भी उस स्थिति में परिस्थिति को देखते हुए यह महसूस करते हैं कि माननीय सदस्य की बात सही होगी और उसे सही मानकर निश्चित रूप से आश्वासन देते हैं कि इसकी जांच करवायेंगे या कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर, कल जब सदन चल रहा था तो मन्दिर-मस्जिद के मामले पर नियम-311 के तहत विवाद उठा, उसमें तमाम विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाये कि कई मन्दिर तोड़े गये हैं, लेकिन माननीय नेता सदन, जो मुख्य मंत्री भी हैं, जब अपना उत्तर भाषण देने के लिये खड़े हुए तो उन्होंने इस सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मन्दिर नहीं तोड़े गये हैं, केवल कुछ भाग हटाये गये हैं । पूरा सदन इस बात को मान गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह सही है, क्योंकि नेता सदन के साथ, वह मुख्य मंत्री हैं और माननीय सदस्य भी हैं, इसलिये उनकी बात को सही माना गया, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । आज के दैनिक जागरण में एक खबर छपी ।

श्री अध्यक्ष–

अखबार का उल्लेख न करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कल कहा गया कि साक्षी गोपाल मन्दिर वाले अपनी जमीन स्वेच्छा से विश्व हिन्दू परिषद् को या अन्य को दे दिये हैं। लेकिन आज दैनिक जागरण में छपा है कि साक्षी गोपाल मन्दिर का अधिग्रहण लेने के खिलाफ उच्च न्यायालय में वहां के महन्त ने वकील के माध्यम से रिट दायर करवाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि माननीय राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और एक महन्त का नाम, ने मिलकर जबरिया दस्तखत करवाये। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नेता सदन एवं माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने गलत तथ्य यहां पर रखे और सदन को गुमराह किया है। मैं नेता सदन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस मौखिक रूप से आपको देता हूं। दूसरा श्रीमन्, नियम-110(1) के तहत मैं माननीय नेता विरोधी दल की अनुमति से, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी की अनुमति से, अपनी पार्टी के नेता श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की अनुमति से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री ऊदल जी की अनुमति से यह प्रस्ताव रखता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मुख्य मंत्री जी की गलत बयानी के कारण यह सदन उनके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन जरूर ली है, परन्तु मैंने आपको प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा नहीं दी है।

सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा श्री बरखू राम वर्मा को धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप नियम-63 को देख लें। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने श्री बी० आर० वर्मा को जान से मारने की धमकी इस सदन में दी है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे आपकी सूचना मिल गयी है। मैं उसका परीक्षण करा रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, वह सदन की कार्यवाही का अंग बन गया है। उसके परीक्षण के बारे में तो कहीं पर नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अग्रवाल जी आप कृपा करके बैठ जायं। आज आप सभी लोग जानते हैं कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का अन्तिम दिन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जान से मारने की धमकी सत्ता पक्ष द्वारा दी जा रही है । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । बहुमत के आधार पर अगर सत्तापक्ष इसी तरह की धमकी देता रहा तो हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। चूंकि वह बात सदन में कही गयी है और वह सदन का अंग भी बन चुका है और वह आपके संज्ञान में भी आ गया है । इसलिये आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा कीजिये और इस विषय पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे पूर्व में ही कह दिया है कि आपकी सूचना का मैं परीक्षण कराऊंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने भी नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी है ।

नियम 110 (2) के अन्तर्गत आज के उपवेशन को स्थगित करने की मांग तथा अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री द्वारा भ्रामक सूचना दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना (क्रमागत)

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह सदन आपकी अनुमति से चलता है । जब तक आप किसी को अनुमति नहीं देते तब तक उसे बोलने का हक नहीं होता है । आपकी अनुमति से जब कोई बात सदन के अन्दर आ जाती है और नियम संगत है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही भी हो । हमारे दल के उपनेता चौधरी जी ने नियम 110 के तहत यहां पर एक प्रस्ताव रखा । माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा । इस सदन में हम सब लोग सौगन्ध खाते हैं कि हम लोग सच बोलेंगे और मंत्रि-परिषद् की खासतौर से ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वे यहां पर कोई ऐसी बात न कहें जिससे हम लोग यहां पर गुमराह हों । कल श्रीमन्, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया कि कोई मन्दिर नहीं तोड़ा गया तो साक्षी गोपाल मन्दिर तोड़ा गया है हाईकोर्ट में रिट दायर है.....

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, मैंने चौधरी जी को प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उनका निन्दा प्रस्ताव पेश हो गया है । आप मतदान करा लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई अनुमति नहीं दी है (व्यवधान) मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं । माननीय राम गोविन्द चौधरी ने अपनी बात कही, प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी मैंने कहा मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आपकी पीठ से निर्देश है कि जब सत्र चल रहा हो तब कोई भी मंत्री कोई नीतिगत फैसला सदन से बाहर नहीं करेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

हथियारों के लाइसेंस देने की नीति की घोषणा की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आज बजट पर चर्चा का अन्तिम दिन है (व्यवधान) यह कोई तात्कालिक घटना के सम्बन्ध में नहीं है। (व्यवधान) कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे लगता है विपक्ष की कोई रुचि आय-व्ययक में भाग लेने की नहीं है। अनावश्यक रूप से कार्यवाही को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के अनुरोध पर चर्चा का समय बढ़ाया गया। विपक्षी दलों के नेताओं को बोलना है लेकिन इसमें अनावश्यक समय बरबाद हो रहा है। (व्यवधान) मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप मतदान करा लीजिये मैंने जो निंदा का प्रस्ताव रखा है उस पर मतदान करा लीजिये, वह गिर जायेगा और आपकी बात भी रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रस्ताव लाने की अनुज्ञा नहीं दी। आपने भूमिका बताई मैंने बात सुन ली लेकिन प्रस्ताव लाने की अनुज्ञा नहीं दी।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं, चौधरी साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही चले, बड़ी से बड़ीबात आप कहें और अपनी जानकारी के अनुसार उसका उत्तर भी देंगे लेकिन कार्यवाही नियमों से चले तो अच्छा होगा। मैं यहां था नहीं उस समय जब आपने बात कही लेकिन मुझे जानकारी मिली कि नियम 110 (2) में व्यवस्था उठायी है। तो आप कृपा कर नियम 110 (2) को पढ़ लें यह उपवेशन स्थगित करने के सम्बन्ध में है और आपने प्रस्ताव दिया है निन्दा का। मान्यवर, पूरी नियमावली में निन्दा के प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं है। विधान परिषद् में है, यहां नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसे मैं दोहरा नहीं रहा। जो कुछ उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारी पर कहा है। उसमें किसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कुछ त्रुटिपूर्ण लगे तो उसके निराकरण के भी तरीके दिये गये हैं । उस व्यवस्था, उस परिपाटी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । नियम 110 निन्दा के प्रस्ताव के लिए नहीं लिखा गया है । उसमें सम्वेदना और बधाई के प्रस्ताव हैं, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव है और अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव है । थोड़ी देर के लिए यदि निन्दा के प्रस्ताव को मान भी लिया जाय तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उठाये गये हैं । सर्व सम्मति से प्रस्ताव होना है । आप पूर्व दृष्टान्त भी देख लें । निन्दा का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया जाता है । सदन के समय का दुरुपयोग किया जा रहा है । हमारी परिपाटी में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना सर्व सम्मति के यह प्रस्ताव लिया जाय । कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो तो उसे दे दिया जाय उसका परीक्षण हो जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री के बोलने से पहले ही अपनी व्यवस्था दे दी थी कि मैंने चौधरी जी को अनुज्ञा नहीं दी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

मान्यवर, हमारे प्रस्ताव पर मतदान करायें । हमारा प्रस्ताव पास होगा ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है । श्री प्रमोद तिवारी को पाकिस्तान का .....

कतिपय सदस्यों द्वारा अप्रैल दिवस पर हास-परिहास

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा नाम आ गया है । स्पष्टीकरण दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनका क्या प्रस्ताव है ? प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आज पहली अप्रैल को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जिसकी मुझे जानकारी मिली है । एक हमारे माननीय सदस्य हैं, प्रमोद तिवारी उन्हें पाकिस्तान का राजदूत बनाया गया है । इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तो नाम आ गया।.....

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ रहा हूं। वैसे तो आज पहली अप्रैल है। ...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज वैसे तो पहली अप्रैल है परन्तु भारतीय जनता पार्टी का यह जन्म सिद्ध अधिकार रहा है कि यह पहली अप्रैल को महा मूर्ख दिवस मनाती है। लेकिन यह मंत्री रहे हैं। कम से कम मूर्ख दिवस पर मूर्खतापूर्ण काम न करें। मेरा प्रस्ताव है कि नियम-110 (क) के अन्तर्गत श्री दिनेश जौहरी जी को जब तक मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया जाता तब तक उन्हें महामूर्ख की उपाधि से विभूषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

(डा० सरजीत सिंह डंग के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर डा० सरजीत सिंह डंग चाहते हैं तो मैं दोनों को सम्मिलित रूप से यह पद दे देता हूं।

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, पहली अप्रैल को आज तक मूर्ख दिवस कहा जाता है। मा० प्रमोद तिवारी की सदन में मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण आज से इसका नाम प्रमोद दिवस रख दिया गया है। इस दिवस के नाते यह अमर होने जा रहे हैं। इसलिये मेरा बधाई का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

सबके लिए साल में मूर्खता दिवस एक बार आता है लेकिन डंग साहब के लिए रोज एक निश्चित समय पर आता है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा तो समय निश्चित है और इनका दिवस निश्चित है अब यह प्रमोद दिवस हो जायगा। अतएव श्री तिवारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गये हैं और इतिहास में मूर्खता के कारण अमर हो रहे हैं मेरी बधाईयां–

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

कोई दिवस मान लें।

---

*-वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हास-परिहास न करें । मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं आज दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनायें स्वीकार की गयी हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हमारा बहुमत है । सादर प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं कि आप हमारे प्रस्ताव पर मतदान करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बैठ जाएं । पहली सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की है । दूसरी सूचना श्री गया चरन दिनकर जी की है तीसरी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी की है । चौथी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की है । पांचवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की है । छठी सूचना श्री अभिमन्यु सिंह की है और सातवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन की है । मैं इन सातों सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

(सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

पुरवा (उन्नाव) तहसील के विभाजन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जिले की पुरवा तहसील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है । इस तहसील में पांच विकास खण्ड पुरवा, हिलौली, असोहा, बीधापुर, सुमेरपुर हैं । एक ओर यह तहसील फतेहपुर जिले की सीमा से, दूसरी ओर रायबरेली तथा तीसरी ओर लखनऊ जिले से जुड़ी हुई है । सीमावर्ती ग्रामों से तहसील केन्द्र की दूरी 50 कि०मी० तक है । जो लोग तहसील पर आते हैं उन्हें वापिस होने पर एक रात विश्राम करना होता हैं । तहसील विभाजन की मांग जोरों पर है । समाजवादी जनता पार्टी की पुरवा विधान सभा क्षेत्र की इकाई ने दिनांक 29-3-92 को प्रस्ताव किया है कि तहसील विभाजन के सवाल पर पार्टी आन्दोलन करेगी । सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से जनरोष है ।

अतः विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के भूमि संरक्षण अधिकारी इकाई बांदा द्वारा की जा रही कथित धांधली की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, जनपद बांदा में श्री पी० सी० पुरवार, भूमि संरक्षण अधिकारी, इकाई बांदा द्वारा शासन के मानक के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है । ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी में तथा बड़ोखर खुर्द में श्री पी० सी० पुरवार द्वारा मस्टर रोल बनाकर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है तथा मानक श्रम से कार्य न कराकर ट्रैक्टरों से कार्य कराया गया तथा क्षेत्र की जनता को धोखे में रखकर थोड़ा बहुत जो मजदूरी से कार्य कराया गया है वह मजदूरी 10×10×1 फुट की खन्ती में मात्र रु० 10 (दस रुपये) दिये गये हैं

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जबकि शासन से रु० 22 (बाइस रुपये) के लगभग प्राप्त कराये जाते हैं ग्राम खर्पाटहा कला में तालाब बनाया गया तथा ग्राम चमरहा तथा अन्य ग्रामों में तालाब बनाये गये हैं जिसमें ट्रैक्टरों से कार्य कराया गया है तथा मजदूरों के अधिकारों का हनन कर फर्जी मस्टर रोल बनाकर शासन के धन का गबन किया जा रहा है। जिससे मजदूर पलायन कर रहे हैं इसलिये वर्ष 1991-92 में श्री पी० सी० पुरवार को भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच करायी जाय तथा 2-11-91 को जिलाधिकारी, बांदा के द्वारा गठित जांच समिति को निष्पक्ष जांच कराने हेतु आदेशित किया जाय।

अस्तु आपसे प्रार्थना है कि उक्त तथ्यों का अवलोकन कर श्री पी० सी० पुरवार द्वारा कराये जा रहे कार्यों की तकनीकी जांच कर फर्जी मस्टर रोल बनाकर धन के गबन पर रिपोर्ट दर्ज करायी जाय तथा दण्डित कराया जाय।]

गंगादीन रामकुमार इण्टर कालेज, रामगढ़, जौनपुर के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थियों से अवैध ढंग से धन अर्जित करने की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गंगादीन रामकुमार इण्टर कालेज रामगढ़, जौनपुर के प्रधानाचार्य हाई स्कूल व इण्टर के बोर्ड के परीक्षार्थियों से अवैध ढंग से धन उगाही कर रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा इस पर आपत्ति करने पर भी धन उगाही बन्द नहीं किये हैं इस बात को लेकर परीक्षार्थी एवं अभिभावकों में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

देवरिया में गोरयाघाट छोटी गण्डक नदी पर सेतु का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप–

[मान्यवर, देवरिया जनपद के छोटी गण्डक पर स्थित गोरयाघाट पर सेतु निर्माण की घोषणा एवं उक्त पुल की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं० 862 ई०/23 लो० नि० वि० अनु० 110/102/90 डी० पी० दिनांक 29-3-91 द्वारा 103 लाख रुपये की हो चुकी है तथा उसका तथाकथित शिलान्यास भी हो चुका है।

पुल के निर्माण के अतिरिक्त चारों तरफ लोक निर्माण विभाग की सड़कें पिच हो गयी हैं। कंचनपुर सोनुघाट मार्ग पुल के निर्माण हो जाने से कुशीनगर एवं पथरदेवा से आने वाले समस्त वाहन इसी मार्ग से गुजरेंगे जिसमें रामपुर कारखाना टाउन एरिया तथा देवरिया नगर से होकर जाने वाले वाहन जो नगर में यातायात से अवरोध एवं दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं वह समाप्त हो जायेगी तथा नागरिक को राहत एवं प्रस्तावित पुल के निर्माण से उस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा तथा यातायात के साधन मुहैय्या हो जायेंगे।

नगर में भारी भीड़ अवरोध एवं गोरयाघाट पुल के निर्माण की घोषणा होने के बाद भी निर्माण शुरू न होने से जनता आन्दोलित एवं भयंकर क्षोभ है।

मैं इस पर शासन से अविलम्ब समाधान का आग्रह करता हूं।]

नोट–1 [यह अंश रद्द हुआ माना गया।

मुजफ्फरनगर के क्षेत्र बघरा में स्वीकृत कृष्णा नदी के पुल (बनतीखेड़ा) तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इस अति लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, जनता की बेहद मांग पर पूर्व ग्राम बनूती खेड़ा में कृष्णा नदी पर एक छोटे पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। इस पुल के अभाव में दर्जनों गांव के लाखों प्राणी रोजमर्रा कठिनाइयों का सामना करते हैं किसान अपनी फसल घर पर नहीं ला पाता, उन्हें बीस किलोमीटर का चक्कर लगाकर घर आना पड़ता है इस पुल की अनुमानित लागत 25–30 लाख रुपये थी। इसी प्रकार राज्य सेक्टर में ही स्वीकृत मार्ग लालू खेड़ी फुगाना मार्ग से सोटा भनेडा, कुर्माली मार्ग भी अपूर्ण पड़ा है। यह मार्ग जो दस किलोमीटर लम्बाई में स्वीकृत था मात्र चार किमी० बन पाया है इस अपूर्ण मार्ग से जनता को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर को वैसे भी राज्य सेक्टर में कम पैसा प्राप्त हुआ है, फिर भी निर्माण कार्य रोक देने से जनता में भयंकर रोष व्याप्त है जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है।

मैं आपके माध्यम से इस अति लोक महत्व के विषय पर सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के हास्टल में हुई चोरी की जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिमन्यु सिंह–

[मान्यवर, मेडवाइफरी भवन हास्टल के कमरा नं० 2 में दिनांक 2-7-91 एवं पुनः 6-7-91 को कमरे का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया गया, इसके लिये उस दिन ड्यूटी पर तैनात चौकीदार निक्कू तथा हास्टल कीपर विद्यावती यादव प्रत्यक्षतः जिम्मेदार हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ को घटना के बाबत प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे हास्टल के अन्य निवासी आतंकित हैं एवं उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। अतः उक्त घटना की जांच करवा करके दोषी लोगों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करवायी जाय, ताकि कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस कर लगन से अपनी ड्यूटी कर सकें।]

किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सरसावां, सहारनपुर में ट्रेड यूनियन के मंत्री द्वारा आमरण अनशन से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन–

[मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान सरसावां चीनी मिल में श्री बचन सिंह मंत्री ट्रेड यूनियन के 23-3-92 के आमरण अनशन पर बैठने से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त ट्रेड यूनियन की उचित न्यायिक मांगों पर जी० एम०,

---

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शुगर फैक्ट्री ने कोई ध्यान नहीं दिया जिस पर ट्रेड यूनियन ने धरना दिया और क्रमिक अनशन किया और 72 घंटे की भूख हड़ताल भी की और अब श्री बचन सिंह आमरण अनशन पर मजबूर हुए हैं मिल के जी० एम० साहब मिल को मनमाने तरीके व नियम विरुद्ध चला रहे हैं और बड़े घोटाले की चर्चा भी है उनके जमाने से मिल घाटे में चल रहा है श्री बचन सिंह के स्वास्थ्य की दशा अति खराब है। जी० एम० के इशारे पर ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको मारा-पीटा भी गया है मिल के हालात खराब हैं गन्ने की पिराई के इस जमाने में फैक्ट्री का कार्य किसी भी समय ठप्प हो सकता है, मिल के तमाम मामलात की जांच आवश्यक है और उपरोक्त ट्रेड यूनियन की न्याय पूर्वक मांगों को माना जाना और श्री बचन सिंह का आमरण अनशन समाप्त कराया जाना जरूरी है वरना स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी, जो इस समय बहुत चिन्ताजनक व गम्भीर है।

अतः उपरोक्त घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप हमारे प्रस्ताव पर मतदान करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बैठ जाएं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप म दान नहीं करा रहे हैं इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने सदन का त्याग किया)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992

उच्च शिक्षा तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4, 5, 6 तथा 7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–8 लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने मद संख्या–5 में विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है वह आपके संज्ञान में है उसको सुनने का कष्ट करें।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

वह सचिव के पास जाती है उसमें परीक्षण हो रहा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर आप आज्ञा देंगे तो परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी । मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना फैजाबाद की मस्जिद के सम्बन्ध में दी है वह सही नहीं है इसलिये इसमें मेरा अधिकार बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है अब आप जो कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं । मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं केवल 5 वाक्य में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, मैं उसका परीक्षण करवा रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दीजिये ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा †

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं आज 1992-93 के, माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उस दिन जब माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन में अपना भाषण दे रहे थे तो मैं बड़े गौर से उनके बजट भाषण को सुन रहा था और बजट का मैंने अध्ययन भी किया है । मान्यवर, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि सभी माननीय सदस्य चाहे इधर बैठते हों या उधर बैठते हों सबकी राय यही होगी कि यह बजट भाषण उबाऊ किस्म का है । मैंने अपने संसदीय कार्यकाल में कभी ऐसा बजट भाषण सुना नहीं है । माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें बजट के बारे में बहुत कम बातें कही हैं । उनके बजट भाषण से यह परिलक्षित होता है कि इसमें कविता, गद्य साहित्य की समालोचना बहुत अच्छी तरह से की गयी है । ममता में समता, समता में नारी सम्मान, गागर में सागर, पता नहीं कौन-कौन से शब्दों की भरमार है । यह बजट भाषण 69 पेज का है जो सम्भवतः पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† दिनांक 30 मार्च, 1992 की कार्यवाही से ।

नेता विरोधी दल के भाषण के दौरान नेता सदन एवं वित्त मंत्री के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल बजट भाषण पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप स्वयं देख लें न माननीय नेता सदन हैं और न माननीय वित्त मंत्री जी हैं। गैलरी में भी मुख्य सचिव या वित्त सचिव नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

गैलरी को हम संज्ञान में नहीं लेते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

ठीक है, मान्यवर, लेकिन माननीय नेता सदन और वित्त मंत्री को तो रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विकल जी नोट कर रहे हैं, मैं सूचना भिजवाये देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब माननीय नेता सदन बोल रहे हों उस समय मुख्य मंत्री को रहना चाहिए। वह नहीं हैं तो कम से कम वित्त मंत्री को रहना चाहिए।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं जानता हूं कि वह लोग क्यों नहीं हैं ? वह बेचारे आज बड़ी मुश्किल से बजट की तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि जैसी एक पद्धति रही है उससे भिन्न तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी काम करते हैं। वह फाइल में इतना उलझे रहते हैं, सुबह से शाम तक कि विधायी कार्यों के लिये, बजट सम्बन्धी प्रस्तावों पर उनको समझने, सुनने और गौर करने का मौका ही नहीं मिलता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि शिष्टाचार नाम की चीज सम्भवतः आर० एस० एस० की पाठशाला में उन्हें पढ़ाई नहीं गयी है। इसीलिये इस बजट में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, जो बजट है अगर उसकी व्याख्या में जायं, 1992-93 जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है और बहुत महत्वपूर्ण साल है, अगर उस दृष्टि से इस बजट को देखा जाय तो इस बजट में जो दिशा इस प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, वह दिशा कदापि नहीं मिल पायेगी और बजाय यह प्रदेश आगे जाने के, पीछे को जायगा। यह प्रदेश माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1992-93 के बजट से किसी भी तरह से आगे जाने वाला नहीं है। विकास की गति जो हमारे प्रदेश की होनी चाहिए थी, उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पायेंगे। मान्यवर, इसीलिये यह बहुत ही निराशाजनक बजट है और यह बजट सामान्य लोगों के लिये, प्रदेश के 14 करोड़ नागरिकों की जो जन आकांक्षायें थीं, उनकी पूर्ति करने में किसी भी तरह से सक्षम दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर, अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने सबसे पहले मान्यवर, राम मन्दिर बनाने की बात कही।

मान्यवर, यह बात तो मैं चुनाव के समय से सुनता आ रहा हूं और इस विषय में पर्याप्त चर्चा इस सदन में हो चुकी है और आज माननीय सदस्य बलिया श्री राम गोविन्द चौधरी ने यह सवाल उठाया कि कल मुख्य मंत्री ने कहा कि साक्षी गोपाल मंदिर को स्वयं उन्होंने अपनी मर्जी से लिखित रूप से दिया है मंदिर गिरा दिया जाय, लेकिन आज भी याचिका लम्बित है, (इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) सम्भवतः आज ही तारीख लगी है, वहां के पुजारी और महन्त ने लिख कर दिया है कि उसको बचाया जाय । मैं माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, बाकी के मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से कोई मतलब नहीं है, यह सरकार दो ही लोग चला रहे हैं, मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, हर सवाल का जवाब उनके पास है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मान्यवर, वह मंदिर किस तारीख से बनाने का काम आप करेंगे ? वह मंदिर कब से प्रारम्भ होगा ? वह शुभ दिन कौन सा आपने निर्धारित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया माइक पर बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माइक खराब हो गया है । इस सरकार की सारी व्यवस्था ऐसी ही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माइक की व्यवस्था देखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सरकार जिसने इस प्रदेश को भ्रमित किया । इस प्रदेश के लोगों में एक ऐसा तूफान इन्होंने पैदा किया, भगवान राम का मंदिर बनाने के सम्बन्ध में, मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि कृपया इस सदन को, देश [illegible] प्रदेश को, जनता को यह बताने का कष्ट करें... (घोर व्यवधान के मध्य "आवाज नहीं आ रही" की आवाजें) मान्यवर, इस सरकार में कोई भी चीज ठीक ढंग से चल ही नहीं रही है । आपने देखा कि कल बिजली पूरे प्रदेश में गायब थी । मैं तो सही ही बोलूंगा । यह माइक और बिजली आप ही संचालित करते हो ।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी, जरा वह शुभ दिन भी बता दीजिये और यह भी बता दीजिये, आज 10वां महीना लग गया, 10वें महीने में अभी तक मंदिर का काम प्रारम्भ नहीं किया । मंदिर का काम आप कहां से प्रारम्भ करना चाहते हैं ? जरा यह भी प्रदेश की जनता को बताने का कष्ट करें कि मंदिर का निर्माण, जैसे कि चुनाव में कहा था, गर्भ गृह से करेंगे, कि जहां पूर्व में माननीय तिवारी जी के समय में शिलान्यास हुआ था, वहां से प्रारम्भ करायेंगे, कि मान्यवर, जो जमीन आज आपने पर्यटन के नाम पर अधिग्रहीत की है, उस जमीन पर निर्माण का कार्य करायेंगें । उसमें बाधायें क्या हैं मान्यवर ? इस सदन में बार-बार इस बात पर चर्चा होती है कि वहां बाधायें हैं, उन बाधाओं को हम दूर कर रहे हैं। जरा सदन में इस बात को भी बता दीजिये कि कौन सी बाधायें हैं, जिनकी वजह से आप मंदिर का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं और करायेंगे, तो कब से करायेंगे ? इन बातों को स्पष्ट कर दें, तो जो एक भ्रम आपने पैदा कर रखा है, वह भ्रम दूर हो जाय ।

मान्यवर, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, उन्होंने समय मांगा, तो दो महीने का समय आप देने को तैयार नहीं हुए । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज 10

महीने हो गये, 10 महीने में आपने वहां पर एक ईंट तक नहीं रखी है और आज पूरे प्रदेश में आपने एक ऐसा वातावरण बना रखा है, जिससे कि कभी भी यह वातावरण विषाक्त हो सकता है। मान्यवर, इनके तीन बड़े नेता माननीय जोशी जी, जो इनके अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर के लिये हमने वायदा ही नहीं किया था। कभी अडवानी जी कहते हैं कि इस पर विचार कर रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह और माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारी आस्था का सवाल है, राम मंदिर बनेगा, लेकिन जब चुनाव का वर्ष आयेगा, तब उस पर विचार होगा। मान्यवर, ये राम राज्य की परिकल्पना करने वाली सरकार है और अपने को कहती है कि हम इस प्रदेश में राम राज्य लाना चाहते हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी की वह कौन सी राम राज्य की परिकल्पना है ? हम तो एक ही रामराज्य के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने स्वप्न देखा था और इस देश में रामराज्य की स्थापना के लिये उन्होंने आजाद हिन्दुस्तान में यह विचार किया था कि जो आजाद हिन्दुस्तान होगा, उसमें राम राज्य कायम होगा, लेकिन वह हमारा राम राज्य था और आपका कौन सा राम राज्य है ? मान्यवर, महात्मा गांधी जब भी प्रार्थना सभा में जाते थे, उसमें उन्होंने कहा है कि "ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान"। अल्लाह और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और मान्यवर, मैं भगवान से, अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा कि इस सरकार को सन्मति दे, बुद्धि दे और इनको यह बतायें कि वैसे राम राज्य में, जिसमें सबको बराबरी का हक हो, सबको बराबरी का भाई-चारा का हक हो, सबको भागीदारी, बिरादरी की हो, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह सिक्ख हो, चाहे वह ईसाई हो। मान्यवर, महात्मा गांधी ने भगवान में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं समझा था।

मान्यवर, अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपनी प्राथमिकतायें बतायी हैं, अगर उसका बिन्दुवार विवेचन किया जाय, तो इनकी करनी और कथनी की भिन्नता परिलक्षित होती है। वह साफ नजर आती है। मान्यवर, इनकी पहली प्राथमिकता गरीब किसानों की है, गांव की है, जब आज के इस समय में गांव का किसान खाद, बिजली, पानी के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण जर्जर हालत में पहुंच गया है और यह कहा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा कि उसकी विपन्नता पैदा करने में आपकी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आपने 40 फीसदी बिजली का रेट बढ़ा दिया और बिजली अविरल गति से नहीं मिल रही है। खाद की कीमतें जो बढ़ी हैं और मध्यम और लघु किसानों के लिये छूट दी गयी वह खाद किसानों को उपलब्ध नहीं है, वह खाद बिचौलियों ने और काला धंधा करने वालों ने उस खाद को बाजार में बढ़े हुए दामों पर बेच दिया।

इसी तरह से कीट नाशक दवाओं को खुल्लम खुल्ला चोर बाजारों में बेंच दिया गया है और वह कीटनाशक दवायें किसानों को नहीं मिलीं। इनकी दूसरी प्राथमिकता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की। मैं देख रहा था कि नगर विकास बजट में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की कोई बात नहीं है। उसे देखने के बाद कोई भी प्राथमिकता नहीं दिखाई पड़ती है कि उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आप उनको रहने के लिये ऐसे मकानों की व्यवस्था करेंगे जिसमें बिजली, पानी, सीवर लाइन या इसी तरह का वातावरण हो, जिससे वह बेहतर जिन्दगी गुजार सकें। इनकी आप ने कहीं पर भी चर्चा नहीं की है। मान्यवर, आज तीसरी प्राथमिकता बेरोजगार नवजवानों के बारे में जताई है और मान्यवर, आपने पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत लगभग 50 लाख लोगों को काम सृजित करके देने की बात कही है, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद आपके इस बजट साहित्य में कहीं पर खोज नहीं पाया कि यह 50 लाख लोगों को पंडित दीनदयाल योजना के अन्तर्गत

कैसे काम देंगे ? यह मेरी समझ में नहीं आया ? यह 5 लाख लोगों को तो काम दे नहीं पायेंगे , तो 50 लाख लोगों को कैसे काम दे पायेंगे ? 50 लाख लोगों की इतनी बड़ी बात कैसे कह दी ? कैसे आपने कहा है, यह आपके बजट साहित्य में उपलब्ध नहीं है ? एक बात जरूर कही गयी कि रोजगार देना तो सम्भव नहीं होगा, लेकिन आपने इस प्रदेश में जितने नवजवानों पर आपने गोलियां चलाई हैं, उतनी शायद किसी पूर्व की सरकार ने चलाई हों । इसमें यही आपकी योजना हो सकती है कि नवजवान का सफाया कर दें, तो रोजगार की बात ही खतम हो जाये । मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री, कल्याण सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जब वह बजट भाषण पर चर्चा में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था बेरोजगारों को रोजगार देने की गारन्टी सरकार को लेनी चाहिए और जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सके उन्हें बेरोजगारी का भत्ता सरकार को देना चाहिए । तो मान्यवर, आज आप मुख्य मंत्री हो ।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो पिछले साल आपने कहा था, आपके बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री के कहीं यह परिलक्षित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता रोजगार देने की बात, गारन्टी देने की बात थी बेरोजगारी भत्ता देने की बात, मैं चाहूंगा कि आपने जो बात कही है, कृपया आज आप सरकार में हैं और संयोग से मुख्य मंत्री भी हैं अपनी बात को कार्यान्वित करने की कृपा करें, उसको पूरा करें और करनी और कथनी में अन्तर न आने दें । मान्यवर, ग्रामीण रोजागार एवं ग्रामीण तथा लघु उद्योग के बजट में मुखयमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही है उस बजट को कृपा कर देखें, उसमें आपने कटौती कर दी है । मान्यवर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको रोजगार देंगे, एक तरफ आपने कटौती कर दी है तो किस तरह से उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी ? यह कम से कम मेरी समझ में नहीं आता । मान्यवर, ग्राम्य तथा लघु उद्योग में जहां 91-92 में 27.84 करोड़ रखा गया था वहीं इस साल आपने 68 करोड़ रखा है तो यह लक्ष्य प्राप्त होगा ? किस तरह से आप पूरा करेंगे इससे साबित होता है कि आप कहते हैं और करते कुछ हैं । अगर यही करना था तो आपको लघु उद्योग में, ग्राम्य विकास के बजट में यह प्राविधान करना था लेकिन नहीं किया क्योंकि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है ओर न रोजगार देना है इन नौजवानों को ।

मान्यवर, इसी तरह से मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक कृषि प्रधान देश है इसकी तरक्की तब हो सकती है जब यहां पर उद्योग धन्धे लगायें, लोगों को उद्योग के माध्यम से काम दें । कृषि पर आधारित लोगों को कृषि से हटाकर जब तक उन्हें दूसरे उद्योगों में व्यापारों में नहीं लगायेंगे तब तक हमारा प्रदेश जो लगातार पिछड़ता रहा है यह तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पायेगा । मान्यवर, मैंने देखा बड़े गौर से, आपने बताया 814 आशय-पत्र भारत सरकार से स्वीकार हुए यहां उद्योग लगाने के । लेकिन मान्यवर, आज 9 माह हुआ, यह आने वाले बजट में एक भी भारी उद्योग की कहीं चर्चा नहीं है, इस प्रदेश में कोई नया भारी उद्योग लगाया जायेगा उसके लिये पूंजी का विनियोग किया जायेगा हमें एक भी भारी उद्योग का नाम बता दें ।

इसी तरह से मध्यम उद्योगों में कोई नया उद्योग कोई कारखाना इस प्रदेश में आने वाला नहीं है । तो मान्यवर, लघु उद्योग में आपने पहले ही बजट में कटौती कर दी । उत्तर प्रदेश में न तो मध्यम उद्योग का कोई कारखाना आ रहा है और न बड़े उद्योग का कारखाना इस प्रदेश में आ रहा है । तो हम यहां के लोगों को रोजगार कहां से देंगे ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से क्या प्रदेश आगे बढ़ेगा ? आप केवल यह बताते हैं कि कुछ करोड़ रुपये "पिकअप" से और उत्तर प्रदेश वित्त निगम ?

आप देने जा रहे हैं, लेकिन जरा कभी महाराष्ट्र, गुजरात को देखें और उनसे मुकाबला करें तब पता चल जायगा कि हमारी वस्तुस्थिति क्या है ? आप बजाय आगे जाने के प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं । आप इस प्रदेश को गति प्रदान कर रहे हैं, नौजवानों का काम कर रहे हैं, प्रदेश में उद्योग धन्धों का जाल बिछा रहे हैं, आपकी कोई परिकल्पना तो सही नहीं है ।

मैं उम्मीद करता था कि आखिरी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, तो योजना आयोग से भारत सरकार से बात करते तो सभी माननीय सदस्यों से राय मशवरा किया होता, प्रारूप बनता, सभी ने अपने विचार रखे होते कि प्रदेश को क्या गति दें कि प्रदेश आगे बढ़ सके । यह हो सकता है कि हमारी आपकी राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन में बैठे विपक्ष के सभी माननीय नेता और सदस्य इस बात के लिये सचेष्ट हैं कि और इस बात के लिये आपको पूरा सहयोग देते अगर आप इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करके केन्द्र सरकार पर दबाव डालने के लिये, योजना आयोग पर दबाव डालने के लिये, इस बात का प्रयास करते । लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं किया गया । प्रगति के रास्ते पर कोई मतभेद नहीं है । प्रदेश के 14 करोड़ लोगों के जनजीवन को आगे ले चलने के लिये सभी दल और सभी नेता प्रतिबद्ध हैं । उनमें लेशमात्र का संकोच नहीं है । सोच में कोई मतभेद नहीं है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े, लेकिन आपने किया नहीं । चूंकि आपने रोजगार की बात कही है, पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आटो ट्रैक्टर्स के 1294 कर्मचारी आज 9 महीने से भुखमरी के कगार पर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली, अगर वह कारखाना वापस नहीं करा सके जैसा भारत सरकार कर रही है, एच० एम० टी० भी लेने के लिये तैयार नहीं है तो 1294 कर्मचारियों को, जैसा आपने वायदा भी किया है, उनको कहीं समायोजित करने का कष्ट करें और यह काम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करें । जब सदन प्रारम्भ हुआ था, तभी यह मामला सदन में आया था, आपने घोषणा भी की थी कि स्पष्ट नीति की घोषणा सरकार जल्द करेगी, लेकिन एक महीने से ज्यादा हो गया आपकी नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है । मैं चाहूंगा कि उन्हें समायोजित करने के बारे में तत्काल निर्णय लें ।

मैंने यह जानकारी चाही थी कि मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति बनी है जो हमारे निगम चल रहे हैं उनके बारे में पुनरीक्षण करने के लिये वह गठित की गयी है और विगत 9 महीने में, जानना चाहता हूं कि उसकी प्रगति क्या है ? ये जो हमारे निगम हैं इन्हें आप चलायेंगे या बन्द करना चाहते हैं, इसमें आपकी नीति क्या है ? मेरे कोशिश करने के बाद भी उस उप समिति की रिपोर्ट मिल नहीं पायी । मैंने माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को लिखा था । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज हो सकता है कि कुछ निगम घाटे में हों और कुछ निगम लाभ में हों, उनके बारे में सम्यक् आपकी दृष्टि क्या है, उन निगमों को आप चलायेंगे या बन्द करेंगे ? यह एक प्रश्नचिह्न पूरे प्रदेश में निगमों के सामने खड़ा हुआ है, इसका निस्तारण हो जाना चाहिए । यह तमाम निगम जो हैं इनका बजट यहीं विधान सभा से पास होता है लेकिन मान्यवर, उन पर चर्चा यहां विधान सभा में नहीं होती । मैं यह चाहता हूं कि इन निगमों के बारे में जब हम इनके बजट का लेखा जोखा पास करते हैं, तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए । 24 दिन जो प्रस्तावित हैं बजट पर, इसे बढ़ाया भी जा सकता है जिससे सभी सम्बन्धित सदस्य उसमें भाग ले सकें और उनको इनकी वस्तुस्थिति का ज्ञान हो कि यह जो निगम हैं उनकी स्थिति कैसी है जिनके लिये हम बजट में धन का आवंटन करते हैं उस धन का सदुपयोग कैसे हो रहा है और यह निगम कैसे चल रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ? यह भी इस सदन को भलीभांति तभी मालूम हो सकता है जब वह इस परिचर्चा में यहां के सभी सम्मानित सदस्य भाग लें ।

मान्यवर, उसी तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी चौथी प्राथमिकता के बारे में जो उल्लेख किया है मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में नारी का सम्मान जितना इनकी सरकार में सुरक्षित है उतना आज तक किसी भी सरकार में नहीं था। पता नहीं कौन सी लम्बी चौड़ी कविता यहां पढ़ी थी नारी का सम्मान, प्रदेश का सम्मान, गांव का किसान भारतीय जनता पार्टी का आह्वान, यह कविता पूरी की पूरी तो मुझे याद नहीं है। मैं इस पर विस्तार से आज नहीं बोलूंगा लेकिन याद जरूर कराना चाहूंगा भारत सरकार के गृह मंत्री के उस बयान की ओर जो उन्होंने लोक सभा में दिया सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में। उसमें उन्होंने नारी पर हुए अपराध दहेज हत्याओं आदि के सम्बन्ध में जो विवरण प्रस्तुत किया मान्यवर, उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरा माथा शर्म से झुक गया। पिछले नौ महीनों में नारियों के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा दहेज हत्यायें इस उत्तर प्रदेश में हुईं सबसे ज्यादा नारी का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है। यही प्रदेश सर्वप्रथम रहा नारी उत्पीड़न में, अपराध में। यही आपकी सोच है नारी के सम्मान की, मैं और कुछ ज्यादा क्या कह सकता हूं ? इस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

आपकी पांचवीं प्राथमिकता है दलितों, पिछड़ों एवं शोषितों के लिये,उनके लिये आपके मन में बड़ा आदर है आपने उनके उत्थान की बात बड़े जोर-शोर से कही थी मान्यवर, लेकिन जो बजट का प्राविधान आपने किया है उसका विश्लेषण किया जाय तो वास्तव में कोई दूसरी ही तस्वीर नजर आती है। अगर वह सही है, मान्यवर, अगर यह कहा जाय कि आप (समय 1 बजकर 20 मिनट) दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी है तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी। मान्यवर, मैं अभी आंकड़ों के द्वारा बता दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं, यथार्थ है या जो आप सोच रहे हैं वह यथार्थ है। मान्यवर, अगर आप देखें जो हरिजन समाज कल्याण का बजट अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का 233.3340. 90-91 का था। अब आपने 215.5553 का रखा तो मान्यवर, यह आप उत्थान करना चाहते हैं और जो आपके मन में उनके लिये दर्द है तो बजट को घटाकर इनका उत्थान कर रहे हैं। यही आपका उत्थान है, यही पीड़ा है, यही उनका दुखदर्द है यह सही है जो उनके ऊपर त्रासदी है उसको आपको दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता लेकिन आपने जो बजट में प्राविधान किया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राविधान बढ़ाना चाहिए था उसे आपने घटा दिया। 15 फीसदी अगर महंगाई की दर मान ली जाये और जो आपने प्राविधान 215 करोड़ का रखा तो यह कितना होता है ?

इससे जो योजनायें चल रही थीं वह योजनायें भी बन्द हो जायेंगी। अब मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे यह अपेक्षा करता था कि बजट में कम से कम दलित होने के नाते हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े हुए लोगों के लिये जो धन आवंटित किया जा रहा था उसमें यह ध्यान देते लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिये धन का आवंटन कम किया गया। वजीफों में कमी कर दी गयी। प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, पोस्ट ग्रेज्युऐट, ग्रेज्युएट के विद्यार्थियों की एक तो उनकी संख्या कम कर दी गयी दूसरा आवंटन कम किया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था संख्या में जिस प्रकार से रोक लगायी है और धन कम कर दिया गया है यह सब आपकी सोच का परिचायक है और इस बात का द्योतक है कि किस तरह से आप इनकी तरक्की करना चाहते हैं। जब दलित छात्र बेचारे आन्दोलन कर रहे थे मैंने उस दिन भी कहा था कि उसमें पोस्ट ग्रेज्युऐट टापर्स विद्यार्थी भी हैं, जो वह लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जेलों में मत बन्द करो। लेकिन आपने उन्हें बन्द कर दिया। उस दिन मैंने कहा कि मित्रसेन यादव जो पूर्व सांसद हैं अपनी रिपोर्ट वापस ले लें और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस भी ले ली लेकिन आज तक मुकदमा वापस नहीं लिया गया। आज आप कहते हो कि पार्टी में आ जाओ तो यह सब क्या है ? वह अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है।

आज आप देखें कि किसी भी विभाग का कोटा, नौ महीने हो गये हैं, पूरा नहीं हो पाया है । इस सदन में बार-बार घोषणा कर दी गयी कि हमने राजाज्ञा निकाल दी है और वह कोटा पूरा कर लिया जायेगा .....मान्यवर, मैंने एक बार नहीं, अनेक बार कहा कि राजाज्ञा की एक कापी भिजवा दीजिये, लेकिन आज तक आपने भिजवाई नहीं । क्लास-3, क्लास-4 का भी कोटा आपने पूरा नहीं किया, यह आपकी मानसिकता का परिचायक है । आप बात बहुत करते हैं, ढपोरशंख की तरह, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा दिखाई देता है । मेरा कहना यह है कि जो कहिये, उसे करने के लिये तैयार रहिये । आज 44 साल की आजादी के बाद केवल 9 फीसदी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अनुसूचित जाति, जनजाति के भर्ती हो पाये हैं और पिछड़े वर्ग के केवल 4 फीसदी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है ।

जब कोई हक की बात करे, तो आप कहते हैं कि वह उल्लंघन है । मान्यवर, अगर आपके अन्दर यह विचारधारा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, सदियों से, तो समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कोटे को पूरा कराइये, नहीं तो कोरा आश्वासन ही रह जायेगा । आज समाज में इसी वजह से इस तरह की विकृतियां फैल रही हैं, जिससे इस समाज के विखंडित होने का खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, मैं बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कानून में तब्दीली करके ऐसा कर दिया है कि जिस विभाग का कोटा पूरा नहीं होगा, उस विभाग के विभागाध्यक्ष को उसका जिम्मेवार समझा जायेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है, यही प्राविधान आप यहां क्यों नहीं लागू करते । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि अराजकता से पीड़ित, आतंकवाद से आतंकित प्रदेश हमको धरोहर में मिला है । मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो बता दूं कि यह धार्मिक उन्माद, जिसकी वजह से यह प्रदेश झुलसा, उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है, उसी का नतीजा यह हुआ कि आप इस प्रदेश में सत्ता में आये । मैं याद दिलाना चाहूंगा, बनारस में क्या हुआ, हापुड़ में क्या हुआ, खलीलाबाद में क्या हुआ, जरा इस पर सोच लीजिये ? मान्यवर, इन्होंने अपराधियों के लिये दो तरह की परिभाषा बनाई है, एक तो वह अपराधी हैं, जो दूसरे दलों से संबंधित हैं और दूसरे वह अपराधी हैं, जो इनके दल से सम्बन्धित हैं । अगर इनके दल का कोई व्यक्ति है, तो उसको क्षमादान है और उसके लिये दोहरे मापदण्ड बने हुए हैं, उसको हर तरह की सुविधा, हर तरह की सुरक्षा प्रदान कर रखी है ; हमारे तमाम माननीय पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को, मौजूदा विधायकों को गनर और शैडो देने में बड़ी हिचक होती है, कहते हैं कि आपके पास नहीं है, लेकिन आपका मामूली से मामूली कार्यकर्त्ता, मामूली से मामूली सदस्य, हो उसको सभी सुरक्षा प्रदान करने में कोई कोताही नहीं बरतते ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर कहा कि हम सुरक्षा की पूरी गारन्टी लेते हैं, कहीं किसी विधायक को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो की जायेगी । लेकिन आज तक नहीं की गयी । मैं चाहता हूं कि जो बात आप सदन में कहें, उसे गम्भीरता से लें और उन्हें पूरा करिये । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी को याद कराना चाहूंगा इन्होंने आतंकवाद की बात कही । पिछले 10 वर्षों में जो आतंकवाद इस प्रदेश में फैला था और पिछले 9 महीने में लगभग साढ़े तीन सौ, चार सौ के करीब लोग आतंकवाद के शिकार हुए, इतना 10 वर्षों में नहीं हुआ। यह आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ । अगर आप निर्दोष लोगों को न मारे होते तो इस तरह की घटनायें इस प्रदेश में नहीं होतीं। मैं गया था टिकरा (बरेली) में । दो निर्दोष सिखों को होली के दिन गोली से मार दिया गया । उसे आतंकवाद की घटना बनाने की कोशिश की गयी । परन्तु वह आतंकवाद की घटना नहीं बन पाई। अफसोस इस बात का है कि आज तक उन गरीब परिवारों को

कोई राहत व मदद नहीं दी गयी । हमने जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था तो सरकार की तरफ से अपेक्षित जवाब नहीं मिल पाया ।

श्रीमन्, यह सरकार एक नया काम कर रही है – "मकान हड़पो आन्दोलन" । जो कभी किसी सरकार में नहीं हुआ । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । गोण्डा में आपके सांसद सत्यदेव सिंह ने मकान पर कब्जा कर लिया, परन्तु उसे आज तक आपने दबाये रखा । गोण्डा के पूर्व जज श्री श्रीवास्तव के मकान को वहां के सांसद श्री बृज भूषण सिंह ने कब्जा कर लिया है । उनकी विधवा पत्नी मेरे पास आई थी । उसकी चार बच्चियां हैं । वह आज अपनी चार बच्चियों को लेकर सड़क पर घूम रही है । बस्ती में अल्पसंख्यक खेर ट्रस्ट की इमारत अष्ट भुजा शुक्ला सांसद, खलीलाबाद ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से श्री चन्द्र शेखर सिंह जी ने आर० ई० एस० के मकान को प्रत्याशा में ही अपने नाम पर एलाट करा लिया है । आप ऐसा काम न करें । आपकी यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं । आप कृपा करके बैठ जायं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, अगर हमारी कोई बात उनको गलत लगे तो वह उत्तर देने में सक्षम हैं । माननीय सदस्य उन्हें अपना ब्यौरा दे दें । इसी तरह से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री नरेन्द्र सिंह गौर जी ने एक विधवा के मकान में जो टैगोर टाउन इलाहाबाद में है में कब्जा कर लिया और वह मामला सदन में भी आया । इसी तरह से प्रतापगढ़ के एक चुंगी के भवन में जो खाली था पर संघ ने कब्जा कर कार्यालय बना दिया । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें, माननीय नेता विरोधी दल सामान्य चर्चा पर बोल रहे हैं, शांति से सुनें । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो सच्चाई हो उसको सुनने की क्षमता रखें । श्री चुन्नी लाल मुखर्जी रिटायर्ड टीचर, महात्मा गांधी कालेज, रायबरेली के मकान में कब्जा कर लिया जिसमें वह 50 साल से रह रहे थे । स्व० फिरोज गांधी महाविद्यालय, रायबरेली, जो बहुत अच्छा चल रहा है उसके प्रिंसिपल को हटा कर उसमें कब्जा करने की पूरी कोशिश हो रही है । यहीं लखनऊ में हजरतगंज में जहां काश्मीर इम्पोरियम है उसमें एक एंग्लो इंडियन परिवार रहता था उसके मकान में भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया । लिस्ट बहुत लम्बी है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि आप परम्पराओं की बात करते हो नीति की बात करते हो, आदर्श की बात करते हो वह अपने पर भी लागू करो । दूसरों के लिये कानून तेज है ।

देवरिया जिला परिषद् के अध्यक्ष गोकरन सिंह को दफा 120-बी में बन्द कर दिया । (व्यवधान) आपस की लड़ाई की बात में क्या 120 (बी) में परिवर्तित कर देंगे । इस तरह से जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे । (व्यवधान) 11केसेज की बात आप करते हो लेकिन जो आप के लोगों पर केसेज हैं उनका क्या होता है वह केस नहीं बनते हैं ? तो यह दोहरा मापदण्ड न अपनाइये । आज आप सरकार में हैं केवल भाजपा की बात नहीं पूरे प्रदेश की बात

सरकार के सामने होती है । मान्यवर, उन्होंने माफिया राज की समाप्ति और भयमुक्त समाज की बात कही, कहा कि माफिया जेल में भेज दिये हैं और भयमुक्त समाज की संरचना करेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि दरोगा पुलिस कप्तान की नहीं सुन रहा है, पुलिस कप्तान डी० आई० जी० की नहीं सुन रहा है जिसके कारण अराजकता फैल रही है क्योंकि थानों में आर० एस० एस० के लोगों ने कब्जा कर रखा हैं उनके आदेश चल रहे हैं पुलिस का प्रशासन नहीं चल रहा है इसीलिये इतनी अराजकता फैल रही है । मैं चाहता हूं कि अगर आप में यथार्थता है, दम है तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों के शासन काल में अपराधों की संख्या बढ़ी है या घटी है । आपके आंकड़े बताते हैं कि वह बढ़ी है । (व्यवधान) अपराधों की संख्या बढ़ी है, डकैतियां बढ़ी हैं, राहजनी बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, लूट बढ़ी हैं हत्यायें बढ़ी हैं । फिर मान्यवर, आप राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं तो यह कभी साकार नहीं होगी और मान्यवर, यदि माफियाओं को बन्द कर दिया तो उसके बाद यह अपराध कैसे हो रहे हैं ? आपने बताया कि 3 हजार अपराधियों को जेल में बन्द कर दिया गया है तो मान्यवर, फिर यह अपराध कैसे हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मेरा आपसे निवेदन हैं कि आप पीठ को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप कुछ भी निर्देश दे सकते हैं । मैं शिरोधार्य करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं मैं अनुरोध कर रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह तो ठीक है लेकिन यह जो उधर बैठे हैं, इनको पहली बार हल्दी लगी है किसी वजह से । इनको तो.....

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने देख लिया । अभी तक तो आपने जो कहा मैंने उसको शिरोधार्य कर लिया लेकिन मान्यवर.....

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने अभी एक टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहली बार हल्दी लगी है । लग तो गयी है, इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए लेकिन मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से बाहर जाने के बाद उनको वैधव्य का कष्ट हो रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं । मुझे कुछ कष्ट नहीं है । मुझे खुशी इस बात की है कि 45 साल की आजादी के बाद पहली बार आपको हल्दी लगी । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जनता को नारा दिया था "सबको परखा बार-बार, हमको परखो एक बार" और आज प्रदेश की जनता कह रही है "सबको परखा बार-बार, तुमको परखा अन्तिम बार ।" इसके बाद फिर कभी हल्दी नहीं लगेगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इनकी दृष्टि साफ नहीं है और इसीलिये इनकी नीयत और नीति में सफाई नहीं हो सकती है और इसीलिये मान्यवर, इन्होंने जो नियोजन किया है, उत्तर प्रदेश का बजट बनाया है उसके लिये मैं इनको बधाई न देकर प्रमुख वित्त सचिव को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशाहीन सरकार को, नीतिविहीन सरकार को बड़ी मेहनत से और काफी कोशिश से यह दिशा दी है । मान्यवर, मैं उनको बधाई दूंगा लेकिन मान्यवर, इसी के साथ-साथ आज इस प्रदेश में जो आज वित्तीय स्थिति है, उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि माननीय कल्याण सिंह की सरकार 60 फीसदी पैसा गांव में खर्च करेगी ।

मान्यवर, मैं कहां उसे गलत मान रहा हूं । मैंने बड़ी कोशिश की कि वित्त सचिव से भी, नियोजन सचिव से और अन्य विभागों से भी कि हमें यह ब्रेकअप मिल जाता । मैंने बजट में देखा ग्राम्य विकास में कमी हो गयी, अनुसूचित जनजाति में कमी हो गयी, गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर पैसा कम खर्च कर दिया है । यह कैसा ब्रेक अप बनाया गया है ? मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि यह जो 60 फीसदी पैसा गांवों में खर्च किया जा रहा है, उसका ब्यौरा मिल जाता लेकिन मुझे मिला नहीं । मान्यवर, आपने कहा तो जरूर है लेकिन मुझे लगता है कि 50 फीसदी से भी कम गांव में खर्च हो पायेगा । जब जनता दल की सरकार थी तो हमने 50 प्रतिशत कहा था और 50 के बदले 60 प्रतिशत किया था । मान्यवर, इसके ब्यौरे मौजूद हैं । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उससे इस प्रदेश की महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी । इस प्रदेश में निरन्तर महंगाई बढ़ रही है । मान्यवर, 1992-93 का बजट प्रस्तुत किया गया है । महंगाई बढ़ने ही वाली है और बढ़ ही रही है । पिछले दिनों ही बढ़ी है, आने वाले दिनों में क्या हिसाब होगा वह तो आने वाला समय ही बतायेगा । मान्यवर, जरा इस बात पर गौर करें जो सामान्य लोग इस प्रदेश के हैं, वह जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी क्या स्थिति रही है । जनवरी, 1990 में गेहूं 228.11 प्रति कुन्तल था । नवम्बर, 1991 में 348.56 था, मतलब 53 प्रतिशत दाम उपभोक्ता को ज्यादा देने पड़ रहे हैं । इसी तरह से मान्यवर, जनवरी, 1990 में जौ 210.63 था नवम्बर, 91 में 307 हो गया और 46 प्रतिशत दाम बढ़ गये। जनवरी, 1990 में चना 679.44 था नवम्बर, 1991 में 660.63 था इस तरह से चना भी बढ़ गया । चावल मान्यवर, 355.89 जनवरी, 1990 में था, नवम्बर, 1991 में 483.33 हो गया यह 36 प्रतिशत बढ़ गया । इसी तरह से ज्वार बाजरा में बढ़ गया मैं प्रतिशत बता दे रहा हूं कि कितना प्रतिशत बढ़ गया । ज्वार 59 प्रतिशत बढ़ गया । बाजरा 79 प्रतिशत बढ़ गया । मक्का 58 प्रतिशत बढ़ गया । अरहर 58 प्रतिशत बढ़ा है । आलू 35 प्रतिशत बढ़ा है । गुड़ 7 प्रतिशत बढ़ा है । मूंगफली 64 प्रतिशत बढ़ी है । रेपसीड आयल 78 प्रतिशत बढ़ा है ।

इसी तरह से अगर हम फुटकर भाव में देखें तो जनवरी, 1990 में जिस भाव में बिकवाया गया था वह नवम्बर, 1991 में 43 फीसदी बढ़ गया है । 34 फीसदी जौ बढ़ गया है । चावल 37 प्रतिशत ज्वार 71 प्रतिशत, बाजरा 49 प्रतिशत, मक्का 42 प्रतिशत, अरहर 72 प्रतिशत, आलू 335 प्रतिशत, घी 58 प्रतिशत, कड़ुवा तेल 70 प्रतिशत बढ़ गया है । चीनी 11 फीसदी बढ़ी है । मान्यवर, धोती 12 प्रतिशत घटा है । मारकीन में 41 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है । साफ्ट कोक में 56 प्रतिशत बढ़ा है । मिट्टी का तेल 76 प्रतिशत बढ़ा है । जन सामान्य जो चीजें उपयोग में लाता है उनके सामानों में इस तरह की बढ़ोत्तरी सरकार ने की है । नया बजट 1992-93 का प्रस्तुत किया है उसके बाद स्थिति यह हो जायेगी पिछले साल अप्रैल के महीने में गेहूं पौने तीन रुपये किलो था । दिसम्बर, जनवरी में 6 रुपये साढ़े 6 रुपये बिका। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इन चीजों में इतनी बढ़ोत्तरी और होने वाली है जिससे जो जनमानस है जनता को आज भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है आने वाले दिनों में ऐसी कठिनाई आयेगी जिसे जनता बर्दाश्त करने में असफल रहेगी । अगर अन्य प्रदेशों से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि हमारा प्रदेश उनके मुकाबले पिछड़ रहा है । हमारे प्रदेश में देश की आबादी की

तुलना में जो भाग आता है वह 16.5 प्रतिशत आबादी का भाग है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो देश का केवल 9 प्रतिशत भाग ही हमारे प्रदेश में है।

यह जो भौगोलिक क्षेत्रफल है मान्यवर, इसको किसी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। आप देखें कि हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारा रिपोर्टिंग एरिया और जो प्रदेश की जनसंख्या है उसको देखते हुए हमारी रिपोर्टिंग एरिया लगातार घटती जा रही है। 1970-71 में यह 0.29 हेक्टेयर था। 1980-81 में यह 0.27 हेक्टेयर हो गया तथा 1988-89 में यह घटकर 0.23 हेक्टेयर हो गया। इसको देखने से पता चलता है कि हमारी जो होल्डिंग्स हैं वह निरन्तर घटती जा रही हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पर्वतीय अंचल और बुन्देलखण्ड को मिला लिया जाय तो आज हमारी 60 प्रतिशत होल्डिंग अनइकोनामिक हो गयी हैं। भारत की जनसंख्या का औसत 2.2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा है और प्रदेश का औसत 2.31 के हिसाब से बढ़ रहा है। जो प्रगतिशील राज्य हैं जैसे केरल, कर्नाटक, तामिलनाडु उन प्रदेशों से यदि तुलना की जाय तो हमारे प्रदेश की आबादी का प्रतिशत उनसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय पूरे सदन के लिये होना चाहिए। आज हम इसी कारण से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के बजाय लगातार पीछे हटते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया हमारे खेतों की जोत लगातार कम होती चली जा रही है और अगर यही प्रक्रिया रही तो आगे आने वाले 20 सालों में इस प्रदेश की बहुसंख्यक होल्डिंग्स अनइकोनामिक हो जायेंगी। जोतें इतनी छोटी हो जायेंगी कि खेती किसी तरह से लाभप्रद नहीं रह जायगी। मैं इसलिये आग्रह करूंगा कि जनसंख्या के मामले में आपकी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अभी आपको 8 सौ करोड़ रुपये विश्व बैंक से जनसंख्या परियोजनाओं के लिये मिले हैं। मैं चाहूंगा कि इंसेंटिव के नाम पर यह 800 सौ करोड़ रुपयों का पूरा घपला न हो जाय और जनसंख्या वृद्धि को रोकने की दिशा में काम न हो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में सरकार जनसंख्या के बारे में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें पूरा विपक्ष सरकार को सहयोग करेगा क्योंकि हमारा लक्ष्य इस प्रदेश को आगे ले जाने का है।

जैसा मैंने बताया कि यह सरकार किसान विरोधी है, खाद के दाम, कीटनाशकों के दाम, उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये गये हैं। जो भी सामान किसान खेती के लिये इस्तेमाल करता है उन सभी चीजों के दामों में भारी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। लेकिन इसी के साथ-साथ उन्हें जो सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए थीं, वे सुविधायें सरकार ने प्रदान नहीं की हैं। मान्यवर, किसानों के बाद बुनकर एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रदेश में निभाते हैं, किसानी के बाद सबसे बड़ा उद्योग इस प्रदेश में बुनकर का है, लेकिन इनकी नीति बुनकरों के बारे में साफ नहीं है और बुनकर विपन्नता की स्थिति में पहुंच गये हैं। यहां तक कि रिक्शा चलाने के लिये इस प्रदेश के बुनकर मजबूर हो गये हैं।

भारत में जब अंग्रेज आये और उन्होंने यहां की आजादी खत्म करने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्होंने बुनकर के काम को मैनचेस्टर की मिलों से बन्द कराना चाहा, जिसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहे, इसलिये बुनकरों के अंगूठे कटवाये। लेकिन आप अपनी नीति से अंगूठा तो नहीं कटवा रहे हैं। लेकिन बुनकर आज भूखा रह रहा है प्रदेश में और उसे जो सहायता मिलनी चाहिए थी, प्रदेश सरकार से नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, मैं उसके बारे में अभी सुझाव दूंगा कि इसमें उनकी बहबूदी के लिए और इस उद्योग को बचाने के लिये क्या करना चाहिये? मान्यवर, इसी तरह से गन्ना किसानों के बारे में, आज गन्ना किसान बेहाल हैं और मैं इस सदन में यह कहना अपना दायित्व समझूंगा कि इस साल भारी संख्या में गन्ना किसानों का गन्ना खेत में खड़ा रह जायगा, पेरा नहीं जायगा और नहीं तो मजबूरी में जलाना पड़ेगा। मान्यवर, आज आलम यह है कि 30 फीसदी से ज्यादा, मथुरा के पंडा ज्यादा क्यों बोलते हैं, आपको किसानों से क्या मतलब है, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गन्ने के विषय में सरकार कितनी चिंताशील है इससे लगता है कि सरकार ने कहा था कि 30 फीसदी गन्ना मिलों द्वारा पेरा जा सकता है। मान्यवर, इन्होंने जितनी भी पुरानी चीनी मिलें थीं, उनके नवीनीकरण की कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ती और जिससे कि ज्यादा गन्ना पेरा जा सकता।

इन्होंने सदन में चलते-चलते एक बात कही कि 50 चीनी मिलों के बारे में हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है । मान्यवर, यह अनुरोध से कुछ नहीं होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी एक-एक पूर्व मुख्य मंत्री जी तिवारी जी बैठे हैं, कृपया इनको सीख दे दें कि और भी मुख्य मंत्री ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में जाते हैं और प्रदेश के काम कराने के लिये कितने प्रयत्न करते हैं ? आप फाइलों में इतने उलझे रहते हैं तो प्रदेश का विकास क्या होगा । ये 50 में से कितनी चीनी मिलें स्वीकृत हुईं । जहां तक मुझे मालूम है, एक भी नयी चीनी मिल इस प्रदेश में स्वीकृत नहीं हो पायी । अगर यही आलम रहा तो प्रदेश कैसे विकास करेगा ? इन्होंने कहा कि 4 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया, बड़ी मेजें थपथपाई थीं उधर के लोगों ने, तीन रुपये क्विंटल ढुलाई में काट लिया, बचा एक रुपया, वह भी एक रुपया मिल मालिक ने कोर्ट से स्टे करा लिया । ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी भी सरकार में मिल मालिक कोर्ट से स्टे करा दे । इन्होंने कहा कि 150 रुपये क्विंटल किसानों को लाभ मिला । मेरे हिसाब से इससे मात्र 37.5 करोड़ रुपया किसानों को मिल पाया है, अभी तक जो बढ़ोत्तरी का नाटक किया है और उसमें भी जो 37.50 करोड़ रूपया जो किसानों को मिलेगा उसमें भी कीटनाशक दवाएं, महंगी खाद जोड़ ली जायगी, उर्वरकों के दाम जोड़ लिये जायेंगे तो किसानों को एक भी पैसा गन्ने में मुनाफा होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, इसी तरह से मैं बिजली के बारे में, विद्युत के बारे में थोड़ा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे खासतौर से यह चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्री हो, भले ही आपका सीधा दायित्व न हो, आप अपने को इन फाइलों से उबार लें, तो आपको पता लग जायगा कि आपका प्रदेश किस स्थिति में बिजली के बारे में पहुंच गया है । मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनपरा बी को छोड़कर और वह भी जब भारत सरकार पैसा देगा, तभी बनेगा, अन्य कोई नया तापीय विद्युत गृह नहीं आ रहा है । आप विद्युत की खपत कैसे पूरा करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । बिजली के सम्बन्ध में आपने कहा कि उसमें हम बहुत सुधार कर रहे हैं । दो साल पहले गांवों में 14 घंटे बिजली दी जाती थी, हो सकता है कि उसमें कहीं-कहीं पर एक-दो घंटे कटौती होती रही हो, लेकिन पूरे प्रदेश में अविरल गति से बिजली दी जाती थी और आज 4-5 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति किसानों को नहीं हो रही है । मान्यवर, मैं कई कस्बों में गया, जहां कस्बे के लोगों ने बताया कि कई-कई दिनों तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है । कल रात को 9 बजे लखनऊ में बिजली आई ।

विधान सभा कल जनरेटर से चल रही थी । इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इतने लम्बे अन्तराल तक बिजली गायब रही । माननीय मुख्य मंत्री जी कभी पावर स्टेशनों के बारे में आपने विवेचना कराई है ? इस समय केवल अनपरा और ओबरा में उत्पादन हो रहा है । हरदुआगंज और पनकी और अन्य पावर स्टेशन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं । टाण्डा थर्मल पावर स्टेशन से बहुत कम उत्पादन हो पाया है। इस तरह से दो सालों में माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी बिजली गृह में रख-रखाव का कोई कार्य नहीं किया गया है । जब मान्यवर, 2-2 सालों से कोई रख-रखाव का काम ही नहीं किया गया, तो उत्पादन कैसे होगा, जाहिर है कि हर तरह से ये फेल्योर हो रहे हैं । इनकी उत्तर प्रदेश की जो भी जल विद्युत एवं तापीय परियोजनायें हैं, वह अपने अधिष्ठापित क्षमता से 50 प्रतिशत से भी कम विद्युत उत्पादन कर रही हैं । आज सरकार को साढ़े 33 के० वी० के 50 विद्युत केन्द्र ग्रामीण विद्युतीकरण से 13 करोड़ रुपया मिला था और वह तनख्वाह में बांट दिया और आज 50 में से एक भी विद्युत गृह पर कोई काम नहीं चल रहा है ।

इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप मानीटरिंग करते, तो यह सब तथ्य आपको मालूम रहता। लेकिन पता नहीं आप क्या कर रहे हो आज कल। मान्यवर, उसी तरह से राज्य विद्युत परिषद् ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का लगभग 200 करोड़ रुपया बकाया है और पी० एफ० सी० का 50 करोड़ रुपया बकाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपको यह बताना चाहता हूं कि यह दो महत्वपूर्ण ऐसे निगम हैं भारत सरकार के कि जिनसे पूरे प्रदेश के विद्युतीकरण को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और अन्य प्रदेश ले रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज कोई अन्य प्रदेश डिफाल्टर नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश डिफाल्टर है और इसीलिये इन निगमों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत सरकार और पी० एफ० सी० से इनको पैसा नहीं मिला और जो पैसा मिला, वह पैसा आपने तनख्वाह में बांट दिया। 25 करोड़ रु० ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पिछले साल मिला। अब हुआ क्या, वह 13 करोड़ पहले ही बताया कि तनख्वाह में बांट दिया और जो इनको मिला 50 करोड़, यह मान्यवर, इस पैसे को तनख्वाह में बांटकर छुट्टी कर देंगे और कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ, जरा लक्ष्य तो देख लें, इन्होंने 1,500 का लक्ष्य रखा था, लेकिन मात्र 300 का विद्युतीकरण किया गया है, बाकी पैसा कहां गया और क्या उसका हिसाब आया और आपने उसको देखा। एक ब्लाक में एक गांव और कहीं नहीं बिजली दिखाई पड़ती है, तो क्या होगा ?

21वीं सदी के अन्त तक इस प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा। अन्य प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने शत प्रतिशत विद्युतीकरण करा दिया है लेकिन आपके प्रदेश में केवल 46,642 गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है और गांव हैं 1,12,665। सी० ई० ए० के प्राविधानों के मुताबिक 65 हजार गांवों में ही विद्युतीकरण हो पाया है।

आप जानते हैं कि उनका क्या नाम है। अगर ट्यूबवेल में लाइट जल रही है, तो उसको विद्युतीकरण मान लेते हैं। लाइन बिछाकर 5,000 गांवों का हो पाया, लेकिन आपके समय में मात्र 300 गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। केन्द्र सरकार बराबर कहती है कि स्कीम बनाकर भेजें, लेकिन राज्य विद्युत परिषद् स्कीम बनाकर ही नहीं भेजती है और न आपकी सरकार इसके लिये गारन्टी लेती है। सभी प्रान्त कर रहे हैं और पैसा लेते हैं और विद्युतीकरण का काम चल रहा है, लेकिन आप न तो उप-केन्द्र बनाने के लिये और न गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये प्रस्ताव भेजते हैं। आपको कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। प्रस्ताव भेजने में और गारन्टी देने में सरकार का कौन पैसा खर्च होता है ? इसी तरह से लाइन लासेज हैं, आपकी लाइन लासेज 30 फीसदी है, जो इस देश में सर्वाधिक है, यह 30 फीसदी क्यों है। एक साल 10 महीने का समय हो गया है इनको, आप क्यों नहीं इसको ठीक कर पाये हैं। इसमें बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। आप 500–700 गरीब किसानों को पकड़ लेते हैं और कह दिया कि कार्यवाही कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने बड़े कल कारखाने वालों को आपने पकड़ा है। उनके मीटर बैक कर दिये जाते हैं और बिजली की चोरी की जाती है। आपने उनसे बचने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

पी० एल० एफ० मात्र 32 फीसदी है और कुल औसत 42 फीसदी है। 32 फीसदी बिजली अगर पैदा करेंगे तो क्या हालत होगी ? आप मानीटरिंग करके देख लें कि कैसे काम चलेगा ? टांडा में कोई काम नहीं चल रहा है, वहां पर आदमी नहीं रिक्रूट किये जा रहे हैं। अगर आप आदमी रिक्रूट नहीं कर सकते हैं तो ट्रान्सफर करके भेजें। उसमें आदमी नहीं रखे जायेंगे, चाहे पावर हाउस चले या न चले। मैं

केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री ऊर्जा का पत्र जो कल्याण सिंह जी को मिला होगा, उसको आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निम्नलिखित ताप गृह संचालित हैं :—

1—ओबरा थर्मल स्टेशन (1550 मेगावाट)

2—अनपरा थर्मल पावर स्टेशन (630 मेगावाट)

3—हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन (लगभग 400 मेगावाट)

पनकी थर्मल पावर 250 मेगावाट, परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन 220 मेगावाट, टांडा थर्मल पावर स्टेशन 220 मेगावाट। इस समय उत्तर प्रदेश में जो भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है वह अधिकांश अनपरा व ओबरा से हो रहा है। हरदुआगंज व पनकी पावर स्टेशनों की मशीनें कुछ पुरानी अवश्य हैं परन्तु इतनी पुरानी नहीं हैं कि उनसे उत्पादन न हो सके परन्तु ये दोनों पावर हाउस ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। जहां तक परीक्षा का प्रश्न है इस पावर हाउस की मशीनें भी नई हैं परन्तु यहां भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। टाण्डा थर्मल पावर स्टेशन की 4 मशीनें हैं जिनमें से दो चालू कर दी गयी हैं और 2 चालू करनी हैं। इससे भी बहुत कम उत्पादन हो पा रहा है। जिस प्रकार से ताप गृह चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में ओबरा से भी उत्पादन कम होने लगेगा। इसके बाद केवल अनपरा पावर स्टेशन बचा रहेगा। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो उससे भी उत्पादन नाम मात्र का हो सकेगा। मैं यह पत्र इसलिये लिख रहा हूं कि उ० प्र० शासन अपने तापीय विद्युत गृहों को चलाने के मामले को गम्भीरता से ले, आदि आदि है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस प्रदेश में स्थिति इतनी गम्भीर होने वाली है कि अगर इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले गर्मियों के दिनों में कई घंटों तक घोषित विद्युत की कटौती करनी पड़ेगी। मान्यवर, इसके लिए आज आपने उपभोक्ताओं के ऊपर 40 फीसदी बढ़ा दिया है और यह 40 फीसदी अपनी अक्षमता के खातिर बढ़ाकर उपभोक्ताओं को दंडित किया है। अगर आप बकाया वसूल लेते और अगर बिजली के प्लांट लोड फैक्टर को 42 फीसदी कर देते तो यह 40 फीसदी आपको रेट बढ़ाना नहीं पड़ता। इतना ही नहीं उद्योगों पर डेढ़ सौ से लेकर ढाई सौ फीसदी तक बढ़ गया इसलिये जो उद्योग हैं वह पलायन कर रहें हैं और कोई नया उद्योग इस प्रदेश में आने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से मैं एक आग्रह करुंगा कि किसानों की इस समय फसल कट गयी है और यह फसल ठीक ढंग से खलिहान से उनके घरों में आ जाय इसके लिए अधिक से अधिक बिजली किसानों को आपको देना चाहिए उनकी फसल माड़ने के लिए जिससे 15 दिन के अन्दर, एक माह के अन्दर अनाज उनके घर पहुंच सके। मान्यवर, इसी तरह से इस सरकार ने मंडल कमीशन के बारे में कहा है, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आपकी नीति क्या है उसको कृपया स्पष्ट कर दें ? माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो मंडल कमीशन के बारे में लोकसभा में बात कही थी और अध्यादेश जारी कराया था, अगर उसके स्वरूप को आप बदलना चाहते हैं तो मंडल कमीशन की जो मंशा है वह पूर्णरूप से समाप्त हो जायेगी और जिस तरह का उसमें आप परिवर्तन और परिवर्धन करना चाहते हैं उससे पिछड़ी जातियों के लिए जिनके लिए मंडल कमीशन लागू किया गया है उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं इस बात के लिये सहमत हूं कि हमारे नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है कि ऊंची जाति में भिन्न जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 से 10 फीसदी का आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन मान्यवर, जो उसका स्वरूप है उसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि उसको न बदलें। आपकी मंशा क्या है आप कहते हैं कि नेता स्पष्ट करेंगे ? 9 माह में मंडल कमीशन के बारे में अपनी नीति इस सदन में या अपनी सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। मान्यवर, इसी तरह से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से यह चाहूंगा कि पिछले 9 माह में प्रदेश में एक भी नयी सड़क

पर कोई काम नहीं हुआ जो अधूरे पुल पूर्व सरकार ने स्वीकृत कराये थे, वे आज भी अधूरे हैं उनको भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करें । सेतु निगम ने केवल प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया है लेकिन आज जो हालत हो गयी है कि पिछले 4 महीनों से तनख्वाह बांटने के लिये उनके पास पैसा नहीं है । उसके लिये धन की व्यवस्था अलग से करें । केवल पी० डब्लू० डी० के बजट में प्राविधान करके बैंकों से विश्व बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करें, अलग से धन की व्यवस्था करें, जिससे आज प्रदेश में जो गति सेतु निगम की पूरी दुनिया में मशहूर थी, उसे वही गति फिर मिले । जब सेतु निगम की चर्चा कर रहे हैं तो याद दिलाना चाहूंगा कि इलाहाबाद में यमुना पर नये पुल का प्रस्ताव किया था और प्रदेश सरकार जमीन का अधिग्रहण करने के लिये 10 करोड़ रु० दे भी चुकी है लेकिन केन्द्र सरकार से अभी जो वांछित धन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है इसीलिये काम भी नहीं चालू हो पा रहा है । मैं आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार से बात करके तत्काल इस पर काम शुरू करायें । देवरिया में बगहा पर छितौनी बांध पर पुल के निर्माण की बात थी । भारत सरकार ने अंशदान दे दिया था, बिहार सरकार ने भी अंशदान की बात कही थी । कृपया इस पर भी प्रदेश सरकार का अंशदान देकर इस पुल पर शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू करें । इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा ।

टेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना के बारे में मैं चाहता हूं कि इसे आप गम्भीरता से लें । अगर कोई अवरोध है तो सभी नेताओं को बुलाकर माननीय तिवारी जी भी मौजूद हैं, अवरोधों को दूर कराने का कष्ट करें । इससे बड़ी कोई दूसरी परियोजना जल विद्युत की नहीं है । मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर अवरोधों को दूर करके, भारत सरकार से भी बात करके 96-97 तक पहले चरण की योजना चालू हो सके, ऐसी व्यवस्था करें । इसी तरह से गोरखपुर पशु टीका कारखाना हरिहरपुर में तत्कालीन सरकार ने 1987 में स्वीकृत किया था 1.25 करोड़ रु० की व्यवस्था भी कर दी गयी थी, वह काम नहीं चालू हुआ है । इसमें तत्काल कार्यवाही कराकर काम शुरू करायें । रामगढ़ परियोजना जो गोरखपुर के लिये बहुत दिनों से लम्बित है, इसको पुनर्जीवित करके इस पर काम करवाने का प्रयास किया जाय । गीडा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । मेरे पास वहां के किसान आये थे । वह मात्र 8 कि०मी० की दूरी पर है । वह जमीन बहुत उपजाऊ है, इससे 45 गांव उजड़ जायेंगे । उसे 25-30 कि० मी० दूर अनउपजाऊ भूमि पर स्थानान्तरित कर दीजिये जिससे वहां के लोगों को काम भी मिल जायगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और किसानों की उपजाऊ जमीन भी बच जायगी ।

शिक्षा विभाग के बारे में चाहता हूं कि जिस गम्भीरता से आपको लेना चाहिए था, उस गम्भीरता से आपने लिया नहीं । 9 महीने के कार्यकाल में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां समय पर पाठ्यक्रम चला हो जहां समय से परीक्षायें हुई हों । ऐसा कोई भी कार्य करने में आप पूर्णतया असफल रहे हैं । (समय 2 बजकर 20 मिनट) मान्यवर, आज विश्वविद्यालयों को सर्वोच्च प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज जो माध्यमिक शिक्षा की संस्थायें हैं उनमें भी गुणवत्ता के आधार पर सुधार होना चाहिए । जो अध्यापकों के पद कम से कम मान्यवर, गणित, साइन्स के लम्बित हैं उनको तत्काल सरकार को मंजूर करना चाहिए, इन पदों को तत्काल बढ़ाना चाहिए ।

मान्यवर, गणित, सांइस के अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नहीं रहेंगे तो जो हम लोग भविष्य बनाने जा रहे हैं इन नौजवानों का, जिनके बारे में आपने नकल का कानून तो बना दिया लेकिन यह आपने सोचा कि प्राइमरी शिक्षा में मैंने पिछली बार भी कहा था कि 100 तक का 10 तक का पहाड़ा,

गिनती, गणित का सामान्य ज्ञान, भूगोल और इतिहास का सामान्य ज्ञान प्राइमरी स्कूल के 5वीं कक्षा के बच्चे को नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आती है। इसमें तत्काल सुधार कराया जाना चाहिये। जब यह स्कूल जिला परिषद् के पास थे तब इन स्कूलों की गुणवत्ता में बहुत फर्क था, यह आज बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के पास हैं तो इसमें अपेक्षित सुधार होने के बजाय कमी ही आयी है। शिक्षा विभाग में हमारा जो अनुसूचित और दलित भाइयों का कोटा है उनको तत्काल समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाय। जो एडमिशन होते हैं उसमें भी उसको पूरा करने की पूरी-पूरी कार्यवाही की जाय। इस साल आपने अनुदान सूची पर 100 विद्यालयों को लिया है यह इतना कम है कि इससे प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। लगभग दो हजार विद्यालय आपका अनुदान सूची में आने हैं इन 100 विद्यालयों से क्या भला होगा ? तो इससे इतना लम्बा समय लगेगा, कोई नया विद्यालय नहीं खुलेगा। 15 साल 20 साल में यह सूची जाकर आपकी पूरी होगी। इस तरीके से यह अनुदान सूची आपको बढ़ानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि कम से कम 300, 350 विद्यालय प्रत्येक वर्ष माध्यमिक विद्यालयों को जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों को इसमें लेना चाहिये। मान्यवर, मैं यह भी कहूंगा कि 1989 के बाद जो बी० टी० सी० के प्रशिक्षित अध्यापक हैं आज तक उनका कोई रिक्रुटमेन्ट नहीं हुआ है आज वह बेकारी की हालत में प्रदेश में घूम रहे हैं उनके लिये भी तत्काल आपको ऐसी योजना बनानी चाहिये और उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन्हें उसमें समायोजित करना चाहिये।

एक सदस्य--

आपके पक्ष के लोग ही चले गये हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आप तो बैठे हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्रीय जो वित्तीय संस्थायें हैं उनसे हमारे प्रदेश को धन का कितना लाभ मिला है ? यह इससे साफ परिलक्षित होता है कि उसके लिये आपने कोई चेष्टा नहीं की चेष्टा की होती तो इस प्रदेश में स्थिति दूसरी होती। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया से 89-90 में 65.30 करोड़ रु० मिला इस प्रदेश को हमने जानना चाहा कि आपके साल में कितना मिला उसका मुझे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो पाया। उसी तरह से नाबार्ड से जो कि किसानों के लिये ऋण देती है सरकारी संस्थाओं के लिये ऋण देती है उससे मान्यवर 273.29 करोड़ रुपये इस प्रदेश को मिला 89-90 में मिला 2 साल के बाद बजाय बढ़ के 221.53 करोड़ रुपये 1/92 तक मिला था। मान्यवर, इससे आप सोच लें, हमारा प्रदेश वैसे भी कृषि के मामाले में पंजाब, हरियाणा आदि से बहुत पीछे है, वहां पर तीन गुना ज्यादा रुपया मिल रहा है और उसके मुकाबले में 89-90 में जो पैसा मिलता था उससे भी कम पैसा मिलता है। अगर आप प्रयास करे होते माननीय वित्त मंत्री जी बम्बई गये होते, चेयरमैन से मिले होते मगर आज आप के पास वक्त नहीं है, तो कुछ मिल पाता। मान्यवर, इसी तरह से औद्योगिक विकास निगम को 89-90 में 415 करोड़ मिला और अभी कितना मिला है इसका आंकड़ा नहीं है। लघु विकास बैंक से उस समय और इस समय का कोई आंकड़ा नहीं है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन, 89-90 में 78.70 लाख मिला था और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया इस समय केवल 39.66. 2 फरवरी, 92 तक इतना मिला और यह जो मिला पावर फाइनेन्स कारपोरेशन्स का इसके लिये कोई विद्युतीकरण का काम नहीं है ग्रामीण विद्युतीकरण से उस समय मिला 67.65 करोड़ और अब 2/92 तक केवल 34 करोड़ रुपया आपको मिला है और अगर आपने पी० एफ० सी० का पैसा न दिया है तो आपको और मिल जाता।

इसी तरह से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 28.9 करोड़ रुपया 89-90 में मिला था और अब 2 फरवरी, 92 तक केवल मिला 18.97 लाख । इससे पता चल जाता है कि इस प्रदेश को कितनी गति से आगे ले जाने का प्रयास आप कर रहे हैं । यह जो हमारी शीर्ष संस्थाएं हैं तथा और बहुत सी संस्थाएं हैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह कहूंगा कि इसके लिए फिर से बैठिये, सोचिये और इस प्रदेश को आगे ले जाने में हमारा सहयोग लीजिये हम इसके लिए तैयार हैं । प्रदेश के विकास के लिये आपमें भी महत्वाकांक्षा होनी चाहिये, प्रतिबद्धता होनी चाहिए । मान्यवर, मैं संस्थागत वित्त की प्राप्तियों का विवरण देना चाहता हूं कि यह कितनी तेजी से वसूली का कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, 89-90 में कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में 897.47 करोड़ रुपया मिला और इस साल दिसम्बर, 91 तक 681.67 करोड़ रुपये, उद्योग में उस समय 89-90 में 474.96 करोड़ और इस साल दिसम्बर, 91 तक 177.50 करोड़ मात्र था, चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास में उस समय 456.9 प्रतिशत था, इस समय 371.65 प्रतिशत, आवास में उस समय 253.30 प्रतिशत था इस समय मात्र 35 करोड़ रुपया । मान्यवर, इसी तरह से हरिजन समाज कल्याण में उस समय था 48.36 करोड़ और इस साल 42.7 करोड़, खाद्य तथा रसद विभाग में बराबर है इसी तरह से मान्यवर, ग्राम्य विकास में जिसका बहुत ढिढोरा आप पीटते हैं..... 60 फीसदी खर्च करने जा रहे हैं, उस समय यह था 562.40 करोड़ रुपये और अब है 82.32 करोड़ रुपये । पूरा टोटल उस समय था 3,37.60 करोड़ रुपये और इस समय है 1,736.85 । जरा इस पर आप सोचिये, आप प्रदेश को कहां ले जाना चाह रहे हो, प्रदेश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, आपके ही हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि व्यवसायिक बैंकों में, जहां इस प्रदेश की तमाम पूंजी जमा है, जिसका मुख्यालय बम्बई में हैं, उनके अगर चेयरमैन से बात किये होते कोई प्रयास किये होते तो हम भी उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर प्रदेश के विकास में लगाते । जो विकसित प्रदेश हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं, उनके आंकड़े आप देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कितना समय और लेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

10-15 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, पश्चिम बंगाल में जहां यह 10,236.2 करोड़ रुपये था, वहीं हमारा था 9,335 करोड़ । इसी के साथ-साथ महाराष्ट्र में है 29,637 और तामिलनाडु का 13,473.3 । पूरे भारत का औसत है 31,827.18 । इस तरह मान्यवर, आप देखें कि राष्ट्रीय बैंकों से जो धन हम प्राप्त कर सकते थे, वह भी हम नहीं कर पाये । पूर्व सरकारों में भी ऐसा होता रहा है कि जो धन मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये आपने कोई प्रयास किया ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी दोनों लोग अखबार पढ़ रहे हैं और नेता विरोधी दल की बात सुन नहीं रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह पूरे विपक्ष का घोर अपमान है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, कुछ लोगों को रात में दिखाई देता है, लेकिन इनको तो दिन में भी दिखाई नहीं देता । मैं नोट्स ले रहा हूं, अखबार नहीं पढ़ रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सिंचाई के बारे में भी देख लें । जो कुछ बड़ी परियोजनायें इस प्रदेश में चल रही हैं, जैसे रामगंगा परियोजना, वह अब तक पूरी हो जानी चाहिये, लेकिन आज तक नहीं पूरी हो पाई है । यह परियोजना मध्य प्रदेश, केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अंशदान से बननी थी । यह योजना अगर पूरी हो जाती, तो जहां इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलता, वहीं हमारे बुन्देलखण्ड के 4-5 जिलों को भी लाभ पहुंचता । इसी तरह बाणसागर परियोजना है, इसके लिये भी कहा गया था कि 5 साल में तैयार हो जायेगी.... उसमें आपको विशेष रुचि लेनी चाहिये । बाणसागर योजना से जो भी पानी मिलेगा, उससे उत्तर प्रदेश को ही लाभ होगा । विशेषकर मिर्जापुर, सोनभद्र व इलाहाबाद जहां पानी की कमी है, वहां इससे लाभ मिलेगा । गंगा नहर के आधुनिकीकरण की योजना है । यह योजना विश्व-बैंक से पोषित है । जिस गति से इस नहर पर काम चल रहा है, उस हिसाब से यह नहर का काम 10 साल में भी पूरा नहीं हो पायेगा । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि प्रदेश सरकार को जितने संसाधन इसके लिए जुटाने चाहिये थे, वह भी प्रदेश सरकार जुटा नहीं पा रही है । सरजू नहर परियोजना है । जिस ढंग से इस पर काम हो रहा है, उस हिसाब से 20 साल में भी यह योजना पूरी नहीं हो पायेगी । जितना धन इसके लिए आवंटित होता है, उससे इस पर काम नहीं हो पा रहा है । मेरा सुझाव है कि इसके लिए आप विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट से या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अलग से धन मुहैय्या कराने हेतु बात करें ।

श्रीमन्, इन्होंने एक दीन दयाल परियोजना चला रखी है । नलकूपों को ये इस योजना के अंतर्गत गांव सभाओं को देने जा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि आप इन्हें गांव सभाओं को मत दीजिये । यदि आपने इन्हें गांव सभाओं को दिये तो जो नलकूप चल भी रहे हैं, वह भी बन्द हो जायेंगे और जो परिसम्पत्ति बनी है, वह भी नष्ट हो जायेगी । क्योंकि ग्राम सभाओं के पास न तो धन है, न उनके पास रख-रखाव हेतु कोई व्यवस्था है और न उनके पास कोई तकनीकी ज्ञान है । इसलिए आप इस दीन दयाल परियोजना को सिंचाई से निकालकर कहीं और लागू कर दीजिए । 1992-93 में इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो अधिष्ठान संबंधी कार्यों का मानक होता है, वह 16 प्रतिशत होता है, परन्तु आपने उस मानक को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया । जिसका प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं बनता है । इसलिए आप इसका परियोजना बताने का कष्ट करें । 1992-93 में जो चालू परियोजनायें हैं, उन पर 15 से 20 प्रतिशत का ज्यादा खर्च दर्शाया गया है । अंततोगत्त्वा यह खर्च तो पूरा नहीं हो पायेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपके बजट का घाटा है, उसको कम करने के लिए, उसमें दिखाने की आपकी मंशा है । माननीय वित्त मंत्री जी ने 1992-93 में यह भी इंगित किया है कि वार्षिक योजना में जो धन मिला है, उसका वह 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करेंगे । मुझे पता है कि 1992-93 की वार्षिक योजना भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित है । इनके संबंध में योजना आयोग ने कुछ नीति और सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिसके अनुसार उस पैसे को खर्च किया जाना है । मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कितना ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगा और कितना शहरी क्षेत्र में खर्च होगा ?

योजना आयोग द्वारा जो मार्गदर्शन में दर्शाया जाता है उसके अनुसार पैसा खर्च करना पड़ता है तो आप 60 फीसदी कहां से खर्च कर देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में यह मेरी समझ में किसी तरह से नहीं आता है (व्यवधान) इन्होंने फर्जी इधर से उधर करके बजट में फिट कर दिया है । हमको यह लगता है कि जो धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगी वह 45 से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं बनती है जब कि हमारे जनता दल के राज्य में 60 फीसदी ग्रमीण क्षेत्रों में खर्च किया गया ।

मान्यवर, जो वाह्य सहायता प्राप्त होती है उसमें हमको अपने संसाधन भी लगाने पड़ते हैं लेकिन वह संसाधन यह नहीं लगा सकेंगे । जैसा कि श्रीनगर परियोजना विश्व बैंक से पोषित है लेकिन वह फाइनल नहीं हो पा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा लेना है तो इ० इ० सी० से, विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और जो हमारे देश की शीर्षस्थ वित्तीय संस्थायें हैं उनसे लीजिये ।

वर्तमान बजट में आऊट ले आर्थिक नीति के अंतर्गत 94 हजार 4 सौ करोड़ निश्चित है वह वर्ष 1991-92 के आऊट ले से 15 हजार 5 सौ करोड़ कम है जबकि मूल्य वृद्धि, मंहगाई 15 प्रतिशत जोड़ ली जाय तो यह और भी कम हो जाता है । तो इससे प्रदेश की विकास की गति कैसे बढ़ेगी ? वित्त मंत्री जी यह बजट आपने प्रस्तुत किया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है आपने 50 लाख लोगों को जो दीन दयाल उपाध्याय योजना में रोजगार देने की बात कही है वह कैसे दे देंगे उसका व्यौरा नहीं दिया है ।

इसी तरह से आपने बजट में प्रदेश के विकास में गति देने की बात कही वह आंकड़ो से साबित नहीं हो रही है । मैं एक बात के लिये वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं किसानों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अन्य वर्ग के लोगों को कोई राहत नहीं दी है हां एक विशेष वर्ग को व्यापारी वर्ग को 100 करोड़ रुपया बिक्रीकर का माफ कर दिया है । तो इस 100 करोड़ रुपये को जो बिक्री कर के रूप में माफ कर दिया है इसको किस संसाधन से पूरा करेंगे ।

मान्यवर, जरा विचार कर लीजिये इन्होंने बजट भाषण में कह दिया कि बजट में घाटे की व्यवस्था जो लगभग 245.30 करोड़ है उसे उच्च राजस्व प्राप्ति से पूरा करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह गुप्ता जी की सरकार है माननीय कल्याण सिंह जी की नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वित्त मंत्री तो यही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

लगता है माननीय वर्मा जी पहली अप्रैल का तोहफा दे रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह कहते हैं ब्याज के भुगतान और सब्सिडी एवं प्रशासनिक व्यय को कम करेंगे । अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं । इसका मतलब है कि घाटा पूरा नहीं होगा और प्रदेश के विकास में वह 60 प्रतिशत खर्च नहीं कर पायेंगे । प्रदेश की विकास की गति किसी भी तरह से गतिशील नहीं हो पायेगी । इसलिये मैं इस बजट को अर्थहीन, दिशाहीन कहता हूं यह प्रदेश की तरक्की के बजाय उसमें बाधक है । यह पूंजीवादी व्यवस्था का परिचायक है । मैं इस बजट का किसी तरह से समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि श्री तिवारी जी सदन में हैं, उनकी उपस्थिति का हम लोग लाभ उठा सकें ।

(श्री लाखी राम जोशी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी जी इस सदन के वरिष्ठतम् माननीय सदस्य हैं । बजट के बारे में मैं उन्हें विशेषज्ञ मानता हूं । हम जरूर चाहेंगे कि उनके मूल्यवान सुझाव हमको मिलें । मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि उनके भाषण की एक-एक बात को ध्यान से सुनें । मैंने स्वयं भी उनसे निवेदन किया था कि बजट के ऊपर उनका भाषण हो ।

* श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, 40 वर्षों पूर्व इसी स्थान से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उस समय के सम्मानित वित्त मंत्री, प्रातः स्मरणीय हाफिज जी के बजट पर अपने विचार व्यक्त करूं और आज मुझ सेवक को पुनः यह अवसर मिल रहा है । सदन की कृपा और अनुज्ञा से, स्नेह और सद्भाव के अंतर्गत फिर आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं सम्मानित सदस्य, सीतापुर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करूं । इतने विषद आकड़ों से भरे हुए बजट में जिसमें सभी नीतियों का समावेश करने का प्रयास किया गया हो, इस सदन में तब ही भली-भांति न्याय हो सकता है जबकि नियमावली के अनुसार जितना निर्धारित समय है, उतने दिन उस पर चर्चा हो सके । श्रीमन्, मुझे इस बात का भी भली-भांति आभास है कि सभी दलों के नेता और सभी माननीय सदस्य भी उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते होंगे तो मैं स्वतः अपने को सीमा से बधा महसूस कर रहा हूं । मैं अपने युवा नेता, सांसद श्री प्रमोद तिवारी जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने अपना समय मुझे दिया है ।

(व्यवधान)

सांसद का मतलब पार्लियामेंटेरियन होता है लोक सभा सदस्य नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

हो सकता है उनके लिये यह आपका आर्शीर्वाद हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, आज जो यह बजट है, इस पर चर्चा करते हुए मुझे एक विशेष प्रसन्नता होती है । जब मैं दोनों ओर देखता हूं, हां और नहीं में तो मुझे वही तरुणामयी नये चेहरे दिखाई देते हैं जो आज से 40 साल बाद भी बोलेंगे । 40-50 साल बाद 21वीं सदी में बजट चर्चा में भाग लेंगे । इसलिये जो कुछ मैं आज कहने जा रहा हूं भविष्य के दृष्टिकोण से वर्तमान को देखते हुए भूतकाल के अनुभवों के आधार पर कहूंगा । मैं विशेष रूप से भविष्य द्रष्टा विधायकों से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि 40 वर्ष पहले भी हमने आंकड़े देखे थे प्रति व्यक्ति आय घटाने के और उत्तर प्रदेश के विकास के असन्तुलन के और आज भी दुर्भाग्य से वही असन्तुलन आज 40 वर्षों के बाद भी बजट में देखने को मिल रहा है । क्या हम विकास के विरोधाभास में फंस गए हैं कि उससे निकल नहीं पाते हैं ? प्रतिवर्ष वित्त विभाग, नियोजन आदि से आंकड़े आते हैं कि इतनी प्रति व्यक्ति आय घट गई और प्रदेशों की बढ़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गई और राष्ट्रीय आय यह हो गई । हम बाहर भीतर इस पर बहस करते हैं, विवाद करते हैं । आज यह अवसर है कि बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में जब 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधायक सभी दलों के लोग, कौन सी बुनियादी कठिनाई हैं, जिन पर विचार करने से हम उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ मोड़ सकते हैं ।

मैंने पिछले दस बजट मंगाए । दस बजटों में भी वही बातें हैं । क्योंकि विकास कोई जादू नहीं है कि जादू के जरिये गरीबी कम कर देंगे या दलित वर्ग या किसी वर्ग के लिए जादू से कुछ कर देंगे । योजनायें वही हैं नाम चाहे कोई भी हों । हम उसका नाम जवाहर योजना कर दें । चाहे बीस सूत्रीय कार्यक्रम कर दें चाहे आप उसे दीन दयाल योजना कर दें । अगर संसाधनों की कमी है तो हमें उस दिशा में सोचना चाहिये, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए । इस बजट के जरिए कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जिसमें एक बात यह कही गई है कि "आइए! हम सभी इस पुनीत कार्य में संकीर्ण राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठें तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर प्रदेश के सम्यक् विकास में सहभागी बनें ।" मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके सहयोग का आह्वान करता रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि नियोजन के लिए सर्वदलीय प्रयास में क्या कदम वर्तमान शासन ने उठाए हैं ? आठवीं योजना के बारे में कोई प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश की आठवीं योजना में क्या होना चाहिए ? पहले भी इसमें प्रयास किए गये अगर विकास का वातावरण बनाना है तो प्रत्येक दल को यह जानना जरूरी है कि नियोजन प्रणाली में क्या हो रहा है, प्लानिंग कमीशन में उत्तर प्रदेश का जो योजना आयोग है, उसकी कितनी बैठकें हुई ? सर्वदलीय बैठकों के कितने आपने प्रस्ताव रखे जिससे कि सब लोग योजना के बारे में विचार कर सकें ? यहां यह चर्चा होने लगती है कि इतनी गिरफ्तारियां हुई लेकिन विकास की चर्चा क्यों नहीं होती ? क्या इसका उत्तरदायित्व हमारा नहीं है । प्रतिपक्ष की बातों को समझने का प्रयास करना शासन का दायित्व है, लेकिन क्या इस प्रकार के प्रयास हुए हैं ? बड़ी ही साहित्यक भाषा का प्रयोग आपने किया है । इन्होंने अपने बजट भाषण में बहुत ही सुन्दर वाक्यावली का प्रयोग किया है इन्होंने कहा है कि "मर्माहत मनोभावों पर ममता का मरहम ।" तो इस तरह से बड़ी ही साहित्यक भाषा का प्रयोग किया गया है ।

श्रीमन्, इस पुस्तिका के पृष्ठ 39 पर कहा गया है । सर्वधर्म समानता के अंतर्गत राम जन्मभूमि, जैन तीर्थ स्थली देवगढ़ एवं बौद्ध परिपथ के विकास की योजनायें तेजी से कार्यान्वित की जा रही हैं । सर्वधर्म समानता, मर्मान्तक मनोभावों पर ममता का मरहम इस परिप्रेक्ष्य में यह भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रदेश में विकास का वातावरण लाने के लिये राम जन्मभूमि अयोध्या, बाबरी मस्जिद का प्रश्न आन्दोलनों के जरिये नहीं बल्कि बातचीत के जरिये हल होना चाहिये ताकि प्रदेश में विकास का वातावरण बने । क्या इस तरफ गम्भीरता से प्रयास हो रहा है ? राम जन्मभूमि के मामले में वित्त मंत्री जी ने कहा कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को अनन्त काल तक लटकाये रखना किसी के हित में नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अनन्त काल तक नहीं बल्कि शीघ्रातिशीघ्र इसका हल हमें करना है चाहे अदालत के जरिये हो या आपसी बातचीत के जरिये हो, झगड़े के जरिये नहीं, नहीं तो हम इसी में रह जायेंगे और विकास रुक जायगा । एक तरफ कहते हैं कि इस मुद्दे पर हम एक हैं, हम उद्योग लगाने के लिये क्यों एक नहीं हैं । आज उत्तर प्रदेश में मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारे के लिये ही कारसेवकों की आवश्यकता नहीं है बल्कि उद्योग लगाने वाले कारसेवकों की भी आवश्यकता है । श्रीमन्, इतना बड़ा अवध है, इतना बड़ा क्षेत्र अवध का है । भगवान राम के नाम पर वहां उद्योग लगा सकते हैं. भगवान श्रीराम के नाम पर औद्योगिक आस्थान वहां लगा सकते हैं । उन तमाम क्षेत्रों में धर्म को आर्थिक साधन का माध्यम बना सकते हैं, वहां उद्योग लगा सकते हैं लेकिन यह नहीं हो रहा है । सबसे बड़ी बात है कि

क्या हम केवल धार्मिक सोच, अध्यात्मिक सोच में पड़े रहेंगे ? यह सोच कि केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से हमारा विकास हो जायगा, यह सोच आज के युग में अधूरा है । मैं नहीं कहता कि इस सोच के लिये कोई स्थान नहीं है । मैं इसका आदर करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ आर्थिक सोच की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है । सर्वधर्म समभाव की बात जिसको वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है लेकिन इसके साथ ही साथ आर्थिक सोच आपका कहां गया, उसको कहां से आप लायेंगे ? कितने उद्योगकर्ताओं को हम आज प्रशिक्षण दे रहे हैं ? आज उद्योगकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कहीं नहीं दिया जा रहा है । किसी जिले में कार्यक्रम नहीं है और जो कार्यक्रम हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है तो फिर आप कहां से 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे ? अगर यह उद्योग लगायेंगे तो प्रशिक्षण के अभाव में उद्योग बीमार हो जायेंगे, कर्जे नहीं अदा कर पायेंगे, दिवालिया हो जायेंगे और जेल जायेंगे । पहले का हमारा ऐसा अनुभव है, पहले भी ऐसा हुआ है । जब आप नये इन्टरप्रिन्योर्स नहीं पैदा करेंगे तो जो नये नौजवान हैं वह बेरोजगार होते जायेंगे ।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का और प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने कहा कि हमारी होल्डिंग्स कम होती जा रही है । जब मैं सन् 52 में आया था तो उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 5 करोड़ या लगभग 6 करोड़ थी । आज प्रदेश की आबादी बढ़कर 15 करोड़ को छू रही है, ढाई गुनी बढ़ गयी है तो इससे प्रति व्यक्ति आमदनी घटेगी नहीं तो और क्या होगा ? जब हमारे युवा सदस्य आगे आयेंगे, अपनी सरकार बनायेंगे तो उस समय आबादी और भी बढ़ जायगी 20–25 करोड़ हो जायगी । प्रदेश हमारा खेतिहर रहेगा, खेती में उद्योग के मुकाबले कम फायदा होता है, आबादी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आमदनी और भी घटती जायगी । कितना ही आप चुनाव जीत जायं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मोर्चे के नाम पर लेकिन समस्यायें वहीं की वहीं रहेंगीं । उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को देख लीजिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल 0.68 हेक्टेयर जोतों का औसत है। यह और भी कम होता जायगा । आज जो भूमि वाले हैं वह आगे भूमिहीन हो जायेंगे । आठवीं योजना के जितने भी ड्राफ्ट बने हैं, चाहे कांग्रेस ने बनाये हों, जनता दल ने बनाये हों या सजपा ने बनाये हों, या आज बन रहा हो, ड्राफ्ट वही है, उसको बनाने वाले वही हैं । हमारे वित्त सचिव भी वही थे । वे केवल आंकड़ों में फर्क कर सकते हैं, लिखने वाले वही हैं । इन सब स्थिति में कहां से क्या करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ? सोचने की जरूरत यह है कि रामराज में जोतें और छोटी होती जा रही हैं, इसका क्या उपाय है ? जनसंख्या के बारे में जो कहा, बुनियादी बातें उत्तर प्रदेश को सोचनी होंगी । क्या जनसंख्या बढ़ती रहेगी और लोग विरोध करते रहेंगे ? क्या जनसंख्या रोकने का विरोध किया गया ? इसके बारे में एक सुझाव आया था कि कानून बने, लेकिन इसके लिये सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए । गांव के स्तर पर चर्चा होनी चाहिए ।

हर गांव का आर्थिक प्लान बनाया गया है । हमने आर्थिक रजिस्टर बनाया है , इकोनामिक रजिस्टर बनाया है । इस प्रकार की बैठक ग्राम सभा के स्तर पर होनी चाहिए कि छोटी जोतों को किस प्रकार से लाभकारी कर सकते हैं । हर गांव, ब्लाक में ग्राम सभा का स्तर अच्छा है, वे मीटिंग करें कि अलाभकारी जोतें लाभकारी कैसे होंगी ? क्या हम नये एग्रो इण्डस्ट्रियल तरीके जो इस्तेमाल कर सकते हैं ? आजमगढ़ में खेतिहर मजदूर सबसे ज्यादा हैं । गाजीपुर में हैं । आंकड़ों का अवसर नहीं है । सारे आंकड़े रखे हैं । हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश में जो डेढ़ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं, जो केवल 5 माह मजदूरी करते हैं, उसके बाद पंजाब चले जाते हैं, आतंकवाद से ग्रस्त होते हैं, उनको कैसे पूरक रोजगार दें ? हर जिले में इसके लिये कुछ योजना बनायी जानी चाहिए । क्या ये हम सब मिल कर नहीं बनायेंगे ? हम एकांगी हो गये हैं । हमारी सोच या तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो गयी है या रिजर्वेशन हो गयी है । सामाजिक न्याय के लिये मैं रिजर्वेशन अच्छा मानता हूं, लेकिन यह सोचना कि केवल रिजर्वेशन से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जायगा, यह भ्रांति है । यह ठीक है कि आरक्षण मिलना चाहिए । क्या किसी को अधिकारी बना देने से प्रदेश का विकास हो जायगा । बाकी के जो आर्थिक उपाय हैं,

विकास के लिये जब तक उनकी योजनायें नहीं बनायेंगे, गम्भीरता से सोचेंगे नहीं, तो विकास होने वाला नहीं है। श्रीमन्, आपने यह बातें कही कि हम राम जन्म भूमि और दूसरे स्थलों को 3-3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पर्यटन विकास के लिये, ठीक है। अयोध्या को दे रहे हैं। अयोध्या का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए ? क्या केवल राम मंदिर और राम कथा पार्क बनने से अयोध्या का विकास हो जायगा। अयोध्या में 3 हजार मंदिर हैं। हमारे धार्मिक नेताओं को यह भी सोचना होगा कि शेष का क्या होगा ? हनुमानगढ़ी और अन्य महन्तों का क्या होगा ? हर एक का विकास करने के लिये मास्टर प्लान होना चाहिए। राम कथा पार्क के बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसको पिछली सरकारें पूरा नहीं करा सकीं। इसका दोषी मैं भी हूं। मैं भी पूरा नहीं करा सका। जो जमीन हमने एक्वायर की, उसका क्या उद्देश्य था ? उद्देश्य था कि अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा होगी। जो यह सब चल रहा है, यह योजना नहीं थी, जो खबरों में आ रहा है कि सुमित्रा कुंज, लक्ष्मण कुंज बनेगा। हमारा यह उद्देश्य था कि अन्तर्राष्ट्रीय राम केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, मलेशिया में भी हैं, थाईलैंड में भी, इन्डोनेशिया में भी हैं। अगर इन्डोनेशिया में वहां के श्री राम हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय हर धर्म में राम को कैसे माना जाता है ? बौद्ध कैसे देखते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे राम को देखते हैं ? अयोध्या के जो भगवान राम अन्तर्राष्ट्रीय हैं, उसको हम राम कथा का रूप देना चाहते हैं। अयोध्या पर्यटनीय स्थल होगा, वह सारे विश्व का पर्यटन केन्द्र होगा। वह विवाद की परिधि से दूर है। बहुत से लोग कहते हैं कि वह जो विवादित ढांचा है, राम लला वहां विराजमान हैं, वही मंदिर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं है, उसको अन्यत्र ले जाया जायगा, तो यह भी साफ हो जाना चाहिए कि मंदिर का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्या नक्शा होगा ? ये चीजें सर्वांगीण दृष्टिकोण से होना चाहिए। साथ में फैजाबाद का भी नक्शा बनना चाहिए। साकेत क्षेत्र में फैजाबाद भी शामिल है।

इसी तरह से यह बहुत अच्छी बात की कि कल रोजा अफतार सारे लोगों ने किया। तो जैसे रोजा अफतार हुआ है, तो उसी तरह से इसमें भी कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे देवा शरीफ हो, चाहे कलियर शरीफ हो, वही कार्यक्रम होना चाहिए। वह फिर एकांगी नहीं होगा। अगर उससे मुक्ति प्राप्त करनी होगी, तो दृष्टिकोण बदलना होगा। मैं नहीं जानता कि ये कट्टरपंथी करने देंगे या नहीं। लेकिन ये कदम उठाने होंगे। लेकिन साथ-साथ हिमालय के आंगन और उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया, श्रीमन्, बड़ा दुख होता है कि कभी-कभी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने ठीक कहा कि जो उत्तर प्रदेश का रूप है, वह रहेगा। आज की हालत में झगड़े कितने हैं, नदी के, पानी के, बिजली के हर चीजों के झगड़े हो रहे हैं ? पंजाब, हरियाणा के झगड़े हो रहे हैं। जितने छोटे राज्य बनेंगे, उतने ज्यादा नदी, पानी, उद्योग, बिजली के झगड़े बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश को इससे हानि भी है। कुछ माने में वह एक हृदय हो गया है। अब हृदय को आप काटना चाहेंगे, तो हृदय के कितने टुकड़े बनेंगे ? इसीलिये हिमालय को भी साथ रखिये। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, हरिद्वार इन सबको अलग न रखिये। मैं इसको कोई दलगत दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि एकता के लिये जरूरी है। जब लोग दिल्ली में बैठते हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। उस पर यह प्रभाव बने रहने से, अगर दिल्ली में कोई राजनीतिक असन्तुलन होने लगे तो ऐसे बड़े ब्लाक होने चाहिए, जो देश की राजनीति में स्थिरता लायें तो मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

जहां तक बिक्रीकर में सहूलियत देने की बात कही गयी है, वित्त मंत्री मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमने जो सोचा था वह व्यावहारिक नहीं है। हम समाज को कर मुक्त बनायेंगे, भय मुक्त नहीं और इसके लिये उन्होंने प्रयास किया है और लोगों को राजी करने की कोशिश की है, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप देखें कि कौन सा बिक्री कर पहले माफ हो गया और कौन इस बजट के द्वारा माफ हुआ है ? कुछ तो हो चुका है और कुछ अब किया है और कौन पहले किया है, इससे स्पष्ट नहीं होता है। 4 महीने पहले भी नोटीफिकेशन जारी किया है। 1991-92 का बजट पेश न

किया हो, लेकिन लागू करने के लिये इनको 9 महीने मिले हैं, उसको पेश मुलायम सिंह ने किया था, उसके बाद चुनाव हो गये और जून में नई सरकार आ गयी । उन्हीं उद्देश्यों को लेकर वर्तमान सरकार ने निभाया है ।

मैं तो सोचता था कि पिछले वर्ष के बारे में ज्यादा अनुभव बतायेंगे क्योंकि बजट पेश तो मुलायम सिंह ने किया और लागू आपने किया, तो उसमें आपको क्या विरोधाभास लगा, आपको उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई, कठिनाई इसलिये नहीं हुई क्योंकि बुनियादी नीतियां वही हैं, नाम आप कोई ले लें । मेरा भी भाषण है, हो सकता है कि आपने उसकी नकल की हो, हो सकता है कि मैंने आपके 1992 में होने वाले भाषण की नकल पहले ही कर ली हो, यह सोचकर कि आप यह देंगे । मैं अपनी कमी स्वीकार करता हूं । तो वित्त बिक्रीकर को लें, जो यह 121 करोड़ की आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं, पहली बार 200 करोड़ होने जा रही है । यह आंकड़े हैं राजस्व पूंजी लेखे की प्राप्तियों के । बिक्रीकर 90-91 में 1680 करोड़ की आमदनी हुई, अब छूट देने के बाद इसको बढ़ाकर 2027 करोड़ करने जा रहे हैं और अगले वर्ष जब कोई महानुभाव बजट पेश करेंगे तो 2025 करोड़ तक हो जायेगी । मैं तो संसदीय भाषा का प्रयोग करता हूं, मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि आप ही करेंगे, क्योंकि जो चहल कदमी हो रही है, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता है । मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि बिक्रीकर की आमदनी को बढ़ा दिया, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितनी बढ़ सकती है ? व्यापारी भाइयों को विश्वास में लेना चाहिए । हां, मैंने एक व्यापार मण्डल का गठन किया था, उसका क्या हुआ ? उसको परामर्श देने के लिये किया था और यह भी कहा गया था कि व्यापारियों को मशीनें दे दें, जिससे वह अपने खाते रखें । आज कल जो बड़ी-बड़ी बहियां रखी जाती हैं, वह आज के युग में ठीक नहीं कही जा सकती हैं । कम्प्यूटर है, केबिल टी० वी० है, उससे 3 मिनट में बड़े से बड़ा हिसाब लगाया जा सकता है। मैंने यह किया था कि जो मशीन लगायेगा, उसको उसकी खरीद पर सेल्स टैक्स नहीं लेंगे । अगर यह सुविधा दें, चाहे कम्प्यूटरीकरण न भी करें, तो मशीनों के लगाने से काफी आमदनी बढ़ेगी । कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है । महाराष्ट्र की तामिलनाडु की आमदनी हमसे अच्छी है, हमसे ज्यादा है तो यह इसके कारण है तो आज उत्तर प्रदेश को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है, यह सबसे बड़ी बुनियादी बात है । हमें यह वातावरण बनाना चाहिए कि एक तरफ टैक्स प्रगतिशील हो और गरीब पर बिल्कुल न लगे, कम से कम लगे यहां पर इस तरह से टैक्स हो, संसाधन बढ़ जायेगा, अल्प बचत का कोई आधार नहीं है । अगर बचत के हिसाब से देखा जाय तो अल्प बचत में दुगुनी आमदनी बढ़ा सकते हैं ।

जो हमारा करभार बढ़ा, उत्तर प्रदेश वर्तमान कर की दरों से ही अपनी आमदनी को दुगुना कर सकता है, क्या इसका प्रयास सरकार करेगी ? इसके लिये एक बात हर सरकार ने की जो हमने इसका उल्लेख नहीं किया, आठवीं योजना के संसाधन कहां से आयेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए ? योजना कमीशन से माननीय मुख्य मंत्री जी ने विवाद किया और यह भी कहा कि प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से हमको इतना अधिक मिला, यह अच्छी बात है ।

अगर केन्द्र से सहयोग का हाथ बढ़ाया जाय बजाय इसके कि केन्द्र पर नुक्ताचीनी होती रहे, जो कभी-कभी भावना निकलती थी इस सरकार के भाषणों से, मैं यह कहूंगा प्रजातंत्र में है पर जिनका नहीं हुआ है ऐसा लगता है कि 2 परस्पर लोग बैठे हुए हैं जो किसी भी मायने में बात करने को तैयार नहीं हैं तो कैसे प्रजातांत्रिक काम करेंगे, कैसे आर्थिक विकास की बात सोच सकते हैं ? आप देखें भूकम्प के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन जो इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि भूकम्प के बारे में इसमें एक सिफारिश है इस बजट में 95 करोड़ धनराशि, 90 करोड़ धनराशि बता रहे हैं, कैसे हम केन्द्र से कुछ कहें जिसमें दो तिहाई पिछले साल आ गया है और इस साल के लिये 90 करोड़ अगले साल के लिये रखा गया है और दो तिहाई एक तिहाई का लिखा है तो यह फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बना हुआ है, वेज एंड मीन्स एडवांस ले लीजिये रिजर्व बैंक से, और बाकी 156 करोड़ की मांग देश की है, उसके आधार पर रुपये की कमी नहीं है, 174 करोड़ रुपये राहत आपदा निधि में जमा है,

हो सकता है कि खजाने में मौजूद न हो लेकिन रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि बलराम जाखड़ जी इसके मंत्री हैं क्या राजस्व मंत्री वहां गये, उन्होंने बात की, श्री जगदीश चन्द्र पन्त, अतिरिक्त सचिव हैं, यू० पी० कैडर के हैं, बड़े योग्य अधिकारी हैं क्या हमने किसी अधिकारी को भेजा कि पन्त जी से यह बात करें कि वह रिपोर्ट आपकी पहुंची है ? हम सब लोग गवर्नमेंट में रह चुके हैं, हमारा मामला है, फाइल वहां आती है जो भेजी जाती हैं, पन्त जी फाइनेन्स कमीशन को फाइल भेजते हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द मंजूर हो, सर्वदलीय समिति इसके लिये बना दें। काम के बारे में तो क्या हमने सर्वदलीय समिति बनायी, राहत के बारे में बतायें। तो जो आपके भाषण में बात निकलती है उसी का उल्लेख कर रहा हूं।

इसी तरह से श्रीमन्, जो विकास की दूसरी योजना है उसके बारे में शायद वित्त मंत्री जी को यह अवसर न मिले कि अपने बजट के आंकड़ों को योजना से मिला सके क्योंकि मैंने सारे बजट साहित्य को देखा जहां आपने बजट भाषण में कहां है कि इतनी अतिरिक्त हमने योजना मंजूर करा ली है, इतना धन दे रहे हैं वह इस बजट में कहां है। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने वह आंकड़ा दिया जिसमें यह स्पष्ट है (समय 3 बजकर 20 मिनट) प्लान आउट ले यानी योजना में जो धनराशि मंजूर की है वह बजट में भी है या नहीं। उदाहरण के लिये डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ठीक कहा है कि प्राथमिकता देकर विश्वविद्यालय का काम कराया जायगा। बजट देखता हूं तो घट गया है। 1989-90 में 21 करोड़ रु० खर्च हुआ, 90-91 में 5 करोड़ रु० खर्च हुआ तथा 91-92 में 2 करोड़ 53 लाख रु० था और इस बजट में एक करोड़ रु० रह गया। प्राथमिकता कैसे देंगे ? आपने जो घोषणायें की हैं उसके अनुरूप तमाम मदों को देख लें कि आपकी घोषणा के अनुरूप हैं या नहीं। डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर कैसे होगा ?

इसी प्रकार आपने जो गांव के लिये, कृषि के लिये, सिंचाई के लिये योजनायें बनायीं, लखवाड़-व्यासी योजना के लिये 90-91 में 15 करोड़ 55 लाख रु० था, इस बजट में 9 करोड़ 94 लाख रह गया है, राजघाट परियोजना के लिये 90-91 में 12 करोड़ 90 लाख रु० था इस बजट में 10 करोड़ 30 लाख घटकर रह गया है। चार राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की बैठक हुई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ, वह समझौता क्या हुआ, आपको सूचना देनी चाहिए इस सदन को। राज्यपाल के अभिभाषण में आना चाहिए था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या फैसला हुआ ? इसी प्रकार मोदहा, चित्रकूट, वरियारपुर बांध के बारे में बुन्देलखण्ड के बारे में बताना चाहिए था। राजघाट के बारे में मैंने बताया कि 2 करोड़ 60 लाख रु० कम हुआ। इसी प्रकार ऊपरी गंगा नहर सिंचाई का आधुनिकीकरण (विश्व बैंक) में 1991-92 में 58 करोड़ 45 लाख रु० था इस बजट में 49 करोड़ 8 लाख रु० कर दिया। इसमें यह भी कहना है कि यह योजना विश्व बैंक की है और विश्व बैंक और दूसरे देशों से जो रुपया मिल रहा है, जितना खर्च कर लें, उतना रुपया आपका हो गया। केन्द्र ने तय किया है कि जितना रुपया बाहर से मिलेगा, आपको जायगा। इस योजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश लाभान्वित होंगे। इसमें 9 करोड़ रुपया पहले की तुलना में कम कर दिया गया है। इसी प्रकार, पूर्वी गंगा नहर का बजट 1990-91 में 11 करोड़ 59 लाख रु० था, इस बजट में घटकर 7 करोड़ 95 लाख रु० रह गया। इसी तरह मोदहा बांध, उर्मिल बांध, नरायनपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि, ज्ञानपुर पम्प नहर तथा बाकी जो भी योजनायें हैं सब में धनराशि कम हो गयी है। शासन से पूछना

चाहूंगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इतना सुन्दर भाषण, ममता भरी वाणी और धन के आवंटन में यह कठोरता ?

(हंसी)

इसी तरह ऊर्जा विभाग को भी आप देख लें । ऊर्जा विभाग का जो बजट है खण्ड 5 भाग 1 का आखिरी पेज उठाकर देखिये । वास्तविक आंकड़े 90-91 में है 55 करोड़ वास्तविक अनुमान 91-92, 956 करोड़, पुनरीक्षित अनुमान जो बने वह हैं 997 करोड़ और बजट आवंटन बिजली के लिये 540 करोड़ 15 लाख, बजट मेमोरेंडम में भी इसका उल्लेख है । जो भाषण में आय-व्ययक पर वित्त मंत्री जी ने कहा था, क्या अनपारा को बढ़ा रहे हैं, हमें स्वीकृति मिल रही है बजट में प्राविधान नहीं करेंगे तो खर्च कैसे होगा ? या यह कहते, बजट पहले छप जाता है, तो उसे कहते कि हम बजट में प्राविधान नहीं कर पाये हैं, इनका प्राविधान पूरक बजट में करेंगे । यह मैंने देखा हुआ भी है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वह कृपा नहीं की, ममता है । मान्यवर, एक चिन्ता है, सदन को भी चिन्ता है कि प्रदेश का जो औद्योगीकरण है उसके बारे में केन्द्रीय और विश्व नीतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है ? हम चाहें न चाहें दुनिया बदल रही है, सबकी नीतियां बदल रही हैं । चीन की नीतियां हैं, रूस को छोड़िये, चीन की जो नीतियां बन रही हैं उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश में अध्ययन कराया कि हम कहां हैं और क्या सोच रहे हैं चीन में एक प्रदेश जेंजिंग है वहां कैसा औद्योगीकरण हो रहा है ? स्माल स्केल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया का हेड क्वार्टर लखनऊ में है, कितनी बार हम लोग जाते हैं, चारबाग, रास्ते में विकास दीप में स्थित है । बम्बई छोड़िये यहां इस लखनऊ में स्थित है, इसमें आपने कितनी बैठकें कीं ? इस उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिये आपने क्या कोई ब्लू प्रिंट सोचा, कोई टास्क फोर्स उद्योगपतियों का विभागों का बनाया, जो छोटे उद्योग बीमार पड़ रहे हैं उनको दुबारा चालू करने के लिये क्या हमने रणनीति बनायी है ? रिजर्व बैंक की एक कमेटी होती है उसकी बैठकें होती हैं, मैं पूछता रहा मुझे तो किसी बैठक की खबर नहीं मिली, कम से कम चार बैठकें साल भर में उसकी होनी चाहिए, मुश्किल से एक बार भी बैठक नहीं हुई, मैं इसे ठीक से नहीं कह सकता हूं, मुख्य मंत्री जी बता सकते हैं । छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये कहां से धनराशि आयेगी ? वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि उत्तर प्रदेश में वातावरण अच्छा बन गया है, औद्योगीकरण के लिये लोग आ रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 18 फीसदी हमने विश्लेषण किया आपको भी जानकर दुख होगा कि आप कहते हैं कि 18 प्रतिशत उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यह काहे के लिये है । उनमें सबसे ज्यादा डेरी मिल्क बेस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश करीब है दिल्ली के, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ यहां के लोगों ने छोटी मझोली 1 करोड़ 2 करोड़ की डेरी बनानी शुरू कर दी हैं । 157 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें 77 डेरी मिल्क बेस के लिये थे । कुल मिलाकर 466 में से 148 दुग्ध व्यवसाय या दूध से बने उत्पादों से सम्बन्धित थे, 75 आयल साल्वेंट प्लांट धान के छिलके से जो चीजें बनती हैं उसके लिये, रोलिंग मिल 120 – यह सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे । मध्य उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध यह भगवान राम का अंचल है अयोध्या और यहां पर कोई आगे नहीं आ रहा है ।

मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं और हम भी इससे सहमत हैं, इसे आकर्षित करने के लिये हमें नीतियां बनानी पड़ीं । क्या उद्योग नीति है यह आज के लिये नहीं है यह नहीं सोचना चाहिए कि आगे चल करके कौन सी उद्योग नीति के तहत नयी व्यापार नीति की घोषणा होगी । हम कट्टर पंथी रहे, हम एकांगी दृष्टिकोण से चलें कौन उद्योग आयेंगे, व्यापार बढ़ेगा । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी जरा देखें इसमें बहुत ही महती प्रयास की आवश्यकता है, नये भगीरथ की आवश्यकता है। क्या इतनी सामर्थ्य है । तो ऐसी लघु उद्योग नीति बनायें जिससे उत्तर प्रदेश में नया उद्योग स्थापित हो सके । कुछ बैठकें हुई लेकिन यह प्रयास निरन्तर होना चाहिए अभी मुझे दूसरे प्रदेशों के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो इस दल के भी हैं और जो शासक दल के भी हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी के दल के लोग कह रहे थे कि हमें तो बड़ा अच्छा हो रहा है जो उत्तर प्रदेश से जाने वाले थे वह हमारे यहां आ रहे हैं लेकिन फिर हमारा क्या होगा, विकास का क्या होगा ।

इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 1537 लाइसेंस पुराने मिले हुए हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं जिनके प्रोजेक्ट नहीं बने हैं और कुल मिलाकर के यू० पी० में चार हजार सात सौ छब्बीस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हैं जो अनइम्प्लीमेंटेड हैं । क्या उनकी कोई बैठक हुई, नहीं हुई। श्रीमन्, सतरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलें कैसे आयेंगी इसके लिये सुझाव देना चाहता हूं । 40 करोड़ रुपये का पूर्वांचल विकास फण्ड बना है इसके लिये लघु उद्योग हर जिले में लगाये जाते हैं । जो उद्योगपति यहां उद्योग लगाये ज्वाइन्ट सेक्टर या निजी सेक्टर में लगे उसमें पूंजी निवेश हो, उसमें पैसा दिया जाये । खेतिहर मजदूरों को दिया जाये । क्या एक खेतिहर मजदूर हैन्डलूम का कारखाना नहीं लगा सकता है, हमें भदोही की कारपेट वीविंग इन्डस्ट्रीज को चारों तरफ बढ़ाना चाहिए इस तरह जहां जहां जो उद्योग पहले से लगे हुए है वहां पर वहीं उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और एक रणनीति बनानी चाहिए और इसके लिए एक दिशा देनी होगी बैकों को बढ़ाना होगा, वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना होगा और जो उद्योगपति हैं उनके प्रतिनिधियों को बढ़ावा देना होगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होगा तब जाकर रोजगार बढ़ेंगे । इसी तरह खेती के लिये हमें यह देखना होगा कि क्या ग्लैडीओला या नये बीज, जो संसार में उपलब्ध हैं, भारत में कहीं उपलब्ध हैं, उन बीजों को हम छोटी जोतों में लगायें । आप स्वदेशी की बात करते हैं, बजट में कहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ ज्यादा कह गये, वित्त मंत्री जी । वित्त मंत्री जी ने ऐसा कहा कि पूर्ण स्वदेशी कर डालेंगे ।

इनके ही शब्दों में कहना चाहता हूं "इसलिये हमारी सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास को पूरी तरह स्वदेशी बनायेगी । इसके लिये स्वदेशी उपकरणों को प्रोत्साहन दिया जायेगा" । आप पूंजीवाद पर विश्वास नहीं करते, ठीक है न करें । कोई आवश्यक नहीं है कि सब पूंजीवाद, समाजवाद में विश्वास करें, लेकिन स्वदेशी बनाने की जो बात है, इसको समझाना पड़ेगा, कि स्वदेशी बनाने का अर्थ क्या है, क्या विदेशी टेक्नालोजी बिल्कुल नहीं लेंगे ? श्रीमन्, फतेहपुर में अभी तेल का एक ऐसा बीज आया है, जिससे वहां की सारी खेती ही बदल गयी, कायापलट हो गयी । रेल का इंजन बाहर से आया, वह स्वदेशी हो गया । जब विदेशी का स्वदेशीकरण हो जाता है, तो फिर क्या आपत्ति है । हम लोगों की मानसिकता को ऐसा बना रहे हैं कि एक तरफ तो लोग केबिल टी० वी० देख रहे हैं, लोगों की मानसिकता का स्वदेशीकरण नहीं हो रहा है, मानसिकता का केबिलीकरण हो रहा है । जहां विकास की बात है, उत्पादन बढ़ाने की बात है, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने की बात है, वहां आप लोगों को स्वदेशी का नारा देकर विदेशी टेक्नालोजी अपनाने की बात से पीछे हटा रहे हैं । हम लोग आम तौर से खद्दर पहनते हैं, हम तो वैसे भी स्वदेशी के मानने वाले हैं, लेकिन उद्योग के बारे में मैं कहता हूं कि

नई टेक्नालोजी को लेना होगा । दूसरे प्रदेश वाले लेते जायेंगे, हम यहीं के यहीं रह जायेंगे । आप पश्चिम बंगाल को देखिये, सारे मामलों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, भले ही वह साम्यवादी है, जैसे चीन में हो रहा है, ठीक उसी तरह कोशिश कर रहा है । उत्तर प्रदेश ऐसा करता है, ऐसा वातावरण बनाता है, तो इसमें क्या बुराई है ?

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं संस्थागत वित्त के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बैंकों से बातचीत न करने का उत्तर प्रदेश को कितना नुकसान हो रहा है । पता नहीं आप संस्थागत वित्त को सक्रिय क्यों नहीं कर पा रहे हैं । मेरे पास सारे बैंकों की लिस्ट मौजूद है, मैं चाहूंगा कि सदन जरूर इसे देखे । भारतीय स्टेट बैंक, जो यू० पी० का सबसे बड़ा बैंक है, में वर्ष 1990 में 4,663 करोड़ रुपया जमा हुआ और 2,675 करोड़ दिया, इस प्रकार ऋण जमा अनुपात 57 फीसदी था । हम चाहते थे कि 60 हो जाय । इसी तरह रिजर्व बैंक आफ इन्डिया है, वहां के गवर्नर आये थे, उनको आपको आमंत्रित करना चाहिए था, बैंकों की कमेटी को आमंत्रित करना चाहिए था। मान्यवर, मेरे पास दिसम्बर, 91 के आंकड़े मौजूद हैं । उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक में कुल जमा 5,448 हुआ और 2,655 करोड़ वापस आया, एडवान्सेस के रूप में, व्यापार के पास, उद्योग के पास और स्टेट बैंक का ऋण जमा अनुपात प्रतिशत 57 से घटकर 44-45 प्रतिशत रह गया, यानि 12 प्रतिशत कम हो गया । इसी प्रकार यूनियन बैंक आफ इण्डिया का घटकर 39 से 33 रह गया । बैंक आफ बड़ौदा भी काफी बड़ा बैंक है, उसका 58 से घटकर 57 रह गया, बैंक आफ इन्डिया का 60 से 55 प्रतिशत रह गया, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया का 33 से 27 प्रतिशत रह गया । कुल मिलाकर आज प्रदेश में खेती में, व्यापार में, उद्योग में, धन्धों में बैंकों का रुपया घट रहा है, एल० आई० सी० का भी घट रहा है पेयजल की योजनाओं के लिये पैसा कहां से आये । यह पैसा एल० आई० सी० से आता है । कभी आपने जनरल इन्सोरेन्स से बात की । हमने झोपड़ी बीमा योजना चलाई थी, जिससे लाखों गरीबों को फायदा होता, अगर इसका सही तरह से मानीटर किया जाता ।

यहां मुख्य मंत्री कार्यालय में इसका एक सेल भी बना रखा है । इसलिये आज इसको सक्रिय करने की आवश्यकता है । आज संस्थागत वित्त की तात्कालिकता है । यह केवल अधिकारी स्तर पर नहीं, अपितु राजनैतिक स्तर पर हमें इसे सक्रिय करना होगा । ताकि प्रदेश में ऋण जमा का अनुपात हर जिले में बढ़े । आज जिलों में बैठकें नहीं होती । मैं बैंक के लोगों से भी मिलता रहता हूं, वे लोग कहते हैं कि बैठक ही नहीं हुई । आज हर जिले में लीड बैंक हैं । हर जिले का अपना एक क्रेडिट प्लान बनता है । इसमें जिलाधिकारियों को निर्देश देने की आवश्यकता है । मैं अत्यन्त गम्भीरता के साथ कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां संसाधनों की कमी है, वहां संस्थागत वित्तीय संसाधनों को जुटाना आवश्यक है, अल्प बचत को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा संस्थागत वित्तीय कार्यों को भी सम्पन्न कराने की आवश्यकता है । शिक्षा के बारे में, खेती के बारे में, समाज कल्याण के बारे में विस्तार से जब अनुदान मांगें यहां पर आयेंगी तो मुझे विश्वास है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य अपने अनुभवों से इस सदन को तथा प्रदेश को लाभान्वित करेंगे । मैं तो समझता हूं कि आज हर बजट पर विस्तार से चर्चा हो । आप आज सड़कों को ले लीजिये ।

हमारे जो मंत्री हैं, वह कुछ मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं । अभी वह डिपार्टमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं । आज गुणवत्ता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है । आज सड़कों का क्या हाल है। हाट मिक्स प्लांट से हमने 2 हजार किलोमीटर की सड़क बनायी थी । परन्तु आज आप देख लीजिये शहरों के अन्दर उनका क्या हाल है । नगर विकास विभाग में हमने चुंगी तो माफ कर दी परन्तु हम

उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । आज नगरपालिकाओं को हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं । इसमें मंत्री जी का दोष नहीं है । यह व्यवस्था का दोष है । आज नगरों में सफाई की क्या हालत है । ऐसी ही हालत ग्राम सभाओं की है । हमने तो लगान का पैसा ग्राम सभाओं को दे दिया था । आपने कहा कि हम 60 फीसदी गांवों को दे रहे हैं अच्छी बात है । लेकिन आप बतायें कि इससे गांवों का कितना बजट बढ़ा है । मैंने जब पंचायती राज निदेशक से पूछा कि ग्राम सभाओं की आमदनी क्या है । तो मुझे बताया गया कि केवल 2 करोड़ रुपये है । जबकि हमारे यहां 75 हजार के करीब ग्राम सभायें हैं ।

जब तक ग्राम सभाओं के लिये बजट नहीं होगा, तब तक विकास कैसे सम्भव हो पायेगा । आप पैसा दें चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे अन्य संसाधनों के जरिये हो, आप उन्हें अलग से पैसे दीजिये । जिलों के संसाधन बढ़ें, ब्लाकों के संसाधन बढ़ें, इसके लिये एक सोच होनी चाहिए । इसके लिये एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए । इसके बिना भविष्य में आप काम ठीक से नहीं कर पायेंगे। बिजली के बारे में माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये । टेहरी के बारे में मेरा निश्चित मत है टेहरी बांध बनना चाहिए, हां भूकम्प से बचाव का उसमें पूरा प्राविधान होना चाहिए । पर्यावरण के बारे में मैं माननीय बहुगुणा जी का आदर करता हूं । लेकिन टेहरी बांध न बने, इससे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान होगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की सारी योजनायें नहरें, गूलें इसी पर आधारित हैं उससे पूरे 12 महीने पानी मिलेगा । एक हजार करोड़ की गंगा नदी योजना बनी है । अगर कहीं भूकम्प आते हैं तो क्या बांध नहीं बनते हैं । तो कैसा ही भूकम्प आये तो क्या योजना नहीं बनेगी । उसके बचाव का प्राविधान होना चाहिए कोई कारण नहीं है कि काम रोका जाय । 7 सौ करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भूकम्प की बात उठा कर रोक दें ठीक नहीं । हां कुछ महीने तीन महीने पक्का करने की बात पर रोक सकते हैं ? लेकिन पूरा रोक देना प्रदेश और देश के भी हित में नहीं है । बांध से चाहे जितना खतरा हो उसको दूर करना होगा । दूसरी जगहों में भी बांध बनते हैं, वहां भी भूकम्प आते हैं मकानों को क्षति होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि बांध नहीं बनेंगे । भूकम्प के डर से बुनियादी काम न करें ऐसा कहीं नहीं होगा ।

इसी प्रकार दूसरी योजनायें श्रीनगर, आनपरा, लकवाड़, मनेरीभाली योजनायें हैं उन सब को पूरा करें । इसमें केन्द्र का पूरा सहयोग लेना होगा । भारत के संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों का पारस्परिक सहयोग विकास कार्यों में अपरिहार्य है । निरर्थक रूप से राज्य केन्द्र पर आरोप लगाये और केन्द्र राज्य पर आरोप लगाये ठीक नहीं । बहुत से दूसरे प्रदेश हैं वह केन्द्र से टकराव नहीं करते और लाभ लेते हैं पश्चिम बंगाल को देख लें एक लाइन कह देता है, तमिलनाडु एक लाइन कह कर छोड़ दिया । यहां पर मैं कहूंगा राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ज्यादा था लेकिन बजट में थोड़ा फ़र्क आया है, बदला है इसमें कम है । इसमें राजेन्द्र गुप्त जी वित्त मंत्री की ममता कहूंगा या चतुरता कहूं ।

श्रीमन्, क्षमा प्रार्थी हूं आपके द्वारा सम्मानित नेताओं से मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया । मैं कुछ और भी ले सकता था लेकिन इस समय नहीं फिर कभी और समय मिलेगा तो निवेदन करूंगा । मैं इतना ही कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी श्लोकों से बहुत उपदेश देते हैं तो उसमें भी समाजवाद है, हम भी समाजवादी हैं, गांधी जी के समाजवाद की बात है अच्छा है उसमें विभेद कहां है – "दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहूं नहीं व्यापा" राम राज्य की कल्पना तुलसीदास ने बहुत पहले कर ली थी । आप भयमुक्त समाज की बात करते हैं, भय कहां है ? भय दिमाग का होता है मुझे आपसे और आपको मुझ से भय है ।

मुझे चाणक्य के वाक्य की पंक्ति याद आ गयी क्योंकि आजकल चाणक्य सीरियल चल रहा है। कौटिल्य की नीति सूत्र में कहा है – "अलब्ध लाभो नालसस्य (38) अल्सस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते (39) न चालसस्य रक्षितं विवर्धते (40) न भूत्यान् प्रेषयति (41)" राज्य तंत्र के स्तम्भ चार हैं अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन तथा संवर्धित का वितरण। अलब्ध लाभादि चतुष्टयं राज्यतंत्रम। कोटिल्य ने इस छोटे सूत्र में अर्थ निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री उसे मानते हैं। तो उसको आप चलायें। बजट लागू करने का प्रयास करें और देखें कि आंकड़ों के अनुसार बजट चल रहा है या नहीं तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मान्यवर, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। ग्लैडिस्टोन और डिजरायली बहुत बड़े महान सांसद हुए हैं। उनमें भी नोंक-झोंक होती थी। सब लोग बैठे रहते थे सुनने के लिये। एक बार जब ग्लैडिस्टोन प्रधान मंत्री थे और डिजरायली विरोध पक्ष में बैठते थे। बजट पेश हो रहा था। ग्लैडिस्टोन ने विरोध दल वालों से कहा डिजरायली, यू डिजायर आल। आपकी अभिलाषा है कि सब कुछ आपको मिल जाय। डिजरायली ने उसके जवाब में उनसे कहा – ओह आई नेवर नो दैट यू आर ए ग्लैड स्टोन। आप एक मुस्कराते हुए पत्थर हैं। तो मान्यवर, यह मुस्कराते हुए पत्थर न आप बनें, न हम ऐसे लालची बनें कि हमारी भी अभिलाषा हो कि सब कुछ हमें ही मिल जाय। हमारी अभिलाषा ऐसी हो कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश को हम 21वीं सदी की ओर ले जाने में सार्थक हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

श्रीमन्, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के सारगर्भित और विश्लेषणात्मक भाषण के बाद मैं समझता हूं कि मेरे बोलने का मतलब होगा सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन मान्यवर, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर श्रीमन्, इस बजट में प्रकाश नहीं डाला गया है और जो प्रदेश के विकास से सम्बन्धित हैं। मैं उस तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। श्रीमन्, जब आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाता है तो यह एक मान्यता है कि सरकारी लेखा विभाग में इसको तीन श्रेणियों में बांटा जाता पहली श्रेणी होती है–समेकित निधि, दूसरी आकस्मिकता निधि और श्रीमन्, बंटने के बाद लेखा खाता की तीसरी श्रेणी आती है। मान्यवर, इन तीनों श्रेणियों में बांटना चाहिए था। मान्यवर, बजट जो 69 पेज का प्रस्तुत किया गया है इसका पहला और अन्तिम पेज तो साहित्य और धर्म से सम्बन्धित हो गया और बीच के पेज आर्थिक नीतियों से भरे हुए हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो धर्म और साहित्य की चर्चा इन्होंने की है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट को साहित्यकार और धार्मिक व्यक्तियों ने ज्यादा लिखा है और अर्थशास्त्रियों ने कम लिखा है। यही कारण हैं कि जो बातें अर्थशास्त्रियों से सम्बन्धित हैं, विकास की योजनाओं से सम्बन्धित हैं, प्रदेश को नई दिशा प्रदान करने से सम्बन्धित थीं उनका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है और जिस तरफ हमारे माननीय नेता तिवारी जी ने इशारा भी कर दिया है। मैं भी आपका ध्यान उसी तरफ ले जाना चाहता हूं। इस बजट के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम शुरू में लिया गया है।

बजट के प्रथम पृष्ठ से ही दिखाई दे रहा है कि इस बात से पूरा बजट आच्छादित है कि भगवान राम का मंदिर बनाने के लिये आप कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आपने क्या योजनायें बनायी हैं ? कैसा यह बजट प्रस्तुत किया है? यह पूरा 69 पेज का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कहीं प्रदेश के विकास की योजनायें नहीं मिल रही हैं। आपने इस तरह से शब्दजाल का अलंकरण किया है कि अनुप्रास, श्लेष, उपमा, उपमेय सब भर गये हैं और यह शब्दजाल से अलंकृत बजट आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है।

साहित्य का सृजन करना हो तो यह बजट प्रभावी कहा जाता । जहां तक नीतियों का सम्बन्ध है, इस दिशा में यह ठीक नहीं है । इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । कृषि के सम्बन्ध में आपने चर्चा की है । खेती पर आधारित 85 फीसदी लोग यहां पर हैं आपने कहा है कि गांव के विकास के लिये 60 फीसदी कर दिया है । मुझे भी सरकार में रहने का समय मिला है दिल्ली में रहकर देखा सारी सरकारों ने इस बात की ओर इशारा किया कि कार्यक्रम को बढ़ायें । मान्यवर, 1977–80 के बीच में तत्कालीन ने० वि० दल श्री तिवारी जी के समय, हम लोगों ने प्रयास किया कि अन्त्योदय कार्यक्रम को आगे ले जायें । जो गरीब वर्ग है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसको उठाने का काम करना चाहते थे, उस कार्यक्रम का नाम हमने अन्त्योदय कार्यक्रम रखा था, तो नाम बदलने से गुणवत्ता नहीं बदलेगी, पालम एयरपोर्ट का नाम इन्दिरा गांधी के नाम पर, लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी हो जाये उसी तरह से मुगलसराय को यह दीनदयाल नगर कहने जा रहे हैं तो इसका हम विरोध नहीं करना चाहते हैं किन्तु यहां पुरानी शराब को नयी बोतल में भरकर अपना नाम दे देने का काम यह कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि राम का नाम बार-बार लिया गया, राम के नाम पर अयोध्या नगरी का ही नाम नहीं है राम तो सर्वत्र हैं, राम सार्वभौमिक हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्वकालिक हैं, राम का चरित्र इतना ऊंचा है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है ।

इनके मंत्री आज घबराकर भाषण दे रहे हैं कभी कहते हैं कि राम जन्मभूमि विवादित स्थल है कभी कहते हैं कि सब जानते हैं कि वह राम जन्मभूमि है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि 7 अप्रैल का दिन कयामत का दिन होगा जब संसदीय दल आयेगा और जांच होगी जांच को स्वीकार करना चाहिए । मैं समझता हूं यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है । आज सरकार आपकी चल रही है यह सरकार धर्मान्धता में बंधती जा रही है । इन चीजों से हटकर विकास की योजनाओं को देखना चाहिए । मान्यवर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया आतंकवाद के बारे में इन्होंने कहा है कि भयमुक्त समाज बनायेंगे । धामपुर और नजीबाबाद में गन्ने की खेती होती है आतंकवादी खेतों में छिपे रहते हैं आपने आदेश दे दिये हैं कि सड़कों के किनारे 100 गज के भीतर अरहर की खेती, गन्ने की खेती और मकई की खेती नहीं होगी जो लोग गन्ने की खेती करते हैं वह खेती करने से वंचित हो जायेंगे । आपने वायदा किया था कि मिलों में गन्ना जायेगा तो उसके दाम बढ़ेंगे । मैं अपने क्षेत्र में गया था वहां गन्ना कम पैदा होता है जहां गन्ने की पेराई हो रही है वहां मिलों में लम्बी लाइनें लगी हुई हैं वहां गन्ना सूख रहा है । पश्चिम प्रदेश का गन्ना खेतों में सूख रहा है । आज गन्ना मिलों में पेराई के लिये पड़ा है आप गन्ना मिलों में पेराई बन्द न करें जब तक गन्ने की पूरी खपत वहां नहीं हो जाती है । इस प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी सर्वोच्च नेता थे वह देश के प्रधान मंत्री भी रहे । धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर आपको कृषि नीति बनानी चाहिए थी ।

यह प्रस्ताव होना चाहिए कि प्रदेश के अन्दर चौधरी साहब की नीतियां अपनाई जानी चाहिए थीं । आपने छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धों की बात कही है मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना चौधरी चरण सिंह के नाम पर हुई है । आप भी किसानों को आगे बढ़ाने के लिये कृषि नीति को आगे बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करायें । मान्यवर, आपने विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई, डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय के बारे में आपने कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे । उनका 14 अप्रैल को जन्म दिवस आ रहा है । डा० अम्बेदकर जिन्होंने हमेशा दलितों की उत्थान की लड़ाई लड़ी, आप हजरतगंज के चौराहे पर चले जायं वहां पर एक मूर्ति लगी है जिसके हाथ में संविधान की किताब होगी और दूसरी उंगली दिल्ली की तरफ उठी होगी । उन्होंने उन लोगों को

संविधान में मान्यता दिलायी जो सदियों से पिछड़े और सताये हुए थे और उंगली दिल्ली की ओर उठाने का मतलब है कि दिल्ली की कुर्सी पर अपनी निगाह रखो ।

आप कह रहे हैं कि हम बिजली मयस्सर करायेंगे, मैं समझता हूं कि कल का दिन लखनऊ के लिये दुर्भाग्यपूर्ण था, सारे प्रदेश की बात छोड़ दीजिये विधान सभा के लिये भी बिजली मयस्सर नहीं हुई । आप बिजली क्या देंगे । बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं कल सारा प्रदेश अंधकार में डूब गया । अखबार भी नहीं छप पाये । मैं कहना चाहता हूं कि किसान को जो आप बिजली दे रहे हैं थोड़ी मात्रा में रात को उसकी क्या हालत है । जब हम जाड़े में रजाई में सोये रहते हैं, जब हम गर्मियों में एयरकंडीशनर में सो रहे होते हैं तो उस समय इस देश और प्रदेश का किसान अपने खेत में क्यारियां बनाने और खेतों को पानी देने का काम करता है । किसान को आज बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है । बिजली की समस्या बड़ी कठिन है । आप इस दिशा में कदम बढ़ायें, जो बकाया बिल हैं अगर उनका भुगतान होना शुरू हो जाय तो काफी समस्या का समाधान हो जायगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने बिक्रीकर खत्म करने की बात कही थी । मैं समझता हूं कि बिक्री कर तो आप समाप्त नहीं कर पायेंगे । आपने सरलीकरण की बात कही है । हम लोग उस वर्ग से ज्यादा सम्बन्धित नहीं हैं, लेकिन आपने जो वादा किया था कि बिक्रीकर समाप्त करेंगे क्या उस दिशा में आपने कोई कदम उठाये हैं । आपने यह भी कहा है कि हम मितव्ययिता बरतेंगे, व्यय में कटौती करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आपके मंत्री दिल्ली जाते हैं तो 40 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के और 40 पुलिस वाले आप दिल्ली से मंगाकर गृह राज्य मंत्री के साथ वहां रखते हैं । कहां से आप मितव्ययिता करेंगे । कौन सी योजना में आप कटौती करेंगे । अगर आपकी योजना कटौती करने की है तो मैं समझता हूं कि व्यय भार घटाया जा सकता है ।

आपने कहा था कि योजनाओं का क्रियान्वयन होगा लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई उपाय आपने नहीं सुझाये । अगर आपने उपाय सुझाये होते तो हम लोग समझते कि आपकी योजनाओं से प्रदेश का विकास होगा । आपने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को काम देंगे । आपने 7 प्रकार के उपायों की चर्चा की लेकिन आपने उनका विस्तृत विवरण नहीं दिया कि कौन सा उपाय कर रहे हैं जिससे बेरोजगारों को, जो डिग्री लिये सड़क पर घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा । उपायों का विश्लेषण आपने नहीं किया । मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, हम लोग डेढ़ सौ वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे कि आर्य यहां के मूल निवासी हैं, हमने स्वदेशी की लड़ाई लड़ी है, स्वराज, स्वभेषभूषा, स्वभाषा कम से कम आपने इस तरफ कदम उठाने की चेष्टा की है जिसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । आपने शिक्षा विभाग की किताबों में इन बातों को पढ़ाने के लिये एक कदम उठाया है जिससे देशभक्ति का विकास हो सके । लेकिन वहीं पर मैंने यह मांग की थी शिक्षा मंत्री जी से कि आप कोई ऐसा विकल्प बतायें जिससे छात्रों का अहित न हो । आज नकल बड़े पैमाने पर हो रही है । 14 साल का अबोध बालक जो हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा है उसको आप क्रिमिनल बनाने का काम क्यों कर रहे हैं । अगर वह जेल के सीखचों में चला जायगा तो उसकी मनोवृत्ति बदल जायगी । आपको पता होगा कि क्राइम के पहले, मनुष्य के दिमाग की दिशा बदल जाया करती है । अगर वह जेल गया 25 आर्म्स ऐक्ट लगाकर तो वह क्रिमिनल बन जायगा । मान्यवर, यह स्कीम इनकी अच्छी है, धन्यवाद देता हूं । इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इसका विकल्प भी देने का काम हो कि 14 साल का लड़का क्राइम की दिशा में न लगे जाये । अगर यह काम कर देंगे तो हम भी उसका समर्थन करेंगे । ये आंकड़ों के जाल में इतने उलझ गये हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं । उद्योग और व्यापार के हिसाब से बहुत सारे एन० आर० आई०, नान रेजिडेंट इंडियन्स हैं, वे उद्योग लगाना चाहते हैं । आपने मीटिंग की थी, उद्योग बन्धु की बैठक की थी । आपको चाहिए था कि उन लोगों को प्रश्रय देते जो रहने वाले यहां के हैं लेकिन

किसी कारण से अमेरिका में बस गये । वे भारत आना चाहते हैं, अपनी मातृ भूमि आना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश में उनको बढ़ावा देना चाहिए । नोएडा और गाजियाबाद को बढ़ावा दें लेकिन और भी क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है । मिर्जापुर का इलाका है । वहां पर नौगढ़, चकिया के पास का इलाका है । वहां गाय-भैंस के गोबर से निकले दाने को पीस कर खाने वाले लोग हैं । महुआ, आम की गुठली पीस कर खाने वाले लोग हैं ।

आपने गाजीपुर को बजट दिया है, और स्थानों को दिया लेकिन मिर्जापुर के एक मंत्री हैं, आपका सुदूरवर्ती इलाका है, जहां लोग गाय-भैंस के गोबर से निकले दाने को पीस कर खाने वाले लोग हैं । उनको आगे बढ़ाना है । आप गरीबी मिटायें, भ्रष्टाचार को मिटायें, ये काम करें तो मैं समझता हूं कि ऐसी नीतियों का विरोध कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकेगा । आपने दो तीन उपाय बताये वसूली का एक उपाय बताया कि सख्ती बरतेंगे । आप सख्ती कर लें तो बकाये की वसूली हो जायगी । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि जैसा कि मैने पहले कहा आपने कोट किया है किसी साहित्यकार के द्वारा कहा है कि "न त्वहं कामये राज्ये, न स्वर्गम्, न पुनर्भवम्" काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं, उसके गेट पर माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने यह वाक्य लिखवा दिया था । जो व्यक्ति राज्य की कामना न करे, पुनर्जन्म की कामना न करे, उसको जंगल में जाकर कंठी माला पहननी चाहिए। राजनीति से दूर हो जाना चाहिए । आपने जो नारा दिया, आश्वासन दिया, जिन बातों की ओर इशारा किया उसमें तो राज्य की कामना नहीं है । मैं समझता हूं कि इस बात से कार्यों में उदासीनता तो नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने आपकी सरकार को भंग करने को कहा है । तो मैं कहूंगा कि आपने वही बातें दुहराई हैं कि "पसीना मौत का माथे पे आया, आइना लाओ, आज हम अपनी जिन्दगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे" मैं यह समझता हूं कि इस बजट भाषण में शुरुआत ही इस तरह से कर दी है और एक ऐसा योजनाओं का ताजमहल बनाने का प्रयास किया है, सारी चीजें वहीं चल रही हैं, आंकड़ों को लेकर कटौती की जा रही है, आपके दिल दिमाग में मुमताज होगी, लेकिन असली ताजमहल योजनाओं का बनाना भूल गये । एक शायर ने कहा है कि "उम्मीदें प्यार से नाराज रहा करती हैं, टीसें उठ के जिगर का राज कहा करती हैं, तो भले ही हम सब ताजमहल न बना पाये, लेकिन हर एक के दिल में मुमताज रहा करती है ।" माननीय गुप्ता जी ने कोशिश की योजनाओं का, आंकड़ों का महल बनाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाये । मैं चाहूंगा कि शब्द जाल से हटकर, वाक्जाल से हटकर स्थिरता और स्थायित्व के धरातल पर आये तो योजनायें कार्यान्वित हो जायेंगी । मान्यवर, काशी में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई । राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई, 8 महीने तक माननीय नेता सदन, माननीय गुप्ता जी ने धर्म पर चर्चा की और काशी में जब मीटिंग हुई, तो इनके शीर्ष नेता ने आर्थिक नीति को एजेण्डा में पहला विषय रखा । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दू धर्म के ठेकेदारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के बाद तो आदमी का पुनर्जन्म भले ही हो जाय, मैं तो यह नहीं जानता कि 6 महीने में आपकी सरकार जायगी, लेकिन 32 महीने जाने के लिये आपने स्वयं निर्धारित कर दिया है कोशिश कीजिये कि आपको और जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाय । मैं समझता हूं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की जो इनकी योजना है, वह भी पूरी हो जायगी ।

मान्यवर, बुनकरों और अल्प संख्यकों की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं । ये वे बुनकर हैं, जिनको रेशम नहीं मिलता, जो बेचारे साड़ी का काम करते हैं, हथकरघा चलाते हैं । ऐसे उद्योग के लिये कच्चे माल की व्यवस्था करानी चाहिए । आज स्थिति यह हो गयी है कि बुनकर लोग बिलकुल भुखमरी के शिकार हो गये हैं । आपने कुछ योजनायें दी हैं । आपने एक लाइन में इस योजना को बना दिया, बचन में क्यों दरिद्रता । इसका आपको विस्तृत रूप देना चाहिए था । आपने नारी के सम्मान के बारे में

लिखा है । आपने यह लिखा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य में खेती, मजदूरी, विद्या, व्यापार, सेवा, काश्तकारी सभी कार्य लाभकारी और मनचाहा फल देते हैं । आप यदि पैसा इसमें न दें, तो आप कीटनाशक दवायें दें, बिजली दें, पानी दें, अच्छे बीज दें, सिंचाई के साधन दें, तो जो योजनायें आपने दी हैं, उनमें विकास होगा ।

तुलसीदास जी के शब्दों से पेट नहीं भरेगा । आप सिंचाई का साधन नहीं दे रहे हैं । अभी सोन नहर और नरायनपुर पम्प नहर की चर्चा हुई । इन योजनाओं को आपको शीघ्र पूरा करना चाहिए । महुजी नाले पर पुल बनाने के लिये मांग है । इस पुल का निर्माण किया जाय । इसके बनने से जमानियां, गाजीपुर, बलिया और बिहार तक के इलाके जुड़ जायेंगे । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने दिल को विशाल कीजिये । आप यह न सोचें कि आपको जिसने वोट दे दिया, आप उन्हीं के हैं, आप तो पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, आप तो पूरे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ।

आपको तो हृदय विशाल करके पूरे प्रदेश को समाहित करना चाहिए । तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान में एक, पालय, पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक । आपका 7 मार्च को बलुआ पीपे के पुल के बारे में एक आदेश हुआ, लेकिन उसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हो सका । इसमें सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से भी आदेश गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश की भी चर्चा की गयी । माननीय वर्मा जी ने अभी बताया कि पिछले साल बहुत थोड़े समय में ही इस पुल का निर्माण कर दिया गया था । इस साल अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं काम तो इन्होंने कर दिया, किन्तु 24 तारीख का आदेश हुआ गंगोह थानाध्यक्ष को हटाने का, लेकिन उसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हो सका । 24 तारीख की रात में रेडियोग्राम गया और 25 तारीख को लिखित भी भेज दिया गया, लेकिन इतने पर भी क्रियान्वयन नहीं हुआ । मान्यवर, आपने हमारी बात को सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं । कहना चाहता हूं कि 24 तारीख का आदेश है, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ है, आप अपनी व्यूरोक्रेसी को देखें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से आज -पालन हो गया है)

अगर पालन हो गया है, तो आप तिथि बता दें और समय बता दें । इसका पालन तब हुआ जब हमने होम सेक्रेटरी को कहा और डी० जी० से कहा । मान्यवर, इनके आई० जी० ने कहा कि हरिद्वार की लाइन नहीं मिली है । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है आपके अधिकारी काम नहीं करते हैं, बल्कि आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है । 8 दिन हो गये, और आदेशों का पालन नहीं हुआ है । मुख्य मंत्री जी बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर इनके आदेशों का पालन नहीं होगा, तो किसके आदेशों का पालन होगा । मैं समझता हूं कि कोई ईमानदार मुख्य मंत्री आकर क्या करेगा, मैं आपको ईमानदार मानता हूं । भोजपुरी में एक कहावत है–

मुख देख बीड़ा ।
पीछे देख पीढ़ा ।।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मेरा भी कुछ समय रख दिया करें, लगता है आप पुरानी बात भूल नहीं पाये हैं। मैं स्वयं चाहता हूं कि आउट आफ दि वे न कहूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस ओर आप ध्यान दें। बुन्देलखण्ड रिबेट के नाम पर उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट की बात कही गयी थी, जिससे वहां पर उद्योग लगें और अगर उद्योग लगते हैं, तो सरकार को आमदनी होगी, लेकिन वहां पर कोई सहूलियत नहीं दी गयी जिससे वहां पर उद्योग नहीं लग रहे हैं। आपकी सरकार के लोग उद्योगपतियों पर आधारित हैं, विशेष लोगों से चन्दा लेते रहते हैं। मान्यवर, मैं एक दो बातें कह कर समाप्त करता हूं। आपने एक आदेश किया है कि जो चेक पोस्ट हैं, उन पर 5 प्रतिशत ट्रकों की चेकिंग होगी इससे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है और उनसे सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। माननीय गुप्ता जी आप इस पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें।

वित्त, नियोजन, संस्थागत वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो ट्रक आते हैं, क्या उनकी चेकिंग न करायी जाये।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

चेकिंग नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा ? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नौबतपुर का जो चेक पोस्ट है, वहां सैयदराजा के दरोगा की बहाली एक लाख रुपये से कम कीं नहीं होती।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, ट्रकों की लाइन लगती है मंत्रीगण तक जाते हैं तो रुक जाते हैं और उनका निकलना अवरुद्ध हो जाता है वह जाकर खुद कहते हैं पुलिस वालों से कि इसे हटायें, यह बात सच है इसे आप स्वीकार कर लें। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आयुक्त बिक्रीकर को यह कहा गया है कि यदि आयुक्त बिक्रीकर संतुष्ट हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित पत्र एवं संस्तुति के आधार पर बिक्री की निर्धारण की अवधि के 8 साल बाद भी वादों को सुनवाई के लिये खोलने का अधिकार प्रदान कर सकता है तथा इन वादों में अधिकारी पूर्व अधिकारी से भिन्न राय भी बना सकता है। इसमें एक बात और कहनी है कि बड़े व्यापारी तो आपके हैं लेकिन छोटे-छोटे व्यापारी तो हमारे साथ सम्मिलित हैं। अतः अब व्यापारी समाज को 12 साल तक लेखा पुस्तकें रखनी होंगी अथवा उत्पीड़न से बचने के लिये अच्छी मात्रा में सुविधा शुल्क देना होगा। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि 8 साल के बाद 12 साल तक वह खाता मेन्टेन करें। अगर अपने ही धान से अपना चावल बनाना है तो अब किसान को लाइसेन्स लेने की जरूरत है तो मान्यवर, अगर कोई अपने धान से चावल बनाने के लिये हलर लगाता है तो उस पर लाइसेन्स न लगावें।

मान्यवर, अस्त्र लाइसेंस की बात आई है मेरा कहना है कि आप आतंकवादी क्षेत्र में लाइसेंस दें या जहां आवश्यकता है उनको जरूर दें या जिनके यहां मर्डर हुए हैं, हत्याएं हुई हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर विचार करे और उनको लाइसेन्स देने की व्यवस्था करे। दूसरा मुद्दा यह है कि जो पैसे के खर्च का प्राविधान इन्होंने कई मुद्दों पर किया है, उसमें यह कुछ तरमीम कर लें तो मैं समझता हूं कि गरीबी और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। मान्यवर, बहुत सारी बातें माननीय नेता विरोधी दल और माननीय तिवारी जी ने कह दी, मैं समझता हूं कि उसको दोहराना उचित

नहीं है । मान्यवर, [x x x] मैंने एक साधारण सी चिट्ठी लिखी थी कि हमारे कमरे में एक माइक लगवा दीजिये तो उसके उत्तर में चिट्ठी क्या आई है कि इसके लिये उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है और उच्चस्तरीय समिति ही माइक हमारे कमरे में लगवाने का प्रयास करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कैलाशनाथ सिंह जी [x x x] इस सिलसिले में कोई बात करनी हो तो माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह आपके अन्तर्गत आता है आप ही कृपया लगवा दीजियेगा

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत गिरावट आ गयी है । आपने लखनऊ के एस० एस० पी० को बदल दिया, अच्छा किया । आपसे आठ माह पहले बात किया था, मैंने बनारस के एस० पी० सिटी के बारे में कहा था कि अच्छा नहीं है, डेढ़ माह पहले आदेश हो गये थे और डेढ़ माह पहले के आदेश को अब कार्यान्वित किया गया । मैं नम्बर नहीं बताना चाहता, आदेश हो चुका था । मान्यवर, जब वह शराब पीकर आ गया अखबार वालों को गाली देने लगा तो आपने हटाया ।

मान्यवर, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग भी हैं । जे० सी० पन्त का नाम लिया गया वह एजूकेशन के सेक्रेट्री रहे हैं, हम लोगों ने साथ-साथ काम किया वह अधिकारी अच्छे हैं, उनका नाम लेना चाहिए लेकिन इतना जरूर है कि अगर नीचे के स्तर का अधिकारी काम नहीं करेगा तो ऊपर का अधिकारी क्या करेगा । जैसे हमने किसी दरोगा के खिलाफ लिखकर दिया तो जांच उसी दरोगा के पास भेज दी जाती है, जिसके खिलाफ लिखकर देते हैं । जैसे एस० एस० पी० को लिखा उसने एस० पी० को दिया और उसने उसे सी० ओ० को दिया और सी० ओ० से उस दरोगा के पास पहुंच गया तो आप कुछ नया काम कीजिये ।

मान्यवर, सड़कों के बारे में कुछ कहना नहीं है, सड़क मंत्री कुछ कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जिन सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, गिट्टी पड़ी हैं उनमें लेपन तक का काम करायें और इसे प्राथमिकता दें क्योंकि ऐसा न होने से बड़ी कठिनाई होती है । मान्यवर, आपने जातिवाद की बात कही है, यह तो ऐसी समस्या है

"ज्यों कदली के पात में पात पात में पात,

त्यों हिन्दुन की जाति में जाति जाति में जाति ।"

जाति में गोत्र और गोत्र में भी उपगोत्र देखेंगे । अगर जाति प्रथा को दूर करना है तो चौधरी साहब ने एक काम किया था स्कूली संस्थाओं से जातिवादी शब्दों को हटा दिया था । इण्टरकास्ट मैरिज को प्राथमिकता दें जो भी इण्टरकास्ट मैरिज करें उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे । मैं तो आर्य समाज में कहा करता हूं मुझको अनुभव है लेकिन आप भी करें ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह बजट कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाय तो किसान विरोधी है मजदूर विरोधी है, इसमें शिक्षकों के हित का छात्रों के हित का ध्यान नहीं रखा गया है, यह बजट दिशाहीन है, परम्परागत है, मेरे लिये असम्भव है कि इस बजट का समर्थन करूं। जो मैंने संशोधन या परिमार्जन की बात कही मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी संशोधन और परिमार्जन करेंगे ताकि प्रदेश की योजनाओं के विकास की गति तेज हो।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 92-93 के बजट में माननीय नेता विरोधी दल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय तिवारी जी और जनता दल "अ" के नेता कैलाश नाथ जी ने महत्वपूर्ण विचार जो सदन के सामने व्यक्त किये हैं हम समझते हैं कि जितनी आवश्यक बातें हैं सब उसमें आ गयीं। श्रीमन्, हमको यह भी नहीं मालूम था कि आज इस बजट पर शान्तिपूर्वक चर्चा हो भी पायेगी यह पहला बजट पेश हुआ होगा जिसकी चर्चा में विपक्ष के सभी विधायकों को विधान सभा से निष्कासित कर दिया गया हो और एक ही दिन में नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं का भाषण हो रहा हो। इसलिये कोशिश करूंगा कि कोई पुनरावृत्ति न हो।

यह पहला बजट देख रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि हम सब तो वही नौकरशाही के शिकंजे में जकड़े थे और परम्परागत बजट लाते थे, वित्त सचिव जो भाषण दे देते थे उसी को पढ़ लेते थे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार इसका उल्लेख किया। 50 करोड़ रुपया बेरोजगारी दूर करने के लिये बजट भाषण में कह दिया गया लेकिन प्राविधान नहीं किया गया। बजट में उम्मीद थी कि जो इनका रामराज्य का सपना या परिकल्पना या घोषणा है, उसके आधार पर कोई अभूतपूर्व या अनोखा बजट देंगे लेकिन कहना चाहूंगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे ज्यादा धोखा देने वाला कोई दूसरा बजट नहीं होगा। माननीय तिवारी जी वरिष्ठ हैं बहुत परिमार्जित भाषण का इस्तेमाल करते हैं, जब उनकी उम्र में आऊंगा तो करूंगा। शुरू में ही इस भाषण को देखने से यह लगता है कि अपने अन्तर विरोध को दिखाया है। राम के नाम पर कहीं तो कहेंगे कि राम हमारे भगवान हैं, मर्यादा पुरूषोत्तम बता देंगे इसमें बताया है कि राम देश के हिन्दुओं मुसलमानों, सिक्खों और ईसाइयों सभी के पूर्वज हैं। अगर इस भावना को आप ईमानदारी से लें तो हम स्वागत करेंगे और आपका सहयोग भी देने को तैयार हैं। लेकिन इस भावना के पीछे सिर्फ वोट की राजनीति है तो इससे ज्यादा कोई और समाज को तोड़ने की भावना नहीं हो सकती है। यह सही है कि राम अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उनके आदर्श हैं महात्मा गांधी ने भी राम के आदर्श मानकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी लेकिन इन लोगों को अधिकार नहीं है कि राम को ईसाइयों, हिन्दुओं, सिक्खों, मुसलमानों सबके पूर्वज की बात करें, जो लोग अकबर, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी को अपना पूर्वज मानने को तैयार न हों।

एक सदस्य–

हम उनको भी मानते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ईमानदारी से माने तो ठीक है, जरूरी है। कहा जाता है कि बाबर हमारे देश में हमलावर था अगर आप ईमानदारी से मानें कि अकबर, शेरशाह सूरी, रजिया बेगम यह हमारे पुरखे थे तभी कुछ भावना आ पायेगी केवल राम के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। राम को सबके बीच में स्थापित करना होगा। राम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सिर्फ अपनी पार्टी में कैद कर लें इस भावना से ऊपर उठना पड़ेगा । 9 माह के आपके पूरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रदेश की दूसरी जो समस्यायें हैं सामाजिक समस्यायें हैं उनके क्षेत्र में आपका प्रयास बिल्कुल शून्य रहा । पूरा इनका ध्यान राम की अयोध्या में लगा रहा । उसी तरह से इस 9 महीने में पूरे देश प्रदेश में तनाव डाला हुआ है । उन सब चीजों से इस गरीब प्रदेश को क्या मिलेगा । तिवारी जी ने कहा कि राम का आदर होना चाहिए, राम के हम वंशज हैं अनुयायी हैं । हम लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा । सरकार की तरफ से और सिर्फ राम का ध्यान लगाये रखेंगे तो कहां प्रदेश चला जायेगा उसी का नतीजा है बजट भाषण तैयार करने का समय नहीं मिला उसे पढ़ने का समय नहीं मिला तैयारी करने का मौका नहीं मिला जो इनको वित्त सचिव ने बनाकर दे दिया पढ़ दिया वह हमें गुमराह करने के लिये पढ़कर सुना दिया । कहां से आयेगी 6 फीसदी विकास की दर ? 4200 करोड़ रु० की योजना बनायी है 92-93 की आपको मिला है कुल 4 हजार करोड़ रु० कहां से पूरा करेंगे रुपये की कीमत जो घट गयी है उसको न जोड़ा जाय सिर्फ महंगाई को जोड़ा जाय 3500 करोड़ रुपये पिछले साल के हिसाब से मिल रहा है यह 6 फीसदी विकास की दर कहां से आयेगी । हम लोग तो इस तरह का बजट भाषण देते रहे हैं लेकिन आप तो रामराज्य का बजट पेश कर रहे हैं आपके बजट में तो सत्य आपकी तो सत्य से परे बातें नहीं होनी चाहिए थी 6 फीसदी वृद्धि नहीं हो सकती है सिर्फ यह चुनावी बजट भाषण है ।

मुख्य मंत्री जी कल मैं कविता ढूंढ रहा था जो आपने बतायी थी अब इस किताब में मिल गयी । गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान बेरोजगार नौजवान नारी का सम्मान और आगे इसमें आपने बढ़ा दिया दलित पिछड़े श्रमिकों और शोषितों का उत्थान । यह नयी लाइन जोड़ी गयी है । पांचवीं पंक्ति मुख्य मंत्री बनने के बाद जोड़ी गयी है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, उन पांच पंक्तियों में माननीय वर्मा जी चार ही याद कर पाये हैं । पांचवीं पंक्ति बहुत दिनों बाद याद आ रही है जबकि मैं बहुत दिनों से इसे बोल रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लेकिन उसमें मिला कितना है । गांव, गरीब किसान जो इन्होंने कहा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नौ महीनों में उसे क्या मिला । श्रीमन्, गन्ना किसानों की जो स्थिति इस साल हुई है, चाहे उसके भुगतान का मामला हो, चाहे गन्ना आपूर्ति का मामला हो.....

एक सदस्य–

बकाया आपके समय में था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

बकाया हमारे समय में नहीं था । मान्यवर, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, आपूर्ति नहीं हो रही है और जो गन्ने का मूल्य घोषित किया है वह मूल्य भी नहीं मिल रहा है । मान्यवर, अभी आलू की फसल को झुलसा रोग लगा जो कीट नाशक दवा है वह गायब थी, ब्लैक में भी नहीं मिली और आलू का उत्पादन उसका आधा हिस्सा भी नहीं हुआ। पैसा देने के बाद भी, मान्यवर, दवा नहीं मिली यह गांव, गरीब और किसान का है खाद के दाम केन्द्र सरकार ने बढ़ाये थे तो आपने अपने व्यापारियों को छूट दे दी । किसी भी दुकान में एक भाव नहीं था और इसका नतीजा यह हुआ कि जितनी धान की फसल होनी चाहिए थी उससे कम पैदावार यहां पर धान की हुई इतनी कम तो पिछले दस सालों में भी नहीं हुई है ।

इनकी दूसरी चौपाई झुग्गी, झोपड़ी और इन्सान । तो आज उनकी क्या हालत है आप देख लें । वहां पर महिलाओं के साथ क्या हुआ, आपके उन्नाव में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ नारी के सम्मान की आप बात करते हैं, लेकिन उनका सम्मान सिर्फ भाषण से नहीं होता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आपको स्वयं अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखना चाहिए था नारी के सम्मान की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी जिलाधिकारी महिलायें हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने बनायीं । हमारे जमाने में तो छः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थीं । आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी महिला जिलाधिकारी नहीं है । यह नारी के सम्मान की बात करते हैं । तो श्रीमन्, इस तरह से इनकी कथनी और करनी में अन्तर है और इस प्रकार का कार्य करने वाली सरकार प्रदेश के लिये कभी लाभप्रद नहीं हो सकती । आपको अच्छी बात करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए लेकिन उसे करना भी चाहिए । चौपाई आप कुछ कहते हैं मगर करते कुछ और हैं, यह तो बिल्कुल उलटा हो रहा है । इससे न तो प्रदेश का विकास आगे बढ़ेगा और न नया संदेश ही आप दे पाओगे । मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कहावतें आप जैसे लोगों पर ही चरितार्थ होती हैं । राज्यपाल के अभिभाषण में महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख नहीं था, लेकिन बजट भाषण में इनको महात्मा गांधी का नाम याद आ गया, इन्होंने मान लिया कि रामराज्य की कल्पना बिना महात्मा गांधी का नाम लिये नहीं हो सकती । पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम लिया, उनका हम भी आदर करते हैं, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, उनका सबको आदर करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था ।

मैं अगर कहूं तो थोड़ी कड़वी बात हो जायेगी, लेकिन महात्मा गांधी जिस रामराज्य की कल्पना करते थे, उसी तरह के रामराज्य की कल्पना आपने की है ? उनके रामराज्य की कल्पना में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ थे, लेकिन आपके रामराज्य की बात सुनकर मुसलमान, सिख, ईसाई कांपते हैं । महात्मा गांधी के रामराज्य का नाम लेना ठीक उसी तरह आपके लिये है, जैसे कोई वैश्या किसी को पवित्रता होने का उपदेश दे रही हो । श्रीमन्, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 30 फीसदी वोट पाकर, प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके यह सत्ता में आ गये । श्रीमन्, तिवारी जी तो शिष्ट हैं, लेकिन उन्होंने संकेत कर दिया है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो इन्होंने राजनीतिक भाषा, चुनावी भाषा इस्तेमाल करके बजटं पेश किया है, उससे प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है । प्रदेश का विकास करने के लिये वोट की छोटी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, प्रदेश की जो समस्यायें हैं, उनसे जूझने के लिये संकल्प करना पड़ेगा । मान्यवर, यह महिलाओं की बात करते हैं, पिछला बजट हम लोगों ने पेश किया, उसको खर्च करने का अवसर इनको मिला, इनका नारी का सम्मान कहां चला गया, इससे मालूम होता है कि गांव की जो बालिकायें हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या शिक्षा की स्थिति है, उनकी शिक्षा के लिये 120 हाई स्कूल गांवों में खोलने का काम हम लोगों ने किया था, वह भी शुरू नहीं कर पाये.....

(सत्ता पक्ष की ओर से बीच में टोका टाकी करने पर)

यह किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी को बोलने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तो मान्यवर, मैं बता रहा था कि 120 हाई स्कूल खोलने के लिये हम लोगों ने राजाज्ञा जारी किया था, जुलाई से शिक्षा सत्र शुरू होना था क्यों आपने शुरू नहीं किया, नारी के सम्मान की वकालत करने का आपको क्या अधिकार है। गांव-गरीब किसान, झुग्गी-झोपड़ी के इन्सान, नारी का सम्मान कहने से प्रदेश का विकास क्या हो जायेगा ? क्यों नहीं खोले स्कूल आपने और इस बजट में कहीं कोई स्कूल खोले जाने की योजना है। इसी तरह नकल की बात करते हैं, बड़े हमदर्द हैं, बालिकाओं के, आप लड़कों को तो फांसी दे दो, लेकिन क्या लड़कियों को भी जेल भेजोगे, ऐसी मिसाल दुनियां में कहीं नहीं मिलेगी। अपराध चाहे जैसा हो, सजा जो सरकार के मन में आवे, वही निश्चित कर दे। मान्यवर, न्याय का सिद्धान्त है, जिस तरह का अपराध होता है, उसी तरह की सजा होती है। एक कहावत है "ककड़ी का चोर, कटारी से मारा नहीं जाता"। लड़के पढ़ते हैं, उनके मां-बाप पैसा खर्च करते हैं, आप उनका कैरियर खराब करेंगे, चरित्र खराब करेंगे। यह हमने कई बार कहा कि जब मतवाले हाथी की तरह सरकार हो जाती है तो जनता उनके ऊपर अंकुश लगाती है, यह 9 महीने में ही मतवाले हाथी से बदतर हो गये। वह दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र में किसी मतवाली सरकार को जनता बहुत दिनों तक बर्दास्त करती हो। जनता बिल्कुल बर्दास्त नहीं करती है। हम भी आपसे ज्यादा नकल के विरोधी हैं। लेकिन नकल रोकने के लिये 14 साल के लड़कों व लड़कियों को जेल में डाल दिया जाय। नकल न हो, इसके लिये दूसरे उपाय भी हो सकते थे। अध्यापक जो स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षा सत्र जो सही समय पर नहीं चलता है, इसके लिये आपने क्या उपाय किया। अब आप बतायें कि नकल के कारण किसी 14 साल की लड़की को अगर जेल में डाल दिया जायेगा तो कौन लड़का उससे शादी करेगा। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जहां नकल को इस प्रकार का अपराध घोषित किया गया है।

मान्यवर, राम के नाम पर यह सरकार आयी है। मैं तो यह मानता हूं कि जिस दिन से यह सरकारी आई है, उस दिन से राम के नाम का भी अवमूल्यन हुआ है। अब जब खाद के दाम बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं, राम राज्य है, गन्ने की आपूर्ति नहीं होती है, तो लोग कहते हैं राम राज्य है, नकल में अगर कोई जेल चला गया तो लोग कहते हैं राम राज्य है। इस तरह से राम राज्य को बदनाम कर दिया है, अगर तुलसीदास जी होते तो वह रामचरित मानस लिखने की हिम्मत नहीं करते, इनके राज को देखकर। पूरे बजट में प्रदेश के विकास की बात कहीं पर नहीं आयी है। वित्त विभाग जो लिख देता है, उसी को ये पढ़ देते हैं। वित्तीय स्थिति के बारे में आपने कहा कि हमने आपको समय-समय पर स्थिति से अवगत कराया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में कितनी बैठकें की हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप यदि संक्षिप्त करें तो अच्छा रहेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मेरे दल से तो आपको नाराजगी हो सकती है, परन्तु मुझसे तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। एक दिन में आप चर्चा समाप्त करा रहे हैं। उस पर भी आप कह रहे हैं संक्षिप्त में अपनी बात कहें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें रात दिन समाजवादी जनता पार्टी व श्री मुलायम सिंह जी ही सपने में दिखाई देते हैं। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करके, धार्मिक उन्माद फैला करके और धार्मिक भावना से खिलवाड़ करके मिथ्या भाषण करके यह बजट प्रस्तुत

किया है । हम लोगों के खिलाफ बात कर लोगों को गुमराह करके जिस तरह से सरकार में आये हैं साल भर नहीं 6 महीने में खारिज कर देंगे । (व्यवधान) हम दुबारा फिर आयेंगे । इनको मौका सत्ता में आने का इसलिये मिल गया कि इन्होंने कह दिया कि अयोध्या में हजारों लोग मर गये हैं । अयोध्या के बारे में आज वही जनता कह रही है क्योंकि पिछले अक्तूबर और नवम्बर में उन्हीं लोगों ने झंडा फहराने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया । हमारे समय में थोड़ा लाठी चार्ज ज्यादा हो गया 10, 15 लोग मर गये कह दिया कि हजारों लोग मर गये ।

देश और प्रदेश की जनता दयालु है तो इन्होंने कह दिया कि हजारों मर गये और इनको वोट दे दिया । अब पर्दाफाश हो गया है । कानून व्यवस्था के बारे में आज वही भाषा आप भी बोल रहे हैं । मुलायम सिंह सरकार की अपनी नीति थी, उनके सिद्धान्त थे उनका हमने पालन किया । हमने कहा था बातचीत से या फिर अदालत के फैसले से समस्या का हल करेंगे । आज मुख्य मंत्री जी राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में जाते हैं और कहते हैं कि हम न्यायालय की किसी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे । कहते हैं बातचीत से अयोध्या का हल निकालेंगे । तो आम जनता कह रही है मुलायम सिंह और कल्याण सिंह में कोई फर्क नहीं है । आप चुनाव से पहले कहा करते थे राम मंदिर गर्भगृह में बाबरी मस्जिद तोड़ कर उस दिन बनाना शुरू कर देंगे जिस दिन चुनावों की गिनती शुरू होगी । उसी दिन मस्जिद सरयू नदी में प्रवाहित हो जायेगी । (व्यवधान) आज अगर हिम्मत है तो इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री अपने उत्तर भाषण में कहें कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद गिरा कर फलां दिन से बनाना शुरू किया जायेगा । तो हम कहेंगे मुख्य मंत्री बहादुर हैं (व्यवधान) मुलायम सिंह जी जो कहते थे वही करते थे । आज मुख्य मंत्री जब मंदिर टूट रहे हैं कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं टूट रहा है । वह उनका बयान नहीं है, वहां के महंतों का बयान दे रहे हैं, फलां महंत ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है (व्यवधान) अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं । हम चाहते हैं राम मंदिर पूरा देश बने हम उन लोगों में से हैं जो राम को अंधे होकर मानते हैं । जब देश नहीं रहेगा तो राम भी नहीं रहेंगे, राम का नाम भी नहीं रहेगा । (व्यवधान) इस देश में पूंजीपतियों, व्यापारियों और जो ऊंची जाति में विश्वास रखते हैं उनके लिये राम का सहारा लेकर राज्य करते हैं । हम गांधी के राम राज्य को मानते हैं जिसमें हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को इज्जत से देखते हैं । हम नहीं चाहते हैं कि राम के नाम पर यहां हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में दरार पड़े । हम हिन्दू और मुसलमान के दिलों को राम के नाम पर जोड़ना चाहते हैं ।

आप दोहरी भाषा बोलते हैं । हमने कहा था जब शासन में थे कि कोई गैरकानूनी काम नहीं होगा और आज भी यही कहते हैं चाहे वोट मिले या न मिले । आप जब सरकार में नहीं थे उस समय आपकी बोली क्या थी कहा करते थे कि बाबर ने राम मंदिर में कब्जा कर लिया वाटे लेने के लिये आपने कहा उसे तोड़ा जायेगा । आज दोहरी भाषा बोल रहे हैं । राजस्व मंत्री कह रहे हैं वहीं राम जन्म भूमि है, बाहर जो आपके संगठन हैं कहते हैं मस्जिद तोड़ कर मंदिर बनाया जायेगा । मुख्य मंत्री जी विधान सभा में भाषण देंगे समतलीकरण कर रहे हैं, पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिये कार्य हो रहा है । बाहर लोग कहते हैं मंदिर निर्माण शुरू हो गया है । मान्यवर, इस तरह से दौगली बोली बोलने वाली सरकार और संगठन देश को नई दिशा नहीं दे सकते न समाज में कोई तरक्की कर सकते हैं । एक भाषा होनी चाहिए, एक बोली होनी चाहिए ।

आपके मुख्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बाहर कुछ और बोल रहे हैं । यहां यह कानून से दबे हुए हैं । यहां कानूनी भाषा बोलते हैं । हम लोग कानूनी भाषा नहीं

बोलते हैं । हमारा जो वायदा होता है, जो इरादा होता, जो नीति होती है, वही सदन में बोलते हैं और वही सदन के बाहर बोलते हैं । हमारे मुख्य मंत्री एकता परिषद् की बैठक में कुछ बोलते हैं, यहां कुछ और बोलते हैं । इससे न तो समाज को नई दिशा मिलेगी न प्रदेश का विकास होगा । बजट में जो आंकड़ों का मायाजाल पेश किया है । उसके बारे में इन्हें कुछ बताना अंधे को दीपक दिखाना होगा । इनको सिर्फ धर्म और राजनीति और राम का नकली रूप दिखाई पड़ता है । जो प्राप्तियों के आंकड़े दिये हैं वह उतने हो ही नहीं सकते हैं । 6 प्रतिशत विकास की दर दिखाई है । मैं मानता हूं कि जब यह साल खतम होगा तो यह विकास की दर 1से डेढ़ प्रतिशत रह जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मा० ऊदल जी, मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं । इसलिये एक मिनट इनकी बात सुन लें ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपकी अनुमति ले ली है ।

श्री ऊदल–

आप अभी ज्यादा देर बोलेंगे । मैं 5–10 मिनट में बात कह देता ।

* श्री कल्याण सिंह–

आप धैर्य रखें । मैं थोड़ी देर बोलूंगा । श्रीमन्, आज बजट पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है । इस सारी चर्चा का विस्तार से उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री जी देंगे लेकिन कुछ बातें कहने के लिये मैं भी खड़ा हुआ हूं । कुछ बिन्दुओं का स्पष्टीकरण और कुछ बुनियादी बातें आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं । मैं माननीय नेता विरोधी दल, माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी, माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी और जो कुछ अन्य सदस्य बचे हैं बोलने और अपने विचार रखने के लिये, मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिये । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ विचार माननीय सदस्यों ने रखे या रखने वाले हैं, आज की सारी कार्यवाही में यहां जो अंकित हो रहा है अलग निकलवा लेंगे और उसमें से जो कुछ सुझाव हैं उनको एकत्र करके उन सुझावों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे । अब हमारा पैमाना केवल एक ही होगा – "सार-सार को गहि रहे, थोथा दिये उड़ाय ।" तो जितनी बातें यहां पर कही गयी हैं, उनमें जितनी सार की बातें होंगीं उनको हम ग्रहण करेंगे और उन सार की बातों को कार्यान्वयन रूप देने की कोशिश हमारी होगी ।

श्रीमन्, मैंने एक बार माननीय सदन में कहा था कि सरकार का आना और जाना एक रिले रेस की तरह है । रिले रेस आप जानते हैं कि इसमें एक दौड़ने वाला दूसरे साथी को झण्डा पकड़ाता है और दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को और चौथा पांचवें को थमाता जाता है और अन्तिम धावक लक्ष्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक पहुंचने की कोशिश करता है और स्वाभाविक है कि इसमें पिछले धावकों ने रिले रेस में उस दूरी को तय न किया हो। कितने लड़खड़ा गये होंगे, कितने एक-आध जगह पर गिर गये होंगे उसमें कितना समय लगा होगा। ऐसे में अगले दौड़ने वाले के सामने दो काम हो जाते हैं कि पिछले साथी जो पिछड़ गये होंगे, एक आध जगह झटका खा गये होंगे। उनके समय को पूरा करना और फिर झंडी अगले, साथी को पकड़ाना होता है। कोई भी सरकार नये सिरे से काम नहीं करती है। उस सरकार को पिछली सरकार के निर्णयों, नीतियों, उनकी असफलताओं, उनकी सफलताओं, उन सबको लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि सरकार कोई हो उसको यह काम करना पड़ता है। आज भी आईसोलेशन करते हैं।

सरकार एकदम नये सिरे से पुरानी सारी योजनाओं को छोड़ दे और जो पुराने निर्णय हुए हैं उनको छोड़ दे, तो वह काम नहीं कर सकती है। अगर यह दृष्टिकोण हमारे सामने स्पष्ट है तो सुझाव देने में सकारात्मकता आ जाती है। इसमें संदेह नहीं है विकास की दौड़, प्रगति की दौड़ में उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है कदाचित यह दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है यह पिछड़ापन दशाब्दियों का है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश के रथ को आगे बढ़ाने में आपका दायित्व है। मैं यह मानता हूं कि विकास राजनीति का विषय नहीं है माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि सभी दल और यह समूचा सदन उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है और उत्तर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। सत्ता में कोई हो, इसकी कोई बात नहीं है। कहां त्रुटियां हो रही है कहां खामियां हो रही हैं इसमें विपक्ष की तरफ से अच्छे सुझाव आने चाहिए। जहां तक विकास की ओर ले जाने का प्रश्न है मैं इसे राजनीतिक प्रश्न नहीं मानता हूं इसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मान्यवर, यह बात कही गयी कि योजनायें वहीं हैं कार्यक्रम वही हैं कुछ नये जुड़े हैं कुछ पुराने हैं बड़े काम की बात कही गयी। माननीय तिवारी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बाते कही हैं उन्होंने कहा कि मुख्य समस्या संसाधन का अभाव और उनके क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली बाधायें हैं, मैं कहना चाहूंगा हम जानते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिये उसकी उन्नति के लिये शान्ति आवश्यक है अगर हमारा ध्यान इस ओर नहीं होगा तो विकास प्रभावित होगा। इसीलिये बार-बार हमने दृष्टिकोण साफ किया है कि राम जन्म भूमि का प्रश्न, राम के मंदिर के निर्माण का प्रश्न अब लम्बे काल तक टालना न तो देश के हित में है और न प्रदेश के हित में है, न हिन्दू के हित में न मुसलमान के हित में, किसी के हित में नहीं है, इसलिये यथाशीघ्र इसका समाधान निकले इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। राम के मंदिर की प्रतिबद्धता के बारे में हम अनेकों बार कह चुके हैं उस पर समय लेकर समय का अपव्यय नहीं करना चाहता। वह यहां की कार्यवाही मे अंकित है। जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, देश और प्रदेश की जनसंख्या धीरे-धीरे विस्फोटक बिन्दु तक पहुंच रही है।

मुझे ऐसा लगाता है कि यही 10 वर्षों का समय हमारे पास है, पूरे देश के संदर्भ में और पूरे प्रदेश के संदर्भ में कि अब कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा जिससे कि जनसंख्या विस्फोटक बिन्दु तक पहुंचने के पहले ही नियंत्रित की जा सके अन्यथा यह हो रहा है कि विकास की दर को बढ़ती हुई जनसंख्या की दर न्यून कर देती है, कभी-कभी तो जीरो कर देती है, कभी-कभी ऋणात्मक भी विकास की दर जा सकती है। हमारी सरकार इस बात के लिये सिद्धान्तः व्यवहारतः सहमत है और हम यह स्वीकार करके चलते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। यह देश और प्रदेश के हित में है अन्यथा तो विकास की योजनायें बनाते-बनाते भी भावी पीढ़ियों के लिये कोई अच्छा देश और प्रदेश छोड़कर नहीं जा पायेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में जाति आड़े नहीं आनी चाहिए, मजहब आड़े नहीं आना चाहिए। अब राष्ट्रीय आन्दोलन है और इस देश की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

कदम है । आज हम आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हैं, आर्थिक दृष्टि से हम धीरे-धीरे परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं । इसलिये जैसे राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिये एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया गया था उसी प्रकार से आर्थिक आजादी हासिल करने के लिये एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है (मेजों की थपथपाहट) इसमें किसी दल का कोई मतभेद नहीं हो सकता है । आर्थिक आजादी हासिल करने के लिये जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना एक प्रभावी कदम है अन्य कदमों के साथ-साथ । इसीलिये जिस किसी नयी योजना को हम लागू करने जा रहे हैं उस नयी योजना के बारे में जब कहेंगे तब उसके बारे में कह देंगे अभी मैंने नीति बतायी है ।

इसी तरह से आरक्षण का प्रश्न है । आरक्षण की पक्षधर हमारी सरकार और हमारी पार्टी रही है । लेकिन हम इस प्रकार का आरक्षण प्रभावी करना चाहते हैं जो सर्वस्पर्शी हो, सर्वग्राही हो, सर्वस्वीकार्य हो। एक सर्वांगपूर्ण नीति आरक्षण के बारे में हम सोच रहे हैं जिसको इस सदन के सामने लायेंगे, विधेयक के रूप में लायेंगे और उस पर भी आपके सुझाव आमंत्रित होंगे । हम यह मानकर चलते हैं कि जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनका सम्पूर्ण विकास और आर्थिक उत्थान मात्र-मात्र आरक्षण के माध्यम से होना सम्भव नहीं है । समाज के अन्दर उनको सम्मानजनक स्थान मिले, आर्थिक क्षेत्र में उनका विकास हो, उत्थान हो, उसके लिये भी नियोजन की आवश्यकता होगी । आरक्षण एक माध्यम है, मनोविज्ञान है । समाज में साझेदारी हो, प्रदेश के प्रशासन में साझेदारी हो, प्रशासन में भागीदारी हो, जो पिछड़ गये थे दौड़ में, वह भी समान रूप से भागीदार बन सकें । किसी में भी हेठता का, असहायता का भाव न करे, असामाजिकता का शिकार वे न रहें, इस नाते से विशेष सुविधायें देकर, उन वर्गों को विशेष सुविधायें देकर समाज के समक्ष खड़ा करने की आवश्यकता है । इसलिये हमारा कहना है कि हमने सिद्धान्तः स्वीकार किया है, व्यवहारतः स्वीकार करके एक विधेयक लाने वाले हैं । हम आरक्षण के पक्षधर हैं । श्रीमन्, एक बात यहां छोटे राज्यों के बारे में कही । हमने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय है । कहा यह गया कि क्या हृदय को काटेंगे । हृदय को काटने का प्रश्न नहीं है । अब अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुलनात्मक दृष्टि से छोटे राज्यों की प्रगति की गति अधिक तीव्र हो जाती है । विकास की गति अधिक बढ़ जाती है और इस नाते से (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने छोटे राज्यों की बात कही, क्या नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा ये छोटे राज्य हैं, क्या आप बतायेंगे कि इनकी प्रगति, इन छोटे राज्यों की प्रगति छोटे राज्य के बावजूद तीव्र हुई है । जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, हृदय के शीर्ष को आप काट देंगे, उत्तरांचल को अलग कर देंगे, तो मान्यवर, यह प्रक्रिया शुरू हो जायगी तो उत्तर प्रदेश जो बुद्ध और राम की भूमि रहा है, कृष्ण की भूमि रहा है, कबीर और रहीम की भूमि रहा है, यह विखंडित हो जायगा और इसका मौजूदा स्वरूप कायम नहीं रह पायेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं फिर दोहरा रहा हूं अनुभव ने यह बता दिया है कि छोटे राज्य बड़े राज्यों की तुलना में विकास की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से, उत्थान की दृष्टि से आगे हैं । जिन छोटे राज्यों का नाम माननीय नेता विरोधी दल ने लिया है, उनके संदर्भ में विचार करेंगे, उनकी प्रतिकूलतम परिस्थितियों के बावजूद तुलनात्मक दृष्टि से वह पीछे नहीं हमसे । रही उत्तर प्रदेश की बात तो श्रीमन्, हम तो उत्तरांचल राज्य अलग से बनाने, उत्तरांचल प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने, उन आठों जिलों की अलग भौगोलिक इकाई है, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, और इस नाते से उनको एक अलग राज्य की इकाई

का दर्जा देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। प्रश्न हृदय काटने का नहीं है, उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाने का और उत्तर प्रदेश के विकास के रथ को अधिक तेज करने के लिये यह समायोजन हो रहा है, समायोजन। श्रीमन्, बिक्रीकर के बारे में बहुत बातें कही हैं, उस विषय पर आगे आऊंगा तो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि कोई दलगत मतभेद नहीं होना चाहिए और यह भी जानता हूं कि इसमें किसी का कोई दलगत मतभेद होगा भी नहीं। केन्द्र में जब-जब यह मुद्दा उठाया गया, वह कंफ्रंटेशन के नाते नहीं, उसके पीछे मूल भावना हमारे कोआपरेशन की रही है, संघर्ष की नहीं, सहयोग की रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की 14, साढ़े 14 करोड़ जनता का हक मारा जाता हुआ दिखाई देता है, तो हमारा यह दायित्व बन जाता है और अपेक्षा है कि आपका भी दायित्व बन जाता है। क्या उस मुद्दे पर हम अपने सारे तर्कों के साथ भारत सरकार से बातें करें।

योजना आयोग ने कैसे हमारी योजना के आकार में कटौती की। कैसे उसमें बढ़ोत्तरी हुई थी, उस बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हक को मरता हुआ और मारता हुआ देखता हूं, तो फिर उत्तर प्रदेश का हक नहीं मिलेगा, तो विकास कैसे होगा। जब-जब ऐसा हुआ है, तब-तब आवाज उठी है। अगर आगे उत्तर प्रदेश की जनता के हक को मारने की बात कहीं पर होगी, तो हमारा दायित्व होगा कि उसकी आवाज को उठायें। अब इस आवाज को उठाना, कंफ्रंटेशन का सवाल नहीं है, कोआपरेशन का है, संघर्ष का नहीं है, सहयोग का है। कुछ बातें हैं, उन्हें भी रखने का प्रयास करूंगा। मैंने निवेदन किया कि माननीय वित्त मंत्री जी इन चीजों को रखेंगे।

मैं कुछ नीतिगत प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यह हम मानकर चलते हैं कि जब तक प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। खेती में कितना ही पैसा झोंक दें, उससे उन्नति होने वाली नहीं है। आज पूरे विश्व में हमारा देश ऐसा है, जिसकी जनसंख्या पर प्रति एकड़ भार सर्वाधिक है। हम परिवार की बात जानते हैं। एक परिवार के लोग उतनी ही जमीन पर केवल खेती में लगे हैं और दूसरे परिवार के लोग उतनी ही खेती में लगे हैं, कोई पान की दुकान में लगा है, कोई दर्जी के काम में है और कोई खेती के काम में है, तो वह परिवार आगे बढ़ जाता है और खेती में लगा हुआ परिवार पीछे रह जाता है। उनके बच्चों के कपड़ों पर फर्क आ जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर, इसे आलोचना न समझें मैं कुछ तथ्य कहना चाहता हूं कि पिछले डेढ़-दो सालों के अन्दर उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण का माहौल बिगड़ा है। हम लाइन से उतरी हुई गाड़ी को लाइन पर ला रहे हैं।

उद्योग स्थापित करने में 4-5 बाधायें होती हैं, कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो कोई उद्योग लगाने नहीं आयेगा, इसलिये माफिया राज्य को खत्म किया है। आज जो उद्यमी हैं, उन्होंने एहसास करना प्रारम्भ किया है कि हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध है। इस प्रदेश में लाल फीताशाही चली आ रही है। हर जगह कुंडली मार कर बैठ गयी है। हमने लालफीताशाही को काटा है और सिंगिल टेबुल सिस्टम को लागू किया है। आज एक ही छतरी के नीचे बैठकें होती हैं और उद्यमियों की कठिनाइयों को समझेंगे। मैं स्वयं भी उद्योग बन्धुओं की परम्परा जो चली आयी है, बहुत अच्छी परम्परा है और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। (समय 5 बजकर 20 मिनट) तिवारी जी ने एक सिद्धान्त की बात कही है, विश्व का आर्थिक समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वर्तमान सरकार का क्या सोच है। सोच तो यह है कि कुछ समय पहले तक दुनिया में राजनीति अर्थ नीति को निर्धारित करती थी, बड़े कड़ुवे अनुभव के बाद पांसा बदला है और विश्व की अर्थ नीति राजनीति को प्रभावित कर रही है।

मैं रूस से प्रारम्भ कर रहा हूं और इस तथ्य से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है कि जो नारों और स्लोगन्स की बात थी, वह अतीत की बात हो गयी है। इसलिये मैंने कहा कि राजनीति पहले अर्थ नीति

को प्रभावित करती थी और अब अर्थ नीति राजनीति को प्रभावित करती है । इसलिये वादों के विवाद से ऊपर उठकर सोंचे । एक जमाना था कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर दे सरकारी करण, दे सरकारीकरण, दे सरकारीकरण और सरकारीकरण करने वाले अपने को प्रगतिशील कहते थे । समय ने सारी चीजें उलट दी हैं । मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना होगा, निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना होगा । नारेबाजी के चक्कर में जब तक रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उससे प्रगति होने वाली नहीं है यह आप जान लें और वर्तमान सरकार सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत है कि हर क्षेत्र के अन्दर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए और समाज को साझेदार बनाना चाहिए । हम इस बात को भी मान कर चलते हैं और धीरे-धीरे चलने का प्रयास भी कर रहे हैं ।

मान्यवर, मैंने कहा कि बिना औद्योगीकरण के विकास के देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा और औद्योगीकरण के क्षेत्र में नीतियों का स्पष्ट होना आवश्यक है । देश को चलाने के लिये सोचना पड़ेगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा कि जब तक व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा, उद्योगों का विकास नहीं होगा, जब उद्योगों का विकास नहीं किया जायेगा, तब तक उनकी प्रगति नहीं होगी, उनकी तरक्की नहीं होगी । बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से बड़े उद्योग छोटे और कुटीर उद्योगों को पनपने नहीं देते हैं । मेरा तो कहना यह है कि सारे उद्योगों को 4 हिस्सों में बांटना होगा, बड़े उद्योग, मझोले उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग । कौन सी चीज किस उद्योग में बनेगी इसका वर्गीकरण भी करना होगा । अगर कोई चीज कुटीर उद्योग में बनने वाली है, तो उसको दूसरा उद्योग नहीं बना सकता है और इसके लिये हमें कानून बनाना होगा, जिससे इस सिद्धान्त का पालन हो । जो मंझोले में बन सकते हैं उसे बड़े-बड़े नहीं बनने देंगे अन्यथा बड़े-बड़े लोग छोटे उद्योग धन्धों को नहीं पनपने देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह तो अच्छी बात है, आप कार्यक्रम तो बनायें ।

श्री ऊदल–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने जो आपने अपनी बात कही बड़े छोटे को हजम कर जायेंगे, उन्होंने कहा कि यह तो हमारी चीज है, इसको आपने कैसे नकल कर लिया ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी हमारे समय के बड़े सदस्य हैं मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं इन्होंने कहा कि हम उनकी नकल कर रहे हैं तो सच्चाई तो यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष–

सम्बन्धों का खुलासा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ही कर दिया था ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, सच यह है कि नकल करते-करते तो देश का बंटाधार हो गया, कभी रूस की नकल पर चले थे तो देश कहां से कहां पहुंचा और आज रूस को अक्ल आ रही है ; मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम और हमारी सरकार किसी की नकल नहीं कर रही है, अपनी अक्ल से सारे काम कर रही है और मुझे खुशी है कि अक्ल के द्वारा चलाये गये किसी काम को पसन्द करने की अक्ल वर्मा जी के पास है ।

(शोर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह चौधरी चरण जी की नीति है, गांधी जी की नीति है इससे कोई बंधेज नहीं है लेकिन इसको कार्यान्वयन करने के लिये बजट में क्या कार्यक्रम रखा गया है । सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

जब तक किसी सरकार की नीति नहीं पता लग जायेगी, नियोजन का पता नहीं लग जायेगा तब तक उसके पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यहां पर नीतिगत प्रश्न उठा है उसका नीतिगत उत्तर दे रहा हूं।

श्रीमन्, जहां तक स्वदेशी का प्रश्न है। हमारी स्वदेशी की भावना का यह कतई सोच नहीं है कि दुनिया के अन्दर विज्ञान ने जो उन्नति की है जैसी टेक्नोलोजी और हाई टेक्नोलोजी का विकास किया है जो आज अपने देश में किसी कारण से विकसित नहीं हो सका है उसके लिये दरवाजे बन्द करके देश और प्रदेश के विकास के दरवाजे बन्द करना हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच है स्वालम्बन स्वदेशी की भावना। श्रीमन्, एक टिहरी की बात कही गयी अभी जो माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने एक पत्र लिखा था, बयान दिया था और ऐसा दिया कि टिहरी डैम के ऊपर प्रश्न चिह्न लग जायेगा तो उनको हमने पत्र लिखकर सजेस्ट कर दिया है कि पर्यावरण से सम्बन्धित जितने मामले हैं उनको हल कर रहे हैं कोई इससे बचेगा तो मिल बैठकर हल कर लेंगे, परन्तु टिहरी बांध बनना चाहिए।

हाल ही में 28 मार्च, 1992 को माननीय प्रधान मंत्री जी को मैंने यह पत्र भेजा और उनसे आग्रह किया, मैं सारा ब्यौरा देकर आपका समय नहीं लेना चाहता, अनेक बार टिहरी डैम के बारे में विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन करके उस डिजाइन को अनुमोदित किया है। आज भी अगर इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम करने के लिये तैयार है और विशेषज्ञों की राय फिर लेनी हो तो ले ली जाय। लेकिन टिहरी डैम उत्तर प्रदेश के लिये वरदान है। जो लोग इसको बचाने में रुकावट डाल रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भला नहीं सोच रहे हैं। इससे बिजली मिलेगी, पानी सिंचाई के लिये मिलेगा। इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इसमें किसी बिन्दु पर कोई शिथिलता नहीं बरती जायगी। इसमें प्रधान मंत्री से मिलकर अनुरोध कर चुका हूं, पत्र लिख दिया है, दोबारा अनुरोध करूंगा, पर्यावरण मंत्री जी को भी लिखित में दे दिया है, ब्यौरा दे दिया है लेकिन हम चाहते हैं कि टिहरी डैम बनना चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसी में एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को रिहैबिलीटेशन का पैसा देना है जो कि नहीं दे रहे हैं जिससे काम में अवरोध पैदा हो रहा है, उस पैसे को भिजवा दें।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने कह दिया कि उस मामले में उत्तर प्रदेश के खाते में से जो कुछ भी करना है, उत्तर प्रदेश अपने खाते की हर जिम्मेदारी का वहन करेगा।

हम श्रीनगर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर प्रोजेक्ट पर भी शीघ्र ही स्वीकृति मिल जायगी, ऐसी आशा है।

विद्युत के बारे में एक बात कही गयी। केन्द्र का इसमें प्राविधान कम हो गया है। विद्युत टैरिफ बढ़ाने के बाद संसाधन बढ़े हैं और इसलिये बजटरी सपोर्ट में कमी आयी है लेकिन जहां तक परिव्यय का प्रश्न है, विद्युत परिव्यय 1991-92 में 1242 करोड़ रु० था और वर्तमान में 92-93 में यह परिव्यय बढ़कर 1362 करोड़ रु० का हो गया है। इसलिये परिव्यय नहीं घटा है। डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा आयी। इस सम्बन्ध में अभी दो-तीन दिन पहले बैठक भी की है और अम्बेदकर विश्वविद्यालय यथाशीघ्र पूरा हो, यही हमारी कोशिश है। इसके लिये जितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें से 7 करोड़ 88 लाख रु० का प्रयोग नहीं हो पाया था। इस बजट में भी लगता होगा कि कम कर दिया है लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो उस खाते में अप्रयुक्त धनराशि पड़ी है, वह और एक करोड़ रु० यह और इसके अतिरिक्त भी जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी डा० अम्बेदकर विश्वविद्यालय के निर्माण में, सरकार उस धनराशि का इन्तजाम करेगी। श्रीमन्, मैं कह रहा था.....

एक सदस्य–

जब ग्रांट नहीं देंगे तो उपयोग कैसे करेंगे। वह बता दें कि कितना देंगे ?

श्री जागेश्वर प्रसाद–

माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि ग्रांट नहीं देंगे तो कैसे उपयोग होगा बजट में तो रखा नहीं।

श्री कल्याण सिंह–

उपयोग करा देंगे।

जो कुछ नयी योजनायें प्रस्तावित हैं मैंने जैसा एक बिन्दु कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के सम्बन्ध में।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया जो आप डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे उसमें ग्रांट के बारे में जवाब दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

दे पायेंगे जवाब।

श्री कल्याण सिंह–

अगर आप समझ गये हों तो मुझे बता देना तो जबाव दे दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

सन् 77 में यह टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम यह दोनों मिलकर स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे।

श्री कल्याण सिंह–

जनसंख्या नियंत्रण पर नीतिगत प्रश्न उठाया था उस पर दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। इसलिये यू० एस० ए० आई० डी० से बात चीत करके यह 815 करोड़ की योजना परिवार नियोजन के सम्बन्ध में एक नयी योजना हम चालू करेंगे यह कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण ला पाये। एक योजना जो विश्व बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं भारत सरकार को हमने योजना का प्रस्ताव भेज दिया है सबको शिक्षा उसके अन्तर्गत पहले चरण में 10 जनपदों को लिया जायेगा इस पर कुल मिलाकर 555 करोड़ 73 लाख रु० खर्च होंगे जो योजना बनने जा रही है उसकी बाबत प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेज दिया है मुझे विश्वास है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये और सबको शिक्षा कार्यक्रम के लिये स्वीकृति मिलेगी। इससे राष्ट्रीय समस्या का निदान होगा रोजगार के अवसर भी इसमें प्रकारान्तर में सृजित होंगे। आज प्रदेश के अन्दर साढ़े बारह लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। आज 10 जिलों में यह योजना लागू करने जा रहे हैं जिसमें 65 हजार हेक्टेयर भूमि का ऊसर सुधार होगा उसे खेती योग्य बनाया जायेगा आठवीं योजना में कुल मिलाकर इस पर 319 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है इससे लगभग 1 लाख 8 हजार छोटे किसानों को मजदूरों को लाभ मिलने की सम्भावना है।

दीन दयाल विकास योजना में 50 करोड़ का प्राविधान किया है। कुछ बिखड़ी योजनाओं को जोड़कर उन्हें एकीकृत रूप देकर हमारा कंसेप्ट है एक रोजगारपरक योजना बनाने का यह एक दिन में नहीं होगा, हम रोजगार देना चाहते हैं। इस नाते इस योजना को आगे लिया है। अब श्रीमन्, दो तीन बातों की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विशेष रूप से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, अपने मित्र प्रमोद तिवारी और बाकी विरोधी दल के माननीय नेताओं का जिन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाये हैं, जिन पर हम सबको एक जुट होकर प्रदेश की खातिर कुछ करना चाहिए। अब श्रीमन्, हमारे प्रदेश के अन्दर आज से नहीं वर्षों से विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन है। मोटे तौर पर तीन जगहों पर जैसे उत्तरांचल, बुन्देलखंड और पूर्वांचल।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, इसमें पश्चिमी उत्तर का कहीं स्थान नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने मौटे तौर पर इसका जिक्र किया है बाकी सब जगहों पर विकास की दृष्टि से जिला योजनायें हैं। मैं उन क्षेत्रों की ओर चर्चा कर रहा हूं जहां पर विकास की दृष्टि से ज्यादा आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है । श्रीमन्, जो यह योजनायें चालू की गयी थीं, उत्तरांचल विकास निधि और बुन्देलखंड विकास निधि और आपको स्मरण होगा कि 1990-91 में योजना लागू की गयी थी उसमें पूर्वांचल विकास निधि को 20 करोड़ रुपये, बुन्देलखंड विकास निधि को 5 करोड़ रुपये दिया गया था, 91-92 में पूर्वांचल विकास निधि में 30 करोड़ और बुन्देलखंड विकास निधि में साढ़े सात करोड़ और अब हमने इस बजट में पूर्वांचल विकास निधि में 40 करोड़ रुपये और बुन्देलखण्ड विकास निधि में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने सदन में पिछले दिनों एक आश्वासन दिया था कि पूर्वांचल विकास निधि में 10 करोड़ रुपये की जो कटौती की गयी है उसे पूरा करेंगे वर्ष 1990-91 में 20 करोड़ और वर्ष 1992-93 में 30 करोड़ यदि देखा जाये तो इसमें 55 करोड़ रुपये का प्राविधान करना चाहिए था ।

श्री कल्याण सिंह–

उस दिन तो मैंने आश्वासन दिया था मगर आज यह घोषणा कर रहा हूं कि इसे पूर्ण करने का फैसला ले लिया गया है । श्रीमन्, जो हमारा आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं वह भी किसी दल के आधार पर नहीं । आज अभी तक जो कर्जा माफी का निर्णय लिया गया था, शासनादेश भी 11-7-90 को जारी हो गया था, कर्जा माफी का, आज इस कर्जा माफी की मद में भारत सरकार से हमको 253 करोड़ 44 लाख रुपये मिलना शेष है । मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा सबका सहयोग इसमें रहे । खासकर माननीय तिवारी जी का विशेष रूप से आभार मानूंगा, वह अपने प्रभाव का उपयोग करें, पूरा विवरण हम दे देंगे। इस प्रकार से श्रीमन्, मैं वह बिन्दु इसलिये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब लड़खड़ाता क्यों है, इसे दूर करने के बाद ही विकास के रथ को हम आगे बढ़ा पायेंगे ।

माननीय तिवारी जी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया था, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जनसंख्या के ऊपर काबू पाने के लिये हम सिद्धान्तः तैयार हैं और इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलायेंगे, इसे जन आन्दोलन का रूप देंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और प्रेरणा से । अब यह कार्यक्रम कैसे चले, माननीय प्रमोद जी, बिना पैसे के कैसे चले ? स्थिति ऐसी है कि 1989-90 का अभी तक 19 करोड़ रुपया बकाया परिवार कल्याण कार्यक्रम का भारत सरकार पर पड़ा है, इसी तरह 1990-91 का 59 करोड़ पड़ा है, जिसे उत्तर प्रदेश खर्च कर चुका है और 1991-92 का कुल 148 करोड़ का परिव्यय अनुमानित है और मिला है केवल 81 करोड़ । इस प्रकार 67 करोड़ रुपये इसमें भी बकाया पड़ा है और अगर इस सबको मिला लिया जाय, तो 145 करोड़ का बकाया हो जाता है। अगर हम इसकी मांग करते हैं तो उसको कन्फन्टेशन की बात कह दी जाती है । (इस समय 5 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) हमारा कोई कन्फ्रन्टेशन नहीं है, हम जानते हैं

कि भारत सरकार के सहयोग के बिना क्या प्रदेश का विकास कर पायेंगे. लेकिन जो हक है, उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता का. जो वर्षों से नहीं मिल रहा है, अगर उसके लिये हम सब मिलकर सवाल नहीं उठायेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब हम सवाल उठाते हैं, तो उसे संघर्ष की संज्ञा दे दी जायेगी तो यह प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इसी प्रकार फाइनेन्स कमीशन का पैराग्राफ 7.13 है, उसमें साफ लिखा हुआ है और मैं तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बार इन्होंने अपने प्रयासों से कुछ ऐसी योजनाओं का प्रारूप बनवाया था, जिससे उत्तर प्रदेश को कुछ अधिक धन मिल जाता था। इसी पैराग्राफ में लिखा है, 787 करोड़ रुपया राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी सबका सहयोग प्राप्त हो।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम लोग तो सहयोग करना चाह रहे हैं. लेकिन माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से इनकी जो बात हुई, उसका नतीजा क्या निकला, यह बता दें।

श्री कल्याण सिंह–

वह कहते हैं कि वित्त मंत्रालय इसे स्वीकार नहीं करता, इस नाते हमारे सामने कठिनाई है। जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी का.....

श्री प्रमोद तिवारी–

वित्त मंत्री जी क्या कहते हैं, यह बता दीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

मैं उन्हीं के लिये कह रहा हूं। वह कहते हैं कि वित्त मंत्रालय इसे स्वीकार नहीं करता है, इस तरह फाइनेंस कमीशन की संस्तुति बेकार चली गयी। यह कोई शब्दों के खिलवाड़ की बात नहीं है, हमें 787 करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला, हमें आप सब इसके लिये सहयोग करें माननीय मनमोहन सिंह जी से हमने क्या कहा, शब्दों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि वह हमें पैसा दें। आनपारा-बी प्रोजेक्ट के बारे में बार-बार कहने के बावजूद भी 9991-92 व 1992-93 का 928 करोड़ रुपये बकाया है, जो हमें मिलना चाहिए।

श्रीमन्, दो बातें कह कर मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं। कई बार दो सवाल आते हैं। बिक्रीकर के बारे में सवाल आता है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने कर रहित बजट पेश ही नहीं किया है अपितु कई आइटमों में कर कम भी किया है और कई चीजों से कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। यह भी मेरा कहना है कि वायदों के विवादों की चौखट में दिमाग को घिसकर काम चलने वाला नहीं बल्कि व्यावहारिक धरातल पर फैसले लेने पड़ेंगे। आपको प्रोत्साहन देना होगा, जिससे टर्न ओवर बढ़े, और ट्रांजिक्सन बढ़े। टैक्स तो आपने हाइ लगा दिये, परन्तु टर्न ओवर है नहीं। इसलिये हमने ऐसे आइटमों से टैक्स को हटा दिया और कुछ में टैक्स कम किया। वर्गों के हिसाब से हमने टैक्स को कम किया है। इसलिये इस कर की सुविधा को व्यावहारिक बनाने में हमने लगभग 100 करोड़ रुपये की छूट दी है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम राहत और राजस्व दोनों में सामंजस्य बैठा कर चलना चाहते हैं। हम राहत देंगे परन्तु राजस्व की प्रतिपूर्ति करेंगे। टर्न ओवर बढ़ायेंगे, ट्रांजिक्सन बढ़ायेंगे। इतनी राहत के बावजूद भी हमारा राजस्व बढ़ेगा। मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता

हूं कि ढांचे का सरलीकरण आप इसे आलोचना के रूप में न लीजिये, जितना इस सरकार ने किया है, इतना कभी नहीं हुआ है। आपको बजट और योजना में कुछ अन्तर दिखाई दे रहा होगा उसका कारण है। इसी महीने की 6 मार्च को योजना आयोग से बात-चीत होकर चीजें फाइनल हुई हैं और 12 मार्च को बजट पेश हो जाता है। इस सारे गैप को हम यथा समय अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब श्रीमन्, एक प्रश्न कई बार उठता है कि यह 245 करोड़ का घाटा कैसे पूरा किया जायेगा। तो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि 100 करोड़ बढ़ा कर प्रशासन के माध्यम से खड़ा कर लेंगे, वर्तमान आय स्रोतों से अधिक से अधिक आय अर्जित करेंगे। कर प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त किया जायेगा। 31 दिसम्बर, 91 तक प्रदेश में कुल मिला कर 13 सौ 85 करोड़ 68 लाख बकाया है उसमें से 641 करोड़ 83 लाख रुपया ऐसा है जो वसूली योग्य है बाकी कहीं स्टे है, कहीं कुछ और है। तो हमने निर्णय लिया है पहले चरण में इस बकाये में से कम से कम 125 करोड़ हम वसूल करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राजस्व व्यय में मितव्ययिता है, खर्चों की मदों में कटौती है तो इन सब से 20 से 25 करोड़ की बचत करेंगे। इस नाते यह जो घाटा दिखाई दे रहा है इस घाटे की प्रतिपूर्ति करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः जो माननीय सदस्यों ने विचार दिये हैं, जो सुझाव दिये हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और देखेंगे जो सुझाव करणीय हैं उनको करेंगे। इतनी बात कह कर अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जबरदस्त घोषणा की है कि कर रहित बजट है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बिजली के रेट आपने बढ़ाये हैं या रोडवेज के रेट बढ़ाने की बात है क्या यह करों की श्रेणी में मानते हैं या नहीं। जिस दृढ़ता से कह रहे हैं कर रहित है इस सदन को आश्वासन देंगे कि इस वित्तीय वर्ष में नया कर लगाने का प्रस्ताव सदन में फिर नहीं आयेगा।

श्री कल्याण सिंह–

अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

तो सरकार की नियत साफ नहीं है।

श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी ने जो बजट के बहुत ही जानकार हैं उनके विचार सुने और माननीय कैलाश नाथ जी के विचार मैंने सुने, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं क्योंकि समय कम है और माननीय मुख्य मंत्री जी के अतिक्रमण करने वाले विचारों को भी मैंने सुना वित्त मंत्री जी के ऊपर अतिक्रमण कर बोलने लगे तो मुझे बैठना पड़ा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता भी हैं। आपने आखिर में कहा कि कर रहित बजट हमने पेश किया है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से या वित्त मंत्री जी से कि यह जो बसों के किराये में 25 से 40 फीसदी वृद्धि की है और दूसरा बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं किसानों के ऊपर भी और छोटे-छोटे उद्योगों पर भी तो क्या यह कर नहीं है तीसरा स्टैम्प ड्यूटी एक

महीना नहीं हुआ बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो कोई रजिस्ट्री कराने जायेगा तो उसे दुगुने से ज्यादा रेट देना पड़ेगा, सौ प्रतिशत बढ़ा दिया है।

आलू के भण्डारण के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है। बिजली का टैक्स भी बढ़ा दिया तो यह थोथी दलील देने से और असत्य कहने से यह सदन और इस प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की विकास दर बहुत कम है। सरकार ने 6 फीसदी से ज्यादा अपने बजट में लिख दिया है कि हम विकास दर इतनी करेंगे लेकिन मान्यवर, इतिहास यह बताता है कि एक वर्ष को छोड़कर कभी भी जो इस्टीमेट किया गया था, उतना पूरा विकास नहीं हो पाया है और श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर हमारा ही एक प्रदेश ऐसा अभागा है कि यहां अशिक्षा भी सबसे ज्यादा है बेकारी सबसे ज्यादा है बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। यह जो मौजूदा बजट है इसमें कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि यह बजट विकास की दर को पूरा करेगा। श्रीमन्, लड़कियों की शिक्षा 20 फीसदी है और बालकों की शिक्षा 40 फीसदी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् 2000 तक हमारा देश दुनिया के नक्शे में निरक्षता के क्षेत्र में नंबर वन पर होगा और हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के नक्शे पर नम्बर वन पर होगा।

इसको दूर करने के लिये आज तक कोई करागर कार्यवाही तो नहीं हुई और इस बजट में भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई देता जिससे इस प्रदेश की अशिक्षा दूर की जा सके। श्रीमन्, इस बजट भाषण को मैंने बहुत गौर से पढ़ा। उसमें जो योजनाएं दी गई हैं मैं आपको बताना चाहता हूं सन् 1990-91 में और 1991-92 में बजट पेश करते हुए माननीय मुलायम सिंह, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि चलो गांव की ओर और यह भी कहा था कि 52 प्रतिशत हम किसानों पर खर्च करने वाले हैं। मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि पूंजी के प्रवाह को गांवों की ओर मोड़ दिया जायेगा। यह पूंजी की धारा को मोड़ रहे हैं। 60 प्रतिशत की बात कहते हैं जबकि 40 प्रतिशत भी गांव की तरफ जाने वाला नहीं है। सारे के सारे विकास के कार्यक्रम अवरुद्ध पड़े हैं। दूसरा आप देखें श्रीमन्, योजनाओं को इस तरह से यह लोग रंग देते हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी ने वर्ष 1985-86 में वहां था कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्बल वर्गों के परिवारों के उत्थान के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसकी समीक्षा की जायेगी और एक योजना में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था पिछले दो वर्षों में बीहड़ के सुधार के संबंध में किसान सेना का गठन किया था और अब आप देखें यह माननीय वित्त मंत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उसका नाम बदल कर भूमि विकास योजना के अन्तर्गत दलितों, श्रमिकों, उपेक्षित अनुसूचित जातियों को दीन दयाल योजना के अन्तर्गत रख दिया है। 1985-86 से उसका नाम बदला जा रहा है।

श्रीमन्, आज प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। श्रीमन्, इसमें आप आगे देखें।

माननीय वित्त मंत्री जी, गैर योजना व्यय जो है वह ज्यादा है और आयोजनागत व्यय जो है वह कम है यह आज से नहीं है यह चला आ रहा है। इसको कम करने के लिये कोई प्रयास आपने नहीं किया। वर्ष 1987-88 में यह 24 प्रतिशत था। 1989-90 में 20 प्रतिशत आ गया। 1990-91 में 23 फीसदी हो गया और 1991-92 की तुलना में 1992-93 में और खराब हालत हो गयी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान वर्ष में आयोजनागत खर्च कम है और दूसरा खर्चा आयोजनागत से बहुत ज्यादा है तो इस सरकार को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास की तरफ नहीं है सरकार धार्मिक भावनाओं को उभार कर और पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर प्रदेश की जनता को यह उलझाए रखना चाहती है। कल भी आपने मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना होगा माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं मंदिर तोड़े नहीं गये। चार-पांच मंदिरों के नाम इन्होंने लिए मैं नाम लेकर समय नहीं जाया करना चाहता, मंदिरों के नाम इन्होंने लिए कहा कि उनको हटा दिया गया, तो कौन सी टैक्निक आपकी थी कि उसको बिना तोड़े हटा दिया गया, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत दिन चलने वाली नहीं है। पुरुषोत्तम राम को जितना अपमानित इस सरकार ने किया है मैं समझता हूं इतना किसी ने नहीं किया। माननीय कैलाश नाथ जी ने कहा कि जब कोई संकट गांव के ऊपर आता है, बिजली चली जाती है तो कहते है बोलो "जय श्री राम" महंगाई बढ़ती है तो कहते हैं बोलो "जय श्री राम" नकल में छात्र-छात्राएं और शिक्षक पकड़े जा रहे हैं तो कहते हैं "बोलो जय श्री राम" सरकार कहां जा रही है सरकार का उद्देश्य क्या है ? बड़ा राजनीतिक भाषण अभी सुना कहा गया पहले राजनीति अर्थनीति के ऊपर हावी थी अब अर्थनीति राजनीति के ऊपर हावी है यह माननीय मुख्य मंत्री जी, कल्याण सिंह जी कहते हैं। मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जैसे हिटलर ने अपने को सुपीरियर साबित किया, जर्मन को कहा कि यही दुनिया में सबसे अच्छा रेस है उसको पूरी दुनिया में अधिकार है प्रशासन करने का उसकी प्रगति फासिस्टवादी तरीके की थी।

हिन्दुस्तान की जनता फासिस्टवादी तरीके को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कहते हैं कि सौ बार झूठ बोलो उसको सच मान लिया जाता है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने 24 मार्च की कार्यवाही में कहा था कि सी० पी० आई० ने रूस ने के० जी० बी० से अपनी पार्टी चलाने के लिए जो पैसा लिया उसकी पोल क्या खोली कि वे कुछ ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी विदेशियों के पैसे पर चलेगी वह पार्टी राष्ट्र भक्त और देशभक्त नहीं कही जा सकती है। राजनीति देश और प्रदेश की जनता के पैसे से चलती है। मान्यवर, आपकी पीठ को संबोधित करके मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप इनकी नाराजगी को समझ सकते हैं। यह मामला पार्लियामेन्ट में अभी 2-3 दिन पहले हमने पेश किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट के सदस्य आप हैं नहीं अगर आप यह कहते कि हमारे नेता लाल कृष्ण आडवानी ने उठाया तो ठीक होता लेकिन आप कहते हैं कि यह मसला हमने उठाया। इससे बड़ा झूठ और असत्य और कुछ नहीं हो सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी--

मुख्य मंत्री जी आपसे ऐसी आशा नहीं थी।

श्री ऊदल--

जो प्रोसीडिंग में मुख्य मंत्री जी ने कहा है, वह मैं कह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असत्य ज्यादा दिन चलता नहीं है। मुख्य मंत्री के लिये यह शोभा नहीं देता है। आप उस सदन के सदस्य नहीं हैं आप कहते हैं कि हमने उठाया। आप अपने को स्वदेशी कहते हैं। मैं जौनपुर में जा रहा था वहां मैंने देखा, मैं सही बता रहा हूं। शिशु मंदिर के 5-6 वर्ष के बच्चे थे वह झंडा लेकर इनका नारा लगा रहे थे। यह इनका स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। उसमें कोई भी बालिग पुरुष या महिला नहीं थी। यही स्वदेशी आंदोलन आपका है। महात्मा गांधी का नाम आपने स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय के साथ जोड़ दिया है। महात्मा गांधी राम राज्य और स्वदेशी आंदोलन की कल्पना करते थे। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी और हरे राम हरे कह कर उन्होंने प्राण त्याग दिये। उनको मारने

वाले लोग महात्मा गांधी के नाम को लेकर महात्मा गांधी के नाम को कलंकित कर रहे हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह फासिस्टवादी तरीका, हिटलर वादी तरीका यह नहीं चलने दिया जायगा।

मुख्य मंत्री जी मैं आपको चुनौती देता हूं, आप में अगर दमखम है, आपके नेताओं में है कि अगर हम पैसा लेते हैं तो आप पूरी की पूरी जांच करायें, मैं चुनौती देता हूं कि आप जांच करायें। मंदिर के नाम पर जो पैसा आया है और सी० आई० ए० की जो लिस्ट निकली है, श्रीमन् आपने भी अखबार में देखा होगा कि इनकी पार्टी के बहुत से नेता उस लिस्ट में हैं। हमारी पार्टी का कोई नहीं है। आपका तरीका फासिस्टवादी, हिटलरवादी और राम को अपमानित करने वाला तरीका है। यह उत्तर प्रदेश में नहीं चल पायेगा और न देश में चल पायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट बिल्कुल दिशाहीन, निराशाजनक, अर्थहीन और जनविरोधी बजट है। यह सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स लगायेगी इसलिये मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि हमारे यहां से माननीय तिवारी जी बोल दिये हैं, उसके बाद हमारे दल से कोई नहीं बोला है। उधर से मुख्य मंत्री जी बोल चुके हैं तो अब उधर से भी कोई न बोले। अगर उधर के माननीय सदस्यों को अपने मुख्य मंत्री में विश्वास है तो उनके बोल लेने के बाद अब न बोलें। केवल वही लोग बोलें जिनको अपने मुख्य मंत्री में अविश्वास हो।

श्री अध्यक्ष--

इसको लागू करेंगे तो माननीय नेता विरोधी दल बोल चुके हैं। तो फिर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा--

मान्यवर, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोलने के लिये खड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि पहले ऊदल जी बोल लें, उसके बाद बोलें। इस समय सभी दलों के नेतागण बोल रहे हैं। अब 2-3 नेतागण और रह गये हैं। मेरा सुझाव है कि उन नेताओं के विचार सुन लें। उसके बाद इधर से भी बुलवा दें और उधर से भी बुलवा दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांति रखें। प्रक्रिया का निर्धारण कर लेंगे। माननीय बी० आर० वर्मा जी के बाद इधर के माननीय सदस्य बोल लेंगे। तीन मिनट का समय नष्ट हो गया, इतने में तो आधा भाषण हो गया होता।

श्री बी० आर० वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस सरकार को बने हुए लगभग 10 माह हुए हैं और इस 10 माह में देखने को मिला है कि जब भी मुख्य मंत्री जी खड़े होते हैं या वित्त मंत्री जी खड़े होते हैं तो पूर्व सरकार और केन्द्र सरकार की दुहाई दिया करते हैं। दस माह बीत चुके हैं, कब तक आप केन्द्र सरकार और पूर्व सरकारों की

दुहाई देकर सरकार चलायेंगे । जो बजट भाषण शुरू किया, उसमें भी यहीं से शुरू किया, पूर्व सरकार से शुरू किया, अगर पूर्व सरकार अच्छी रही होती, जो भी उन्होंने किया, आज जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसी पर दोषारोपण करने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती । दूसरी बात मान्यवर, अब तक दिलों में बातें और रहती हैं और दिमाग में बातें और रहती हैं । इसी तरह से इस सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा, एक तरफ समता और सम्मान की बात कहीं गयी है और दूसरी तरफ आप ढिंढोरा पीटते हैं हिन्दू धर्म का और हिन्दू व्यवस्था का । एक तरफ समता और सम्मान की बात है , दूसरी तरफ ऊंच नीच, जाति बिरादरी और छुआ-छूत । भेदभाव और घृणा पर आधारित इस हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था यह दोनो एक साथ नहीं चलेगी ।

एक तरफ गौरवमयी संस्कृति का बड़ा गुणगान किया जाता है, दूसरी तरफ जो भी हम लोग पहने हैं हमारे देश में जो भी देखने को मिलता है, ये सब पाश्चात्य संस्कृति की देन है, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता से प्रभावित सब कुछ हैं और हमारी पुरानी बाड़मय भारतीय संस्कृति, जहां पाश्चात्य संस्कृति की किरण नहीं पहुंच पायी है, आज भी देखने को मिलती है । वह लोग है आदिवासी जो जंगलों और पहाड़ पर रहते हैं । उनको देख कर दुनिया के सामने क्या हम सिर ऊंचा कर सकते हैं यदि हां, तो भारतीय संस्कृति का गुणगान करें तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, जिनके बच्चे अशिक्षित हैं, उनकी हालत यह है जहां पश्चिमी संस्कृति नहीं पहुंच पायी है ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

जिनके पास न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न तो वे शिक्षित हैं, तो क्या दुनिया के सामने उन्हें रखकर हम सर को ऊंचा रख सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या यही गौरवमय भारतीय संस्कृति है ? यह राम राज्य स्थापित करने वाली सरकार है ? यह राम राज्य का गुणगान करने वाली सरकार है ? राम राज्य जमहूरियत का प्रतीक नहीं है ।

राम राज्य राज्यशाही का प्रतीक है । तो क्या यह सरकार लोकशाही को समाप्त कर राज्यशाही स्थापित करेगी ? दूसरी बात जो है, यह राम राज्य की सरकार आबकारी से पिछली सरकारों से ज्यादा राजस्व वसूल कर रही है यानि इस प्रदेश की जनता को पिछली सरकारों से ज्यादा शराब इस प्रदेश की जनता को पिलाने जा रही है, जिससे राम राज्य में सुर और सुरा का संबंध परिलक्षित होता है । दूसरी तरफ ये कहते हैं कि थोथे नारों के चौखट से हम इस सरकार को नहीं बांधेंगे । परन्तु आये दिन नये-नये नारे बदल रहे हैं । नये नारे तब दिये जाते हैं, जब पुराने नारों को भुलवाना होता है । इस भारतीय जनता पार्टी का पहले नारा था कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है । अब यह नारा ये नहीं देते । फिर ये नारा दिये हर हाथ को काम, हर खेत को पानी । परन्तु सत्ता में आने के बाद अब इस नारे की आवश्यकता इन्हें नहीं है । चुनाव के समय इन्होंने नारा दिया था आडवानी का कहना साफ, राम, रोटी और इन्साफ । अब माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर यह दोहराते हैं कि हमारा नारा भयमुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश है । आज भयमुक्त समाज तो नहीं हुआ, परन्तु भयमुक्त पुलिस जरूर हो गयी है, दंगा रहित प्रदेश तो नहीं हुआ, दबाव रहित प्रशासन बिल्कुल हो गया है । अब इनका नारा है, जो इस बजट भाषण में इन्होंने कहा है—गांव, गरीब, किसान, झुग्गी, झोपड़ी का इन्सान, बेरोजगार नवजवान, नारी का सम्मान, दलित श्रमिक और शोषितों का उत्थान । यही इनके बजट भाषण के मुख्य बिन्दु हैं, जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । पहला है, गांव, गरीब, किसान इस प्रदेश में जो लोग खेती करते हैं, उनके पास खेत नहीं है और जो लोग खेती नहीं करते हैं, जिनका खेत के मेड़

पर जाने से धर्म नष्ट हो जाता है, जिनकी औरतें घर के चौखट से बाहर नहीं आ जा सकती, वे हजारों एकड़ खेत के मालिक बने हुए हैं।

इस प्रदेश में सीलिंग ऐक्ट लागू होने के बावजूद भी उनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं। इसके बारे में मंगलदेव विशारद की एक कमेटी प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट भी दी है कि कितने लोगों के पास कितने हजार एकड़ जमीने हैं। परन्तु उस पर इस सरकार ने अपने इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। जितनी जमीनों पर खेती हो रही है, उससे दूनी से ज्यादा जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं, जिस पर खेती की जा सकती है। यह किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, बल्कि गांव सभा एवं प्रदेश और देश की सरकार के कब्जे में है। यदि इन जमीनों को उपजाऊ बना कर ऐसे लोगों को जो दूसरों के खेत पर काम करते हैं वे दी जाय, तो अधिक से अधिक अन्न की पैदावार हो सकती है। इसके बारे में सरकार ने अपने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। ये जमीनें ऐसे लोगों में क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जिस दिन ये अपने खेतों पर काम करने लगेंगे, फिर हजारों एकड़ जोतने वालों के खेतों पर काम करने वाले लोग कहां से मिलेंगे और तब उनका और उनके खेतों का क्या होगा ?

अगर गरीब को जमीन मिल जायेगी, तो उनके खेतों पर काम करने वाले नहीं मिल पायेंगे, इसलिये उस दिशा में कुछ नहीं किया है।

मान्यवर, दूसरी बात झुग्गी झोपड़ी की कही गयी है। झुग्गी झोपड़ी में कौन लोग रहते हैं, उनमें वही लोग रहते हैं, जो गांव के सामंतों से परेशान होकर गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं और गली कूचों में, गन्दे नालों के किनारों झोपड़ी बना लेते हैं। इस तरह के लोग सभी जगह मिलेंगे, चाहे लखनऊ हो और चाहे कानपुर हो। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बाढ़ का जो इलाका है, वहां पर मुझे जाने का अवसर मिला और देखा कि एक ही झोपड़ी में मां बाप उसके बच्चे और उसकी नवजवान लड़की रहती है। इस तरह के लोगों को बसने के लिये मकान बनाने के लिये सरकार ने अपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मात्र एक कोरा नारा दिया गया है। भंगी मुक्ति योजना के बारे में कहा गया है कि आज कोई भंगी नहीं चाहता है कि उसका बेटा भंगी का काम करे, मजबूरन भले उसे भंगी का काम करना पड़े। भंगी का काम करने के नाते लोग उसको हिकारत की नगर से देखते हैं, गिरी हुई नजर से देखा जाता है। अगर उसका रहन-सहन अच्छा हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और अच्छी बस्तियों में रहने की व्यवस्था हो और वह अच्छी तनख्वाह पाता हो, तो दूसरे लोग भी भंगी बनने के लिये लालायित होंगे। इस बजट में उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, प्रदेश में जितने भी अच्छी किस्म के जूते बनते हैं, वह आगरा में बनते हैं और वहां के मोचियों के द्वारा बनाये जाते हैं, लेकिन उनका निर्यात पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है और इनका शोषण किया जाता है। इससे बचने के लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि मोचियों से जूतों को सरकार स्वयं खरीदे और तब उनका निर्यात करे। इससे मोचियों को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। इस काम को

सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है । मान्यवर, इस तरह से यह बजट किसान विरोधी और गरीब विरोधी बजट और मैं इसका विरोध करता हूं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और विपक्ष के महारथियों के विचारों को सुना जिन्होंने कई बार बजट का समर्थन किया है और पेश भी किया है । उनके विचारो को सुनकर एक कहावत याद आती है, एक किसान हल जोत रहा था तो उसके पीछे कीड़े निकल रहे थे और उन कीड़ों को खाने के लिये नीलकंठ आ गया, किसान ने उसके सांटा मार दिया, तो नीलकंठ मर गया, किसान उसको अपनी धोती में बांधकर पंडित जी के पास ले गया और पूछा कि दशहरे के दिन नीलकंठ मिल जाय तो क्या होता है, पंडित जी ने बताया कि अगर नील कंठ दशहरे के दिन मिल जाये तो बड़ा अच्छा होता है । जब किसान ने पूछा कि अगर मरा हुआ दिख जाय तो क्या होता है तो पंडित जी ने कहा कि उसका सत्यानाश हो जाता है तब किसान ने अपनी धोती से मरा हुआ नीलकंठ पंडित जी को दिखाते हुए कहा कि मेरा नाश हो गया, आप भी अपना नाश सुनिश्चित कर लो । विपक्ष के विचारों को मैं उस किसान की मानसिकता के रूप में ही देखता हूं । उसी प्रकार से जिन्होंने 40 साल तक प्रदेश को चलाया है और आज कहते हैं कि बजट दिशाहीन है । इतने सालों तक यह प्रदेश को कोई दिशा नहीं दे पाये हैं । मैं चाहता हूं कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिन के सामने रोजी रोटी का सवाल है, जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, न तन ढकने को कपड़ा, अपने मैले कुचैले बच्चों के बीच आज वे दम तोड़ रहे हैं, ऐसे करोड़ निराश भाई बहनों को सुखी व सम्पन्न बनाना हमारा व्रत है ।

मान्यवर, मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय के उन सिद्धान्तों को साक्षर करने में दृढ़ता के साथ कदम उठाया है । उन लोगों को राहत देने के लिए धन का प्राविधान इस बजट में करके उस दिशा में प्रयास किया है ।

इसलिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । जो लोग 40 साल से झोपड़ी में प्रकाश के लिये तड़फते थे इस बजट के द्वारा उस झोपड़ी में प्रकाश की एक किरण पहुंचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है । इस बजट की सबसे पहली विशेषता यह है कि जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह बजट कर रहित बजट है, इसमें किसी के ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया है । यह शायद पहला अवसर है जब कर रहित बजट उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया गया । 245.25 करोड़ रुपया का जो घाटा है उसको पूरा करने की घोषणा की गयी है, उसको पूरा करने का वायदा किया गया है इसके कारण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रहेगा और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रभाव यह रहेगा कि जो हमने लक्ष्य रखा है 6 प्रतिशत उत्पादन को बढ़ाने का आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको पूरा कर सकेंगे । अभी पूर्ण में अनेक वक्ताओं ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार शायद अपने विकास के वायदों और विकास के कार्यों के प्रति जागरूक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 92-93 की जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी 4244 करोड़ रुपये की थी उसमें योजना आयोग ने 2559 करोड़ की स्वीकृति दी थी, मैं बताना चाहता हूं कि जागरूकता के कारण समय रहते ही पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के सामने प्रदेश का पक्ष रखा और उस योजना को 4045 करोड़ रुपये तक स्वीकार कराया । यह उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्य मंत्री की सतत् जागरूकता का कारण ही सम्भव हो सका है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का विकास का रास्ता गांव की गली और गलियारों से होकर गुजरता है, अगर इस प्रदेश का विकास करना है तो गांवों का विकास करना पड़ेगा । मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुल योजना का 60 प्रतिशत गांवों के विकास पर खर्च करने की घोषणा की है । अगर गांव का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश को एक अच्छे प्रदेश के रूप में देश के सामने दुनिया के सामने रख सकेंगे । हमको पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो अब तक विकास के अभाव में पिछड़े हुए थे, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गये थे । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में 3 क्षेत्रों का अलग से चयनित करके उनके लिये अलग से प्राविधान किया गया है और समुचित आर्थिक व्यवस्था भी की है । बुन्देलखण्ड के लिए 10 करोड़, पूर्वान्चल के लिए 40 करोड़, उत्तरांचल के लिये 405 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उनको समान स्तर पर लाने का प्रयास इस सरकार ने किया है इसलिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, अभी शहरों में रहने वाले कई लोगों ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए क्या योजना है इस बजट में पूछा है । मान्यवर, सबसे पहले मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए पेयजल की योजना के लिए एक करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है ।

शहरों में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में जो शुद्ध पानी के लिये तरसते हैं उनके लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । अनुसूचित जाति के लिये 80 हजार मकान इस वित्तीय वर्ष में बनाने की घोषणा की गयी है, साथ ही समुचित धन का प्राविधान भी किया गया है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, उसमें जितने भी लाभार्थी होंगे, उसमें से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति जन जाति के व्यक्ति होंगे, यह इस सरकार के वित्त मंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है ।

गांव में रहने वाली महिलाओं की समस्या के बारे में भी वित्त मंत्री जी का ध्यान है । महिलाओं की कठिनाई को वह महसूस करते हैं अब भी वे सड़क के किनारे बैठकर शौच करने के लिये विवश हैं, उनके लिये 20 हजार शौचालयों की व्यवस्था की है, जिसके व्यय का 95 प्रतिशत धन का वहन प्रदेश सरकार करेगी । महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कन्या विद्यालयों के लिये जो लोग भूमि/भवन उपलब्ध करायेंगे, उस विद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जायेगा । इसके लिये भी 2.75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है । शिक्षा और चिकित्सा ऐसे क्षेत्र हैं जहां समाज की सह-भागीदारी चाहिए, इस निर्णय से भागीदारी बढ़ेगी । पश्चिम में गन्ने की प्रमुख समस्या है, अपनी प्रदेश सरकार ने 4 रु० प्रति क्विंटल गन्ना कीमत बढ़ाई है, इससे 150 करोड़ रू० किसानों को अतिरिक्त मिलेगा, 66 करोड़ रु० इस सरकार ने किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान कराया है । गन्ना मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिये 100 करोड़ रु० का प्राविधान है, 31 करोड़ रुपया सरकारी मिलों पर खर्च किया जायगा । कल मेरठ और गाजियाबाद के किसान आये थे मुझसे मिले थे । मिलों ने अन्य वर्षो की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक गन्ना पेर लिया है लेकिन रिजर्व बैंक ने उनकी लिमिट को नहीं बढ़ाया है । इससे भुगतान में कठिनाई हो रही है लेकिन मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी के प्रयास से उनकी लिमिट बढ़ेगी और किसानों का भी भुगतान हो जायगा । औद्योगिक नीति में जो दृष्टिकोण है उस संबंध में कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, जिनके कारण भारी घाटा होता है, उनका सुदृढ़ीकरण किया जायगा या उनको निजी क्षेत्रों में भेजने पर विचार किया जायगा । उनके अनावश्यक घाटे के कारण पड़ने वाले भार से सरकार बच सकेगी । यह धन प्रदेश के विकास में लगेगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा अपने बजट भाषण में कहा कि सूर्य के प्रकाश और आकाश के जल की तरह शिक्षा सबको देना चाहते हैं । मैं

कहना चाहता हूं इस बजट का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को सूर्य के प्रकाश व आकाश के जल की तरह से ही प्राप्त होगा । मैं इस बजट के लिये उनको बधाई देता हूं ।

(श्री लालजी वर्मा सहित अनेक विपक्षी सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आपत्ति न हो, तो श्री राम स्वरूप वर्मा जी को बुलवा दूं ।

(कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी)

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि कल ग्रान्ट वाइज बजट होगा और यह प्राविधान है कि एक दिन पहले उसका बजट साहित्य मिल जाता है लेकिन अभी तक हमें यह साहित्य उपलब्ध नही हो पाया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जायें । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी बोल रहे हैं कृपया उन्हें बोलने दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, हमारा सबसे बड़ा एतराज इस बजट में यह है कि इसमें 43 अरब 38 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया है । कर्ज लेने का तरीका यह है कि किसान कर्ज लेता है और उससे फिर उत्पादक वस्तु खरीदता है और फिर धीरे-धीरे उसके उत्पादन से उसका चुकता करता है । लेकिन यहां पर यह है कि 43 अरब 38 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और 21 अरब, 54 करोड़ रुपये पूंजी निर्माण में व्यय कर रहे हैं और अधिक रुपये वेतन भत्ते पर व्यय कर रहे हैं । जब आधा योजना पर व्यय करेंगे और आधा तनख्वाह आदि पर व्यय करेंगे तो समझो सरकार का भविष्य अंधकारमय है । क्योंकि जो मनुष्य कर्ज लेकर उसे उत्पादक कार्यों में न लगाकर अपने घर के कामों में लगा देता है तो वह उसे अदा नहीं कर पाता है । तो मान्यवर, इसी कारण से कर्जा इतना हो गया है कि इससे इस प्रदेश की जनता का भविष्य अंधकारमय हो गया है । 31 मार्च, 1993 को 2 खरब, 41 अरब, 70 करोड़ का कर्जा प्रदेश सरकार पर होगा जबकि हमारे राज्य का कुल बजट 1 खरब, 14 अरब का है तो अगर दो साल का बजट कर्ज अदा करने के लिए ले लिया जाये तब भी 13 अरब रुपये बकाया रह जायेगा । इतना ज्यादा कर्जा लिया गया है । परिसम्पत्ति की बात कही गयी । मान्यवर, आटो ट्रेक्टर कारखाना प्रतापगढ़ की 100 करोड़ की सम्पत्ति है लेकिन जब मूल्यांकन किया गया तो आठ करोड़ ही आंका गया और एक करोड़ रुपया देकर सिपानी ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया और एक करोड़ में लेना-देना हो गया । तो एक करोड़ सरकार सिपानी ब्रदर्स को वापस देकर आटो ट्रैक्टर को खुद चलाती तो अच्छा रहता या सौ करोड़ की हैसियत उसकी है तो सौ करोड़ में उसे बेचती तो इस तरह से सरकार कर्जा लेकर घाटे का कार्य कर रही है । अगर आप सब सदस्य कह दें कि आप कर्जा न लीजिए केवल सरकार चलाइये तो यह हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हम तो कर्जा लेंगे, हम तो इसके बिना सरकार नहीं चला सकते । तो यह हालत है । मान्यवर, गांव की तरक्की की बात कही गयी । गांव की तरक्की के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, सिंचाई, बिजली और सड़क । तीन बातें अगर गांव में हो जायं तो गांव का विकास हो सकता है, शेष बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हैं पर इन तीन बातों के आश्रित हैं । इन बातों के होने से गांवों की समृद्धि होगी ।

मान्यवर, सड़कों का तो यह हाल है कि 4337 गांवों में एक हजार से डेढ़ हजार तक की आबादी है इनमें 350 गांवों में यह बना रहे हैं लिंक रोड । हरियाणा में हर गांव को पक्की सड़क मिल गयी है हर गांव में बिजली मिल गयी है हरियाणा आज तरक्की कर रहा है पिछड़ा हुआ होने के बावजूद और हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्यों ? क्योंकि हमारी योजना विचारकर नहीं बनती । प्राप्त साधनों का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं । तो यह जो 350 गांव पक्की लिंक रोड से जोड़े जा रहे हैं यह जो 4000 गांव शेष हैं यह पाण्डव वनवास के सालों में पक्के मार्गो से नहीं जुड़ पायेंगे । एक हजार से कम आबादी वाले लगभग 83 हजार गांव 12 वर्ष बाद भी सड़कों से वंचित रहेंगे । मान्यवर, हमने सरकार से कहा था कि अभी जो कच्चे मार्ग हैं इनको पुलियों से लैसकर आवागमन के लायक बनाया जाय फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध हों इनको पक्के करते रहा जाय । सरकार कहती है कि हमारी कोई नीति नहीं है कच्ची सड़कों के बारे में रहा हाल सिंचाई का 6 करोड़ 33 लाख रुपये पूंजीगत व्यय में कमी कर दी गयी है कोई नयी मद नहीं हैं । जब नयी मदे हैं नहीं तो सरकार से क्या आशा लगायें और पूंजी लेखे में 6 करोड़ 33 लाख की कमी कर दी गयी । मान्यवर, बिजली के बारे में हालत यह है कि 4 अरब 16 करोड़ रुपये की कमी आयी पिछले साल से 14 अरब 16 करोड़ रुपये कम बिजली में रखे गये हैं इन सबसे क्या असर पड़ेगा ।

पहले अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत हर क्षेत्र या ब्लाक में एक गांव लिया गया जिसमें 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी थी और उसे विद्युतीकरण करने का लक्ष्य बनाया गया था वह लक्ष्य भी बना न रह सका 300 गांव रह गये, अम्बेदकर जी के नाम पर भी आपने दगा किया । यह जो तीन महत्वपूर्ण सड़क बिजली, सिंचाई विभाग हो इनमें सरकार कुछ नहीं कर रही है । आश्चर्य है कि 60 फीसदी रुपया खर्च के लिये जो गांवों को दिया गया वह कहां पर है । वित्त मंत्री अगर यह बता देते कि इस बजट में यह 60 फीसदी रुपये वाली मदें हैं जो गांवों से संबंधित है तो बड़ी कृपा होती लेकिन यह इन्होंने बताया नहीं । इन्होंने 60 फीसदी की बात कही पिछली सरकार ने 51 फीसदी कहा था अगली सरकार आयेगी वह 70 फीसदी कर देगी तो इस तरह से यह रूपया गिनते रहेंगे, रुपया मिलेगा नहीं, तरक्की होनी नहीं है । उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश का 40 प्रतिशत करता है । मैंने चीनी संस्थान लगाने का आग्रह कई बार किया है कि चीनी संस्थान यहां लगाये जायं जिससे चीनी बाई प्रोडक्ट हो जायेगी । तब 60 रूपये क्विंटल गन्ने का मूल्य कर देने पर 13 रूपये किलो चीनी बेची जा सकती है मुनाफे के साथ पर यह होगा तभी जब चीनी संस्थान लगें । 27 परसेंट खोई से परफ्यूमरल, कपड़ा, अखबारी कागज, गत्ता, कैनाइट बोर्ड, जिसका सिनेमाघरों में इस्तेमाल होता है, बनाया जाय इसके अलावा शीरे से पावर अल्कोहल से पेट्रोल का विकल्प मिले और नकली रबड़ बनाने के कारखाने लगें और प्रेस मड से मोम और रंग बनाये जायें, तब शक्कर बाई प्रोडक्ट बन जायेगी । उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सूबा है और चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा यहीं होता है, इसका संस्थान लगाने से हजारों लोगों को काम मिलेगा । एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, रामराज्य का बडा प्रचार किया गया । हमारी समझ में रामराज्य के बारे में पूरी तौर पर जाने बिना सदन चुपचाप है । मान्यवर, राम राज्य का वर्णन दो रामायणों में मिलता है ।

वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड में 73 से 76 सर्ग में, जहां उल्लेख है कि शूद्र सेवा का काम छोड़ कर अन्य कोई काम नहीं कर सकता । राम के राज्य में शम्बूक नाम के शूद्र ने तपस्या करने की कोशिश की थी, उसे राम द्वारा मार दिया गया, उसकी गर्दन काट ली । तो मान्यवर, अगर यह वाल्मीकीय

रामायण वाला रामराज्य होगा, तो माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री नहीं होंगे क्योंकि उसमें शूद्रों को राज्य करने का अधिकार नहीं है । दूसरी तुलसीदास की रामायण है, उसमें तुलसीदास खुद कहते हैं–

"जेहि विधि बधेउ व्याधि इव बाली, फिर सुकुन्ठ सोई कीन्हि कुचाली,

सोइ करतूत विभीषण केरी, सपनेहू सो न राम हिय हेरी ।"

जिस भौजाई को बिठाने में बालि को राम ने मारा था, उसके बाद वही कुचाल सुग्रीव ने की, उसके बाद विभीषण ने भी वही करतूत की, लेकिन राम चन्द्र जी ने सपने में भी उन्हें दोषी नहीं माना क्योंकि लहत न प्रभु चित चूक किये की करत सुरत सौ बार हिये की ।

तुलसीदास की रामायण में ही वर्णाश्रम का उल्लेख है–

"वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग ।"

इसीलिये इनके रामराज्य की कल्पना है कि विरोधी माफिया गिरोहों को मारते हैं और अपने माफिया गिरोहों को पनपाते हैं । रामराज्य [x x x] का राज्य था– क्योंकि "कोटिन वाज मेध प्रभु कीन्हे, अमित दान विप्रन कहं दीन्हे" ।

रामचन्द्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किसानों से सेल्स टैक्स लेकर किये और अनापशनाप दान ब्राह्मणों को दिया । यानी कमायें किसान और खाये ब्राह्मण ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

अगर आप ऐसे रामराज्य की कल्पना करेंगे तो फिर लोगों के मौलिक अधिकार कहां रह जायेंगे, इसलिये हमें रामराज्य की सपने तक में कल्पना नहीं करनी चाहिए । भारत का संविधान सर्वोपरि है और उसमें हमें सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

(श्री किशोरी श्याम जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जितने दिन विपक्ष ने बहिष्कार किया, उतने दिन सत्ता पक्ष को बोलने का अवसर ज्यादा मिला । इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं । मैं श्री दीना नाथ सिंह यादव जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इस बजट में अलंकृत भाषा के प्रयोग से, कुछ काल्पनिक आदर्शमय मुहावरों व चौपाइयों के प्रयोग से तथा सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं के शोषण से इस प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है । परन्तु माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल यही तीनों काम इस बजट में किये हैं । मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के साथ खिलवाड़ करना है । प्रदेश को और पीछे ले जाने का प्रयास यह सरकार कर रही है । अगर यह सरकार कुछ भी सच बोलती तो हम मानते कि इस प्रदेश का कुछ विकास होगा परन्तु

नोट – [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, जब ये लोग सरकार में नहीं थे, तब से कहते थे कि मंदिर वहीं बनायेंगे, गर्भगृह में बनायेंगे। अब थोड़ी सी भाषा इन्होंने बदल दी है। अब कहते हैं कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, परन्तु पहले कहते थे कि इसमें अदालत क्या कर सकती है ? हम समझते हैं अब ऐसी भाषा ये क्यों बोल रहे हैं ? कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो तोड़ने शब्द से वे इतना ज्यादा परहेज कर रहे थे और तोड़ने की जगह पर हटाने शब्द का प्रयोग कर रहे थे। माननीय मंत्री जी को तोड़ने और हटाने में अब फर्क नजर नहीं आ रहा है। झूठ बोलने की कसरत अब वह कर रहे हैं क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि अगर हम तोड़ना शब्द इस्तेमाल करेंगे तो पूजा विधेयक के कानून में फंस जायेंगे। अब उन्हें कुर्सी से मोहब्बत हो गई है। वह कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार जो कर रही है, अगर उसे कहने की हिम्मत इनमें नहीं है तो ये कैसे इस प्रदेश की 14-15 करोड़ जनता का विकास करेंगे। आज साम्प्रदायिक भावना से यह सरकार खिलवाड़ कर रही है।

इस बजट पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई भी सैक्युलर आदमी यह नहीं कह सकता कि सेक्युलर सरकार का यह बजट है। आज जो यह कर रहे हैं, वह आग से खेलने के समान है और इसका परिणाम पूरे सूबे को भुगतना पड़ेगा। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है कि आग से खेलने वालों का वही नतीजा होता है, जो एक बच्चे को भुगतना पड़ता है। यह सरकार बड़ी लम्बी डींग हांकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि केन्द्र सरकार के पास हमने जो वार्षिक योजना भेजी वहां उन्होंने आंकड़ों के जाल में फंसाकर हमें कम पैसा दिया। मैं समझता हूं कि यही काम माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में किया है। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने बखूबी उसे रख भी दिया। 9 महीने में बिजली के नाम पर सड़कों के नाम पर एक भी काम नहीं किया। इधर माननीय विधायक जो कह रहे हैं वह यही बताता है कि यह सरकार सही में बांझ है इसलिये फल देने वाली नहीं है चाहे आप पी० डब्लू० डी० में ले लीजिये या बिजली में ले लीजिये कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात मुझे कहनी है यह सरकार गांवों की तरक्की के लिये बड़ी आतुर है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय दीना नाथ मेरे मित्र हैं उन्होंने इस सरकार पर आरोप लगाया है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि सरकार में कई तरह के लोग शामिल है तो पूरी सरकार बांझ हो गयी है इससे दिक्कत आ जायेगी नहीं तो माननीय राजेन्द्र जी कुछ करें अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मुझे अस्वाभाविक सा नहीं लगा। मैंने बजट भाषण सुना और पढ़ा लेकिन इसमें कहीं भूमि वितरण के लिये एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं 1981-82 के जनगणना के आंकड़े हैं हमारे प्रदेश में ऊसर, बंजर, ग्राम समाज और जंगल विभाग की जमीन जिसमें एक भी पेड़ नहीं लगा है जिसमें खेती हो सकती है वह एक करोड़ 10 लाख एकड़ है। उसे गरीब भूमिहीन, गरीब अनुसूचित जाति के लोगों में वितरण किया जा सकता है और जो सीलिंग से निकलेगी वह साढ़े 5 लाख एकड़ है यह मौजूदा सीलिंग के कानून से निकलेगी क्योंकि नया कानून तो आप बनायेंगे नहीं। अगर इस जमीन के वितरण का काम आप अपने हाथ में ले लें तो लाखों लोगों को, गरीब भूमिहीन बेरोजगारों को रोजगार मिल जायेगा मगर यह सरकार ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, यह सरकार तो उन्हीं की हिफाजत करने वाली है जो सीलिंग का कानून तोड़ कर बेनामी जमीन रखे हैं, जो ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किये हैं। इसलिये उस जमीन को यह बांटने वाले नहीं हैं।

तीसरी बात मुझे कहनी है मान्यवर, मैं खतरा तो इधर से बता रहा था।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें, उनको अपनी बात समाप्त कर लेने दें जितना व्यवधान होगा उतना समय और लगेगा।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

इसमें सामाजिक सेवा के लिये जिसमें 8 विभागों को गिनाया गया है और उसके लिये मात्र 18 प्रतिशत धन रखा गया है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसूचित जाति, कल्याण, पेय जल के लिये व्यवस्था, आवास आदि जो आवश्यक चीजें हैं आती हैं, उसमें 18 प्रतिशत खर्च होगा तो गरीबों का कहां से उत्थान होगा। गरीबों के आवास की व्यवस्था नहीं की गयी है। रोजगार के लिये व्यवस्था करनी चाहिए थी वह नहीं की गयी है। तो इस बजट से उत्तर प्रदेश का कोई विकास होने वाला नहीं है। यह बजट जनविरोधी है, दिशाहीन है। मैं पूरी तरह से अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इस जनविरोधी बजट का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

(श्रीमती उर्मिला राजपूत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री किशोरी श्याम–

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्रीमती उर्मिला राजपूत को पुकारा है। अभी आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपनें मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। तमाम मुसीबतों से घिरे और विरासत में मिले आर्थिक दिवालियेपन के बाद भी प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। सही मायनों में प्रदेश के भावी सर्वांगीण विकास के लिये पहली बार ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। मान्यवर, अभी तक जो भी सरकारें रहीं उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनायीं जिनसे प्रदेश का विकास तो धीमा हुआ ही है खजाने भी खाली होते गये। पहली बार कर मुक्त बजट उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। कानून और व्यवस्था में विश्वास तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा और सम्मान देने का आश्वासन देने वाली इस सरकार ने प्रदेश के दबे और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये यह जो करमुक्त बजट पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं तो उन सदस्यों में से हूं जो पहली बार चुन कर आये हैं, मैं यह चाहती थी कि विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों से कुछ सीखने समझने का प्रयास करूंगी। मैं बधाई देना चाहूंगी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को और श्री कैलाश नाथ सिंह यादव जी को, जिन्होंने सरकार की अच्छी नीतियों की सराहना की लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा मैं समझती हूं उन्होंने जो भी बातें कहीं उसमें से बजट पर कोई भी बात नहीं कही और सदन के बहुमूल्य समय का फालतू बातों में दुरुपयोग किया है। कहने को तो हमारे श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भी इसी तरह की बातें कही हैं।

(व्यवधान)

मैं छः घण्टे से सुन रही हूं। आप भी सुनिये। मान्यवर, मैंने बजट का अध्ययन किया है और इस बजट में मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की गांव के गरीब किसान, झोपड़ी झुग्गियों के इन्सान, महिलाओं के सम्मान दलितों और शोषितों के उत्थान की कल्पना साकार होती नजर आयी है। पहली बार बजट में परिव्यय का 60 प्रतिशत व्यय गांवों की ओर, गांवों और कृषि के विकास की ओर किसानों के विकास में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किसान जिनकी पेयजल की समस्या मुख्य रही है उसको दूर किये जाने का प्राविधान किया गया है। किसानों की मुख्य जरूरत ट्रैक्टर, ट्राली को कर मुक्त, ट्रैक्टर पार्ट्स पर लगने वाले कर को कम किया गया है। छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। उनको गन्ना पेराई के लिये जो कोल्हू किराये पर लिया जाता था उस पर कर लगता था वह मुक्त कर दिया गया है। 99 विभिन्न मंडियों का निर्माण न्याय पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र नलकूपों की बेहतर सुविधा। एक शब्द मैं कहूं या एक वाक्य में कहूं। पूंजी के प्रवाह को गांवों की ओर मोड़ा गया। दलितों, पिछड़ों, शोषितों के उत्थान हेतु 20 हजार शौचालयों की व्यवस्था की गयी है जिसमे 95 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इसी वर्ग हेतु पेयजल के लिये 5100 सौ इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प तथा निर्बल वर्ग आवास योजना में एक लाख आवास, निर्बल वर्ग के लिये ही इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 19 हजार आवासों का प्राविधान किया गया है। विपक्षी सदस्य शिक्षा की बात करते हैं अभी हमारे विपक्षी सदस्य भाषण दे रहे थे, मैंने देखा जितने लोगों ने भाषण दिया सब लोगों ने एक दूसरे की नकल करके दिया। इस सरकार ने शिक्षक का स्तर सुधारने के लिये नये पदों का सृजन 100 माध्यमिक विद्यालयों 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया है। नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में ढाई लाख लोगों को रोजगार देने के लिये 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस बजट की विशेषता यह है कि समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति की रोजमर्रा की चीजों को कर मुक्त किया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं महिलाओं में अकेली बोल रही हूं दो मिनट का समय और दे दिया जाये। मान्यवर, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और उत्तरांचल के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, विपक्षी सदस्य नारी सम्मान की बात बहुत करते हैं मैं भी एक मिनट नारी सम्मान के बारे में कहना चाहूंगी। मान्यवर, समाज में समय-समय पर निहित स्वार्थी तत्व चाहे वह दल के रूप में क्यों न हो अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का सहारा लेते रहे हैं। मान्यवर, कभी मुलायम सिंह जी के सहोदर तथा पूर्व सरकार में अपनी पार्टी की बैसाखियां लगाने वाले माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी तोड़-मरोड़कर पथरदेवा की घटना के तथ्यों को रखते हैं और महिलाओं के सम्मान की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कल मैं देख रही थी। पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी नहीं हैं, वरना मैं उन्हें बताती, वह कह रहे थे कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से अयोध्या जा रहे थे यह शान्ति की बात करते हैं, मान्यवर, आप रोजाना देखते हैं। शान्त होना इनकी आदत में नहीं है, यह शान्त कैसे हो सकते हैं। मान्यवर, यह महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या लाठी चार्ज हुआ तो इन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं इस सरकार की लोकप्रियता से क्षुब्ध होकर यह लोग ऐसी घटिया बातें कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं। मान्यवर, मा० मुलायम सिंह जी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अमर्यादित कैसे होते हैं यह आप लोग जानते हैं। "रस्सी जल गयी पर बल नहीं गये" अमर्यादित होने का नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें दे चुकी है। जो रहा-बचा है उसकी इतिश्री होने जा रही है। महिलाओं को सम्मान देने के लिये प्रदेश सरकार ने, इस सरकार ने, जो उनकी रोजमर्रा की प्रयोग में आने वाली चीजें हैं उनको कर मुक्त कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी जब

बजट भाषण पर बोल रहे थे तो उस तरफ आगे की पंक्ति में बैठे नेतागण किस तरह से महिलाओं के ऊपर कटाक्ष और व्यंग कर रहे थे, क्या नारी सम्मान का इनका यही नजरिया था । मान्यवर, महिला डेयरी परियोजना, बेरोजगार महिलाओं के लिये महिला प्रेरणात्मक योजना एकीकृत ग्राम्य विकास सम्बन्धी रोजगार कार्यक्रमों में 40 प्रतिशत महिलाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य, और जो निराश्रित विधवा बहनें हैं उनके पास 5 एकड़ से कम जोत वाली भूमि है उनके लिये निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की गयी है । मंडल स्तर पर महिला खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिये आवासीय हास्टल, बेरोजगार श्रमिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मैं कई दिना से चर्चा सुन रही हूं मंदिर के सवाल पर मान्यवर, कल आपको एक चिट भी भेजी थी बोलने के लिये (व्यवधान) बस एक मिनट का समय मुझे दे दिया जाय । मान्यवर, यह सरकार मंदिर के निर्माण पर जनादेश लेकर आयी है जनता ने उधर के लोगों को इसका विरोध करने को भेजा है । पहले यह मंदिर का विरोध करते थे और आज मंदिर के निर्माण के लिये प्रयास हो रहा है तो इनके दर्द हो रहा है यह कहते हैं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं मा० मुलायम सिंह जी पहले तो मस्जिद की रक्षा कर रहे थे अब मंदिर की रक्षा कब से करने लगे । मान्यवर, यह तो गंगा गये तो गंगा दास, जमुना गये तो जमुना दास, इनका कोई चरित्र नहीं है । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । यह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का सहारा लेकर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं हमारे मुसलमान भाइयो के हितों की बात करते हैं । मान्यवर, भा० ज० पा० की यह सरकार मुसलमानों की विरोधी नहीं है । हमारे माननीय तिवारी जी ने मंदिर के बारे में कहा कि बातचीत के जरिये से इसका हल निकालना चाहिए । लेकिन क्या ऐसा यह लोग वास्तव में चाहेंगे जरा इन सारी पार्टियों के झंडे ही देख लीजिये । वैसे तो कल तक मैं भी दूसरी पार्टी के झंडे के नीचे थी । लेकिन मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी की पार्टी का झंडा देख लीजिये । इसमें नीचे हरा रंग है और ऊपर केसरिया रंग है, बीच में नदियां बनी हैं और उसमें भी एक थप्पड़ रख दिया है । ताकि हिन्दू मुसलमान यदि मिलने की कोशिश करें तो यह थप्पड़ देने लगते हैं ।

समाजवादी जनता पार्टी के झंडे में हरा रंग नीचे रखना मुसलमानों को दबाने का प्रतीक है । मान्यवर, जनता दल का तो अस्तित्व ही विलीन हो गया है केवल भा० ज० पा० का झंडा ही ऐसा है जिसमें मुसलमान भाइयों को बराबर का दर्जा देने की दृष्टि से हरा रंग बराबर रखा गया है । मैं अन्त में अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, बजट में उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं किया गया है । मैं सुझाव के तौर पर वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 80 हजार लोग बीड़ी मजदूरी का काम करते हैं । इसके अलावा मुरादाबाद, बांदा और तमाम जिलों में बीड़ी मजदूर हैं उनके कल्याण के लिये यह सरकार विचार करे और उनके कल्याण के लिये कोई ठोस कदम उठाये जायं । मान्यवर, यह बजट सभी दृष्टियों से अच्छा बजट है । प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत उचित है । इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को फिर बधाई देते हुए बजट का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

(मेजों की थपथपाहट)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें।

(श्री राम ललित चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, जब-जब मैं खड़ा हुआ तो कहा गया कि इनके बाद, इनके बाद, बोलियेगा। मेरी मूंछ सफेद हो गयी हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि आप मुझे बहकाते रहें। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी के बाद आप बोल लीजियेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 12 मार्च को 5 बजे जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है उस संबंध में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। मान्यवर, आज तक इस सदन में जितने भी बजट पेश हुए हैं उनकी तुलना में यह बजट सबसे घटिया, सबसे निम्नकोटि का है। (शोर) मान्यवर, जितनी भी सरकारें इस सदन में आयी हैं और जितने भी बजट इस सदन में पेश हुए हैं उनका अधिकांश भाग मुख्य विकास को प्रभावित करने वाले मदों जैसे कृषि, ऊर्जा , यातायात, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य पर उन्होंने खर्च किया है। लेकिन इस सरकार ने 60 प्रतिशत गांवों पर खर्च करने की बात कह कर सदन और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। जितना अन्य सरकारों ने मुख्य मदों पर खर्च किया है उतना इस सरकार ने नहीं किया है।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

उदाहरण के लिये मान्यवर, 1977-78 में इधर के लोग सरकार में साझी थे। मैं 1977-78 की बात लेना चाहता हूं। मान्यवर, 77-78 में वार्षिक योजना का आकार था 675.25 करोड़ रुपये। इसमें कृषि के लिये 104.4 करोड़ रखा गया था, जो टोटल वार्षिक योजना का 15 परसेंट होता था। आपने कृषि के लिये 10 परसेंट दिया और कहते हैं कि गांव की भलाई कर रहे हैं। गांव की भलाई नहीं खानापूरी कर रहे हैं। इसी तरह से सिंचाई और विद्युत को देखें। सिंचाई एवं विद्युत पर टोटल वार्षिक व्यय का 384.88 करोड़ रुपये अर्थात 57 परसेंट था विद्युत पर केवल 38 परसेंट था आपने दिया है 34 परसेंट इसी तरह से 78-79 में ले लें 78-79 में वार्षिक योजनागत व्यय 786 करोड़ रुपये था। जिसमें कृषि के लिये 111.52 करोड़ रुपये था, अर्थात् कुल वार्षिक योजनागत व्यय का 14 परसेंट था। आपने दिया है महज 10 परसेंट। इसी तरह से सिंचाई, बाढ़ पर 168 करोड़ रुपये था, यानी 20 परसेंट था और आपने दिया महज 11 परसेंट। तो मान्यवर, मैं मा० वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नीयत देखी जाती है कि कुल कितना धन आपके पास है और उसमें से मुख्य विकास को प्रभावित करने वाली मदें जैसे कृषि, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, समाज एवं स्वास्थ्य पर कितना धन व्यय कर रहे हैं। यह देखा जाता है।

देश और प्रदेश का विकास मुख्य विकास को प्रभावित करने वाली मदों पर खर्च करने से होता है, न कि धनिया, गट्टा, बताशा, कुल्फी आदि पर टैक्स कम करने से होता है। जब मुख्य विकास पर अधिक से अधिक खर्च होगा तो प्रदेश का विकास होगा दूसरे गांव पर 60 परसेंट खर्च करने की बात

कही गयी है तो माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 60 परसेंट कैसे खर्च कर रहे हैं । जैसे ऊर्जा के ऊपर कुल 1962 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है, तो क्या गांव में ही केवल बिजली जलती है, शहरों में नहीं जलती । क्या गांव पर ही सब खर्च होगा इसी प्रकार 15 करोड़ रुपये लखनऊ की बाढ़ पर खर्च होंगे । इसी प्रकार यातायात एवं चिकित्सा का धन केवल गांव पर ही नहीं खर्च होगा । तो नाम गांव का लिया गया । खर्च किया जा रहा है शहरों पर । मान्यवर, 60 परसेंट की जो इस तरह की झूठी बात कही गयी, इसलिये मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि 60 परसेंट की बात कहकर प्रदेश की जनता को तथा सदन को गुमराह करने का काम किया गया है। मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, लाइट वेहिकिल की बात कही गयी । उसमें टाटा मोबाइल और डी० सी० एम० टोयटा पर 12 परसेंट से टैक्स घटाकर डेढ़ परसेंट टैक्स कर दिया गया । डी० सी० एम० टोयटा और टाटा मोबाइल किसके पास है ? क्या गरीबों के पास है, औसत दर्जे के लोगों के पास हैं ? टाटा मोबाइल पर टैक्स 12 परसेंट से डेढ़ परसेंट कर दिया, जबकि जीप और ट्रैक्टर लाइट कामर्शियल वेहिकिल हैं, देहातों में चलते हैं, उस पर टैक्स नहीं घटाया गया । यहां के लोग जीप खरीदने के लिये मध्य प्रदेश, हरियाणा जाते हैं, टैक्स के कारण यहां पर भी अन्य प्रदेशों की भांति टैक्स कम करके जीप मेले लगाये जायं, ताकि दूसरे लोग यहां आकर खरीदें । इससे इन्कम बढ़ेगी । बड़े-बड़े मेले लगाये जाते हैं, तमाम खर्च होता है, इससे होने वाली आय को दूसरे लोग खा जाते हैं । इसमें इन्कम कैसे हो, देखा जाय । तो मान्यवर, कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के द्वारा सरकार ने कुछ वर्गों को छोड़कर प्रदेश की शेष जनता को निराश करने के अलावा और कुछ नहीं किया है ।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये कम से कम थोड़ा सा मौका दिया । मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इन विपक्ष के लोगों को राम मंदिर काटे जा रहा है । कहीं ऐसा न हो कि चोखी तरह से काट ले । हाय राम मंदिर हाय राम मंदिर । बार-बार राम मंदिर की बात कहते हैं, क्या राम मंदिर आपको खाये जा रहा है और यही स्थिति रही, तो एक तो दिल्ली से इस्तीफा दे गये और यही हाल आपका रहा, तो आपको भी राम जी नहीं बक्शेंगे । मेरी माननीय सदस्यों से बातें हुई थीं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना तो अच्छा है, परन्तु क्या बताऊं मुझे भी इस प्रकार से आलोचना करनी पड़ती है, दल में रह कर । तो इसी प्रकार से मेरे यहां एक झगड़ा हुआ, दो भाई थे, उनमें से एक भाई दूसरे आदमी से लड़ रहा था, वह हमारे मोहल्ले वालों को गाली दे रहा था । हमने पूछा कि तुम हमको क्यों गाली दे रहे हो गुस्से में, तो उसने पूछा कि मेरा भाई किसको गाली दे रहा है, उसी को मैं गाली दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा हूं ।

दूसरी बात यह है कि हम और आप सब प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो सही आलोचना करनी चाहिए और सही नहीं हो, तो सुझाव देना चाहिए । यह प्रदेश हमारा और आपका है, इसकी सबको चिन्ता करनी चाहिए । मैं यह देख रहा हूं कि माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य सही बात कहने के लिये खड़े नहीं होते, बल्कि जैसा उनके नेता बोलते हैं, वैसा कहना शुरू कर देते हैं, जबकि नेताओं की यह दशा है कि कितने ही दल बना लिये, जनता दल (अ), जनता दल (ब) और (स) और ये अ से लेकर ज्ञ तक दल बना लेंगे, और हम जैसे लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा । मैंने बहुजन समाजवादी लोगों से पूछा कि तुम काहे के लिये इनका साथ दे रहे हो, तुम्हारा चुनाव चिह्न अलग है और उनका चुनाव चिह्न अलग है और तुम्हारा और उनका क्या लेना और देना है, तुम काहे को उनके

साथ बोल रहे हो, जैसा वह कह रहे हैं, वैसा तुम भी कह रहे हो । मान्यवर, यह हमारे अनुभव की बात है कि हम जो समर्थन कर रहे हैं और आप आलोचना कर रहे हैं । यह हम दोनों का प्रदेश है । इसके विकास का कार्य हम दोनों के कंधों पर है । इसके विकास की बात सोचनी चाहिए, व्यर्थ की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उचित बात कोई हो, तो उसकी आलोचना करिये और सुझाव दीजिये, जहां कुछ कमी रह गयी हो, उसमें सुझाव दीजिये । माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी और माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने भी कहा और थोड़ी बहुत आलोचना की और हमारे विरोधी दल के नेता ने भी कुछ आलोचना की और कुछ सुझाव दिये । मेरा आपसे निवेदन है कि आलोचना के साथ-साथ सुझाव देना आवश्यक है । यह बात नहीं होनी चाहिए कि जो आपके नेता ने आलोचना की, वही आलोचना आप भी करना शुरू कर दें । इन्हें पता है या नहीं पता है, अगर माननीय विरोधी दल ने आलोचना की है, तो ये भी आलोचना करने लगेंगे । माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने आलोचना किया, तो उन्होंने सुझाव भी दिया । लेकिन आप आलोचना तो करते हैं और सुझाव नहीं देते हैं । तुम काहे को उनके साथ में आलोचना कर रहे हो ? अब मैं दूसरी तरफ आता हूं ।

मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यह महंगाई के बारे में मुझे अनुभव है । मैंने दादाओं के जमाने को देखा है, एक रु० मन चना था, एक रु० की दो मन ज्वार थी, एक रु० की 25 किलो मूंग थी, तो उस समय गांव के हर घर कच्चे थे और आज सब पक्के हो गये, इस महंगाई के जमाने में सब घर पक्के हो गये और अच्छी-अच्छी कोठियां बन गयीं । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह महंगाई किसको दुख दे रही है । आज किसानों को आनन्द आ रहा है, सरसों 1200 रु० कुन्तल बिक रही है और गन्ना 35 रु० कुंटल बिक रहा है, लोगों को आनन्द आ रहा है । इस पर विचार करिये कि लोग क्यों दुःखी हैं ?

(इस समय 7 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इस सदन में तरह-तरह की बहस करते हैं, उससे ऐसी स्थिति हो रही है कि जब द्रोपदी की चीर खींची जा रही थी, तो भीष्म पितामह बैठे थे, वह कुछ नहीं बोले तो उनसे पूछा गया कि आप यह सब क्यों देखते रहे, तो उन्होंने कहा कि हमने उनका अन्न खाया है । तो इसी तरह से इनकी स्थिति हो रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आप विचार करें । यह लोग वही करते हैं जो इनके नेता कह देते हैं, अगर वह विरोध करते हैं, तो यह विरोध करने लगते हैं और अगर इनके नेता किसी बात का समर्थन करने लगते हैं, तो यह समर्थन करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति इनकी है । इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री मोहम्मद हसन–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह एक ऐतिहासिक बजट है । हम लोग यह जानते थे कि जो बजट आयेगा, उससे प्रदेश विकास की ओर जायेगा, लेकिन इसको देखने से पता चल गया कि यह चन्द अलफाजों का गोरखधंधा है और कुछ नहीं है । इस प्रदेश को इस बजट से कोई दिशा नहीं मिली है । ऐसा बजट कभी नहीं आया है, जो दिशाहीन हो और कोई दिशा न हो । मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक बजट है और पहला बजट है जिसमें उर्दू की तरक्की के लिये कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राविधान नहीं रखा गया है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह पहला मौका है, जब कि बजट प्रपोजल्स का तरजुमा उर्दू में नहीं किया गया है । इस बजट के द्वारा उर्दू अकादमी को मदद नहीं दी गयी है । यह ऐसा पहला बजट है । इसमें उर्दू को इगनोर किया गया है । आप अपने धर्म स्थानों को सुन्दर बनायें, लेकिन आपको देवा शरीफ और कलियर शरीफ को भी सुन्दर बनाने के लिये कदम उठाना चाहिए, लेकिन उनको सुन्दर बनाने की कोशिश नहीं की गयी है । मान्यवर, किसानों को कोई राहत नहीं दी गयी है । एक वेस्टेड इन्टरेस्ट को 100 करोड़ रुपये की राहत दी गयी है । मान्यवर, किसानों का गन्ना सप्लाई नहीं हो रहा है । नये कारखाने लगाये नहीं जा रहे हैं । आपने घोषणा तो कर दी कि गन्ने की कीमत बढ़ी दी गयी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 6-7 रुपये काट लिये गये हैं । यह पहला मौका है कि जब 60 प्रतिशत गन्ना पेरने से रह जायेगा । बिजली के लिये लोग तरस रहे हैं । आपने कल बिजली का हाल यहां पर देखा ही है । हमने सुना था कि बजट सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट होता है, लेकिन यह बजट न सोशलिस्ट है और न कैपिटलिस्ट, यह बजट कम्युनल बजट है ।

आपने इस बजट में गरीबों को कोई मदद नहीं दी है । सहारनपुर में लकड़ी का जो कारोबार है, उसकी बढ़ोत्तरी के लिये कुछ भी प्राविधान नहीं किया है । हजारों लोग, हजारों खानदान और कई लाख मजदूर उस इंटरेस्ट से जूड़े हुए हैं । आप इक्कीसवीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या इक्कीसवीं सदी में इसी तस्वीर के साथ प्रवेश करेंगे कि पीने के लिये पानी न हो, बिजली न हो, चलने के लिये सड़कें न हों । मान्यवर, कई सौ गांव तो यू० पी० के ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से जुड़े नहीं हैं । स्टेट सेक्टर में 140 कि० मी० सड़क ऐसी है जो तैयार है लेकिन उस पर तारकोल नहीं डाला गया है, वहां काम ठप है, विकास का काम ठप है । हमारे ही हल्के में एक मील का शिलान्यास हो गया है कुशलपुर बेहटा के पास सरसवां के पास है आज तक पता नहीं क्या हुआ, वह मील का पत्थर गन्ने के खेत में गड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों उसका काम क्यों शुरू नहीं किया गया है ? दूसरी मील पुरानी है आउट आफ डेट है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद हसन–

मान्यवर, आपने इन बुनियादी जरूरतों की तरफ इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा है । जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है पहले तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात थी लेकिन कल जो कुछ हुआ फैजाबाद में, जिस प्रकार से हुआ उससे माइनारिटी के दिल में बहुत बड़ा खौफ है और उनके मन में बार-बार यह सवाल आ रहा है कि क्या हम इज्जत आबरू के साथ अपनी जिन्दगी गुजार सकेंगे । मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की स्थिति तो ऐसी है कि पहले तो मस्जिद को गिराये जाने की बात थी, अब मंदिर गिराये जाने लगे अब फिर दूसरी मस्जिद गिरायी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, भाजपा वाले दो दिन लगातार बोले इधर भी मौका मिलना चाहिए ।

श्री मोहम्मद हसन–

यह कहा गया कि मस्जिद की एक मीटर की दीवार गिरी है लेकिन उसकी तीन दीवारें गिरी हैं लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे । उनकी जान का खतरा था । यह एक मस्जिद का सवाल नहीं बल्कि तमाम मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है इसलिये लोगों के मन में खौफ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैंने श्री बृजराज त्रिपाठी को बुलाया है ।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

मान्यवर, तमाम विपक्ष के लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यह बजट ऐतिहासिक है और पहली बार उत्तर प्रदेश के गांवों की ओर ध्यान दिया गया है । गांवों की उन्नति से ही उत्तर प्रदेश की उन्नति हो सकती है । इसलिये पहली बार हमारी सरकार ने 60 प्रतिशत बजट गांवों को दिया है इसलिये मुझे इस बजट से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की उन्नति होगी । यह क्रान्तिकारी बजट है । आज तक तमाम सरकारों ने गांवों के विकास की घोषणा की और चली गयीं । लेकिन किसी सरकार ने गांवों के विकास और किसानों की उन्नति के लिये 60 प्रतिशत बजट नहीं दिया है । यह पहला मौका है कि वित्त मंत्री ने एक बजट रखकर इसके माध्यम से गांव की भलाई की सोची है । विपक्ष के लोग कहते हैं कि गांव के किसानों के लिये यह हितकारी नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ट्रैक्टर ट्राली पर छूट दी गयी है, बिक्रीकर में छूट दी गयी है, उसका लाभ भी किसानों के ऊपर ही जाता है । विपक्ष के मा० सदस्यों की आलोचना है कि 100 करोड़ रु० वेस्टेड इन्टरेस्ट के लिये पूंजीपतियों को बिक्रीकर छूट दी गयी है, मैं बताना चाहता हूं कि यह अप्रत्यक्ष कर है, वास्तव में यह उपभोक्ताओं के ऊपर लगता है । बिक्रीकर किसी बनिये या व्यापारी का कर नहीं है, यह उपभोक्ताओं से वसूला जाता है । इसलिये इससे सारे उपभोक्ताओं का लाभ होगा । इसके माध्यम से मूल्यों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी । बिक्रीकर में छूट दी गयी है, घाटे का बजट नहीं लाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

मैं बहराइच जिले से आता हूं । बहराइच जिला विकास की गति में 63 जिलों में 60वें नम्बर पर है । वहां पर सहकारी चीनी मिल लगने वाली है, जमीन खरीदी जा चुकी है, किसानों से अंशपूंजी ली जा चुकी है । आशा है कि शीघ्र ही किसान सहकारी चीनी मिल के निर्माण की व्यवस्था की जायगी । वहां पर तमाम सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं । बहराइच नगर की 1 लाख 35 हजार जनसंख्या आज हो गयी है,

वहां पर सीवर लाइन नहीं है । आशा करता हूं कि यह जनहितकारी सरकार सीवर लाइन बिछाने का काम करेगी । जिससे मान्यवर, नगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी ।

(व्यवधान)

* श्री ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बजट पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं । 10वीं विधान सभा में भी मैं जीतकर आया था । मैंने बजट भाषण माननीय कल्याण सिंह जी का सुना था । एक बजट भाषण वित्त मंत्री जी ने पेश किया और मैंने उसे घर पर जाकर गम्भीरता से पढ़ा । जैसे-जैसे पढ़ता गया मेरे सामने वह तस्वीर और माननीय कल्याण सिंह जी का भाषण जेहन में घूमता चला गया । पक्ष और विपक्ष ने बजट के बारे में बहुत सी बातें रखी लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी ने, जो आज मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त जो कुछ बोला था, आज मुझे लग रहा है कि उन्होंने इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है । जो कुछ बोला था, मुझे लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी । माननीय कल्याण सिंह जी ने बजट भाषण में शिक्षा के ऊपर कहा था कि "समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए" इस बजट में इस प्रकार की कोई बात नहीं है । बिक्रीकर को समाप्त करने का वायदा किया था, लेकिन बिक्रीकर को समाप्त करने की कोई बात देखने को नहीं मिली । मान्यवर, 60 प्रतिशत देहात के ऊपर खर्च करने का प्राविधान रखा गया मुझे याद है उनका भाषण 50 फीसदी से ज्यादा रखने की बात कही थी । माननीय कल्याण सिंह जी ने यह बात कही थी । मान्यवर, यह जो 60 फीसदी रखा गया है यह किन-किन आइटम में खर्च किया जायेगा यह बजट में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । मैंने मांग की थी कि इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि 60 फीसदी ऐसे खर्च करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

किसान विरोधी यह सरकार है इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती किसान के गन्ने का दो महीने हो गये कीमत नहीं मिल रही है किसान तड़प रहा है । इन कमल के झंडे वालों ने इन लोगों ने हम राम भक्तों का बड़ा अपमान किया है । मान्यवर, राम हमारे पूर्वज हैं । राम और उनके पुत्र कुश हमारे पूर्वज थे राम नाम का इस्तेमाल इन्होंने राजनीति के लिये इस्तेमाल किया है जो जन-जन के श्रद्धा के पात्र थे इन्होंने उनकी गरिमा को छोटा करने का काम किया इन्होंने उससे मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाने का काम किया है । जब हम बाजार से गुजरते हैं तो देखते हैं कि दुकानों पर कमल का झंडा लगा हुआ है उसमें हमारे पूर्वज राम की तस्वीर लगी हुई है और वे दुकानदार मिलावटी काम करने का, चोरबाजारी करने का, डंडी मारने का काम राम की तस्वीर के नीचे करते हैं यह रोज देखता हूं । इस सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है यह बहुत ही हल्का बहुत ही घटिया बहुत ही निकम्मा और प्रदेश का विकास करने वाला बजट नहीं है । बिजली की बाबत कहना चाहता हूं कि यह गांवों के विद्युतीकरण की बात करते हैं। गांव के विद्युतीकरण की कोई योजना इसमें है नहीं पूरे जिले में मुश्किल से एक गांव दो गांव के विद्युतीकरण करने की बात यह करते हैं । सड़कों का जो मामला है, पिछली सरकार ने जो सड़कों के विकास के लिये बजट रखा था इन लोगों ने उस बजट को कम करने का काम किया जो हमारी सड़कों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बनने की बात थी उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम किया है बजट को कम करने का काम किया है । यह बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, प्रदेश के विकास का विरोधी और गांव विरोधी है । इसकी जितनी भर्त्सना की जाय भर्त्सना करता हूं । आपको धन्यवाद आपने दो मिनट का मौका दिया ।

* डा० महेन्द्र नाथ पाण्डे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, यह पहली बार इस प्रदेश के लिये गौरव की बात है इस भारतीय समाज के लिये गौरव की बात है, जिस समय चिन्तकों के आगे वादों के चक्र के स्वरूप बने हुए थे, पहली बार देश में महात्मा गांधी के बाद किसी ने आर्थिक दर्शन दिया है । हमारे पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों की गुणवत्ता से, इस प्रदेश के दरिद्र नारायण की सेवा से अपनी प्रतिबद्धता प्रारम्भ की, इस बजट को पेश करने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) बन्धुओं, आपके बीच में पहली बार यह एक ऐसा बजट है जो दिशासूचक है । यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह दिशाहीन बजट है । जीवन के लिये पानी, बिजली, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा–यह जीवन की गुणवत्ता के मूल आधार होते हैं । हमने इस बजट में व्यवहारिक दृष्टि अपनायी है। अरे पानी को पानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे । हां आपको पानी की जगह पैप्सी कोला और लहर पेप्सी नजर आती है तो क्या कहा जाय । हम पानी को पानी कहने वाले लोग हैं यह व्यवहारिक दृष्टि का बजट है । आज पहली बार इस बजट में कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दिया गया है यह नहीं कि घोषणा पर शिलान्यास कर दो और उसके बाद उसके पत्थर पर कुत्ते पेशाब करें । विधवाओं को और सिंचाई निःशुल्क देने वाला यह बजट है । अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सी चीजों का प्राविधान इस बजट में किया गया है, जैसे इण्डिया ट्रेड मार्क हैण्ड पम्प लग रहे हैं, जो पहले कागजों में था आज वह लग रहे हैं। आज तमाम प्राथमिक विद्यालयों में जहां बच्चे दूसरों के कुओं में पानी पीने जाते थे, वहां पर यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पेयजल की सुविधायें वहां उपलब्ध करायी जायें । पहले सारी पार्टी के लोग यह चुनावी वायदे करते थे कि रोजगार के मूल अधिकार की बात करते थे लेकिन रोजगार के लिये कभी किसी ने मुकम्मल कदम नहीं उठाया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में रोजगार के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, यह बजट ऐसा बजट है जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये तमाम ऐसे क्षेत्रों में कार्य किया गया है । जब भी हम पिछड़े हुए लोगों की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, हमारे क्षेत्र से कई बार पिछड़े हुए लोग चुनकर आये मगर किसी ने भी विकास का काम नहीं किया मगर इस बजट में उनके लिये प्राविधान किया गया है । मान्यवर, मैं पूर्वांचल के जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर खोया की बैल्ट है वहां पर एक चिलिंग प्लान्ट लगाया जाये । हमारे गाजीपुर जनपद को उद्योग शून्य घोषित किया जाये । वहां पर उद्योग के नाम पर एक अफीम की फैक्टरी है जिससे इस प्रदेश को एक रुपया भी नहीं मिलता है, और उससे यह धारणा बन जाती है कि वहां पर बहुत बड़ा उद्योग है अतः उस जिले को उद्योग शून्य माना जाये । आज मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गोमती नदी पर पीपे के पुल की मांग है कृपया उसे दिया जाये । मान्यवर, आज मुझे खुशी हुई कि आपने मुझ जैसे नये लोगों को बोलने का अवसर दिया । हम लोग नये विधायक हैं एक अच्छी परम्परा हुई । भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने आज अपने यहां सुझाव रखे मैं उससे लाभान्वित हुआ, श्री कैलाश नाथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिंह यादव जी ने भी अपने सुझाव रखे उनसे हम लाभान्वित हुए। हम उम्मीद करते थे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी भी अपने बजट पर सुझाव रखेंगे वे यहां नहीं हैं और हम देख रहे हैं कि वे केवल खुराफात और उत्पात मचाने वाली बातें करते हैं कोई विकास की या रचनात्मक बातें नहीं करते हैं। मान्यवर, राम मंदिर निर्माण के बारे में पूरे सदन में और अखबारों में यह बात कही जा रही है मंदिर तोड़े जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वास्तविकता यह है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, यह कर मुक्त और विकास सूचक बजट है इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया गया पता नहीं क्यों यह मुलायम सिंह जी के नाम से यह भयभीत हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

* श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये यह कहा कि वह पिछड़ा है और उसे आगे बढ़ाने की हमारी सोच है। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश को यू० पी० कहते हैं। पहले यू० पी० को यूनाइटेड प्रोविन्स कहते थे। कुछ हमारे नेताओं ने यूनाइटेड प्रोविन्स का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया। आज उसी यूनाइटेड प्रोविन्स से आप उत्तरांचल को अलग करने की बात कर रहे हैं। इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आज यू० एस० एस० आर० का आलम आपके सामने है। उत्तरांचल को अलग करने से कहीं आपका यह यूनाइटेड प्रोविन्स टूट-टूट कर कहीं अलग-अलग प्रोविन्सों में न बंट जाय। इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आज आप पर्वतीय क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। केवल मुंह से कह देने मात्र से पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। माननीय वित्त मंत्री जी पर्वतीय विकास के बारे में जब बोल रहे थे उस दिन बड़े जोर से कह रहे थे, सुनो हमने उत्तरांचल के लिये 405 करोड़ रुपये का बजट रखा है। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 में 370 करोड़ के बजट को घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दिया गया। 110 करोड़ रुपये की कटौती 1991-92 में कर दी। अब आप कह रहे हैं कि हमने 405 करोड़ रुपये का बजट रखा है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 1991-92 के बजट को लेकर चला जाय तो 480 करोड़ रुपये का बजट कर दिया जाना चाहिए था। आपने तो 75 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है।

श्रीमन्, जब कोई बजट पेश किया जाता है तो उसकी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के लिये यह जरूरी है कि उस जगह के रहने वाले लोगों की मनोभावनाओं को सुनें। पूर्वांचल में रहने वाले लोगों की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मनोभावना अलग है, पश्चिम में रहने वालों की मनोभावना अलग है और रुहेलखण्ड में रहने वालों की मनोभावना अलग है । परन्तु आपने इस चीज को नहीं देखा और बजट बना दिया । किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की मनोभावनाओं को आपने नहीं सुना । उत्तरांचल का बजट तो आपको अलग से मजबूरी में इसलिये बनाना पड़ा क्योंकि उसके लिये केन्द्र से अलग से मदद मिलती है । श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने बजट तो बना दिया परन्तु बजट बनाते वक्त उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जायं । इसके लिये आपने एक शब्द भी अपने बजट भाषण में नहीं कहा है ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को व माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ के लिये जो बजट जाता है उसका पांच परसेन्ट तो यहीं रह जाता है और उसके बाद जो शेष बजट पहाड़ पर पहुंचता है, उसका चालीस परसेन्ट कमीशन में चला जाता है । आप पहाड़ के उत्थान की बात करते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने हिल कैडर नहीं बनाया है । जो भी लोग वहां काम करते हैं, उनमें से 3/4 लोग नीचे से वहां गये हुए हैं और पहाड़ का केवल 1/4 लोग वहां पर हैं । नान-प्लान का जो बजट है, वह 1/4 तो वहां के लोगों पर खर्च होता है और 3/4 मैदानी क्षेत्र से जो लोग गये हैं, उनकी जेब में चला जाता है । दूसरा, यह है कि प्लान के लिये बजट में जितना भी सामान है, वह ईंटा, बजरी, लोहा आदि सब मैदानी क्षेत्र से जाता है । उसका पैसा भी यहीं रह जाता है । इसलिये आप जो उत्तरांचल के विकास की बात कर रहे हैं, वह कैसे हो पायेगा । उत्तरांचल के लोगों की मनोभावना को देखकर आपने बजट में उनके लिये कोई प्लान नहीं बनाया है और न उनके अनुरूप बजट ही बनाया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लीला राम शर्मा–

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह बजट पहाड़ के लोगों के लिये प्राणघातक बजट है और इस बजट से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी यह न सोचें कि इससे पहाड़ के लोगों का उत्थान होगा, इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह पहाड़ के लोगों के लिये गलाघोंट बजट है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ ऐसी हस्ती है, मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है, दुश्मन दौरें जहां हमारा ।

पिछले कई दिनों से यहां बजट पर चर्चा हो रही है । माननीय विपक्ष के साथियों ने कहा कि यह बजट दिशाहीन है । मान्यवर, मैंने इस बजट का बहुत ही गहन अध्ययन किया है और यह बजट दिशाहीन तो क्या, यह स्वयं में एक अलौकिक बजट है, क्रान्तिकारी बजट है । यह एक ऐसा बजट है जो आज तक जितनी भी सरकारें आयीं, किसी ने भी इस तरह का प्रगतिशील बजट नहीं रखा, सर्वहारा बजट नहीं रखा, चतुर्मुखी विकास करने वाला बजट नहीं रखा । यह कितना प्रगतिशील बजट है इसका पता विपक्ष की बौखलाहट से लगता है । मान्यवर, इस बजट में कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है सभी टैक्सों को कम कर दिया गया है । यहां तक कि अधिकांश टैक्स समाप्त कर दिये गये हैं । जहां तक इस बजट में एक ओर किसानों को पूर्ण रूप से राहत की बात रखी गयी है, वहीं नौजवानों की

बात भी रखी गयी है, हमारी निराश्रित विधवाओं की बात रखी गयी है, सबकी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है । जहां तक आंकड़ों की बात, सम्मानित नेता लोगों ने उन्हें सदन के सम्मुख रखा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन यह जरूर बता देना चाहती हूं कि इस बजट में एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया है, वह नैतिक आदर्श है, छात्र और छात्रा के अन्दर स्वाभिमान जगाने का, इस बजट ने उनके मनोबल को बढ़ाया है, चेतना जगाई है, जो छात्र और छात्रा मेहनत करेंगे, वही देश की सच्ची सेवा करेंगे । आज जो नकल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उससे मां-बापों का सिर दर्द कम हुआ है, शिक्षकों का स्वाभिमान जगा है, ट्यूशन की परिपाटी जो पिछली सरकार ने डाल दी थी, वह भी यह सरकार समाप्त करने जा रही है । मान्यवर, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और शासन तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है, जब विपक्ष निष्पक्ष होकर अपनी बात रखे, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि विपक्ष सिवाय शोर-शराबा मचाने के कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं देता । यह मान्यवर, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । हमने यह भी देखा कि इनके पास न तो कोई कहने के लिये बात है, न इनके पास कोई तर्क है, और न ही इनके पास कोई सत्य का आधार है । यह देखने में आ रहा है कि रोजाना मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। यह स्वयं इस बात के लिये अपने दिल से पूछें कि क्या इस मंदिर के मुद्दे को लेकर यह अपने घरों में कुछ कर पाते हैं । सुबह उठकर यह सबसे पहले राम की मूर्ति को नतमस्तक होते हैं, यह अपनी पत्नी को रोक नहीं पाते हैं, लड़कियों को रोक नहीं सकते, पुत्रवधू को रोक नहीं सकते, लेकिन यह वोट के सौदागर हैं, वोट ही इनका वेद है, वोट ही इनका भगवान है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही के लिये एक निश्चित कोरम होना चाहिए । इस समय कोरम का अभाव है, इसलिये आप कार्यवाही यहीं रोक दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी बात को संज्ञान में ले लिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप पहले देख लें, कि कोरम है या नहीं ? मान्यवर, बजट पास करने की जिम्मेदारी इनकी है ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम पूरा हो गया है ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

(श्री सुरेन्द्र सिंह का नाम पुकारने पर)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, एक निवेदन है माननीय वित्त मंत्री जी को जवाब देना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय सुरेन्द्र सिंह को बुला लिया है ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, मैंने तो समाप्त नहीं किया था जो बात कह रही थी उसको तो समाप्त कर दूं ।

मान्यवर, जनतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है लेकिन मैं देख रही हूं अभी तक कोई किसी प्रकार का महत्वपूर्ण सुझाव नहीं रखा है जिससे लगे कि प्रदेश की तरक्की होने वाली बात है । सुझाव के नाम पर शोर-शराबे में सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है जो असंसदीय और अप्रजातांत्रिक है और असंवैधानिक है । यह नौजवानों और महिलाओं की बात करते हैं । यहां जो हमारे नेता उधर बैठे हैं उन्होंने सदन में यह बात कही माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यदि नौजवानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे सकते हैं तो इन नौजवानों का सफाया करा दो । तो उनका यह वाक्य घोर निन्दनीय है इन्होंने कितनी गलत बात नौजवानों के लिये कही मैं इसकी घोर निन्दा करती हूं । क्योंकि हमारी मान्यतायें है कि नौजवान ही देश का आधार है देश की रीढ़ है तथा देश का सुनहरा भविष्य है इनको सफाया करने की बात करना घोर अपराध है मैं सत्ता पक्ष की ओर से इस वक्तव्य की घोर निन्दा करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई । आप बैठें ।

श्रीमती गुलाब देवी–

तो इस प्रकार के वाक्य सदन में कहे जाते हैं । इससे पता लगता है इसकी मानसिकता क्या है ? आप बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं । इसलिये अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि एक कल्याणकारी बजट कल्याण जी की सरकार में माननीय मंत्री जी ने दिया है । उसका मैं हृदय से बहुत अभिनन्दन करती हूं और आशा करती हूं कि यह प्रगतिशील बजट प्रदेश में तरक्की का कार्य करेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 1992-93 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने 12 ता० को जो बजट भाषण दिया उसको देखने का मुझे मौका मिला बजट साहित्य भी उन्होंने दिया उसमें 245.25 करोड़ का घाटा दिखाया है उसके साथ ही उन्होंने सैल्सटैक्स में कुछ छूट दी है । जब वह इधर बैठते थे तो पूरी छूट देने की बात कहते थे । 8वीं और 9वीं विधान सभा में गुप्ता जी यहां बैठते थे आदरणीय कल्याण सिंह जी 9वीं विधान सभा में आये थे । 8वीं में नहीं थे । उन्होंने 1985-86 का जो ग्राम्य विकास का बजट था उसमें कटौती की थी । मान्यवर, यह जो 245.25 करोड़ का घाटे का बजट है इसको कहां से पूरा करेंगे । इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं बताई है । करों में छूट दिया है । कुल मिलाकर के 400 करोड़ का घाटे का बजट होगा । उसको कहां से और कैसे पूरा करेगे इसका विस्तार से संकेत नहीं किया है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो बजट साहित्य दिया है उसके भाग-दो खण्ड एक में दिखाया गया है । मान्यवर, वसूली की बात कही है । मान्यवर, यह वसूली किस प्रकार से की जायेगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है । बकाया 7.931 लाख रुपये का मूल धन है । इस पर ब्याज कितना होगा । ब्याज इस पर आ रहा है 4.757 लाख रुपये । कुल मिलाकर 12.688 लाख रुपये का बकाया आ रहा है । इसकी

कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको कैसे वसूल किया जायेगा । इसके लिये क्या विधि अपनाई जायेगी और यह किससे लिया जायेगा ।

यही नहीं 31 मार्च, 1993 को जो बजट पूरा हो रहा है तब तक प्रदेश पर कितना ऋण हो जायेगा । मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष के पूरा होते-होते तक उत्तर प्रदेश पर 40, 14, 97, 86, 40, 14, 97, 86,000 लाख रुपये का खर्च आ रहा है । इस ऋण को कैसे पूरा करेंगे । बकाया वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आदर करता हूं वह सातवीं बार चुनकर आये हैं और राजेन्द्र गुप्त जी पांचवी बार चुन कर आये हैं लेकिन आप कहते हैं कि लगभग 125 करोड़ रुपये की वसूली आप कर लेंगे । लेकिन यह तो 11 सौ करोड़ का (1145 लाख) बकाया है उसको आप किस तरह से वसूल करेंगे । उसके लिये क्या प्राविधान किया गया है । मान्यवर, सप्लीमेन्टरी बजट आपने अलग से लिया है जो कि 35 (पैंतीस) अरब रुपये का है । आपने कहा था कि जब आपको यह प्रदेश मिला तो यह धधकती आग में खोखला हुआ मिला था । इसके खजाने खाली मिले थे । मान्यवर, आपने क्या प्राविधान किया है । मान्यवर, 85-86 में जब ग्राम्य विकास बजट पेश कर रहे थे तो उसमें कटौती का प्रस्ताव कर रहे थे तो यह कहा गया था कि नौकरी दी जायेगी । रोजगार देने की बात कही गई थी । आप मान्यवर, आज 50 हजार से ऊपर रोजगार देने की बात करते हैं तो उससे भी बहुत कम लोगों को रोजगार मिल पायेगा । यही नहीं कितने टैक्नीकल बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है । पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट है, आर० ई० एस० है, सिंचाई जहां तमाम जगहें खाली पड़ी हैं । मान्यवर, मुझे थोड़ा समय दे दें । मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं ।

मान्यवर, इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है । सड़कों और पुलों को ही ले लें । अभी तक किसी पुल का निर्माण नहीं किया गया है । जो पुल बनाने के लिये या सड़क बनाने के लिये पहले से स्वीकृतियां प्राप्त थीं उसका डि-सैंक्शन करा रहे हैं । 1984-85 के बजट में स्वीकृति मिल चुकी थी उसके लिये पुनः स्वीकृति ली जा रही है । इसी तरह से विद्युत व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं । माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री बैठे हैं । अभी आज उन्होंने लाइन हानि की बात कहीं । राष्ट्रीय औसत की बात बताई । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 33 के० वी० और 132 के० वी० के कोई प्लान्ट नहीं लगाये जा रहे हैं । आप कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया है ।

वसूली गरीब किसान से की जा रही है । बड़े- बड़े लोग गाजियाबाद कानपुर में उद्योगपति हैं उनसे वसूली नहीं की जा रही है गरीब किसानों से वसूली की जा रही है । मेरा आपसे निवेदन है कि राजेन्द्र कुमार गुप्त संसदीय कार्य मंत्री हैं–

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैं समझता था कि ईमानदारी के साथ यह बजट प्रस्तुत करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन नहीं करता हूं ।

कल प्रस्तुत होने वाले ऊर्जा विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने पर ऊर्जा बजट को अन्य दिन के लिए स्थगित किये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब वित्त मंत्री जी को सुन लें समय काफी हो गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल अनुदान पेश होना है कल हमें बजट साहित्य मिल जाना चाहिए था लेकिन आज तक बजट साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । पूर्व दृष्टांत ऐसे रहे हैं कि अगर एक दिन पूर्व बजट साहित्य नहीं मिला है तो बजट पेश नहीं होने पाया है इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

पिजेन होल में रखा है । ऐसी जानकारी दी गई है ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आप बिना जानकारी के जवाब न दें यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी इसको दिखवाया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राजस्व का आया है ऊर्जा का नहीं आया है तो इसको एक दिन बाद ले लें । यह पूर्व दृष्टान्त रहे हैं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, उत्तर भाषण प्रारम्भ करने के पहले लालजी वर्मा ने जो आपत्ति उठाई है उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कल की मदों पर बजट साहित्य नहीं आया है मैं खेद प्रकट करता हूं आगे से ऐसी गल्ती नहीं होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल उसको हटा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन लोगों को प्रतियां उपलब्ध नहीं हुई हैं उनको उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जिनको कटौती का प्रस्ताव रखना है वह कटौती का प्रस्ताव कैसे रखेंगे । नैतिकता के आधार पर एक दिन पूर्व बजट साहित्य मिल जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऊर्जा का नहीं आया है कृपया उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

अशासकीय सभा

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तो कोई फायदा नहीं है उपलब्ध कराने का, अगर सत्तापक्ष साहित्य उपलब्ध नहीं करा पाया है इसमें हमारी गल्ती तो है नहीं ? या तो हम ऊर्जा विभाग के बजट का बाईकाट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है । माननीय वित्त मंत्री जी इसकी प्रतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अब मान्यवर, 8 बजकर 20 मिनट तक बजट साहित्य नहीं मिला इसके बाद बजट साहित्य मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा ?

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं मिला है । तो मान्यवर, इसको एक दिन के लिये हटा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो कार्यक्रम है वह कार्य-मंत्रणा समिति और माननीय नेता विरोधी दल के परामर्श से बन गया है । मैंने स्वयं उसके बारे में खेद प्रकट किया है । कल 2 मदें हैं । पहले राजस्व को ले लें । उसके बाद ऊर्जा को ले लें, व्यवस्था हो जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कल पहले राजस्व है और उसके बाद ऊर्जा है । राजस्व का साहित्य आ गया है । ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि कम से कम एक दिन पहले साहित्य मिल जाय या सुबह मिल जाय । लेकिन अभी तक साहित्य मिला नहीं है जिसने माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हैं वह उसका अध्ययन कब करेंगे ? यह कोई ऐसा विभाग नहीं है कि ऐसे ही बोल दें । इसमें यदि कोई विशेष कठिनाई न हो तो किसी दूसरे दिन के लिये रख दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो स्वयं ही नेता विरोधी दल के कहने के पहले स्वीकार कर लिया कि कहीं चूक हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने खेद प्रकाश कर दिया है । पूर्व दृष्टांत हैं, अनुदान अपनी जगह पर रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे सुन लें तो व्यवस्था देने में आसानी हो जायेगी । तकनीकी दृष्टि से बात अपनी जगह पर सही है कि साहित्य नहीं मिला है । यह जो साहित्य मिलता है वह अतिरिक्त साहित्य है । मूल साहित्य बजट में मिल चुका है । मेरी प्रार्थना है कि इस बात को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए । आप बजट को देख लें, बजट भाषण को देख लें उसमें ऋण-अग्रिम की मदों को देख लें कि बिजली बोर्ड को क्या-क्या ऋण तथा अग्रिम दिये गये हैं, उसकी जानकारी हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

पूर्व दृष्टान्त इस तरह के रहे हैं अनुदान अपनी जगह पर रहेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह दृष्टान्त हो जायगा । बजट साहित्य न हो और बजट पेश किया जाय, यह अनुचित होगा । मेरा सिर्फ यह कहना है कि जो आंकड़े इसमें दिये गये हैं, कल जो बजट साहित्य दिया जायगा उसके दोनों के आंकड़ों में फर्क होगा, तो फिर इनकी सारी व्यवस्था व्यर्थ चली जायगी । यह सुनिश्चित करा लीजिये तो कल बजट रख लीजिये । साढ़े आठ बज रहे हैं और साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है । दूसरे दिन रख लें कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा । मान्यवर, एक चीज है, बड़ा पुराना सिद्धान्त है हाउस इज मास्टर आफ ओन बिजनेस । अगर इसको लेंगे तो सही नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तिवारी जी को मेरी तुलना में ज्यादा अनुभव है और संयोग से ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं । मान्यवर, ऐसी कल्पना, कि अंतर नहीं होना चाहिए, अनुमान पर मान्यवर, कोई निर्णय नहीं करना चाहिए ।

मान्यवर, जो बजट में आंकड़े दिये हैं, बिज़ली बोर्ड द्वारा जो पुस्तक आती है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की बात तो होती नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । आप पूर्व दृष्टान्तों को देख लें । अनेकों अवसरों पर मैंने स्वयं आपत्तियां उठायी हैं, लेकिन अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दी गयी है कि प्रातः काल सदन में आने तक साहित्य मिल गया तो मिला हुआ मान लिया जाता है । यह भी पूर्व दृष्टान्त हैं । माननीय नेता विरोधी समझ गये होंगे । कल चर्चा होगी । मैंने बिना किसी तर्क के दुख प्रकट किया है और आगे सुनिश्चित करेंगे कि साहित्य यथासमय उपलब्ध करा दें । उस साहित्य से लाभ तो हमारा ही होगा । अपने हित की हम स्वयं चिंता करते हुए आवश्वासन देना चाहते हैं कि आगे से बराबर साहित्य की व्यवस्था यथासमय की जायगी ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह संक्षिप्त विवरण दिया है । कृपया इसको देख लें । जब हम विस्तृत समीक्षा करेंगे, जब किताब नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली तो कैसे काम चलेगा । यह एक सदस्य का सवाल नहीं है, सवाल पूरे विपक्ष का है ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1992-93 के सामान्य बजट की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मूल्यवान सुझाव दिये, उनका आभारी हूं । विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल, सभी सम्मानित नेताओं और विशेष रूप से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का आभारी हूं कि आज इस सदन में आए और अपने मूल्यवान सुझाव दिये । मान्यवर, जो बातें कही गयीं, उनके लिये हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, मुझे पूरा एहसास है कि काफी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिये मैं बहुत अधिक समय इस आदरणीय सदन का नहीं लूंगा । सभी माननीय सदस्यों ने जो प्रशासनिक विभागों के बारे में विचार प्रकट किये हैं, उनको नोट किया है, कार्यवाही में भी अंकित हैं । मैं प्रयास करूंगा कि जब मदों के अनुसार चर्चा होगी तो उनको भेज दिया जायगा और पूरा उत्तर मिल जायगा । लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं उत्तर देना चाहूंगा । जहां तक पूरे बजट के सैद्धान्तिक निरूपण का सवाल है, मुख्य मंत्री जी चर्चा कर चुके हैं । मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा आदरणीय सदन का । जिस समय माननीय नेता विरोधी दल ने भाषण प्रारम्भ किया, उन्होंने भाषण में कुछ आर० एस० एस० का नाम लिया । जैसे कि बौद्धिक हो रहा था । माननीय नेता विरोधी दल जानते हैं कि आय-व्यय केवल लेखा-जोखा, बैलेंस शीट नहीं है । यह किसी भी सरकार का पालिसी स्टेटमेंट भी है । इसलिये बजट स्पीच देते समय आंकड़ों के साथ-साथ इसका निरूपण भी होता है कि शासन ने क्या नीति प्रतिपादित की है । इसलिये इसमें सैद्धान्तिक पहले भी लिये हैं । इसलिये जानबूझ कर बजट के आरम्भ में और अंत में सैद्धान्तिक निरूपण करना पड़ा । जिसके बिना आय- व्ययक की भावना को समझ पाना कठिन होता । इसलिये कुछ बातों का उल्लेख किया ।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही कि रामराज की परिकल्पना क्या है । मैं परिकल्पना बताऊं, यह छोटे मुंह बड़ी बात होगी । वे स्वयं भिज्ञ हैं । हम यह बता सकते हैं, मैं एक लाइन में कहूंगा जो पूरी सरकार का मंतव्य प्रकट करता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेकों बार अनेक अवसरों पर कहा कि बजट स्पीच में सरकार की भावना प्रकट होती है । भयमुक्त समाज में किसी को किसी से भय नहीं होता । सब निर्भय होकर रहते हैं । हमारा उद्देश्य है कि समतावादी ममतामयी समाज की स्थापना करें । भय न करूं काहूं सम होई, राम प्रताप विषमता खोयी । किसी को किसी से बुराई नहीं होगी, भय नहीं होगा, डर नहीं होगा ।

यह मान्यवर, राम राज्य की परिकल्पना है । मेरी दृष्टि से जो आपने जानना चाहा, एक सवाल आया कि राम मंदिर कब बनेगा । मान्यवर, जब हम कहते हैं कि जल्द से जल्द बनने वाला है, तो यह बात आप समझ लें कि बहुत जल्द बनने वाला है । आपको ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा । एक बात यादव जी ने कहा, वह चले गये । उन्होंने पूरे बजट का अध्ययन किया है, उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे, बजट में कहीं वित्तीय प्राविधान नहीं किया गया है, राम मंदिर निर्माण कैसे होगा । एक तरफ कहते हैं कि हम सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हैं । हमने और हमारे नेताओं ने सदा सर्वदा स्पष्ट किया है कि इस हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज राम में आस्था रखने वाली जनता बनायेगी और कोई भी वित्तीय प्राविधान नहीं रखने की आवश्यकता है । मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस समय सोमनाथ के मंदिर के बनने का फैसला हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मंदिर बने, लेकिन सरकारी धन व्यय नहीं होना चाहिए ।

श्री लालजी वर्मा–

जो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा, उसका भी उत्तर दे दीजिएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो मान्यवर, सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, इसलिये बजट में कोई बात नहीं मिलेगी । माननीय वर्मा जी ने कहा कि मदमस्त हो गये । मान्यवर, जिस समय उनके नेता ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि परिन्दा अयोध्या में पर नहीं मार पायेगा, लेकिन वहां पर लाखों लोग पहुंच गये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल को वह मदमस्त हो गये, आज आप मदमस्त हो गये । बजट पास कराइये, जाइये अपने घर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय तिवारी जी यहां पर विराजमान थे, उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट किया । उनकी एक–एक बात समझने की हमने चेष्टा की । उन्होंने सर्व धर्म सम्मान की बात कही । मान्यवर, यह सरकार उसी रास्ते पर चल रही है और इसलिये हज कमेटी को सहायता 15 लाख रुपये से बढ़ा कर हमने 25 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में कर दिया ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बजट साम्प्रदायिक है, कम्युनल है । उनके मन में जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की जानकारी मैं देना चाहता हूं । अगर बजट को ध्यान पूर्वक पढ़ा होता, तो यह पूर्वाग्रह दूर हो गयी होती । बजट भाषण के पृष्ठ 47 में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू भाषा के विकास की ओर भी हम समुचित ध्यान देंगे । उर्दू भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है । उनको पता नहीं कहां से जानकारी मिल गयी । अगर बजट देखा होता, तो उनकी जानकारी हो जाती कि उर्दू के विकास के लिये 77 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, अब एक बात और बता देना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक महत्वपूर्ण बात कही, बजट के बारे में कहा कि जो परिव्यय है, उसमें कटौती कर दी गयी है, जहां 15,500 करोड़ था, उसको कम करके 14,400 करोड़ रुपया कर दिया गया है । कुल 15 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है । शायद नेता विरोधी दल ने यह नहीं देखा कि 14,463.39 करोड़ की कुल प्राप्तियां हैं, तो उनको यह भ्रम न होता ।

मूल अनुमानों को देखते हुये किसी तरह का उसमें व्यवधान नहीं किया गया है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, तो उसके लिये एक हजार रुपये का प्राविधान था, तो उसके लिये एक हजार प्राविधान कर लिया गया है । मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि हमारे आंकड़े जगलरी नहीं है ।

मान्यवर, उत्तरांचल की बात कही गयी, उसकी चर्चा की गयी । उत्तरांचल अलग प्रदेश बनाया जायेगा या नहीं, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनकी भावना का आदर करते हुये यह बात कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनको जो भ्रम है कि पैसा कम रखा गया है, यह सही नहीं है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में 391 करोड़ रुपये का प्राविधान था, तो उत्तरांचल के लिये 395 करोड़ का प्राविधान किया गया था, लेकिन हमको विशेष केन्द्रीय सहायता जो 950 करोड़ की मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली, जिसके कारण कटौती हुई है और 300 करोड़ की व्यवस्था हुई है, लेकिन उसको हमने 405 करोड़ रुपये किया है । हम 300 करोड़ से 405 करोड़ पर आये हैं ।

मान्यवर, जहां तक घाटे का ताल्लुक है, हमारी 8/9 महीने की सरकार है । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, इस काल में जो वित्तीय प्रबन्ध किया है, उसके परिणाम आगे परिलक्षित होंगे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वर्ष 1991-92 में 351.41 करोड़ अंतिम

अवशेष था और इस समय 254 करोड़ रुपये है । हमने 106 करोड़ रुपया कम किया है । तो यह वित्तीय प्रबन्ध की कुशलता है । हमने घाटा कम किया है । अब एक बड़ी भारी आशंका व्यक्त की गयी कि घाटा को पूरा कैसे किया जायेगा, इसके बारे में अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से बताया है । 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो हमारी घोषणायें हैं, उनको पूरा किया जायेगा । हम मितव्ययता करेंगे, मितव्ययता के प्रोत्साहन के लिये हम प्रयास करेंगे । मैं इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि एक सदस्यीय व्यय बचत आयोग का गठन किया है

श्री सुरेन्द्र सिंह–

जो आयोग बनाने जा रहे हैं, उसमें किस तरह का जज बनाया जायेगा । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किस तरह से बनायेंगे इसका बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने घोषणा की कि बन जायेगा । दो बातें और बताना चाहता हूं । नारायण दत्त तिवारी जी ने दो बातें जानना चाहीं एक तो उनके मन में यह था कि भू-राजस्व के कारण जो पैसा होता है उसके बटवारे की बात थी तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भू-राजस्व से संग्रहीत धन गांव सभाओं को दिये जाने का प्राविधान वर्ष 1992-93 के बजट में कर दिया गया है । दूसरी जिज्ञासा उनके मन में थी कि चुंगी समाप्ति के फलस्वरूप जो नगरपालिकाओं को क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का क्या प्राविधान है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस चालू वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके लिए है और जिसे बढ़ाकर 130 करोड़ रुपये किये जाने का प्राक्धिान उसके अन्दर कर दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, वह कहने लगे, उन्होंने हमारी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता है यह कहा तो मैं उनको बता दूं कि यह जो हमारी गाय के साथ मां का नाता है यह शास्वत है । यह हम बजट भाषण में घोषणा करना चाहते हैं कि इसी बजट सत्र में हम विधेयक लाने वाले हैं इसके माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि गौवंश के बध पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाय । आज जो व्यवस्था है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वहां बिहार भिजवा दीजिए वहां पर मुख्य मंत्री ने व्यवस्था करा दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नेता विरोधी दल ने एक शंका प्रकट की कि बुनकरों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है, लालजी वर्मा ने भी इस बात का उल्लेख किया था और यह कहा कि हमारे क्षेत्र में बुनकर बहुत हैं । यह बात सही है बुनकरों के बारें में हमारी सरकार सजग है कि यह समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं और इनको राहत देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । असलियत यह है कि सूत के दाम बढ़ गये क्योंकि रूई की पैदाइश कम हो गयी । उसकी कीमत कम हो इसके लिये 2 लाख गाठ रूई विदेशों से आयात की जा रही है उसको सस्ते दर पर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे । दूसरे बजट में आपने देखा होगा कि बुनकर अगर पावरलूम लगाना चाहते हैं तो पावरलूम सहकारी समितियां बनाने की योजना लागू की गयी है ।

तीसरी योजना यह है कि बुनकर भाइयों का जीवन स्तर उठे, उत्पादकता को प्रोत्साहन मिले इसलिये 20 हजार बुनकरों को कार्यशाला युक्त भवन बनाने की योजना इस वित्तीय वर्ष में की गयी है ।

मान्यवर, आटो ट्रैक्टर के बारे में चर्चा हुई । वहां मजदूर बेरोजगार हैं यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है लेकिन किसी ने कहा, राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं उन्होंने कहा कि उस कारखाने को बेच दिया गया । मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बेचा नहीं गया ज्वाइन्ट सेक्टर में है लेकिन हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो मजदूर निकाले गये हैं उनको इम्पलायमेंट मिले ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह जो आप विचार कर रहे हैं इसकी क्या समय सीमा होगी । दो साल डेढ़ साल हो गये हैं, सैकड़ों मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई छूट गयी है, जीविका का सहारा नहीं रह गया है जिसको डेढ़ वर्षो से तनख्वाह नहीं मिली है उसकी कोई सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी विस्तार से बताता हूं । आज भी मजदूरों के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे । माननीय कैलाश नाथ जी वरिष्ठ सदस्य हैं उनके मन की बात जितनी भी हम जानते हैं महर्षि दयानन्द के संस्कार हैं उन्होंने कहा कि अन्तर्धर्मी विवाह होने चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 2.7 लाख रु० की व्यवस्था प्रोत्साहन के लिये की गयी है ।

एक बात माननीय तिवारी जी ने कही कि पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं जो प्रतिपक्ष के नेतागण हैं उनसे भी विचार विमर्श होना चाहिए । मैं उनकी बात से सहमत हूं । चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में केन्द्र सरकार से बात ही नहीं हुई इसलिये विचार कर रहे हैं कि वार्ता से पहले ऐसा अवसर निकालेंगे कि सबके विचार जान सकें ।

ऊदल जी ने कहा कि आयोजनेत्तर व्यय आयोजनागत व्यय की तुलना में बढ़ता जा रहा है । इसमें असंगत नहीं है जब पांच साल पूरे होते हैं पंचवर्षीय योजना के तो योजना की समाप्ति पर आयोजनागत को आयोजनेत्तर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है इसलिये योजना ट्रांसफर हुई है तो कर्जा तो बढ़ेगा ही । कर्जे के बारे में वर्मा जी ने, सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कर्जे को एक वर्ष का नहीं मानना चाहिए । पुराना कर्जा है । हमने उस कर्जे से परिसम्पत्तियां भी अर्जित की हैं । उनसे भी लाभ हो रहा है । कर्जे की प्रतिपूर्ति एक वर्ष में होना सम्भव नहीं है । राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण से अरबों रुपये की स्थायी परिसम्पत्तियां–नहरें, पुल, सड़कें बन गयी हैं, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

उद्योग के बारे में माननीय नेता, विरोधी दल ने एक बात कही थी कि कोई अधिक नहीं लगाये गये हैं । मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में प्रदेश में 33 हजार लघु इकाइयां और 44 हजार दस्तकारी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है । जनवरी तक 23,638 लघु इकाइयां और 30,500 दस्तकारी इकाइयों की स्थापना कर चुके हैं । ग्राम्य विकास की चर्चा सब लोगों ने की । पं० दीन दयाल उपाध्याय जी की स्मृति में जो योजनायें चलायी गयीं, उनका उल्लेख किया । पिछली बार का बजट भाषण पढ़ा, 50 लाख रु० के नये रोजगार सृजित करने की योजना तो थी लेकिन बजट में उल्लेख नहीं था । हमने एक-एक स्थान पर बजट में प्राविधान किया है । एक वर्ष में 9.33 करोड़ रु० की व्यवस्था होगी, 40 योजनायें बनने वाली हैं । कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें हर जिले

की योजना से आच्छादित न कर लें । तो उस 50 करोड़ रुपये के साथ-साथ 250 करोड़ रुपये विभिन्न व्यवसायिक बैंकों से लिया जायेगा इसलिये योजना बहुत वृहद होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक जिज्ञासा हमने प्रकट की थी कि जो 60 फीसदी धन आप खर्च करेंगे गांवों पर इसका जो ब्रेक-अप है वह बता देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह मेरे पास पूरा चार्ट है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह चार्ट भिजवा दीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी गन्ने की चर्चा की गयी, एक रुपये राहत की बात कही जाती है हमने एक रुपये की जो ट्रांसपोर्ट की राहत दी है, उन किसानों के लिये व्यय भार बढ़ रहा है जो केन्द्र के बाहर गन्ना देते हैं कुल वहां आधा गन्ना होता है ।

एक सदस्य–

दो तिहाई बाहर से आता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारे पास आंकड़े आधे-आधे के हैं । अगर आप किसी जगह के आंकड़े दे देंगे तो हम कन्फर्म कर लेंगे । यह गन्ना किसान हैं अपने क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं । लेकिन हमने एक-एक मिल से आंकड़े मंगाकर औसत निकालने की चेष्टा की है । केन्द्र सरकार की जब आलोचना की जाती है तो बुरा लगना स्वाभाविक है । अभी माननीय नेता सदन ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख साफ-साफ किया कि हम कनफरटेशन की राजनीति इस विकास के कार्यों में नहीं करते हैं कोआपरेशन की राजनीति करते हैं। जो राजनीतिक मतभेद हैं उनमें कनफरटेशन हो सकता है लेकिन आप गन्ने के बारे में देखें जिस समय गन्ने की कीमत तय कर रहे थे उस समय आप जानते हैं कि जो केन्द्रीय सरकार है वह लेवी चीनी रिलीज करने की बात, नान लेवी चीनी रिलीज करने का काम केन्द्रीय सरकार का है । जब बम्पर चीनी रिलीज हो रही थी तो चीनी की कीमत कम हो रही थी तो हमारे ऊपर प्रेशर था कि गन्ने की कीमत न बढ़ायें क्योंकि उससे चीनी के मिल मालिकों को नुकसान होगा । उसके तुरन्त बाद आज परिस्थिति यह है कि चीनी रिलीज नहीं की जा रही है और बैंकों की ओर से जो चीनी मिलों की लिमिट थी उसको सीज किया जा रहा है । एक ओर चीनी का उत्थान नहीं होता है दूसरी ओर बैंक में पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे गन्ने के भुगतान में बाधा पैदा हो रही है । हम किसानों को आश्वासन देना चाहते हैं कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान समय पर हो इसके लिये प्रयत्नशील हैं मान्यवर, यह जो संकट है यह मैं माननीय तिवारी जी के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं , मान्यवर, मैं बड़े विस्तार के साथ बताना चाहता था कि यह जो संस्थागत वित्त है उसमें हमारे सामने क्या बाधायें हैं फिर कभी अवसर मिलेगा तो उसको विस्तार से रखूंगा । माननीय तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारी सहायता करेंगे ताकि पैसा मिले और चीनी का उत्थान हो ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक शर्त पर कि आप अपना भाषण बन्द कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रमोद तिवारी जी की बातों में बड़ा बल लगता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारा बल तो सिर्फ आप ही समझते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राज्य सरकार से वित्तीय संसाधनों की अपेक्षा करना स्वाभाविक है क्योंकि जब हम चुनाव के मैदान में थे तो बड़े-बड़े वायदे किये थे, पुलियों और सड़कों के वायदे किये थे लेकिन मान्यवर, जब बजट बनता है तो उसमें किसी दलीय भेद का सवाल नहीं है जब तक हमारे आर्थिक संसाधन पूरे नहीं होंगे तब उन बातों को पूरा कर पाना कठिन बात होगी। लेकिन आप विचार करें जो हमारी संवैधानिक स्थिति है उसको देखें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की अलग-अलग सूची बनी हुई है केन्द्र सरकार के अपने पास साधन हैं और उनके पास इतने लचीले साधन हैं कि वे उनसे वह अपनी आय बढ़ा सकते हैं जबकि राज्य सरकार के पास इतना नहीं है इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे संसाधन बढ़ सकें। इसके विपरीत संविधान के अन्तर्गत केन्द्र को जो उत्तरदायित्व दिये गये हैं उनमें कम व्ययभार निहित है जबकि जो उत्तरदायित्व राज्यों को दिये गये हैं उनमें अधिक तथा व्यापक व्यय भार निहित है। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा अब मान्यवर, सरकारिया कमीशन को ही देखें। इसमें चर्चा हुई और समय-समय पर केन्द्र सरकार के सामने रखा मैं चाहता हूं कि जनमत बने केन्द्र सरकार की ओर से विचार किया जाये। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। संसाधन जब हमें मिलेंगे तभी प्रदेश का विकास हो सकता है। इसके लिये राज्य सरकारों ने निम्न बिन्दु बनाये––

(1) केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में वृद्धि की जाये।

(2) विभाज्य अंश में ''निगम कर'' को सम्मिलित किया जाये जैसा कि सरकारिया कमीशन ने संस्तुति की है।

(3) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क जो चीनी, तम्बाकू तथा कपड़े पर बिक्रीकर की एवज में लगाया गया है उसके अन्तर्गत राज्यों को प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय ताकि इन वस्तुओं के मूल्यों पर जो बिक्रीकर का आयात था वह सुनिश्चित हो सके तथा उत्पादन शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बीच 2:1 का अनुपात सुनिश्चित किया जाय जैसा कि 1970 में निर्णित किया गया था।

(4) केन्द्रीय आय में वृद्धि करने के लिये वर्तमान में जो विशेष तथा आक्जलरी शुल्क लगाया जाता है और जिन्हें विभाज्य अंश का भाग नहीं बनाया जाता है, उनके स्थान पर उत्पादन शुल्क में ही वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसका लाभ राज्यों को मिल सके।

(5) संविधान की धारा 269 के अन्तर्गत जो रेल किराये पर कर लगाया जाता था और जिसे 1957 में रेल किराये में संविलीन कर दिया गया है, उसका अंश इस प्रकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वह रेल किराये का, उसका अंश 10.7 प्रतिशत अंश के बराबर हो क्योंकि रेल किराये पर कर की समाप्ति के समय इसका अंश रेल किराये के, उसका अंश 10.7 प्रतिशत था। केन्द्रीय बजट , उसका अंश 1992-93 में आय कर के अन्तर्गत जो संशोधन प्रस्तावित हैं उनसे राज्यों को अल्प बचत योजनाओं के संग्रह करने में कठिनाई होगी हमने इस पर भी पुनर्विचार किया। संविधान में संशोधन करके

बिक्रीकर करापवंचन को रोकने के लिये कन्साइनमेण्ट टैक्स लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार ने लगभग 10 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था परन्तु अभी तक आरोपित नहीं किया है, इससे भी राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हो रही है इस पर भी ध्यान देना होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जो बिन्दु रह गये हैं उन पर विचार करना होगा । एक संशोधन मैं देना चाहता हूं, बजट भाषण के पृष्ठ 34 की तीसरी पंक्ति में 20 की जगह 2 बढ़ा दिया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपना उत्तर प्रस्तुत किया । चूंकि विलम्ब हो गया, मैं समझ रहा हूं इसी तरह की वजह से आप लोगों की सुनने की रुचि नहीं हो रही थी । फिर भी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी बात को शान्ति के साथ सुना, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त की जाती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री कुंवर अखिलेश सिंह की, जनपद महराजगंज में डांडा एवं व्यास नदियों का जल प्रदूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । दूसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की, प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की, जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजित फर्जी रूप से प्रबन्ध समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । चौथी सूचना श्री विजय सिंह राणा व श्री विजय पाल सिंह की, कृषि उत्पादन मंडी समिति, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । पांचवीं सूचना श्री गामाराम शास्त्री की, जनपद गाजीपुर में तहसीलों की नजारत एवं संग्रह अनुभाग में विभिन्न पदों में अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । अन्य सूचनायें श्री गिरधारी लाल, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री मो० हसन, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री बाबूराम यादव, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री रमेश पोखरियाल, श्री हृदय नारायण, श्री मातवर सिंह कण्डारी की हैं, इन सभी सूचनाओं को अग्राह्य किया गया ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि में 9 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
1 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

संलग्नक

(देखिये ता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

माननीय विधायक द्वारा दिनांक 4-7-91 को माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र में दर्शाये गये नलकूपों की वर्तमान स्थिति सप्ताहांत 19-3-92

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	नलकूपों की संख्या व समूह	नलकूपों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	जामो	अहद प्रथम	60 एम० जी०	चालू है।
2	तदैव	एदिलपुर	61 एम० जी०	चालू है।
3	तदैव	चिटहुला	66 एम० जी०	चालू है।
4	तदैव	अहद द्वितीय	78 एम० जी०	चालू है।
5	तदैव	यहीयापुर	80 एम० जी०	चालू है।
6	तदैव	पर्वतपुर	105 एम० जी०	चालू है।
7	तदैव	दक्खिनवारा	106 एम० जी०	चालू है।
8	तदैव	कल्यानपुर	122 एम० जी०	ट्रांसफार्मर जलने के कारण दिनांक 14-1-92 से बन्द।
9	शाहगढ़	शाहगढ़	69 ए० जी०	चालू है।
10	तदैव	पलिया	100 ए० जी०	चालू है।
11	तदैव	चिलविली	79 ए० जी०	चालू है।
12	तदैव	वीररामपुर	111 ए० जी०	चालू है।
13	तदैव	हरदोइया	169 ए० जी०	चालू है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

प्रपत्र

वर्ष 1989-90

क्रमांक	रजवाहा का नाम	संख्या कटिंग	संख्या तावान	कुल धनराशि तावान	जमा बन्दी में वसूली हेतु तहसील को प्रेषित राशि	अवशेष धनराशि
1	सहपऊ	21	21	63480.00	–	63480.00
2	बरहन	28	28	67007.00	5286.60	61720.40
3	फिरोजाबाद	20	20	62117.00	1043.90	61073.10
			वर्ष 1990-91			
1	सहपऊ	18	18	17260.00	—	17260.00
2	बरहन	50	50	20975.00	9767.16	11207.84
3	फिरोजाबाद	24	24	11157.00	—	11157.00
			वर्ष 1991-92 (जुलाई, 1991 तक)			
1	सहपऊ	16	16	32200.00	—	32200.00
2	बरहन	8	8	39689.00	—	39689.00
3	फिरोजाबाद	1	1	11400.00	—	11400.00

पी० एस० यू० पी०–एल० 210 विधान सभा (338)–572–1993 (डी० टी० पी०) ।